रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 538] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2016/श्रावण 11,1938
No. 538] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2016/SRAVANA 11, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(रक्षोपाय महानिदेशालय, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2016

विषय: अलॉय और गैर अलॉय स्टील के "हॉट रोल्ड फ्लैट शीट्स एवं प्लेट्स" (क्वाइल फार्म के रूप में हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों को छोड़कर) के भारत में आयातों से संबंधित जांच - अंतिम निष्कर्ष।

सा.का.नि.759 (अ).- सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) अधिनियम,1975 एवं उसकी सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के संबंध में।

I. **प्रक्रिया**

1. सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 5 के अधीन [इसके आगे जिसे "रक्षोपाय नियमावली" कहा गया है] मै.स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मै. एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड, मै. जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड एवं मै. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा मै. लक्ष्मी कुमारन एंड श्रीधरन अटॉर्नीज, नई दिल्ली के माध्यम से अलॉय और गैर अलॉय स्टील के "हॉट रोल्ड फ्लैट शीट्स एवं प्लेट्स" (क्वाइल फार्म के रूप में हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों को छोड़कर) के भारत में वर्धित आयातों से घरेलू उत्पादकों को हो रही गंभीर क्षति एवं/ अथवा होने की आशंका के मद्देनजर इनके आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के लिए दिनांक 28 अक्तूबर, 2015 को आवेदन फाइल किया गया था।

2. विचाराधीन उत्पाद अलॉय और गैर अलॉय स्टील के "हॉट रोल्ड फ्लैट शीट्स एवं प्लेट्स" (क्वाइल फार्म के रूप में हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों को छोड़कर) है जिसकी नाममात्र मोटाई 150मि.मी. से कम या उसके बराबर है एवं नाममात्र की चौड़ाई 600मि.मी. से अधिक या उसके बराबर है, चाहे यूनिवर्सल प्लेट मिल (रिवर्सिबल प्लेट मिल अथवा हॉट स्ट्रीप मिल अथवा टेंडम मिल, स्टेकल

मिल अथवा अन्य किसी समान प्रक्रिया के साथ विभिन्न प्रकार विन्यास जिसमें 2-उच्च, 3-उच्च, 4-उच्च शामिल, कलस्टर मिल या अन्य कोई समान हॉट रोलिंग प्रक्रिया से रोल्ड किए गए हों या नहीं। इसे आगे 'पीयूसी' (विचाराधीन उत्पाद) कहा गया है जो कि सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम,1975 के अध्याय 72 के अधीन टैरिफ शीर्ष 7208 एवं 7225 (72254013,72254019, 72254020, 72254030 तथा 72259900) के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। आवेदकों ने दावा किया है कि शीट्स एवं प्लेट्स सहित ये उत्पाद या तो सीधे हॉट रोलिंग प्रोसेस से उत्पादित हैं अथवा हॉट रोल्ड कॉयल्स से कट/श्रेडेड किए गए उत्पाद हैं। ये उत्पाद प्राइम अथवा नोन-प्राइम स्थिति में आयरन, अलॉय और गैर अलॉय स्टील, जिनके 'एज रोल्ड' किनारे या 'छांटे' हुए किनारे या 'मिल्ड' किनारे अथवा 'श्रेडेड' किनारे अथवा 'लेजर कट' किनारे या 'गैस कट' किनारे हैं, के फ्लैट उत्पाद हैं। ये उत्पाद पिकल्ड या नोन पिकल्ड (स्किन पास या टेंपरिंग के बिना), नॉर्मलाइज्ड या अन नॉर्मलाइज्ड, अल्ट्रा-सोनीकली परीक्षित या अपरीक्षित अथवा ऑयल्ड अथवा नॉन-ऑयल्ड आदि हो सकते हैं। ये उत्पाद "एज रोल्ड" या "थर्मो-मैकेनिकली रोल्ड" अथवा "थर्मो-मैकेनिकली कंट्रोल्ड रोल्ड" या "कंट्रोल्ड रोल्ड" या 'नॉर्मलाइज्ड रोल्ड" या "नॉर्मलाइज्ड" अन्य कोई समान प्रक्रियाधीन हो सकते हैं। इन उत्पादों में हॉट रोलिंग के दौरान सीधे व्युत्पन्न विभिन्न प्रकार के रिलिफ/चैकर्ड पैटर्न हो सकते हैं। ये उत्पाद सैंड ब्लास्टेड अथवा शॉट ब्लास्टेड या समान प्रक्रियाधीन हो सकते हैं। इन उत्पादों का संरचात्मक अनुप्रयोग, सामान्य इंजीनियरिंग एवं फैब्रिकेशन, ऑटोमोटिव, अर्थ-मूविंग एवं खनन उपकरण, संचयन टैंक, कम दबाव वाले तापक, ट्रिटॅर्स, टैंक एवं अन्य कम दबाव वाले बर्तन, आधारभूत ढांचा एवं विनिर्माण क्षेत्र जैसे पत्तन, रेलवे, हवाई अड्डा, पुल, फ्लाई-ओवर्स, बिजली उत्पादन, पारेषण एवं वितरण सैक्टर, विंड-मिल, जहाज एवं नौका निर्माण, सैमी सॉलिड, तरल एवं गैस के परिवहन के लिए ट्यूब एवं पाइप बनाना सहित परंतु सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं, विभिन्न अंतिम-प्रयोगों में विस्तारित अन्य अनुप्रयोग हो सकते हैं। विचाराधीन उत्पाद की परिधि में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :

(क) स्टेनलैस स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद;

(ख) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के परिवहन सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले पाइपों के निर्माण हेतु X-52 एवं उच्चतर एपीआई ग्रेड के अनुरूप एपीआई ग्रेड स्टील ;

(ग) आईएस 2002 एवं आईएस 2041 के अनुरूप बॉयलर्स एव दबाव पात्रों के निर्माण के लिए हॉट रोल्ड प्लेट्स;

(घ) सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील;

(ड) क्लैडेड स्टील;

(च) ब्रैंच्ड एवं टेम्पर्ड स्टील;

3. यह संतुष्टि कर लेने पर कि नियम 5 की अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं, सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के अधीन रक्षोपाय जांच शुरु करने का नोटिस 7 दिसम्बर, 2015 को जारी किया गया था जो कि उसी दिन भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

4. सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6(2) एवं 6(3) के अनुसरण में दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 के जांच शुरू करने के नोटिस की प्रति घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आवेदन के अगोपनीय संस्करण की प्रति के साथ केंद्रीय सरकार, वाणिज्य मंत्रालय में, एवं अन्य संबंधित मंत्रालयों, मुख्य निर्यातक देशों की सरकारों को उनके भारत में दूतावासों के माध्यम से, एवं निम्नलिखित इच्छुक पार्टियों को अग्रेषित की गई थी। उस ही दिन प्रश्नावली भी सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों, आयातकों और निर्यातकों को भेजी गई थी तथा उन्हें अपनी प्रतिक्रियाएं 30 दिनों के भीतर भेजने के लिए कहा गया था।

4.1 घरेलू उत्पादक

क. एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड,

ख. स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

ग. जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड
घ. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड
ङ. टाटा स्टील लिमिटेड
च. उत्तम वैल्यू स्टील्स लिमिटेड
छ. वेलस्पन स्टील लिमिटेड
ज. भूषण स्टील लिमिटेड
झ. भूषण पॉवर एंड स्टील लिमिटेड

4.2 ज्ञात आयातक (मै.):

क. एल्सटोम इंडिया लिमिटेड, महाराष्ट्र
ख. आर्सलर नील टेलर्ड ब्लैंक प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
ग. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, नई दिल्ली
घ. भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़
ङ. सी.आर.आई. पंप्स प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु
च. कैटरपिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु
छ. डेनिस प्लास्ट लिमिटेड, गुजरात
ज. डेसमी इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र
झ. एस्कोर्ट्स लिमिटेड, हरियाणा
ञ. एक्जेडी इंडिया लिमिटेड, औरंगाबाद
ट. फाइन फोर्ज लिमिटेड, हैदराबाद-पिन-502032
ठ. फ्लैक्त (इंडिया) लिमिटेड, चेन्नै
ड. गमेशा विंड टरबाईन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
ढ. गणपति इंटरप्राईजेस, जयपुर पिन-302023
ण. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड., विसखापत्नाम
त. हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को. लिमिटेड, महाराष्ट्र
थ. आईडीएल एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, हैदराबाद
द. आईएफबी ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता (प.ब.)
ध. जेबीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली-110019
न. जेसीबी इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली
ऩ. कलिंगा फिक्सचर्स लिमिटेड, महाराष्ट्र
प. कल्पतरु पॉवर ट्रांसमीशन लिमिटेड, गुजरात-पिन-382028
फ. लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, महाराष्ट्र
ब. लॉयड्स स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, महाराष्ट्र
भ. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली
म. एमपीपी टैक्नोलोजिज प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर
य. एनसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आंध्र प्रदेश
र. नील मैटल प्रोडक्टस लिमिटेड, नई दिल्ली
ऱ. ओरियंट इम्पैक्स, चेन्नै
ल. ओरियंट वियरटैक, तमिलनाडु

ळ. पी एंड एच जॉय माइनिंग इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, कोलकाता, प.ब.

ऴ. पॉस्को इलेक्ट्रिकल स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र

व. रवि स्टील कंपनी, महाराष्ट्र-पिन-400072

श. एसजी आयरन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, प.ब.

ष. शक्ति पंप्स (इंडिया) लिमिटेड, इंदौर, म.प.

स. शैल्फ ड्रिलिंग ऑफशोर सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई

ह. श्री चामुंडा इंटरप्राईजेस, नवी मुंबई

कक. सुपीरियर स्टील इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र

खख. ट्रैंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र

गग. टीआरएफ लिमिटेड, झारखंड

घघ. विराज इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र

ङङ. वर्गो इंडस्ट्रीज, पंचकुला

चच. वैलस्पन कॉर्प लिमिटेड, गुजरात

छछ. वुडटूल्स, महाराष्ट्र

जज. यतिन स्टील्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र

झझ. वाईएसआई ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै

ञञ. ज़िफिक्स टूल्स प्राइवेट लिमिटेड-II, हैदराबाद-आ.प्र.

4.3 ज्ञात निर्यातक (मै.):

क. निप्पोन सुमिटोमो, जापान

ख. कोबे, जापान

ग. जेएफई स्टील कॉरपोरेशन

घ. पोस्को, कोरिया

ङ. हुंडई स्टील कंपनी लिमिटेड, सियोल

च. डॉन्गकुक स्टील मिल, सियोल

छ. इलिच आयरन एंड स्टील वर्क्स, उक्रेन

ज. सेवर्स्टल स्टील, बेलारूस

झ. ज़ैपरोस्थल, यूक्रेन

ञ. अज़वोस्तह, यूक्रेन

ट. अल्चैस्क, यूक्रेन

ठ. मोबारकेह स्टील कंपनी, ईरान

ड. पीटी. करकत ओपोस्को स्टील वर्क्स, इंडोनेशिया

ढ. आर्सलर मित्तल, लग्जमबर्ग

ण. डिलेंजर एंड सलज़िटर, जर्मनी

त. आर्सलर मित्तल, ब्राजील

थ. रिज़ाहो, चीन

द. बेतै आयरन एंड स्टील, चीन

ध. बोतो आयरन एंड स्टील ग्रुप, चीन

न. जियांगशू शागंग ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चीन

ऩ. तोंगहुआ आयरन स्टील ग्रुप कॉरपोरेशन, चीन

प. आंगंग स्टील कंपनी, चीन

फ. नानजिंग आयरन एंड स्टील, नानजिंग, पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना

ब. तंगशेंग आयरन एंड स्टील तंगशन, हेबै

भ. वुहान आयरन एंड स्टील, चीन

म. तिआनजिन आयरन एंड स्टील ग्रुप कंपनी लिमिटेड, चीन

4.3 निर्यातक देशों की सरकारें

क. इंडोनेशिया का दूतावास

ख. यूक्रेन दूतावास

ग. रशियन फेडरेशन का दूतावास

घ. पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का दूतावास

ङ. जापान का दूतावास

च. कोरिया का दूतावास

5. इच्छुक पार्टी मानने के लिए निम्नलिखित पार्टियों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार:-

5.1 विदेशी राष्ट्र/ प्रतिनिधि मंडल/ दूतावास

क. यूरोपियन यूनियन, डेलीगेशन टू इंडिया, 65, गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली-110003

ख. मिनिस्ट्री ऑफ इकोनिमिक डेवलपमेंट ऑफ दी रशियन फेडरेशन, नई दिल्ली-110021

ग. ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रशियन फेडरेशन इन इंडिया, नई दिल्ली-110021

घ. एंटी-डंपिंग, सब्सिडी एंड सेफगार्ड डिपार्टमेंट, अरब रिब्लिक ऑफ इजिप्ट

ङ. गवर्नमेंट ऑफ टर्की, टर्किश एम्बेसी, नई दिल्ली

च. गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन/ एम्बेसी ऑफ़ यूक्रेन, नई दिल्ली-110057

छ. एम्बेसी ऑफ़ जापान, 50-जी, शांतिपथ, चाणक्य पुरी-110021

ज. ताइपे इकोनिमिक एंड कल्चर सेंटर इन इंडिया, नई दिल्ली-110057

झ. गवर्नमेंट ऑफ ब्राजील

5.2 आयातक/उपयोगकर्ता/उपयोगकर्ता संघ

क. बोम्बे आयरन मर्चेंटस एसोसिएशन, मुंबई-400009.

ख. फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया (एफआईआई), नई दिल्ली.

ग. साक्षी स्टील-एन-अलॉय्ज, बैंगलोर-560058

घ. महादेव स्टील्स, हैदराबाद, तेलंगाना-500018

ङ. एम.आर. स्टील कॉरपोरेशन, हैदराबाद-500072.

च. श्री सिद्धि विनायक स्टील्स, हैदराबाद.

छ. पॉस्को-इंडिया पुणे प्रोसेसिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, पुणे-419507

ज. वी.के. इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई-400009.

झ. ओहमी इंडस्ट्रीज एशिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली-110019

ञ. जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया (जेसीसीआईआई), हरियाणा, भारत.

ट. कोबेल्को क्रेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली-110049

ठ. गर्गस इंजीनियर्स लिमिटेड, झारखंड-832108.

ड. कोबेल्को प्लेट प्रोसेसिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश-517541.

ढ. मैटल वन कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली-110001.

ण. इस्जैक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, नोएडा-201301 (उ.प्र.)

त. कैटरपिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु, भारत-602004

थ. आईएचआई कॉरपोरेशन, मुंबई-400076.

द. कोमात्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु-631604.

ध. फेरम एक्स्ट्रीम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटक-562114

न. कात्सुशिरो मेटैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु-602105

ऩ. मित्सुइ एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली-110017

प. हुंडई कॉरपोरेशन इक्विपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुणे-410501.

5.3 विदेशी उत्पादक/ निर्यातक

क. बरविल रिसोर्सेस लिमिटेड, हांगकांग.

ख. मै. पॉस्को, रिपब्लिक ऑफ कोरिया.

ग. झियांगयिन जिंग चेंग स्टील वर्क्स कंपनी लिमिटेड, चाइना-214400

घ. चाइना स्टील कॉरपोरेशन, ताइवान-80661

ङ. पीटी कराक्ताउ पोस्को, इंडोनेशिया

च. द जापान आयरन एंड स्टील फेडरेशन, जापान.

छ. टाटा स्टील यूरोप, लंदन.

6. उक्त सभी अनुरोध स्वीकार कर लिए गए थे। कुछ इच्छुक पार्टियों ने जांच शुरू करने के नोटिस पर अपने उत्तर फाइल करने के लिए और समय देने का अनुरोध किया था। उनके भी अनुरोध स्वीकार कर लिए गए थे और उनको और समय दे दिया गया था।

7. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं का सत्यापन जहां तक आवश्यक समझा गया घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों के स्थल पर जाकर किया गया था। अगोपनीय सत्यापित सूचना पब्लिक फाइल में रखीं गई।

II. **पक्ष शुरुआत सबमीशन:** जांच शुरू करने के नोटिस की प्रतिक्रिया स्वरूप परंतु लोक सुनवाई के पूर्व प्राप्त सबमीशंस संक्षेप में इस प्रकार हैं:

ए. भारत में रूस का व्यापार प्रतिनिधित्व

क. रशियन फेडरेशन से आयात आठ गुना से अधिक की गिरावट दर्शाता है और विचारित अवधि में भारत को आयातित पीयूसी की कुल मात्रा का 1% से कम है। अत: यह किसी भी प्रकार भारतीय उत्पादकों के आर्थिक निष्पादन को प्रभावित नहीं सकता।

ख. जांच की अवधि के दौरान हॉट रोल्ड फ्लैट शीट्स एवं प्लेट्स के आयात डिलीवरी में वृद्धि आकस्मिक, आयात में तेज वृद्धि नहीं है परंतु 2012-13 की अवधि के स्तर डिलीवरी का रेस्टॉरेशन है।

ग. ऐसी कोई अनपेक्षित परिस्थितियां नहीं हैं जिनके कारण आयात वर्धित हुआ है। वर्ष 2015 में भारत ने पीयूसी के आयात शुल्क में लगभग दुगनी 7.50% से बढ़ाकर 12.50% की वृद्धि कर दी जिसके कारण उन देशों जिनके साथ भारत का मुक्त व्यापार का करार है, के निर्यातकों के पक्ष में भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर विराम लगा दिया। इसके कारण वित्तीय वर्ष 2015-16 की प्रथम छमाही में उन देशों जिनसे जिनके साथ भारत का मुक्त व्यापार का करार है, से डिलीवरी में वृद्धि हुई है जैसे कोरिया से डिलीवरी 16% से बढ़कर 20% एवं इंडोनेशिया से 2% से बढ़कर 26% हो गई।

घ. भारतीय उद्योगों की स्थिति में कुछ गिरावट का मुख्य कारण अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है न कि वर्धित आयात।

बी. <u>जापान दूतावास</u>

टैरिफ एवं व्यापार पर सामान्य करार के अनुच्छेद xix:1(a) के अधीन, वर्धित आयात जिस पर विचार किया जा सकता है "इस करार के अधीन अनुबंधीय पार्टी द्वारा अपने ऊपर ली गई बाध्यताओं के प्रभाव के परिणामस्वरूप" आयातित भाग तक सीमित है। इस लिए, जापान सरकार का यह मानना है कि भारत सरकार को सीईपीए के अधीन टैरिफ में कमी/विलोपन के प्रभाव के परिणामस्वरूप जापान से वर्धित आयात के भाग को नहीं गिनना चाहिए।

सी. <u>टर्की सरकार</u>

क. जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद xix, एओएस एवं संगत न्यायशास्त्र के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, रक्षोपाय उपाय आकस्मिक उपाय हैं और इस लिए "अनपेक्षित गतिविधियां" के साथ बहुत ही अपवादात्मक परिस्थितियों में सख्त अपेक्षाओं के अधीन हैं। इस संबंध में रक्षोपाय कार्रवाइयों का प्रयोग करने के लिए तीन आधारभूत अपेक्षाओं विद्यमान होनी चाहिए जो कि "अनपेक्षित गतिविधियां", "वर्धित आयात" एवं "गंभीर क्षति" के रूप में वर्गीकृत की जा सकती हैं।

ख. जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद xix एवं संगत विश्व व्यापार संगठन न्यायशास्त्र के अनुसार, सक्षम प्राधिकारियों से यह दर्शाने की अपेक्षा है कि "अनपेक्षित गतिविधियों" के परिणामस्वरूप आयात में वृद्धि हुई है जो कि पर्याप्त अभिनव है, पर्याप्त आकस्मिक है, पर्याप्त तेज है और पर्याप्त महत्वपूर्ण होनी चाहिए।

ग. मात्र आवेदकों और समर्थकों की घरेलू बिक्री के संयुक्त स्तर में वृद्धि घरेलू उद्योग को क्षति होने संबंधी किसी आरोप का आधार नहीं बन सकते।

घ. आवेदक कंपनियों ने पीओआई के दौरान बेरोजगारी के स्तरों संबंधी कोई आंकड़े यह दावा करते हुए प्रकट नहीं किए हैं कि क्योंकि आवेदक कंपनियां विभिन्न उत्पाद बनाती हैं, उन्होंने किसी काम बंदी का अनुभव नहीं किया है। तथापि गंभीर क्षति की अवधारणा के बारे में,- जो कि रक्षोपाय उपायों कि सर्वप्रथम शर्त बनाई गई है-उसी समय में रोजगार में बिना किसी नुकसान के बगैर सोचना असंभव है।

ङ. जिस अवधि में आयात में कमी आई है उस अवधि में आवेदकों की लाभप्रदता में गिरावट आई है। अत: यह स्पष्ट है कि तदनुरूप अवधि के दौरान आवेदकों की लाभप्रदता में कथित गिरावट का आयात के संचलन से कोई संबंध नहीं है।

च. मै. स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि आवेदकों में से एक है और जो भारत में स्टील उत्पादक एक बड़ी कंपनी है, की 2014-2015 की वार्षिक रिपोर्ट दर्शाती है कि लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव मुख्यत: अवरूद्ध विक्रेय स्टील उत्पादन एवं कम बिक्री की मात्रा, उच्च वेतन एवं मजदूरी, उच्च भंडारण एवं स्पेयर्स व्यय, उच्च मरम्मत एवं रखरखाव व्यय, लौह अयस्क पर रॉयल्टी में वृद्धि, क्रय की जाने वाली बिजली की दरों में वृद्धि, निम्न बीएफ उत्पादकता, स्वदेशी कोयले की कम उपलब्धता के कारण उसमे आयातित कोयले के मिश्रण का अधिक प्रयोग, उच्च ब्याज दर, नई सुविधाओं के पूंजीकरण के कारण उच्च मूल्य ह्रास एवं सावधि जमाओं पर ब्याज अर्जन में कमी के कारण हुआ है।

छ. इसके अतिरिक्त, अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री के स्तरों में वृद्धि एवं बढ़ती हुई बाजार मांग, क्षमता उपयोग संबंधित मिसपर्सेप्शन और अंतत: रोजगार के स्तर में कोई महत्वपूर्ण बदलाव न होने के कारण आवेदकों द्वारा कथित गंभीर क्षति की तीव्रता के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है।

ज. टर्की का भारत के सबजेक्ट मर्केंडाईज इम्पोर्ट्स में वैयक्तिक हिस्सा, मात्रा के संबंध में, 3% के नीचे के स्तर के अनुरूप है एवं विकासशील देशों का सामूहिक आयात हिस्सा 3% के अनुपात से नीचे है जो कि 2014 में एवं 2015 की तीन तिमाहियों में विचाराधीन उत्पाद के भारत में कुल आयात 9% के समीप भी नहीं है, और जिसकी विवेचना एओएस के अनुच्छेद 9.1 के विद्यमान प्रावधानों के अधीन होनी चाहिए। अत: टर्की का मानना है कि भारत को ऐसे किसी उपाय के अधिरोपण से टर्की को बाहर रखना चाहिए।

डी. <u>युक्रेन सरकार</u>

क. आवेदनों के डाटा के अनुसार, 2012-13 की अवधि की तुलना में 2013-14 की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के आयात में 46% की कमी थी। 2012-13 की तुलना में 2014-15 आयात 0.3% घटा है।

ख. आवेदनों के डाटा के अनुसार, 2015-16 में आयात का अनुमानित बाजार हिस्सा 2012-13 की उसी अवधि के तुलना में बिना किसी परिवर्तन के रहेगा।

ग. 2015-16 के लिए वार्षिक पूर्वानुमान पर आधारित आयात में वृद्धि दर्शाने का आवेदकों का नजरिया और इस रक्षोपाय जांच की शुरुआत का संगत नोटिस रक्षोपाय करार के प्रावधानों एवं सिद्धांतों में अंतर्विरोध है।

घ. आवेदन के अनुसार, भारतीय उद्योग संकेतक ने 2011-15 के दौरान सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाई है और इस लिए रक्षोपाय करार की भावना के अनुसार यह नहीं माना जा सकता कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही है।

i. 2012-2013 की समान अवधि की तुलना में 2014-15 में घरेलू बिक्री 2.3% तक की वृद्धि हुई थी और 2015-2016 में लगभग 2.4% तक की वृद्धि हो सकती है।

ii. 2012-2013 की समान अवधि की तुलना में 2014-15 में घरेलू उद्योग के उत्पादन में 1.55% की वृद्धि हुई थी और 2015-16 में यह हिस्सा लगभग स्थिर रह सकता है।

iii. 2012-2013 की समान अवधि की तुलना में 2014-15 में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 3% की वृद्धि, अर्थात 70% से बढ़कर 73%, हुई थी।

ङ आयात सप्लाई की प्रवृत्ति, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की अनुपस्थिति और वर्धित आयात के अतिरिक्त घरेलू उद्योग पर प्रभाव डालने वाले कारकों पर विचार करने पर पर रह स्पष्ट है रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 और 4.2(ख) की भावना के अनुसार संबंधित उत्पाद के वर्धित आयात और गंभीर क्षति के मध्य कोई कॉजल लिंक नहीं है।

च. ऐसी कोई महत्वपूर्ण परिस्थिति नहीं है जहां विलंब से कोई नुकसान हो सके और जिसको सुधारना कठिन हो।

ई. <u>यूरोपीय संघ</u>

क. वित्तीय वर्ष 2012-13 के स्तर तक पुन: बढ़ने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2013-14 में आयात महत्वपूर्ण रूप से 46% तक गिरा था और अंतत: वित्तीय वर्ष 2015-16 में विश्लेषित अवधि में अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। इस संबंध में विश्व व्यापार संगठन रक्षोपाय करार (डब्ल्यूटीओ एसजी) द्वारा अपेक्षित आयात में आकस्मिक और तेज वृद्धि वास्तव में वित्तीय वर्ष 2013-14 में हुई थी। निष्पक्ष और वस्तुपरक जांच सुनिश्चित करने के लिए आयोग इस अवधि की क्षति और विशेषत: इसके कॉजलिटी विश्लेषण पर फोकस करने के लिए जांच प्राधिकारी को बुलाता है।

ख. आवेदकों ने दर्शाया है कि वित्तीय वर्ष 2012-13--वित्तीय वर्ष 2015-16 की ("विश्लेषण अवधि") की अवधि के दौरान उनकी उत्पादन मात्रा में 343.659 मी.ट. (7%) तक की कमी आई है। तथापि यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब आयात में उत्थान आया, अर्थात् 2013-14 से 2015-16 की अवधि में, घरेलू उद्योग की उत्पादन मात्रा में वास्तव में थोड़ी सी वृद्धि हुई। जांच की गई समस्त अवधि के दौरान, किसी भी हालत में घरेलू उद्योग के उत्पादन में कमी के लिए आयात में वृद्धि को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता बल्कि समान अवधि में आवेदकों के लिए सीमित उपभोग (-211.598 मी.ट.) एवं अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में वृद्धि (+158.469 मी.ट.) को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

ग. आवेदकों के घरेलू बिक्री एवं बाजार हिस्से के विषय में, बिक्री मात्रा में समग्रत: वृद्धि हुई है और विश्लेषण की पूरी अवधि के दौरान तदनुरूप बाजार हिस्सा 70% के आस-पास स्थिर रहा है, अत: क्षति के कोई चिह्न नहीं दर्शाता है।

घ. मूल्य में गिरावट, प्राइस सप्रैशन, प्राइस अंडर कटिंग, मूल्य अप विक्रय, लाभप्रदता एवं आरओसीई के संबंध में, सूचना मात्र अनुक्रमणिका में उपलब्ध कराई गई है और इन संकेतकों के भारित औसत प्रकट नहीं किए गए हैं।

ङ. तथापि आयात मूल्यों के स्तर अंतरराष्ट्रीय मूल्यों की प्रवृत्ति का अनुसरण मात्र है जो कि अधिकतर प्रमुख कच्चे माल की घटती हुई कीमतों से संचालित होती है। यह रोचक है कि भारतीय "बनाने एवं बिक्री की लागत" में आश्चर्यजनक रूप से इसी प्रवृत्ति का अनुसरण नहीं किया गया है या विश्लेषण की अवधि में उसी अनुपात में कम हुई है। ऐसे क्रम विकास आवेदकों की कार्य कुशलता के बारे में संदेह उत्पन्न करते हैं और इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि ऐसे बहुत से अन्य कारक हैं जो कि शिकायताकर्ता की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते प्रतीत होते हैं।

च. स्टील सेक्टर एक अत्यधिक पूंजी प्रधान सेक्टर है और इस मामले में जांच की समग्र अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता-उपभोग दर बहुत ही कम रही है। हालांकि यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि कोई स्टील उद्योग 45% जैसी निम्न क्षमता-उपभोग दर के साथ भी अपने को चलाए रख सकता है, परंतु यह समझना तो और भी कठिन है कि इस उद्योग ने अपनी क्षमता को और अधिक बढ़ाने का निर्णय क्यों लिया है।

छ. इसके अतिरिक्त, आवेदकों का सीमित उपभोग बहुत कम हुआ है और समर्थकों की बिक्री बहुत बढ़ी है। विश्लेषण में इन कारकों और क्षमता-उपभोग दर के क्रम विकास, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सा और संयोगवश आवेदकों की उत्पादन लागत पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए।

ज. उत्पादन लागत के संबंध में, याचिकाकर्त्ताओं ने रिपोर्ट की है कि विश्लेषण की समग्र अवधि "बनाने एवं बिक्री की लागत" में 3% तक की कमी आई है। जैसा कि विभिन्न विशेषज्ञ स्रोतों ने बताया है, पीयूसी अर्थात हॉट रोल्ड कॉयल्स के उत्पादन के लिए आवश्यक मुख्य कच्चे माल की कीमत में पिछली कुछ अवधियों के दौरान 20% से अधिक की कमी आई है और माना गया है कि यह प्रयुक्त कच्चे माल अर्थात् लौह अयस्क, कॉकिंग कोल एवं स्क्रेप की कीमतों में समग्र कमी का परिणाम है। अत: यह समझना कठिन है कि याचिकाकर्त्ताओं के लिए "बनाने एवं बिक्री की लागत" विश्लेषण की अवधि के दौरान लगभग अपरिवर्तित रही ही है परंतु सामान्य कीमतों और लागत में कमी के युग में 2013-14 में बढ़ी भी है। बल्कि यह प्रतीत होता है कि सही गई क्षति एवं कथित अंडरकटिंग और अंडरसेलिंग मार्जिस याचिकाकर्त्ताओं की अदक्षता, और समस्त कच्चे माल की कीमतों में कमी का लाभ उठाने एवं फलस्वरुप अपनी "बनाने एवं बिक्री की लागत" में कमी लाने और विकसित होती बाजार स्थितओं के अनुसार अनुकूल होने की अक्षमता के कारण है। इसके अतिरिक्त क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक निवेश और उत्पादन लागत पर उनके प्रभाव के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

एफ. <u>मेक्सिको सरकार</u>

जनवरी, 2012 से सितम्बर, 2015 की अवधि के दौरान मैक्सिको से भारत को निर्यात 3% से कम था। जैसा कि विश्व व्यापार संगठन के रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9.1 में दिया गया है तथा इस तथ्य के कारण की मैक्सिको उक्त संगठन का एक विकासशील सदस्य देश है, मैक्सिको से भारत को निर्यात किए जाने वाले उत्पाद को रक्षोपाय उपायों से बाहर रखा जाना चाहिए।

जी. <u>इंडोनेशिया सरकार</u>

क. यह सिद्ध करने के लिए कि अनपेक्षित गतिविधियों के कारण वर्धित आयात ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाई है अथवा गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न किया है, के साक्ष्य विद्यमान हैं करार का अनुच्छेद 2.1 उच्च मानक अपेक्षाएं स्थापित करता है।

ख. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.1 (क)(ख) के अधीन, रक्षोपाय उपाय केवल असाधारण स्थिति जिसके कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंची हो अथवा गंभीर क्षति पहुंचने का खतरा उत्पन्न हो, में ही घरेलू उद्योग को राहत पहुंचाने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं।

ग. पीयूसी का स्कोप बिल्कुल सामान्य है। हालांकी डीजी ने को स्पष्ट किया है कि वर्तमान जांच में पीयूसी अलॉय और गैर अलॉय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट शीट्स " (तार के रूप में हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों को छोड़कर) है, इस जांच प्रक्रिया में स्टील उत्पादों का स्कोप शामिल किया गया है क्योंकि टैरिफ शीर्ष 7208 में "इन कॉयल एंड प्लेट" उत्पाद शामिल होते हैं। यह स्थिति कुल आयात पीयूसी का निष्पक्ष इन कैलकुलेशन देती है।

घ. जांच की अवधि (पीओआई) में पीयूसी के आयातों में कोई आकस्मिक, हालिया, तेज एवं महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, तथा दूसरी ओर पीयूसी का बाजार हिस्सा अपेक्षाकृत स्थिर है।

ङ. इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र (आईटीसी) में प्रकाशित डाटा के आधार पर, इंडोनेशिया से पीओआई का आयात अपेक्षाकृत कम है, इसके अतिरिक्त कुछ टैरिफ शीर्षों के लिए इंडोनेशिया से कोई निर्यात नहीं है। दूसरी ओर पीओआई का भारतीय राष्ट्रीय उत्पादन अपेक्षाकृत स्थिर है।

च. क्योंकि वर्धित आयात विशेषत: इंडोनेशिया से वर्धित आयात के कारण घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है, अत: एओएस के अनुच्छेद 4.1(क) के अधीन मापदंड पूरे नहीं किए जा सकते।

छ. 2013-14 में भारतीय उत्पादकों की बिक्री में वृद्धि हुई उस वर्ष के बाद यह अपेक्षाकृत स्थिर रही है।

ज. पीयूसी के आयात में उत्थान और भारतीय घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की स्थिति होने के मध्य कोई कॉजेलिटी ड्रा नहीं की जा सकती। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अगोपनीय रिपोर्ट में इंडोनेशिया से आयात उत्थान के साथ आयात के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कोई प्रमाण नहीं है।

झ. अनपेक्षित गतिविधियां: निर्यातकों द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर, भारत सरकार ने 17 जून, 2015 को फ्लैट स्टील उत्पाद पर आयात शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दी है और 12 अगस्त, 2015 को आयात शुल्क में 2.5% की वृद्धि या कुल आयात शुल्क12.5% करने का निर्णय लिया है (अधिसूचना संख्या 45' 2015-सीमा शुल्क)। तथापि एशिया के अधिकतर स्टील निर्माता द्विपक्षीय व्यापार (एफटीए) के कारण ड्यूटी कट का लाभ उठा रहे है।

ञ. इंडोनेशिया एक विकाशील देश है। इंडोनेशिया से आने वाले पीयूसी के विशिष्ट प्रकार होते हैं (कॉयल में तथा/या हॉट रोल्ड प्लेट्स में नहीं) एवं आयात का हिस्सा 3% से कम है, अत: इंडोनेशिया को रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से बाहर रखना चाहिए।

एच. <u>सऊदी अरब सरकार</u>

भारत के वाणिज्य विभाग के निर्यात-आयात डाटा बैंक के अनुसार। जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का सऊदी अरब राज्य से आयात भारत में कुल आयात के 3% से बहुत कम है। सऊदी अरब राज्य एक विकासशील देश और विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है अत: इसका निर्यात रक्षोपाय उपायों से बाहर रखा जाना चाहिए।

आई. <u>मै. एम आर स्टील कॉरपोरेशन, हैदराबाद, मै. महादेव स्टील्स, हैदराबाद, मै. श्री सिद्धि विनायक स्टील्स, हैदराबाद, मै. साक्षी स्टील-एन-अलॉय्ज, बैंग्लोर</u>।

क. निर्माता 63 एमएम से अधिक की मोटाई की उत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री जैसे यूटी अनटैस्टेड, अननॉर्मलाइज्ड स्ट्रैटनैस आदि उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं और वे कुछ ग्रेड की सामग्री जैसे सी 45, पी 20, 4140 ग्रेड आदि भी उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं।

ख. 63 एमएम मोटाई से अधिक के घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा बहुत कम है और मोटाई 150 एमएम से कम कर यथा प्रस्तावित 63 एमएम करना करना संभव नहीं है।

ग. रक्षोपाय ड्यूटी उन उत्पादों पर लगाई गई है जो कि भारतीय निर्माता उत्पादित नहीं करते हैं, तब स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंचेगा, और तब एसएमई सैक्टर निर्यात मार्केट में प्रतिस्पर्धा की स्थिति में नहीं रहेगा।

घ. 63 एमएम से अधिक की मोटाई के पीयूसी और विशेष ग्रेड सामग्री जैसे सी 45, पी 20, 4140 ग्रेड आदि को रक्षोपाय ड्यूटी से बाहर रखा जाना चाहिए।

जे. <u>कोबेलको क्रेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश</u>

क. कोबेलको सिर्फ अर्हता प्राप्त वेंडरों द्वारा निर्मित अर्हता प्राप्त प्लेट्स का ही प्रयोग करता है।

ख. प्लेट्स के अर्हता प्राप्त वेंडरों में जापानी एवं कोरियन स्टील निर्माता शामिल है।

ग. स्थानीय सामग्री की भारत में वृद्धि के लिए, कोबेलको क्रेंस जापान ने 2013 में अपनी स्टील प्लेट्स के उत्पादन की योग्यता प्रक्रिया के लिए भारत में 3 स्टील उत्पादकों का चयन किया था। कोबेलको क्रेंस जापान उत्पाद के अपनी स्थिर आपूर्ती की मात्रा में बिना किसा खराबी या विफलता के लिए प्रत्येक स्टील मिल की प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक जांचता है।

घ. इस योग्यता प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, एक इंडियन मिल योग्यता प्रक्रिया में सफल रही है। तथापि शायद इस वेंडर के पास कोबोलको द्वारा प्रयुक्त प्लेट्स के लिए अच्छा ग्राहक आधार नहीं हो।

ङ. प्लेट्स की संगत गुणवत्ता के बारे में चिंता के अतिरिक्त, क्यों कि इस वेंडर को स्थिर आपूर्ती के बारे में कुछ परेशानियां हैं, इसलिए कोबेलको को इस वेंडर के बारे में चिंता है।

के. <u>आईडीएल एक्सपलोसिव लिमिटेड, हैदराबाद</u>

क. आईडीएल एक्सपलोसिव लिमिटेड का आयात नगण्य प्राय है और क्लैड प्लेट्स के उत्पादन के लिए अपनी स्वयं की खपत के लिए प्रयुक्त होता है।

ख. घरेलू उद्योग कम मात्रा के आर्डरों के कारण अपेक्षित ग्रेड्स, साइज एवं मात्रा की आपूर्ति करने में असक्षम है।

एल. <u>चाइना स्टील कॉरपोरेशन, ताइवान</u>

क. आवेदकों ने घरेलू मांग और एक्सचेंज दर में वृद्धि को सूचीबद्ध कर वर्धित आयात और अनपेक्षित गतिविधियों के बीच में गलत तरह से आरोप लगा कर गैप भरने का प्रयास किया है।

ख. याचिका में इसकी "अनपेक्षित गतिविधियां" घटना के बारे में कहा है कि यह भारत में मांग में वृद्धि होने के कारण व शेष विश्व की मांग में कमी होने के कारण अन्य देशों के अपने अतिरिक्त उत्पादों को भारत में खपा देना है। यह अभिकथन न सिर्फ आधारहीन है क्योंकि जांच की अवधि (पीओआई) के दौरान भारत का सीमित उपभोग सिकुड़ रहा था बल्कि पीओआई के दौरान देश में कुल मांग भी मात्र मामूली (अर्थात 5%) रूप से बढ़ी थी।

ग. याचिका आगे संतुष्ट है कि विदेशी मुद्रा में मूल्यह्रास के कारण अन्य देश भारत में उत्पाद निर्यात करने के लिए प्रेरित हुए। फिर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित ऐतिहासिक भारतीय रुपया विनिमय दर के अनुसार, रुपये का पीओआई 4 के दौरान वास्तव में पर्याप्त रूप से मूल्यह्रास हुआ था, जिसके कारण निर्यात ज्याद मंहगा हुआ और इसी लिए यह भारत के प्रयोगकर्ता उद्योगों के लिए कम पसंदीदा विकल्प है। याचिका यह बताने में असफल रही है कि पीयूसी के मूख्य निर्यातक देशों को मुद्रा के मूल्यह्रास से लाभ पहुंचा है और इसके कारण भारत को उनका निर्यात बढ़ा है।

घ. पीओआई की अवधि के दौरान आयात की प्रवृत्ति से पता चलता है कि आयात में 2013-14 में प्रचंड गिरावट आई है, तत्पश्चात 2014-15 के दौरान 2012-13 के स्तर पर आ गया था और तब केवल संदर्भित वर्ष में बढ़ा था। 2012 से 2016 के दौरान आयात के इस संचलन की प्रवृत्ति और बाजार मांग एवं बाजार हिस्सा, से आयात में हुई वृद्धि स्पष्टत: "आकस्मिक, तेज और महत्वपूर्ण" तरीके से अथवा परिमाण में नहीं हुई है।

ङ. याचिका में दिए गए डेटा के अनुसार, पीओआई के दौरान आयात का बाजार हिस्सा मात्र 3% बढ़ा है। ऐसा कोई संकेत बिल्कुल भी नहीं है कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा किसी महत्वपूर्ण सीमा तक आयात द्वारा हथिया लिया गया है, अथवा हथियाया जा रहा है। परिणास्वरूप, घरेलू उद्योग जिसके पास बाजार हिस्से का लगभग नब्बे प्रतिशत (90%) है, पर न तो आयात में मामूली वृद्धि से प्रभाव पड़ा है और न ही ऐसी किसी क्षति के होने का खतरा है जिसे ""महत्वपूर्ण समस्त हानि" के रूप में देखा जा सके।

च. सीमित उपभोग के निर्धारण के बाद, 2013-14 में उत्थान को छोडकर, पीओआई के दौरान घरेलू उत्पादन 4.8 मिलियन टन के स्तर पर लगभग फ्लैट रहा है, जिससे पुष्टि होती है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंची है।

छ. विश्व व्यापार संगठन के बहुत से सदस्य और अंतरराष्ट्रीय संगठन ताइवान को एक विकासशील देश मानते हैं। ताइवान के निर्यात के सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार, ताइवान से भारत को पीयूसी का आयात नगण्य प्रभाव सीमा , 3%, से बहुत ही नीचे है अत: करार के अनुच्छेद 9.1 के अधीन ताइवान से निर्यात को किसी भी रक्षोपाय उपायों से बाहर रखा जाना चाहिए।

ज. सीएससी महानिदेशक रक्षोपाय से अनुरोध करता है कि एटमोस्फ़ेरिक कोरिजन रजिस्टिंग स्टील को रक्षोपाय उपायों से बाहर रखा जाए, परंतु इसे मात्र जेआईएस जी312522, सीओआर-टीईएन23, एएसटीएम ए 24224, एएसटीएम ए 58825 तथा एएसटीएम ए 60626 ग्रेडों तक ही सीमित न रखा जाए अपितु पूर्ववर्ती अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सीएससी के अपने उत्पाद कोडों के साथ कोडिकृत अन्य उत्पादों जैसे सीएससी-एसपीएएच को भी शामिल किया जाए।

झ. महानिदेशक रक्षोपाय को करार के अनुच्छेद 5.2 के अनुसरण में एक पारस्परिक लाभप्रद , निष्पक्ष एवा न्यायोचित समाधान की योजना बनाने के लिए ताइवान सहित अन्य उपयुक्त सदस्यों के समुचित समय सीमा में मश्वरा करना चाहिए।

एम. <u>मै. निप्पन स्टील व सुमीटोमो मेटल कॉरपोरेशन, मै. जेएफई कॉरपोरेशन, मै. कोबे स्टील लिमिटेड तथा मै. निशिन स्टील कंपनी लिमिटेड।</u>

क. याचिकाकर्ताओं द्वारा आवेदन में दर्शाई गई आयात की मात्रा आरंभिक अधिसूचना में दर्शाए गए आयात की मात्रा संबंधी आंकड़े असंगत रहे हैं।

ख. विशिष्ट रूप से अन्य भारतीय उत्पादकों के संबंध में याचिका में तथा आरंभिक अधिसूचना में रिपोर्ट की गई मात्राएं समान रही हैं। सर्वप्रथम याचिकाकर्ताओं तथा अन्य घरेलू उत्पादकों की मात्रा के डाटा के संबंध में माननीय महानिदेशक द्वारा स्वतंत्र डाटा मंगाया जाना चाहिए था तथा आरंभिक अधिसूचना में प्रस्तुत विश्लेषण को तदनुसार अद्यतन किया जाना चाहिए था।

ग. पृष्ठ संख्या 3 पर आवेदकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने समग्रत: हॉट रोल्ड प्लेट्स एवं शीट्स सिगमेंट हेतु मात्रा के एक हिस्से पर ही विश्वास किया है न कि जहां तक "अन्य भारतीय उत्पादकों" का संबंध है, की श्रेणी हेतु उत्पाद पर विचार नहीं किया है। रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की सत्यता एवं सटीकता शक के दायरे में है अत: जब तक ये कमियां रहेगी तो कार्रवाई को निरस्त रखा जाए। इसलिए सादर यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय महानिदेशक, रक्षोपाय को अन्य उत्पादकों से वास्तविक बिक्री एवं उत्पादन आंकड़े एकत्र करने चाहिए। जब तक ये आंकड़े एकत्र एवं सत्यापित किए जाए तब तक घरेलू उत्पादकों की मांग को अनिर्णायक रखा जाए।

घ. निर्यातकों ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन उत्पादों के यहां कुछ ग्रेड हैं जिनका उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता तथा ये उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेड्स का इनके स्थान पर उपयोग नहीं किया जा सकता। यह ग्रेड्स दो मुख्य उपयोगों से संबंध रखते हैं:-

i. निर्माण मशीनरी, तथा अर्थ मूविंग तथा खनन उपकरण उपयोग।

ii. पन बिजली उत्पादन तथा ताप विद्युत उत्पादन के लिए उर्जा उपयोग

ङ. जापान के संबंधित को-ऑपरेटिव निर्यातकों द्वारा विभिन्न उत्पादों का निष्कासन तथा विशिष्ट ग्रेड्स सहित पूरा ब्यौरा जापान के संबंधित को-ऑपरेटिव निर्यातकों द्वारा भरी जाने वाली निर्यातकों की प्रश्नावली के एक भाग के रूप में शामिल (संपुष्ट साक्ष्यों के अनुसार) किया गया है। माननीय महानिदेशक (रक्षोपाय) से निवेदन है कि कृपया इस ब्यौरे को रिकॉर्ड में स्वीकार लें तथा दर्शाए गए निष्कासनों पर सहमति प्रदान कर दें।

च. आवेदकों द्वारा रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का निवेदन जनहित पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा क्योंकि वर्तमान उत्पाद के स्कोप की परिभाषा के अंतर्गत बहुत से उत्पाद तथा ग्रेड्स आते हैं जो या तो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किए जाते अथवा पर्याप्त मात्रा तथा गुणवत्ता में आपूर्ति नहीं किए जाते हैं।

एन. <u>पोस्को, कोरिया</u>

क. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में बड़े पैमाने पर उत्पाद आते हैं। ऐसे ग्रेडस जिनका उत्पादन घरेलू उद्योग भी नहीं करते वे भी इस उत्पाद के दायरे में शामिल हैं।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किया गया डाटा भ्रामक है क्योंकि जिसके संबंध में डाटा प्रदान किया गया है यह उस उत्पाद की सही श्रेणी ग्रेड्स तथा प्रकार को वर्णित नहीं करता है ।

ग. निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा समाप्त कर दिए जाने के लिए घरेलू उद्योग व्यापार अवरोधों का दुरूपयोग कर रहे हैं । रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से निचले स्तर के उद्योगों तथा एण्ड यूजर्स पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा ।

घ. पिछले 5 वर्षों के दौरान क्षमता विस्तारण, अधिग्रहण तथा रुपये में अवमूल्यन के कारण स्टील कंपनियों पर कर्ज का भारी बोझ आ गया है ।

ङ. आयात में वृद्धि नहीं हुई है, आयात में उठान तो छोड़ ही दें । आयात 2013-14 में 462,309 मीट्रिक टन से घटकर 2013-14 में 323,924 मीट्रिक टन रह गया । आयात थोड़ा सा बढ़कर 2014-15 में 577,294 मीट्रिक टन से बढ़कर 2015-16(ए) में 688,537 मीट्रिक टन हो गया।

च. आवेदकों की वार्षिक रिपोर्टों में दर्शित क्षमता तथा याचिका में दर्शित क्षमता में अंतर है । बल्कि 2014 में आवेदकों ने बड़े पैमाने पर क्षमता में बढ़ोतरी किए जाने के तथ्य को छुपाया है । आवेदकों ने क्षमता को उस सीमा तक बढ़ा लिया कि यह संपूर्ण घरेलू माँग को भी पार कर गई । नई क्षमता बढ़ोतरी के चलते स्टार्ट अप लागत में वृद्धि तथा उपभोग में कमी हुई है।

छ. घरेलू उद्योग पी यू सी की मांग में हुई वृद्धि के अनुरूप अपने उत्पादन को बढ़ा नहीं सके हैं। 2015 के दौरान, घरेलू उद्योगों का उत्पादन 0.06% तक बढ़ा जबकि मांग में 3.41% तक की वृद्धि हुई।

ज. पी ओ आई के दौरान आवेदकों का सेल्स टू प्रोडक्शन रेश्यो बढ़ रहा है।

झ. आवेदकों द्वारा कथित रूप से खोया गया मार्केट शेयर समर्थकों द्वारा प्राप्त कर लिया गया । समर्थकों का मार्केट शेयर 2012 में 6% से बढ़कर 2015 में 10% हो गया ।

ञ. पी यू सी की कीमत में विशिष्टता से लेकर मोटाई तक में भिन्नता है तथा पी यू सी की माल उतराई का मूल्य गणना किए जाने के तरीके के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रदान किया गया प्राईस अंडरकटिंग तथा अंडरसेलिंग एनालिसिस पोस्ट पी ओ आई अवधि के संबंध में नहीं है । जब तक की पोस्ट पी ओ आई अवधि की सूचना के संबंध में जांच नहीं की जाती यह नहीं कहा जा सकता है कि क्षति की संभावना है।

ट. आयातकों तथा घरेलू उद्योगों के निष्पादन के मध्य कोई कॉजल लिंक प्रतीत नहीं होता । कुल मांग की तुलना में कोरिया से आयात की मात्रा नगण्य है । पी ओ आई में कोरिया से औसत आयात प्रतिशत के रूप में घरेलू उत्पादन का 1.3% था।

ठ. घरेलू मार्केट में पोस्को का मार्केट शेयर नगण्य है इसलिए, यह नहीं माना जाना चाहिए,कि इससे गंभीर क्षति पहुंचेगी अथा गंभीर क्षति पहुंचने का खतरा है।

ड. कोरिया से किया जा रहा आयात विशिष्ट रूप से एंड यूजर्स के लिए है जैसे ऑफ शोर उर्जा विकास प्रोजेक्ट के यूजर्स के लिए। ऑफ शोर ढांचों में उच्च फैक्चर सदृढ़ता होनी चाहिए । बहुत से ग्रेड के पी यू सी घरेलू मार्केट में पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं । अत: ऑफ शोर प्रोजेक्ट में प्रयोग की जाने वाली इस उच्च गुणवत्ता की हॉट रोल्ड प्लेटों की आयात से क्षति के प्रभाव की जांच करते समय अनिवार्य रूप से पी यू सी से अलग कर दिया जाना चाहिए।

ढ. आयात के कारण कोई क्षति नहीं हुई । 2012-13 से 2013-14 के दौरान घरेलू बिक्री तथा आयात में भी महत्वपूर्ण गिरावट हुई । यद्यपि, मार्केट में अन्य उत्पादकों की बिक्री में उठान देखा गया।

ण. रक्षोपाय उपाय सी ई पी ए, 2009 के हस्ताक्षरकर्ताओं के विरूद्ध है।

त. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण जनहित के विरूद्ध है । जापानी तथा कोरियन कॉरपोरेशनों ने भारत के आर्थिक विकास में योगदान दिया है।

थ. यदि समर्थकों तथा आवेदकों के मार्केट शेयर को एक साथ लिया जाए तो ऐसी कोई विशेष गिरावट नहीं होगी जिसे क्षति माना जाए ।

द. अप्रयुक्त क्षमता विद्यमान घरेलू माँग के कारण है न कि आयात के कारण । यहाँ तक की माँग को पूरी तरह पूरा किया जाने पर भी आवेदक अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

ध. घरेलू उत्पादकों तथा आयातकों की लाभप्रदता के मध्य कोई संबंध नहीं है । आयात तथा घरेलू उद्योग द्वारा लाभ कमाए जाने के मध्य कोई मेल नहीं है।

न. घरेलू उद्योग को क्षति तथा आयात के मध्य कोई कॉजल लिंक नहीं है । आवेदक कच्चे माल में वृद्धि, करेंसी में उतार-चढ़ाव, ऑपरेशनल वजहों आदि कारकों के कारण आवेदक प्रभावित हुए हैं।

प. घरेलू उद्योग द्वारा दायर चाचिका तथा आरंभिक नोटिस में '' अनपेक्षित परिस्थितियां'' भी विद्यमान हैं। इस तथ्य पर कुछ नहीं कहा गया है।

फ. पोस्को महानिदशक रक्षोपाय से कोरिया से आयात पर अलग से जांच किए जाने का अनुरोध करता है।

ब. डब्ल्यू गुणवत्ता कारण, एच आर शीट्स तथा प्लेट्स के स्रोतों की विविधता तथा हर समय उपलब्धता भारत में वैश्विक स्तर पर कोरिया कॉरपोरेशनों से इसे प्राप्त किए जाने का प्रमुख कारण है । इन कारणों पर ध्यान नहीं दिया जाना जनहित के विरूद्ध होगा।

भ. रोजगार में कमी नहीं आयगी।

म. पोस्को, महानिदेशक रक्षोपाय से जांच प्रक्रियाओं को समाप्त करने तथा कोई भी अनंतिम रक्षोपाय ड्यूटी अधिरोपित न किए जाने की विनम्र प्रार्थना करता है ।

III **<u>जन सुनवाई</u>**

1. 10 फरवरी,2016 को एक जन सुनवाई हुई । जन सुनवाई के समय घरेलू उद्योग के साथ ही इच्छुक पार्टियों ने मौखिक प्रस्तुतीकरण दिए । सीमा शुल्क प्रशुल्क (ट्रांजिशनल प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेफ गार्ड ड्यूटी) नियमावली,1997 के नियम 6 के उपनियम के निबंधनों के अनुसार, जन सुनवाई में भाग लेने वाली सभी इच्छुक पार्टियों से मौखिक रूप से प्रस्तुत मतों को लिखित में फाइल किए जाने का अनुरोध किया गया ।

2. एक इच्छुक पार्टी द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रस्तुतीकरण को अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को भी उपलब्ध करवाया गया । इच्छुक पार्टियों को अन्य पार्टियों के लिखित प्रस्तुतीकरण पर उत्तर दिए जाने का अवसर भी दिया गया।

3. 10 फरवरी, 2016 को हुई जन सुनवाई के अनुसरण में सभी इच्छुक पार्टियों द्वारा अपने लिखित प्रस्तुतीकरण में व्यक्त सभी मतों को जांचा गया । समुचित निर्धारण किए जाने के लिए उन पर भी ध्यान दिया गया । अगोपनीय प्रकार की प्राप्त अथवा हासिल की गई सूचना को सार्वजनिक फाइल में रखा गया ।

4. जन सुनवाई के बाद इच्छुक पार्टियों द्वारा फाइल किए गए लिखित प्रस्तुतीकरण का संक्षिप्त सार इस प्रकार है :-

ए <u>स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड, जिंदल स्टील व पॉवर लिमिटेड तथा जे एस डब्ल्यू स्टील लिमिटेड (घरेलू उद्योग):</u>

क. आई टी सी (एच एस) के अध्याय 72 के अधीन 173 एच एस कोड्स के विरूद्ध एम आई पी लगाया गया । घरेलू उद्योग ने एम आई पी तथा रक्षोपाय शुल्क के रूप में दोहरी सुरक्षा की मांग नहीं की है। एक बार एम आई पी अधिसूचना समाप्त हो जाने के पश्चात् घरेलू उद्योग के पास कोई भी सुरक्षा नहीं रह जाएगी । अत: उन्होंने वर्तमान रक्षोपाय जांच तथा ड्यूटी जो कथित वस्तुओं पर एम आई पी अधिसूचना समाप्त हो जाने के पश्चात् प्रभाव में आ जाएगी को जारी रखने का अथॉरिटी को अनुरोध किया है ।

ख. 2013-14 की तुलना में आयात 2015-16 में दुगुने से भी अधिक हो गया। पिछले तीन वित्तीय वर्षों की तुलना में 2015-16 में आयात की मात्रा उच्चतम भी रही। पी यू सी के आयात का मार्केट शेयर 2015-16 में कैपटिव सहित वर्ष 2013-14 से कुल मांग में लगभग दुगुना हो गया ।

ग. घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुरुप बिक्री में वृद्धि नहीं कर सके । 2015-16 के दौरान मांग (कैपटिव के अतिरिक्त) 2014-15 की तुलना में 316,861 मीट्रिक टन तक बढ़ गई । इसी अवधि के दौरान, आवेदक घरेलू उद्योग की बिक्री केवल 34,480 मीट्रिक टन तक बढ़ सकी ।

घ. मांग में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग उत्पादन, क्षमता उपभोग तथा बिक्री में गिरावट आयी, जबकि आयात जिसकी मांग थी उसमें तेजी से वृद्धि हुई ।

ङ. 2014-15 के दौरान घरेलू उद्योग का लाभ बहुत तेजी से कम हो गया तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 चौथी तिमाही से घरेलू उद्योग को घाटा होना शुरू हो गया । यदि अविलंब उचित उपचारात्मक उपाय नही किए गए तो बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा घरेलू उद्योग से ऋण वापिस मांगे जाने का खतरा है। जिसके कारण घरेलू उद्योग मरणासन्न हो जाएंगे।

च. घरेलू उद्योग पर अपनी कीमतों को आयात के उतराई मूल्य के बराबर बनाने के लिए कम किए जाने का निरंतर दबाव है । पी ओ आई के दौरान, आयात ने लगातार घरेलू उद्योग की कीमतों में अंडरकटिंग की गई, साथ ही, प्राईस अंडरसेलिंग, डिप्रेशन तथा सपरेशन की गंभीर घटनाएं हुई हैं ।

छ. क्षति मापदंड साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही है ।

ज. कथित वस्तुओं के आयात में अकस्मात तथा तीव्र वृद्धि दर्शाती है कि यहाँ एक मजबूत गठजोड़ विद्यमान है । पी यू सी का आयात उत्पादन के सापेक्ष तथा भारत में खपत के सापेक्ष भी बढ़ा है । 2013-14 में घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में आयात 80% था, जो 2015-16 में दुगुना होकर 19% हो गया ।

झ. कम कीमतों पर पी यू सी के आयात में लगातार वृद्धि हुई । कम सी आई एफ मूल्य का आयात 350 यू एस $ प्रति मीट्रिक टन से कम जुलाई, 2015 के दौरान 1,457 मीट्रिक टन था । यह दिसम्बर,2015 के दौरान बढ़ कर 71,413 मीट्रिक टन हो गया ।

ञ. यथा मूल्य पर निश्चित रक्षोपाय शुल्क की संस्तुति भी घरेलू उद्योग को सुरक्षा नहीं दे पाएगी क्योंकि कथित वस्तुओं के आयातक यथा मूल्य ड्यूटी को अपनी कीमतों में समाहित कर लेंगे। महानिदेशक रक्षोपाय रेफरेन्स प्राईस बेसिस पर रक्षोपाय शुल्क की संस्तुति कर सकते हैं।

ट. महानिदेशक रक्षोपाय से जैसा कि 5 फरवरी, 2016 की न्यूनतम आयात मूल्य अधिसूचना में वर्णित है। रेफरेन्स प्राईस की उससे पुष्टि करते हुए 4 वर्षों के लिए रक्षोपाय शुल्क की संस्तुति किए जाने का अनुरोध है ।

ठ. महानिदेशक रक्षोपाय से अंतिम रक्षोपाय शुल्क निर्धारित किए जाते समय बिलकुल हाल ही की आयात कीमतों पर विचार किए जाने का अनुरोध किया जाता है ।

बी **<u>यूक्रेन सरकार</u>**:

क. 2012-13 की तुलना में 2013-14 में आयात की मात्रा 46% तक तथा 2014-15 में 0.3% तक कम हो गई।

ख. आयात में वृद्धि दर्शाने के लिए आवेदक 2015-16 के वार्षिक पूर्वानुमान पर आश्रित रहे जो कि रक्षोपाय करार की धारा 4.1(ख) का उल्लंघन है ।

ग. घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति नहीं हुई । क्षति के संकेतकों ने 2012-15 के दौरान सकारात्मक रूख दिखाया । 2012-13 की तुलना में सभी भारतीय उत्पादकों का मार्केट शेयर 2014-15 में 80% से बढ़कर 85% हुआ । 2012-13 की तुलना में आवेदकों की घरेलू बिक्री 2014-15 में बढ़कर 2.3% हो गई । साथ ही 2012-13 की समान अवधि की तुलना में आवेदकों की क्षमता में भी 2014-15 में 9.4% तक की वृद्धि हुई ।

घ. घरेलू उत्पादकों के मध्य घरेलू प्रतिस्पर्धा ने आवेदकों पर, उल्लेखनीय प्रभाव डाला । आयात में वृद्धि तथा घरेलू उद्योग को क्षति के मध्य कोई कैजुअल लिंक नहीं है । आयात में वृद्धि के अतिरिक्त अन्य कारण है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ।

ङ. यूक्रेन सरकार महानिदेशक रक्षोपाय से रक्षोपाय शुल्क लगाए बिना जांच समाप्त किए जाने का अनुरोध करती है ।

सी. **<u>ब्राजील सरकार</u>**

क. पी ओ आई जांच अवधि में जो समय बीता नहीं है एवं जिसके लिए घरेलू उद्योग की स्थिति से संबंधित कोई वास्तविक आंकड़े अथवा आयात से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं है की समय सीमा भी कवर करता है। 2015-16 (ए) की अवधि पर विचार किए जाने पर ही आयात में वृद्धि देखी जा सकती है।

ख. घरेलू उद्योग के बहुत से संकेतों से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता कि गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे की भी संभावना विद्यमान है ।

ग. आयात में वृद्धि के बावजूद भी 2012-13 से 2014-15 में अन्य उत्पादकों की बिक्री में 19.20% तक वृद्धि हो गई । अन्य कंपनियों की बिक्री तथा कैपटिव खपत ने घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव डाला है ।

घ. आयात मुख्यत: उन देशों के साथ होता है जिनके साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता है (एफ टी ए) अप्रैल – सितंबर, 2015 के दौरान पी यू सी का 59% आयात का उद्गम इंडोनेशिया, जापान तथा कोरिया से हुआ ।

ङ. जांच के अधीन जो प्रोडक्ट है जिसका भारत द्वारा आयात किया गया। आयात की कुल मात्रा में प्रत्येक आयातक देश के हिस्से के संबंध में सूचना नहीं दी गई थी।

डी **<u>रशियन फेडरेशन</u>**

क. रशियन फेडरेशन से आयात में आठ गुना से अधिक की कमी देखी गई तथा यह कुल आयात की मात्रा का 1% से भी कम है ।

ख. आयात में वृद्धि अकस्मात, आयात में तीव्र बढ़ोतरी नहीं है बल्कि डिलीवरी की 2012-13 की अवधि के स्तर पर रेसटोर किए जाने से यह हुआ है ।

ग. जिन देशों के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता (एफ टी ए) है मुख्यता उनके कारण ही आयात में वृद्धि हुई। 2015 में भारत ने 7.5% से 12.5% तक आयात शुल्क में वृद्धि की, जिसके कारण भारत का जिनके साथ एफ टी ए है उन आयातकों के पक्ष में स्पर्धात्मक शर्तें समाप्त हो गई।

घ. भारतीय राष्ट्रीय उद्योग की स्थिति खराब होने का मुख्य कारण उत्पादन क्षमता का सरप्लस होना है न कि आयात में वृद्धि।

ई <u>इंडोनेशिया सरकार (जी ओ आई)</u>

क. असाधारण परिस्थिति में ही रक्षोपाय उपाय लागू होते हैं। इंडोनेशिया सरकार प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर की जा रही जाँच को असाधारण प्रकृति का नहीं मानती।

ख. इंडोनेशिया की सरकार मानती है कि पी यू सी का स्कोप बहुत सामान्य है। टैरिफ शीर्षक 7208 में "इन क्वाइल्स व प्लेट" शामिल है। यह परिस्थिति कुल आयात पी यू सी की गणना में पूर्वाग्रह रहित दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। इंडोनेशिया की सरकार पी यू सी जो टैरिफ शीर्षक 7208 के अधीन मुख्यता स्टील प्रोडक्ट हैं व इस रक्षोपाय जाँच में पी यू सी के वर्गीकरण के संबंध में अविलंब स्पष्टीकरण दिए जाने का निवेदन करती है।

ग. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र (आई टी सी) पर प्रकाशित डाटा के आधार पर पी ओ आई के दौरान इंडोनेशिया से आयात अपेक्षाकृत कम रहा। साथ ही, शुरूआती नोटिस में दिए आयात डाटा के अनुसार पी यू सी के कुल आयात में अकस्मात हालिया, तीव्र तथा महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है।

घ. गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे का कोई साक्ष्य नहीं है। आरंभिक नोटिस में भी भारतीय उत्पादकों की कुल बिक्री में 2013-14 में वृद्धि हुई तथा उसके पश्चात् यह अपेक्षाकृत स्थिर रही।

ङ. घरेलू उद्योगों की हो रही क्षति के साथ पी यू सी के आयात में हुई वृद्धि का कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

च. किसी भी प्रकार की अनपेक्षित परिस्थितियां नहीं है। एशिया के अधिकतर स्टील निर्माताओं को द्विपक्षीय व्यापार करारों के कारण ड्यूटी में कट का लाभ मिल रहा है। हमारे विचार से, भारत सरकार को मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावों का आकलन किया जाना चाहिए।

छ. इंडोनेशिया विकासशील देश है तथा इंडोनेशिया से उत्पन्न हो रहा पी यू सी विशिष्ट प्रकारों (क्वाइल में/अथवा हॉट रोल्ड प्लेट में नहीं) का है तथा आयात का हिस्सा 3% से कम है। अत: इंडोनेशिया को रक्षोपाय अधिरोपण से मुक्त किया जाना चाहिए।

एफ <u>टर्की सरकार</u>

क. रक्षोपाय अधिरोपित किए जाने के उपाय के लिए गंभीर क्षति सबसे महत्वपूर्ण कारक है। रक्षोपाय पर समझौता ("ए एस जी") के अनुच्छेद 4.2 (क) के संदर्भ के अंदर सक्षम प्राधिकारियों को उद्देश्यात्मक एवं उद्योग की स्थिति पर प्रभाव रखने वाले निर्धारणयोग्य प्रकृति पर सभी संगत कारकों का मूल्यांकन करना होगा।

ख. शिकायत में आवेदको की विचाराधीन उत्पाद की बिक्री 2012-13 मे 3.68 मिलियन मी. टन से 2015-16 मे 3.77 मिलियन मी. टन (वार्षिक) तक बड़ी जो बिक्री में 2% की वृद्धि दर्शाती है।

ग. आवेदक कम्पनियों में पूरे पी ओ आई हेतु बेरोजगारी स्तर पर कोई आंकड़े नहीं दिए हैं। यह स्पष्ट है कि आवेदक कम्पनियों ने कोई मंदी का अनुभव नहीं किया है। इसलिए तुर्की को किसी सारभूत क्षति के आरोप की वैधता के बारे में गंभीर चिंता है।

घ. क्षति एवं वर्धित आयात के बीच कारणात्मक सबंध होना चाहिए। आयात एवं गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निर्धारित करने के लिए सभी संगत तथ्यों कि जांच करना जांच प्राधिकारियों की बाध्यता है। अन्य शब्दों में, ए. एस. जी. के अनुच्छेद 4.2(ख) के अनुसार "वर्धित आयात के अलावा अन्य कारक उसी समय घरेलू उधोग को गंभीर क्षति पहुँचा रहे हो तो एसी क्षति वर्धित आयात के कारण नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा, अर्जेंटीना फुटवियर मामलें में अपीलीय बॉडी के अनुसार कारण कार्य संबंध के परीक्षण में यह आयातों में संचलन (वाल्यूम एवं मार्केट शेयर) एवं क्षति कारकों में संचलन का संबंध है जो की कारण कार्य संबंध परीक्षण एवं निर्धारण में मध्य में होना चाहिए"।

ङ. पूरी जांच अवधि के दौरान आवेदकों का लाभ लगातार कम होता गया जो कि 2012-13 से शुरू हुआ जबकि 2012-13 की तुलना मे 2013-14 में आयातों में भी कमी आई है। अन्य शब्दों में, आवेदकों के लाभ में कमी उस अवधि में आई जिसमें आयात में कमी हुई। यह स्पष्ट है कि सद्रश (Corresponding) अवधि में आवेदकों के लाभ में आरोपित कमी आयात से संचलन के साथ नहीं खाती है।

च. मैसर्स स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक आवेदक है एवं भारत में मुख्य स्टील उत्पादन कम्पनी है, ने 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट में कुछ अंतर्निहित समस्याओं के बारे में उल्लेख किया है जो उन्हें प्रतिस्पर्धी मार्केट मे तेजी से प्रतिक्रिया करने से रोकती हैं। उन अंतर्निहित समस्याओं के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक प्रतिस्पर्धा मुक्त क्लोज्ड बाजार मे कार्य करने के इच्छुक हैं। यह तथ्य कि इन्ही आवेदकों के द्वारा हाल ही में समरूप वस्तु पर रक्षोपाय उपाय शुरू करने हेतु आवेदन करना हमारे इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि वे भारत में क्लोज्ड स्टील मार्केट की परस्यूटा (खोज) में है।

छ. कुल मिलाकर तुर्की की राय है कि घरेलू उद्योग हेतु कुछ अन्य ज्ञात कारक उपलब्ध है एवं ए. एस. जी. के अनुच्छेद 4.2 (ख) के संदर्भ के अधीन उद्योग के अंतर्निहित समस्याओं को कवर करने की दृष्टि से आयात को आरोपित क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।

ज. वर्तमान जाँच रक्षोपाय उपाय अधिरोपित करने की शर्तों एवं संगत अपेक्षाओं, विशेषकर अनापेक्षित घटनाओं, गंभीर क्षति एवं कारणता के अनुसरण में, को पूरा नहीं करती है।

झ. इसके अतिरिक्त, दिए गए तथ्य कि विचारधीन उत्पाद का तुर्की का शेयर 3% से नीचे है तुर्की का विश्वास है कि भारत को ए. एस. जी. के अनुच्छेद 9.1 के संदर्भ के अंदर किसी उपाय के अधिरोपण से तुर्की को अलग कर देना चाहिए।

य. अत: तुर्की इस तथ्य को अंडरलाइन करना चाहेगा कि डब्लयू टी ओ नियमावली के अनुसार वर्तमान जाँच रक्षोपाय उपाय अधिरोपित करने की शर्तों एवं संगत अपेक्षाओं, विशेषकर अनापेक्षित घटनाओं, गंभीर क्षति एवं कारणता के अनुसरण में, को पूरा नहीं करनी है।

(जी) <u>यूपोपियन कमीशन</u>

क. जहाँ तक जांच की अवधि का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि डब्ल्यू. टी. ओ. समझोते द्वारा वांछित आयात में वास्तविक अचानक एवं तेज वृद्धि 2012-13 एवं 2015-16 के बीच नहीं हुई जैसा कि आवेदन में दर्शाया गया है परंतु 2013-14 एवं 2015-16 के बीच हुई। इस मामले के विभिन्न पहलुओं की स्वच्छ एवं उद्देश्यात्मक जांच सुनिश्चित करने की दृष्टि से कमीशन ने क्षति पर फोकस करने एवं विशेषकर इस अवधि के दौरान इसकी कारणता के अनुसरण मे जांच प्राधिकारियों को कहा है।

ख. आयात वाल्यूम की वृद्धि एवं घरेलू उद्योग के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। आवेदकों के उत्पादन वाल्यूम में कमी एवं आयात में वृद्धि के बीच कमीशन कोई संबंध देखने में असफल है।

ग. कमीशन ने नोट किया है कि इंडेक्सीज में केवल मूल्य एवं लाभ संबंधी इंडीकेटर उपलब्ध कराए गए हें हालांकि आवेदन चार कंपनियों की ओर से फाइल किया गया है। इतनी संख्या में आवेदकों के साथ गोपनियता कोई मुद्दा नहीं हो सकता। कमीशन यह समझने में असफल है कि क्यों इन इंडीकेटर्स का वेटिड एवरेज दर्शाया नहीं जा सकता है।

घ. आयात मूल्यों के स्तर ने समान्यता: अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के गिरावट प्रवर्ति का अनुसरण किया है। उत्पादन की लागत एवं आवेदकों की बिक्री ने उसी प्रवर्ति का अनुसरण नहीं किया है एवं इस तथ्य की पुष्टि होती है कि काफी संख्या में कई अन्य कारक है। जिन्होंने शिकायत कर्ताओं की अवस्था पर सारभूत प्रभाव डाला है।

ङ. अपनी क्षमता को बढ़ाकर एवं तत्पश्चात अपनी स्पेयर क्षमता को बढ़ाकर याचिकर्ताओं ने वर्धित लागत, उदाहरणार्थ अवमूल्यन, के रूप में स्वयं को कथित क्षति पहुंचाई है।

च. जब आयात बढ़ा तब कई क्षति इंडिकेटर्स, जिसमें उत्पादन वाल्यूम, घरेलू बिक्री एवं मार्केट शेयर शामिल है सकारात्मक रूप से विकसित हुए एवं यथावत रहे। घरेलू उधोगों ने कुछ परेशानियों (मुख्यत: लाभ की मदों में) का सामना किया है जो कि वार्धित आयात के कारण न होकर बल्कि अन्य कारकों के कारण है।

(ज) <u>कराकटाउ पोस्को (पी टी के पी), इंडोनेशिया</u>

क. रक्षोपाय उपाय ए. आई. एफ. टी. ए. को सिगनेटरी, जी ए टी टी 1994 एवं रक्षोपाय प समझौते के विरूध्द है। पी टी के पी से भारतीय बाजार को आयात का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है।

ख. संगत टैरिफ कन्सेशनों पर चर्चा करने के पश्चात उत्पन्न होने वाली घटनाओं को देखने हेतु अनपेक्षित घटनाओं की व्याख्या करनी चाहिए। वर्तमान जांच मे अनापेक्षित घटनाएं विद्यमान नहीं है।

ग. 2012-13 से 2015-16 के दौरान आयात की प्रवर्ति 2012-13 से 2013-14 के दौरान कमी प्रदर्शित करती है। इसके अतिरिक्त चीन, कोरिया, जापान एवं इंडिनेशिया से 2014-15 से 2015-16 तक आयात कम हुआ है।

घ. आयात मे वास्तविक मदों में या संबधित मदों में वृद्धि नही हुई है।

ड़. 2012-13 से 2015-16 (अगस्त) तक धरेलू उद्धोग का उत्पादन कम हुआ जबकि मांग बढ़ रही है। अत: कमी को कवर करने हेतु आयात की आवश्यकता होती है।

च. आवेदक जैसे सेल, जे एस डबल्यू अपने क्रियाकलापों का विस्तार का रहे हें एवं इसलिए गंभीर क्षति का दावा विरोधाभासी है।

छ. वर्ष 2014-15 के दौरान चार आवेदकों में से तीन की वित्तीय रिपोर्ट में राजस्व में वृद्धि प्राप्त की है एवं कुल खर्च में वृद्धि प्राप्त की है।

ज. घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए क्षति तथा पी यू सी के आयात के बीच कोई कॉजेलिटी नहीं है। 2014 एवं 2015 के दौरान तीन आवेदकों ने लाभ हासिल किया है जबकि केवल जिंदल ने क्षति दर्ज की है। आवेदक द्वारा दावा की गई क्षति आयात मे वृद्धि के कारण नहीं हुई है।

ञ. एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट नेसन्स ("ए आई एफ टी ए") एवं भारत गणराज्य के बीच फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ कंप्रीहेसिंव इकोनोमिक कॉपरेशन के अधीन वस्तुओं के ट्रेड पर एग्रीमेंट के संदर्भ में इन्डोनेशिया से आयात पर विचार करने हेतु पी टी के पी ने निवेदन किया है पी टी के पी ने महानिदेशक रक्षोपाय से इंडोनीशिया गणराज्य को इस जांच से अलग करने हेतु निवेदन किया है।

आई. <u>पोस्को कोरिया</u>

क. आवेदकों द्वारा फाइल किए गए वर्तमान आवेदन को अकेले इसी तथ्य पर निरस्त कर देना चाहिए कि घरेलू उधोग के हितों की सुरक्षा हेतु एम आई पी नोटिफिकेशन के संबंध में पहले से ही रक्षोपाय उपाय विधमान है एवं रक्षोपाय शुल्क के संबंध में दोहरी सुरक्षा की मांग करके घरेलू उद्योग आयातकों के हितों को जोखिम मे नहीं डाल सकते है।

ख. पोस्को एवं अन्य उपभोक्ताओं ने माननीय प्राधिकारियों के समक्ष निवेदन किया है कि निम्नलिखित श्रेणी की तीन वस्तुओं हेतु कुछ उत्पाद अपवर्जन (Exclusions) प्रदान की जानी चाहिए।

i. एब्रेशियन रेसिस्टेंस गुणवत्त का पी यू सी

ii. कुछ पतली एवं चौड़ाई से अपर का पी यू सी

iii. ऑफशोर द्वाचा प्रयोग की मांग को पूरा करने वाले कुछ मापदंड।

ग. आवेदकों ने आग्रह किया है कि "एंड टू एंड" वित्तीय रिपोर्ट पर विचार नहीं करना चाहिए जबकि घरेलू बाजार में "आयात में वृद्धि" पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान दृश्य में आयात में वृद्धि से गंभीर क्षति कारित नहीं हुई है।

घ. वर्ष 2013-14 के दौरान आवेदकों ने अपनी क्षमता उपयोगिता केवल 38% गलत दर्शाई है तथापि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना से अनुसार क्षमता उपयोगिता 70% से अधिक बैठती है।

ड़. घरेलू उत्पादन एवं घरेलू बिक्री अनुपात पी ओ आई के दौरान पर्याप्त रूप से बढ़ा है।

च. डी आई का मार्केट शेयर आयात द्वारा नही सपोर्ट्स द्वारा अभिग्रहण कर लिया गया है।

छ. डी आई की लाभ-हानि एवं आयात के संदर्भ में वर्धित आयात एवं गंभीर क्षति के बीच कारणता लिंक को दर्शाया नहीं गया है। आवेदकों को हानि उनके उत्पाद क्षमता को अपूर्वगत अनप्रिसिडेटिड स्तरो तक बढ़ाने के कारण हे। आवेदकों की क्षमता में ऐसी वृद्धि के कारण आवेदकों को भारी ऋण एवं वित्तीय भार उठाना पड़ा।

ज. आवेदकों ने किसी अनापेक्षित घटनाओं अथवा ऐसी स्थिति में आयात हुआ, किसके कारण गंभीर क्षति हुई है या होने की आशंका है, के संबंध में तत्पश्चात रक्षोपाय उपाय अधिरोपण को न्यायोचित ठहराने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

(जे) <u>निप्पन स्टील एवं सुमिटोमो मेटल कॉरपोरेशन, जे एफ ई स्टील, कोबा स्टील एवं निशिन स्टील कम्पनी लिमिटेड</u>

क. वर्तमान जांच को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि आवेदको द्वारा उठाई गई कोई भी क्षति को पहले ही एम आई पी के रूप मे उद्दत किया जा चुका है।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा पी यू सी को कुछ क्षेणियों ने ही उत्पादित की जाती है एवं नहीं ग्रेड द्वारा विकल्पनीय है एवं उन्हे अलग कर देना चाहिए। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति न किए जाने वाले ग्रेड्स मे से कुछ निम्नानुसार है:-

i. "ए बी आई एक्स" "एवरहार्ड"

ii. "डबल्यू ई एल, टी ई एन," "के-टी ई एन"

iii. "एस-टी ई एन"

ग. संरचना एवं निर्माण सेक्टर जापान से आयातित पी यू सी की विभिन्न श्रेणियों के आयात पर बहुत निर्भर है। इसलिए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण वृहत जनहित के प्रतिकूल होगा।

घ. आवेदको को हुई हानि का दावा करने हेतु आरोपित गंभीर क्षति एवं आरोपित आयात मे वृद्धि के बीच कोई कारणात्मक संबंध नही है। आयात का शेयर 2013-14 मे 6% से 2014-15 मे 12% तक बढ़ा, आवेदकों की क्षमता उपयोगिता 38% पर स्थिर रही एवं उत्पादन स्तर बड़ा। इसके अतिरिक्त 2013-14 के पश्चात सभी अन्य वाल्यूम मानदंड जैसे उत्पादकता, मार्केट शेयर एवं आवेदकों की बिक्री आयात स्तरों मे वृद्धि के साथ बढ़ी है।

ड़. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ो एवं जांच शुरू करने के नोटिस मे दर्शाए गए आँकड़ो का अवलोकन आयात वाल्यूम के संबंध में विरोधाभासी सूचना दर्शाता है।

च. जांच अवधि में वर्धित आयात वार्षिक आधार पर प्रत्याशित अवधि समाविष्ट है एवं वर्तमान समय की अवधि से संबंधित नही है।

छ. ऐसी कोई अनापेक्षित घटनाएं नही है जिनके कारण भारत मे आयात में वृद्धि कारित हुई।

ज. वर्तमान जाँच मे "आयात मे वृद्धि" के तथ्य की जाँच करते समय सी ई पी ए के परिणाम स्वरूप जापान से हुए सभी आयातों को अलग कर देना चाहिए।

झ. घरेलू उद्योग को किसी "गंभीर क्षति" का अभाव है। आवेदकों के उत्पादन आँकड़ों मे कमी दिखाई नही पड़ती है जैसा कि गंभीर क्षति के मामले में सामान्यता: उम्मीद की जाती है। मूल अवधि की तुलना में आवेदकों के मार्केट शेयर में कोई गिरावट नही है एवं केवल यदि 2013-14 की तुलना की जाए तो 1% मार्जिनल गिरावट आई है जो कि सीधे तौर पर आयात से संबंधित नही है।

य. पी ओ आई के अलावा आवेदकों कि सारभूत क्षमता में वृद्धि हुई है। उत्पादकता अथवा इनवेंटरी स्तरों मे भी कोई प्रतिकूल परिवर्तन नही हुआ है।

र. आवेदकों द्वारा आरोपित गंभीर क्षति एवं भारत मे हुए आयात के बीच कोई कारणात्मक संबंध नही है।

(के) <u>चीन स्टील कापरेशन (सी एस सी) ताइवान</u>

क. एम आई पी अधिसूचना के जारी होने के पश्चात नकारात्मक मूल्य अंडरकटिंग एवं अंडरसेलिंग होगा। भारत सरकार ने घरेलू उधोग को अपेक्षित से भी ज्यादा सुरक्षा प्रदान कर रखी है एवं वर्तमान रक्षोपाय जाँच जारी रहने की आवश्यकता नही है।

ख. समायोजन प्लान्स के बारे में घरेलू उधोगों द्वारा कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।

ग. सभी समर्थक उत्पादकों के कार्य निष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। यदि इन उत्पादकों को कोई प्रतिकूल टक्कर नही दी है तो आवेदक कम्पनी कैसे दावा कर सकती है कि वे प्रतिकूल रूप मे प्रभावित हुई हैं।

घ. आवेदन मे आरोपित अनापेक्षित घटनाएं विशिष्ट नही हैं, आधारहीन हैं एवं अव्यवहारिक है। अनापेक्षित घटनाएं विद्यमान नहीं है।

ड. पी ओ आई के दौरान रूपये का मूल्य पर्याप्त रूप से गिरा है जिससे आयात और महंगा हुआ तथा भारत में उपभोक्ता उधोग को कम अधिमान्य (Preferable) रहा।

च. पूरे चार वर्षों तक वास्तविक वृद्धि लगभग 100,000 टन है एवं आयात हेतु 3% मार्केट शेयर की संबधी वृद्धि फलित हुई है। वर्ष 2012 से 2016 के दौरान आयतों के संचलन एवं मार्केट डिमांड एवं मार्केट शेयर की वृद्धि में आयतों मे वृद्धि स्पष्ट रूप से अचानक तेज एवं सारभूत वृद्धि नही है।

छ. घरेलू उधोगो जो मार्केट शेयर का लगभग 90% होल्ड करते है, आयात में थोड़ी वृद्धि से नहीं प्रभवित हुए है एवं न ही किसी क्षति की आशंका है जिसे कि "पर्याप्त सम्पूर्ण क्षति इंपेयरमिंट" के रूप में देखा जा सके।

ज. यदि भारत मे सम्पूर्ण मांग को पूरा करने हेतु अनुमति दे भी जाती है तो भी वे इसकी क्षमता के 50% पर आपरेट करने मे सक्षम नही होंगे। घरेलू उधोगों को क्षति का मुख्य कारण फालतू क्षमता एकत्र होना है न कि तथाकथित आयात में वृद्धि।

झ. घरेलू उद्योग को आरोपित गंभीर क्षति का मुख्य कारण ड्यूटी की रियायती दरों पर जापान, इन्डोनेशिया एवं कोरिया रिपब्लिक से आयात है, ताइवान से नही।

ञ. विभिन्न डबल्यू टी ओ सदस्यों द्वारा ताइवान को वृहत्त रूप से विकासशील देश माना जाता है एवं ताइवान से पी यू सी का आयात 2012-13 से 2015-16 मे लगातार 3% थ्रेसहोल्ड के नीचे रहा।

त. सी एस सी ने महानिदेशक रक्षोपाय से रक्षोपाय उपायों से आट्मोसफेरिक कोरोसियन रेजीस्टिंग स्टील को अलग करने हेतु निवेदन किया है जो कि जे आई एस 312522, सी ओ आर टी ई एन 23, ए एस टी एम ए 2424, ए एस टी एम ए 58825 एवं ए एस टी एम ए 60626 श्रेणियों, साथ ही साथ सी एस सी के अपने उत्पाद कोड जैसे कि सी ए ए सी-एस पी ए एच जो पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ अनुकूल हो, तक सीमित न हो।

थ. सी एस सी ने रक्षोपाय उपाय के समुचित कार्य के बारे में प्रस्तुत किया है। कि भविष्य के आयात स्त्रोतों के पर्याप्त एवं उचित आवंटन प्राप्त करने की दृष्टि से रक्षोपाय महानिदेशक के पास टैरिफ़-कोटा अपनाने हेतु आरिटमल च्वाइस हो सकता है।

एल. <u>फेरम एक्सट्रीम इंजिनयरिंग प्राइवेट लिमिटेड</u>

क. रक्षोपाय शुल्क इंजिनयरिंग उधोग के विधमान रहनें को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करेगा।

ख. आयात इसलिए किए जाने है क्योंकि बहुत से ग्रेड एवं थिकनेस एस्सार स्टील के पास उपलब्ध नही है। एस्सार स्टील से अपनी इन्पुट प्राप्ति में न्यूनतम आर्डर मात्रा, गुणवत्ता जैसे अन्य मुद्दे भी है।

ग. एस्सार स्टील समय पर हमारी वस्तुओं को देने हेतु सक्षम नहीं है।

एम. <u>कोबेल्को क्रेन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड</u>

क. हमारे क्रेन्स के बेस एवं बॉडी जैसे मुख्य पाट्र्स हेतु क्वालीफाईड वेंडर्स से अनुमति प्राप्त क्वालीफाईड प्लेट्स प्रयोग की जाती है। भारतीय मिलों द्वारा उपलब्ध कराए गए नमूने हमारे सैम्पल परीक्षण पास नही कर सके।

ख. भारत में स्टील उत्पादक गुणवत्ता वाले उत्पाद दृढ़ता से एवं अविरोध उपलब्ध नही करा सकते। कोबेल्को केवल जापान एवं कोरिया के क्वालीफाईड वेंडर्स की प्लेट्स प्रयोग करते है।

ग. भारत में स्टील उत्पादक बहुत ही उच्च न्यूनतम आर्डर मात्रा (प्रत्येक स्टील टाइप के वाल्यूम उत्पादन हेतु 200 से 300 टन) की मांग करते है। जापान एवं कोरिया के क्वालीफाईड वेंडर्स न्यूनतम आर्डर मात्रा के रूप में इतने ज्यादा वाल्यूम के लिए नही कहते हैं।

घ. विश्व बाजार में भारतीय स्टील उद्योग को लम्बे समय हेतु प्रतिस्पर्धी बनाने मे रक्षोपाय सहायक नही हो सकता है।

ड़. विर्निमाण उपकरणों मे प्रयोग होने वाले कुछ ग्रेड़ों को अलग रखने हेतु कोबेल्को ने निवेदन किया है जैसे:-

i. जे एस स्टेंडर्ड जे एस 2062:2011-ई 250 ए, ई 250 सी, ई 350 ए, ई 350 सी, ई 450बी आर

ii. जे आई एस स्टेंडर्ड जी 3106:2008: एस एम 400 सी, एस एम 490 सी, एस एम 570

iii. जे आई एस स्टेंडर्ड जी 3101:2015- एस एस 400, एस एस 490

iv. कोबेल्को एवं कुछ स्टील मिलों के बीच समझौता किए गए 40 कि ग्रा अथवा उच्च टेंसिल प्लेट के विशिष्ट उत्पाद जो विशेष विर्निदेशन के साथ हो।

(एन) <u>आई एस जी ई सी हैवी इंजिनयरिंग लिमिटेड</u>

क. आई जी एस ई सी ने महानिदेशक रक्षोपाय से रक्षोपाय शुल्क का संदर्भ मुल्य फार्म निर्धारित करने का निवेदन किया है। आई एस जी ई सी स्टील आयात करता है जो कि बहुत महंगा है। संदर्भ मूल्य के न होने पर आई एस जी ई सी का आयात भी रक्षोपाय शुल्क आकृष्ट करेगा।

ख. जांच शुरू करने की अधिसूचना 150 एम एम थिकनेस तक की स्टील प्लेट को कवर करती है परंतु बहुत से घरेलू उत्पादक बहुत कम थिकनेस की स्टील प्लेट बनाते हैं। इसलिए जाँच केवल वास्तविक रूप से उत्पादित थिकनेस तक सीमित होनी चाहिए।

ग. हम निवेदन करते हैं कि एक्सक्लूशन लिस्ट में आई एस : 2002 एवं आई एस : 2041 (एस ए 515, एस ए 516, एस ए 537, एस ए 285, एस ए 299) से कन्फर्मिंग बायलर एवं प्रेशर वेसेल के विदेशी विनिर्देशनों के साथ भारतीय विनिर्देशनों पर विचार किया जाना चाहिए जिससे रक्षोपाय शुल्क से छूट को सुगम बनाया जा सके जैसा कि जाँच शुरू करने की अधिसूचना मे अभिप्रेत है।

घ. स्टील प्लेट्स के आयात पर पहले ही न्यूनतम आयात शुल्क आधिरोपित किया जा चुका है तो रक्षोपाय शुल्क आवेदन निरर्थक हो जाता हे एवं निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

(ओ) <u>बांबे आयरन मर्चेंट्स एसोशिएशन (बी आई एम ए)</u>

क. स्टील कम्पनियों के अत्यधिक ऋणों के कारण हुई हानि को भारत मे स्टील के आयात मूल्य के कारण नही माना जा सकता है।

ख. अग्रिम प्राधिकरण के अधीन आयातित पी यू सी से क्षति नहीं हो सकती एवं वर्तमान मामले में आयात एक यह एक बडा पार्ट बैठता है।

ग. एक प्राइवेट एजेंसी आई बी आई एस से लिए गए आँकड़ो पर आवेदकों ने विश्वास किया है जो इंफ्लोटिड आँकडे प्रस्तुत करते हैं जो आवेदकों के समर्थकारी है।

घ. थाईलैंड एवं मलेशिया की स्थिति की तुलना किसी भी तरीके से नही की जा सकती। इसके अलावा, मलेशिया ने एच आर कायल्स पर 08 जनवरी 2016 से रक्षोपाय जांच समाप्त कर दी है।

ड़. आवेदकों द्वारा इस सीमा तक गलत आवेदन किया है कि उन्होने दो अलग एच एच वर्गीकरणों को एकल आवेदन में जोड़ दिया है। आवेदकों ने ज्यादा कार्य निष्पादन करने वाले घरेलू उत्पादकों के साथ न्यूनतम/कम उत्पादन करने वालों के साथ जोड़ किया है। आवेदकों में कुछ वित्तीय अनियमितताओं की गंभीर समस्या झेल रहे है। बी आई एम ए इन कम्पनियों की सच्चाई की जांच हेतु सी ए जी ऑडिट कराने हेतु प्राधिकारियों से आदेश देने का निवेदन करती है।

च. लाभ कम होने का मुख्य कारण उच्च वित्तीय लागत है। इसके अलावा आवेदको ने 2011-12 से 2014-15 तक 41% का इंक्रीमेंटल इनवेस्टमेंट किया है। तथापि आवेदकों की क्षमता उपयोगिता केवल 11% तक बढ़ी है।

छ. कच्चे माल की कीमतों में गिरावट घरेलू उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँची जिसके कारण अर्थवयवस्था पर स्फीति (इल्फ्लेशनरी) दबाव बना। संबंधित उत्पाद की घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से बहुत ऊपर है।

ज. आवेदक पी यू सी का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कर रहे हैं परंतु वे ही वस्तुएँ भारतीय बाजार में उच्च कीमतों पर बेची जा रही हैं।

झ. रक्षोपाय उपाय एक आकस्मिक उपाय है एवं इसे सख्ती से आकस्मिक परिस्थितियों में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की मांग करके आवेदक केवल ज्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं।

ञ. घरेलू बाजार मे कच्चे माल की उपलब्धता के बावजूद आवेदक सस्ते आयात का सहारा ले रहे हैं। यह आवेदकों की मंशा को दर्शाता है जो कच्चे माल के आयात पर एक उदार व्यवस्था (रेजिमी) चाहते हैं लेकिन अंतिम वस्तुओं के आयात पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की मांग कर रहे हैं।

त. आवेदक घरेलू उधोग नहीं हैं जैसा कि आवेदकों द्वारा दावा किया गया है। आवेदकों ने अपनी स्वयं कि सुविधा हेतु दो उत्पादो को एक साथ मिला दिया है।

थ. 2013-14 मे आयतों को बेंचमार्क के रूप मे अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हालाँकि 2011-12 मे 2013-14 की तुलना मे आयात में वृद्धि हुई थी घरेलू उद्योगों द्वारा किसी गंभीर क्षति का दावा आवेदकों द्वारा नहीं किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2014-15 मे केप्टिव उपभोग हेतु पोस्को, महाराष्ट्र द्वारा आयात किया गया था जिसे कुल आयात मे से अलग कर दिया जाना है।

द. हालाँकि जब कच्चे माल की कीमतें 75% तक कम हो गई थी तब भी अंतिम उत्पादों के मूल्य आवेदकों द्वारा स्थिर रखे हुए थे जिससे उन्हें अप्रत्याशित लाभ हुआ।

ध. आवेदकों की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लाभप्रदता में कोई कमी नहीं है।

न. मांग किए जाए रक्षोपाय शुल्क की प्रकृति एवं मात्रा स्वैच्छिक एवं आधारहीन है।

पी. <u>प्रोसेस प्लाट एंड मशीनरी एशोसियसन ऑफ़ इंडिया</u>

क. प्लेट्स पर आयत शुल्क का ढांचा अंतिम उपकरण के आयात के संबंध में विपरीत है क्योंकि प्लेट्स पर आयत शुल्क 12.5% है एवं अंतिम उपकरण पर आयात शुल्क 7.5 % है।

ख. अपेक्षित विर्निदेश्नो की प्लेट्स का घरेलू उधोग द्वारा निर्माण नहीं किया जाता है। फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, फार्मास्युटिकल एवं न्यूक्लियर जैसी प्रोसेस प्लांट इण्डस्ट्रीज में प्रयुक्त उपकरण बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करता है। मेकेनिकल, केमिकल एवं हीट ट्रीटमेंट प्रापर्टीज हेतु स्पेशल स्ट्रिंजेंट प्रापर्टी के साथ प्लेट्स को अनुपालन करना होता है। इस प्रकार की प्लेट्स भारत में विनिर्मित नहीं होती है।

ग. उपकरण के निर्माण में स्ट्रिंजेंट केमेस्ट्री की अलॉय स्टील प्लेट्स एवं नॉन अलॉय स्टील प्लेट्स की आपूर्ति के लिए प्रोसेस लाइसेंसेस द्वारा घरेलू उधोग को अनुमोदित नहीं किया है।

घ. बायलर एवं प्रेशर वेसल्स के निर्माण हेतु आई एस 2002 एवं आई एस 2014 से कन्फ्रमिंग हाट रोल्ड प्लेट्स को रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण हेतु विचार हेतु उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। यह भी स्पष्ट किया जाने की आवश्यकता है कि समान ए एस टी एम स्टेंडड जैसे एस ए 516 को शामिल किया जाना है।

(क्यू) <u>लार्सन एंड ट्रर्बो (एल एंड टी):</u>

क. प्लेट्स की अधिकतम थिकनेस जो कि भारतीय उधोग द्वारा आपूर्ति की जा सकती है वह नार्मलाइजिंग के संबंध में 85 एम एम है एवं 1:3 के रिडक्शन अनुपात को भी सेटिसफाई करना है।

ख. अलोय स्टील प्लेट्स का निर्माण भारत में स्थापित नहीं है। वर्तमान में भारतीय उद्योग ने अलॉय स्टील के निर्माण की क्षमता को साबित नहीं किया है।

ग. प्रोसेस इंडस्ट्री हेतु उपकरण प्रोसेस लाइसेंसर जैसे के बी आर यू एस ए, एक्सन मोबाईल यू एस ए, केसेल जापान, सेपियम, इटली, बेचटेल यू एस ए, फास्टर आदि के विनिर्दिशनों के अनुसार निर्मित किए जाते हैं। घरेलू स्टील मिले प्रोसेस

लाइसेंसस से कच्चे माल (अलॉय एवं गैर अलॉय प्लेट्स) तथा उन उपकरणों जो घरेलू टैरिफ एरिया को आपूर्ति किएं जाने हो, हेतु अनुमोदित नहीं है।

घ. रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए। प्लेट्स पर ड्यूटी पिछले वर्ष पहले ही बढाई जा चुकी है।

ड. बायलर एवं प्रेशर वेसल्स के निर्माण हेतु आई एस 2002 एवं आई एस 2014 से कन्फ्रमिंग हाट रोल्ड प्लेट्स को रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण हेतु विचार हेतु उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। इसे ए एस एम ई, ए एस टी एम स्टेंडर्ड एस ए 515 एवं एस 516 जो इन आई एस स्टेंडर्ड के बराबर है, पर भी लागू किए जाने की आवश्यकता है।

च. मुख्य विशेष अलॉय स्टील ग्रेड हैं एस ए 203, एस ए 204, एस ए 302, एस ए 387, एस ए 533, एस ए 537, एस ए 542, 15 एम ओ 3, 16 एम ओ 3, 20 एम एन मोनी 55, 9 सी आर एल एम ओ आदि हैं जिनको अलग कर देना चाहिए क्योंकि यें घरेलू उधोग द्वारा आपूर्ति नहीं किए जा सकते।

(आर) <u>इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफेक्चरर्स एसोशियसन, नई दिल्ली</u>

क. वर्ष 2012-13 की तुलना में 2013-14 में आयात कम हो गया एवं 2014-15 में आयात 2012-13 की तुलना में कम था। 2015-16 (वार्षिक) की अवधि हेतु दिए गए उपरोक्त आयात मात्रा है एवं इन्हे एम आई पी, जिसे भारत सरकार द्वारा फरवरी 2015 में अधिसूचित किया जा चुका है, के स्थान पर सही के रूप में नहीं माना जा सकता है। आयात बड़े नही है बल्कि कम हुए हैं।

ख. आवेदकों के पास एक सकारात्मक एवं बड़ा हुआ उत्पादन, लाभ एवं बिक्री है। यह ध्यान करना उपयुक्त होगा कि समर्थक उत्पादकों को डी आई का हिस्सा बनाने से अलग करने की डी आई की मंशा पर भी ध्यान देना होगा।

ग. कुछ संगत तथ्य जैसे बिक्री, मार्केट शेयर, इंवेट्री स्तर एवं रोजगार स्तर जांच अवधि के दौरान स्थिर रहे हैं।

घ. विगत 03 वर्षों में क्षमता उपयोगिता स्थिर रही हालंकि क्षमता बढ़ रही है जो साबित करता है कि आवेदकों का उत्पादन स्तर बढ़ा है।

ड़. घरेलू उत्पादकों का निर्यात मूल्य उनकी घरेलू कीमतों से कम है। घरेलू उद्योगों को यदि कोई हानि हुई है तो वह उनके कम निर्यात मूल्य के कारण है एवं इसलिए स्वयं प्रदत है।

च. आयात मे कमी के साथ-साथ डी आई की लाभप्रदत्ता कम हुई है। यह दर्शाता है कि कुछ नॉन-एट्रीब्यूटेबल कारक है जो क्षति पहुंचा रहे है। डी आई को क्षति पहुँचाने वाले अन्य अआशेप्य (नॉन-एट्रीबूटेबल) कारक है पुरानी तकनीक, उच्च पावर एवं लेबर लागत, ऊँचे ऋण, केपिटल बजटिंग फैसलों आदि का इन्प्रोपर ड्यू डिजिलेंस।

छ. मल्टी प्राडक्ट कम्पनी के रूप में डी आई की लाभप्रदता में कमी पी यू सी के कारण नहीं हो सकती।

ज. डी आई वांछित विनिर्देशनों के अनुसार प्लेट्स की आपूर्ति करने मे अक्षम है। हालंकि सप्लाई चेन बाध्यताएँ हैं एवं डी आई द्वारा निर्मित प्लेट्स के साथ गंभीर गुणवत्ता मुद्दे भी है। विंड टावर्स हेतु टावर्स के निर्माण एवं विंड टावर्स के निर्माण के प्रयोजन हेतु प्रयुक्त होने वाले "स्पेसिफिक कट साइज्ड स्टील प्लेट्स" को रक्षोपाय उपाय के परिक्षेत्र से बाहर रखने हेतु एसोशियेसन ने निवेदन किया है।

झ. घरेलू उधोगों द्वारा उठाई जा रही हानि एवं आरोपित वर्धित आयात के बीच कोई कारणात्मक संबंध नही है। वर्तमान में आयात में कमी हुई है तब भी डी आई को हानि उठानी पड़ी है।

ञ. समयान्तराल पर डी आई द्वारा दिये गए तर्क को तत्काल निरस्त कर देना चाहिए। ई यू के मामले में औसत समयान्तराल दो माह से अधिक है एवं इंडोनेशिया, कोरिया एवं जापान के मामलें में दो माह से कम है। वास्तविक शिपमेंट में समयान्तराल एक सामान्य बिजनेल घटना है।

त. 62.5 तक के स्तर तक टैरिफ एवं नान टैरिफ बैरियर के माध्यम से डी आई को पहले ही सुरक्षित किया जा रहा है । एम आई पी से नीचे आयात के प्रतिबंध की स्थिति में मूल सीमा शुल्क ड्यूटी एवं न्यूनतम आयात मूल्य से ऊपर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण केवल उपभोक्ता उद्योगों एवं उनके जैसे आयातकों के क्रिया कलापों को जोखिम में डालेगा ।

5. अन्य इच्छुक पक्षों के लिखित जवाबों पर इच्छुक पक्षों द्वारा फाइल किए गए उत्तर का संक्षिप्त विवरण :

(ए) <u>मै0 स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मै0 एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड, मै0 जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड एवं मै0 जे.एस.डब्ल्यू स्टील लिमिटेड (घरेलू उद्योग) द्वारा फाइल किए गए उत्तर का संक्षेपण</u> :

(क) **<u>एम.आई.पी. मुद्दे</u>**

(i) एम आई पी वर्तमान जॉच की विधिक निर्मलता (सेंसिटी) को प्रभावित नहीं करता है। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि महानिदेशक रक्षोपाय , रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की संस्तुति उस तिथि से कर सकते हैं जब एम आई पी समाप्त होता हो।

(ii) यह नहीं समझा जा सकता कि इच्छुक पक्षों ने किस आधार पर कहा है कि एम आई पी ने आयात मूल्य को 50% तक बढ़ा दिया है एवं घरेलू उद्योग 62% के स्तर तक सुरक्षित है। अगर यह भी मान लिया जाए कि एम आई पी के अधिरोपण के बाद आयात मूल्य 50% तक बढ़े है, इसका अर्थ है कि अनुचित कम आयात मूल्य एवं उचित मूल्य के बीच अंतर कम हुआ है। इसका अर्थ है इच्छुक पक्षों ने माना है कि एम आईपीसे पहले भारत में घरेलू उद्योग द्वारा अनुमानित उचित मूल्य से आयात मूल्य 50% कम थे।

(ख) **<u>पी यू सी संबंधित मुद्दे</u>**

(i) कुछ इच्छुक पक्षों की राय है कि आई एस: 2002 एवं आई एस: 2041 अथवा इसके समान विर्निदेशनों एस ए 515, एस ए 516, एस ए 537, एस ए 285, एस ए 299 से कन्फर्मिंग बायलर एवं प्रेशर वेसेल्स को प्राडक्ट स्कोप से अलग कर देना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि जॉच शुरू करने के नोटिस अनुसार इन ग्रेडों को प्रॉडक्ट स्कोप से पहले ही अलग कर दिया गया है।

(ii) कोबेल्को क्रेन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की राय है कि एम एस आई एस स्टेन्डर्ड आई एस 2062:2011, ई 250 ए, ई 250 सी, ई 350 ए, ई 350 सी, ई 450 वी आर एवं जे आई एस स्टेन्डर्ड जी 3106:2008, एसएम 400 सी, एम एम 490 सी, एस एम 570, जे आई एस जी 3101:2015, एस एस 400, एस एस 490 से कन्फर्मिंग ग्रेड्स की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं एवं इन्हें भारत में आपूर्ति किया है। अत: इन ग्रेड्सको प्राडक्ट स्कोप से अलग नहीं किया जा सकता है।

(iii) फेरम एक्सट्रीम इंजीनयरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि जे एफ ई, जापान एवं एस एस ए बी से लिए जाने ग्रेड्स एस्सार स्टील द्वारा उचित मात्रा में आपूर्ति नहीं किए जाते हैं। एस्सार ने मजबूती से उपरोक्त कथन का विरोध किया है। एस्सार के फेरम की मांग के अनुसार आपूर्ति की है एवं वह भारत में विचाराधीन उत्पाद का नियमित आपूर्तिकर्ता है।

(iv) घरेलू उद्योग ने प्रेशर वेसेल्स, हीट एक्सचेंजर्स, रिएक्टर्स, बॉयलर आदि के निर्माणमें अपेक्षित गैर अलॉय एवं अलाय स्टील प्लेट्स की ग्रेड्स के एल एंड टी को आपूर्ति की है जिसे एल एंड टी द्वारा घरेलू के साथ-2 निर्यात आर्डरों में सफलतापूर्वक प्रयोग किया है।

(v) घरेलू उद्योगों के पास प्रोसेस इंडस्ट्रीज जैसे फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरी, केमिकल्स फार्मास्युटिकल्स एवं न्यूक्लियर सेक्टर में अपेक्षित प्लेट्रस के निर्माण की सुविधा है। घरेलू उद्योग इन ग्रेड्स का निर्माण कर सकते हैं एवं इसकी भारत में आपूर्ति की है।

(vi) 85 एम एम के ऊपर नाम मात्र थिकनेस वाली प्लेट्रस को प्रॉडक्ट स्कोप से अलग नहीं किया जा सकताहै। स्ट्रक्चरल एपलीकेशन हेतु 150 एम एम तक की हीट ट्रीटिड प्लेट्रस के निर्माण हेतु घरेलू उद्योग सक्षम है। उन्होंने इसको एच सी सी एवं एल एंड टी जैसी नामी कम्पनियों को आपूर्ति किया है।

(vii) घरेलू उद्योग अलाय स्टील एवं प्लेटस के विशिष्ट ग्रेडों अथवा विर्निदेशनों, जिन्हें घरेलू उद्योग नहीं बना सकता, को स्पष्ट करने में असफल रहा। परियोजना आधारित अपेक्षाओं हेतु स्ट्रिंहजेंट केमेस्ट्री के अलाय स्टील प्लेट्रस की आपूर्ति हेतु घरेलू उद्योग प्रोसेस लाइसेसंर्स से अनुमोदित है।

(viii) कुछ इच्छुक पक्षों की राय है कि घरेलू उद्योग, जे आई एस जी 312522, सी ओ आर टी ओन 23, ए एस टी एम ए 24224 ए एस टी एम ए 58825 एवं ए एस टी एम ए 60626 ताइवान का प्राडक्ट कोड जैसे सी एस सी – एस पी ए एच तक एवं चीन स्टील कारपोरेशन से एनकोडिड उत्पाद सीमित न हो, एटमोस्फिक कारीसन रेजिस्टिंग स्टील का निर्माण नहीं कर सकता। एटमोस्फेरिक कारीसन रेजिस्टिंग स्टील को प्राडक्ट स्कोप से बाहर नहीं किया जा सकता क्योंकि घरेलू उद्योग इसका निर्माण कर रहे हैं।

(ix) घरेलू उद्योग विभिन्न ग्रेडस, जिसमें ओ एन जी सी एवं एल एंड टी द्वारा चलाए जा रहे आफशोर प्रोजेक्ट शामिल हैं, के निर्माण हेतु पूर्ण रूप से सक्षम है । आफशोर एपलीकेशन हेतु प्रयोज्य ग्रेडस हेतु अपने उपभोक्ताओं से रिपीट बिजनेस घरेलू उद्योग प्राप्त करता है ।

(x) कंसट्रक्सन मशीनरी, अर्थमूविंग एवं माइनिंग उपकरणों, वाटर पावर जेनरेशन (पेन स्टाक में प्रयुक्त) एवं थर्मल पावर जेनरेशन में प्रयुक्त होने वाले प्लेट्रस का निर्माण घरेलू उद्योग कर सकता है। कुछ इच्छुक पक्षों द्वारा दिया गया यह तक्र, कि घरेलू उद्योग इन ग्रेडस काक निर्माण नहीं कर सकता, बिना मेरिट का है ।

(xi) विंड टर्वाइन एप्लीकेशन हेतु प्लेट्रस के संबंध में, विंड टर्वाइन टावर हेतु अपेक्षित प्लेट्रस स्ट्रक्चरल ग्रेड प्लेट्रस हैं जो सामान्यता घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की जाते हैं । घरेलू उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में ज्यादा बेहतर डाइमेशंनल वाली प्लेट्रस की आपूर्ति की है ।

(xii) कुछ गैर – अलाय स्टील को चीन पी आर में निर्यातकों द्वारा अलाय स्टील के रूप में बदल दिया है क्योंकि चीन पी आर में वैट रिफंड हेतु अलाय स्टील ग्राहय था । इस कारण की वजह से, चीन पी आर में निर्यातक गैर अलॉय स्टील में बोरोन की एक थोड़ी मात्रा जोडेगें एवं वैट रिफंड के दावे हेतु अपने उत्पाद को अलाय स्टील घोषित करेंगे । इन उत्पादों का आयात सीधे तौर पर घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित गैर अलॉय स्टील का स्थान ले रहा है ।

(ग) <u>जनहित</u>; रक्षोपाय शुल्क के बिनाघरेलू उद्योगों का सफाया हो जाएगा । यदि घरेलू उद्योग का सफाया हो जाता है तो भारत में उपभोक्ताओं के पास निर्यातकों द्वारा उद्धत की गई कोई भी मनमानी कीमतें देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा । यह भारत में उपभोक्ताओं के हित में है कि भारतीय मांग को पूरा करने हेतु एक मजबूत एवं सफल घरेलू उद्योग विद्यमान रहे एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान करें ।

घ. यह महत्वहीन है कि जापान,इंडोनेशिया एवं कोरिया आर पी से संबंधित एफ टी ए के कारण आयात हुआ । इन देशों से आयात अधिकांश वर्तमान अवधि में बड़ी मात्रा में हुआ एवं ये आयात अनुचित कम कीमतों पर हुए हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे है । आगे इन एफ टी ए में विशिष्ट प्रावधान है जो भारत को सामान्य रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण की अनुमति देते हैं ।

ङ. अधिसूचना संख्या 103/98-सीमा शुल्क दिनांक 14 दिसम्बर, 1998 के संबंध में भारत विकासशील देशों की एक सूची रखता है । जो देश इस सूची में नहीं है उन्हें विकसित देश माना जाता है । डब्ल्यू टी ओ सदस्य किसी सदस्य देश को विकासशील देश का दर्जा केवल इसलिए देने के लिए बाध्य नहीं है कि कुछ अन्य सदस्यों ने किसी सदस्य को ऐसा दर्जा प्रदान किया है । भारतीय कानून के अनुसार ताईवान एक विकसित देश हे ।

च. इंडोनेशिया एवं तुर्की सरकारों का तर्क है कि उन्हें रक्षोपाय शुल्क के उदग्रहण से अलग करना चाहिए क्योंकि इन देशों से आयात 3% से कम था । यह तर्क बिना किसी मेरिट के है क्योंकि क्रमश: इंडोनेशिया एवं तुर्की से आयात 3% थ्रेसहोल्ड से ऊपर है ।

छ. ब्राजील सरकार की राय है कि भारत की यह बाध्यता है कि वह विकासशील देशों की सूची उपलध कराए जिससे रक्षोपाय शुल्क पर समझौते के अनुच्छेद 3.1 के अधीन ब्राजील अपने अधिकार का प्रयोग कर सके। अनुच्छेद 3.1 अथवा रक्षोपाय शुल्क पर समझौते का कोई प्रावधान भारत को विकसित देशों की सूची उपलब्ध करने हेतु बाध्य नहीं करता है। आगे यह नोट करना प्रासंगिक है कि भारत द्वारा रखी गई विकसित देशों की सूची इंटरनेट पर फ्री उपलब्ध है।

ज. <u>जाँच की अवधि:</u> कुछ इच्छुक पक्षों की राय है कि जाँच शुरु करने के नोटिस में जाँच की अवधि निर्धारित की गई है एवं महानिदेशक रक्षोपाय को अक्तूबर-दिसंबर 2015 की अवधि हेतु आयात आंकड़ो पर विचार नहीं करना चाहिए। महानिदेशक रक्षोपाय द्वारा जारी ट्रेड नोटिस संख्या एस जी /टी एन/1/97 दिनांक 6 सितम्बर 1997 के पेराग्राफ 5 (i) में प्रवधान है कि सूचना तीन वर्ष (अथवा लंबे) की वर्तमान अवधि के आंकडे उपलब्ध कराने चाहिए जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। इसलिए धरेलू उधोग ने अक्तूबर 2015 तक के उपलब्ध आयात आंकड़ों के साथ आवेदन फ़ाइल किया है। जाँच की प्रक्रिया के दौरान धरेलू उधोग ने दिसम्बर 2015 तक के आयात आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।

झ. <u>अनपेक्षित घटनाएं:</u> बहुत से इच्छुक पक्षों ने तर्क दिया है कि घरेलू उधोग अपने आवेदन में अनापेक्षित घटनाएं की विधमानता को प्रदर्शित करने में सक्षम नही रहा है। यह भी तर्क दिया गया है कि जापान से आयात अगस्त 2011 से प्रभावी भारत- जापान सी ई पी ए के कारण कभी- कभी था। यह भी तर्क किया गया है की आवेदन यह साबित नहीं

करता है कि रूस एवं युक्रेन से आयात भारत को डाइवार्ट कर दिए गए थे। सादर यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदन में अनापेक्षित घटनाएं का विधमानता को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। यह महत्व हीन है कि क्या जापान से आयात भारत जापान एफ टी ए के कारण कभी-कभी थे। यह तर्क केवल तभी संगत होता जब घरेलू उद्योगों ने भारत जापान सी इ पी ए के अधीन द्विपक्षीय रक्षोपाय उपायों के बारे में काम किया होता। तथापि, घरेलू उद्योग सभी स्रोतों से अचानक,तेज,पर्याप्त एवं वर्तमान आयात से परेशान है। घरेलू उद्योग ने पहले ही यह कहा है कि जापान से आयात एवं भारत जापान सी ई पी ए प्रभावी होने में कोई संबंध नहीं है।

ञ. <u>समायोजन योजना:</u> घरेलू उद्योग के सभी सहभागियों नें आवेदन के साथ अलग प्रश्नावली फ़ाइल की है जिसमें घरेलू उद्योग के सभी सहभागियों हेतु समायोजन योजना है। कुछ इच्छुक पक्षों का यह तर्क कि समायोजना योजना प्रस्तुत नहीं की गई है, आधारहीन है।

त. <u>आयात आंकड़ों के स्रोत एवं सटीकता:</u> इच्छुक पक्षों ने तर्क दिया है कि आई बी आई एस के आंकड़े गलत सूचना प्रदान करते है जो कि उद्योग का समर्थन करते हैं आंकड़े सत्य नहीं है एवं अविश्वसनीय है। घरेलू उधोग ने प्रस्तुत किया है कि आई बी ई एस एक जानी मानी एजेंसी है एवं इसके आंकड़े विभिन्न ट्रेड उपाय जाँच, चाहे यह रक्षोपाय हो या एंटी डंपिंग जाँच हो, में नियमित रूप से प्रयुक्त होते हैं। जे पी सी के आंकड़ो को इस जाँच में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यें आंकड़े केवल स्टील सेक्टर हेतु व्यापक स्तर पर उपलब्ध हैं। महानिदेशक रक्षोपाय डी जी सी आई एंड एस के आकड़ें ले सकते है एवं सूचना के सत्यापन हेतु इन आकड़ों की तुलना आई बी आई एस के आकड़ों से साथ कर सकते है।

थ. <u>कच्चे माल की कीमतों में गिरावट</u> : इच्छुक पार्टियों का तर्क है कि कच्चे माल की कीमतों में 40 % से 60% की गिरावट आई है जिसके फलस्वरूप संबन्धित सामग्री की कीमत में गिरावट आई है । कच्चे माल की कीमतों में कुल मिलाकर गिरावट इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए दावों की तुलना में काफी कम है। पूर्ण उत्पाद की कीमतों में उसी अनुपात में गिरावट नहीं हो सकती जितनी कि कच्चे माल की लागत में, क्योंकि पूर्ण उत्पाद की लागत में कच्चे माल की कीमत का कुछ अंश ही रहता है।

द. <u>आत्म प्रवृत्त क्षति</u> : इच्छुक पार्टियों ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग की क्षति का कारण उच्च ऋण , उच्च श्रम, बिजली की लागत एवं अप्रचलित प्रौद्योगिकी का उपयोग है । घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि एक पूंजी सघन उद्योग में इस्पात उद्योग की तरह, उधार में ली गई रकम होना एक सामान्य अभ्यास है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रचलित दरों पर ब्याज देता है और बाजार की दर पर बिजली प्राप्त करता है। इसके अलावा, दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में भारत में सस्ते श्रम का होना एक फायदा है। इसलिए, घरेलू उद्योग को समझना चाहिए कि कैसे श्रम लागत घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारण है।

ध. <u>तथ्यों की त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति</u> : इच्छुक पार्टियों ने वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़े पर भरोसा करते हुए आरोप लगाया है कि डीआई ने त्रुटिपूर्ण तथ्यों की प्रस्तुति की है । उन्होंने प्रस्तुत किया है कि वार्षिक रिपोर्ट ने लाभ और बिक्री में रक्षोपाय याचिका की तुलना में अच्छी तस्वीर प्रस्तुत की है। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि इच्छुक पार्टियां घरेलू उद्योग के घटक बहु-उत्पाद कंपनियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक आंकड़े की रिपोर्ट के तथ्यों का विश्लेषण करने में नाकाम रही हैं। सभी पीयूसी से संबंधित आंकड़े पहले से ही महानिदेशालय रक्षोपाय को डीआई द्वारा प्रदान किया गया है और विधिवत सत्यापन प्रक्रिया के दौरान सत्यापित किया गया है । इसलिए, वहाँ तथ्यों की कोई त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति नहीं है।

न. <u>समर्थकों के बेहतर प्रदर्शन</u> : इच्छुक पार्टियों ने कहा है कि समर्थकों का प्रदर्शन अब तक के घरेलू उद्योग से बेहतर रहा है । कुल उत्पादन में घरेलू उद्योग की 86% हिस्सेदारी की तुलना में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में समर्थकों की हिस्सेदारी नगण्य है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने इच्छुक पार्टियों के दावे को खारिज किया है कि लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति कम है।

प. <u>भारतीय रुपये में गिरावट</u> : इच्छुक पार्टियों ने प्रस्तुत किया है कि भारतीय रुपये में पीओआई के दौरान काफी गिरावट आई है, भारत में आयात घरेलू स्तर पर खरीदे गए माल की तुलना में अधिक महंगा है । घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि भारतीय मुद्रा में गिरावट के बावजूद आयात की मात्रा पीओआई के दौरान बढ़ी है। इसके अलावा , रूस, यूक्रेन और इंडोनेशिया के निर्यात देशों की मुद्रा में भारतीय रुपये की तुलना में बहुत उच्च दर पर गिरावट आई है।

फ. <u>क्षति का मापदंड</u> : इच्छुक पार्टियों ने प्रस्तुत किया है कि भारतीय उद्योग को किसी भी तरह की क्षति या खतरे की संभावना नहीं है। इसके अलावा, इच्छुक पार्टियों ने प्रस्तुत किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा किसी नुकसान या बढ़ते आयात के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है । भारतीय उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि बाजार में आयात का अंश 2015-16 में लगभग दोगुना हो गया है। मांग में आयात का अंश 2013-14 में 7% से तेजी से बढ़कर 2015-16 में 15% हो गया है। घरेलू उद्योग के उपयोग की क्षमता वर्ष 2012-13 के दौरान 60% से घटकर 2015-16 में 50% हो गई है। सामान की मांग में काफी वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग की बिक्री लगभग स्थिर है ।

ब. <u>2015 के तीसरे त्रैमासिक के आंकड़े का समावेश:</u> घरेलू उद्योग ने इच्छुक पार्टियों के दावे को खारिज किया है कि 2015 के तीसरी तिमाही के आंकड़े को ध्यान में नहीं लिया जा सकता । घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि प्रारम्भिक सूचना के दौरान POI को वर्ष 2012-13 से 2015-16 (अ) के रूप में चयनित किया गया है। इसके अलावा अर्जेंटीना में विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय की रिपोर्ट के अनुसार – जूते, जांच एजेंसी को वस्तुओं के आयात में अचानक और तेजी से वृद्धि का निर्धारण करने के लिए सबसे हाल के डेटा की जांच करने की आवश्यकता है। इसलिए, आयात की मात्रा का विश्लेषण कानून में न्यायोचित ठहराया गया है।

भ. <u>कॉजल लिंक</u>: घरेलू उद्योग इच्छुक पार्टियों के दावे को दृढ़तापूर्वक खंडित करता है कि बढ़े हुए आयात और गंभीर क्षति के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है । आयात और गंभीर क्षति में हुई अचानक वृद्धि के बीच मजबूत गठजोड़ का घरेलू उद्योग द्वारा जो सामना किया गया उसका सार नीचे प्रस्तुत है:

(i) 2013-14 में घरेलू उद्योग के उत्पादन का आयात 8% था, जो कि 2015-16 में दो गुना 19% हो गया ।

(ii) कुल मांग में आयात के हिस्से में वर्ष 2015-16 के दौरान काफी वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग के बाजार के शेयर में गिरावट आई है, भले ही उस सामान की मांग भारत में बढ़ रही हो ।

(iii) घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुरूप अपने उत्पादन और बिक्री में वृद्धि करने में सक्षम नहीं हुआ है।

(iv) लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर रिटर्न काफी प्रभावित हुआ है और घरेलू उद्योग वर्ष 2014-15 कर चतुर्थ तिमाही के दौरान घाटे में चला गया। घाटे में गंभीर रूप से 2015-16 के पहली और दूसरी तिमाही के दौरान वृद्धि हुई है।

(v) महत्वपूर्ण मूल्य में अवसाद, दमन, कीमतों में गिरावट और विषय वस्तुओं के आयात के कारण को पहले से ही विस्तृत रूप से लिखित प्रस्तुति में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान विस्तार से समझाया गया है।

(vi) क्षमता उपयोग, उत्पादन और घरेलू उद्योग की बिक्री पर प्रतिकूल असर पड़ा है। घरेलू उद्योग की सूची का स्तर भी बढ़ा है।

म. <u>आयात की लागत</u> : जापान से कुछ इच्छुक पार्टियों ने प्रस्तुत किया है कि जो याचिका में दावा किया है कि जापान से आयातित माल का मूल्य गलत है और बिना किसी साक्ष्य के है। घरेलू उद्योग प्रस्तुत करता है कि याचिका में दी गई भू लागत की सूचना महानिदेशक रक्षोपाय को प्रस्तुत आयात सांख्यिकी पर आधारित है और यह भी सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध है।

बी. <u>मैर्सस निप्पान स्टील एवं सुमितोमों धातु निगम, जेएफई स्टील निगम, कोबे स्टील लिमिटेड और निशिन स्टील कंपनी लिमिटेड की ओर से दायर प्रत्युत्तर का सारांश ।</u>

क. याचिकाकर्ताओं ने नवंबर और दिसंबर 2015 के लिए आईबीआईएस डाटा की लिखित प्रस्तुति दी है। हम दृढ़ता से बाद में दिए जाने किसी पीओआई डेटा पर विचार करने का विरोध करते हैं।

ख. मानते हुए कि एमआईपी अधिसूचना 6 महीने या उससे आगे के लिए लागू है और उसके बाद अगर वहाँ पर्याप्त रक्षा उपाय के लिए न्यायसंगत तथ्य हैं, माननीय प्राधिकारी उन तथ्यों का आकलन करने के लिए जो इस तरह से उपलब्ध होंगे प्रस्तुत रहेंगे। प्राधिकारी वर्तमान पीओआई पर आधारित डेटा के आधार पर रक्षोपाय करने की अनुशंसा नहीं कर सकता ।

ग. जापानी निर्यातकों द्वारा उत्पादों का निर्यात भौतिक गुणों और उपयोग के मामले में घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों से काफी भिन्न होता है। पीयूसी के कुछ ग्रेड न तो उत्पादित हो रहे हैं और न ही घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन और न ही विकल्प के रूप में उत्पादन हो रहा है।

घ. याचिका में 2015-16 के सबसे हाल ही में (अप्रैल – सितम्बर) की अवधि वार्षिकी गणना के आधार पर जांच में आयात में वृद्धि हुई जो कि बाद के दिनों की अवधि से संबन्धित नहीं है । मात्र छः या नौ महीनों के लिए आयात को सालाना आधार पर मानना "पर्याप्त सबूत" नहीं है।

ङ. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डेटा याचिका में प्रस्तुत किए गए डेटा के विपरीत है।

च. याचिकाकर्ताओं ने जो क्षति का दावा किया है, प्रासंगिक कानूनों के तहत "गंभीर क्षति" की उच्च सीमा को पूरा नहीं करता ।

छ. प्राधिकारी द्वारा माल ढुलाई की लागत और समय के अंतराल में कीमतों का सामंजस्य और तुलना करना उचित नहीं होगा, याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए माल ढुलाई लागत और समय के अंतराल के समायोजन के संबंध के अनुरोध को इंकार कर देना चाहिए।

ज. याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से चुप है कि गैर क्षति के आँकड़े कैसे लाए गए है। प्राधिकारी को इस पद्धति का मूल्यांकन करना चाहिए कि गैर क्षति कीमत के उत्पाद के आँकड़े जो विचार के लिए हैं केवल वही नहीं बल्कि दूसरे उत्पाद के भी आँकड़े जो विचार के लिए हैं, जिससे कि प्राधिकारी वास्तविक गैर क्षति कीमत के आँकड़े प्राप्त कर सके।

झ. पीयूसी के आयात में कथित वृद्धि और उत्पादन तथा याचिकाकर्ता के क्षमता उपयोग के स्तर के बीच कोई संबंध नहीं है।

ञ. इसमें कोई अनपेक्षित परिस्थितियाँ नहीं हैं जो कि भारत में आयात में वृद्धि का कारण बनी हैं ।

ट. वर्तमान जांच निष्फल रही है क्योंकि भारत सरकार ने न्यूनतम आयात मूल्य प्रतिबंध एमआईपी अधिसूचना के आधार पर लगा रहा है जिससे कि इस तरह की जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।

ट. महानिदेशालय रक्षोपाय को तत्काल प्रभाव से यह जाँच बंद कर देनी चाहिए क्योंकि जिस सूचना के आधार पर यह जाँच शुरू की गई है वह पर्याप्त नहीं है और न्यायोचित भी नहीं है।

सी. <u>भारतीय विंड टर्बाइन निर्माता संघ, नई दिल्ली की ओर से दायर प्रत्युत्तर का सारांश :</u>

क. रक्षोपाय के तहत कोई भी कार्रवाई केवल आपातकालीन स्थिति के मामले में ही संभावित है। आपातकालीन कार्रवाई को पहले से ही एमआईपी के लगाने के संदर्भ में किया गया है। घरेलू उद्योग पहले से ही सुरक्षा का संरक्षण मिला हुआ है और घरेलू उद्योग को अब किसी भी प्रकार के रक्षोपाय संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

ख. संघ ने आवेदक को घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए चुनौती दी हुई है जैसा कि उन्होंने प्रत्येक आवेदक का हिस्सा जानबूझ कर छुपाया है और समर्थक उद्योग को घरेलू उद्योग से बाहर रखा हुआ है।

ग. आवेदकों ने दिसंबर 2015 तक का कुछ डेटा प्रस्तुत किया है, लेकिन वह सूचना के अनुसार जाँच की अवधि का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसे नजरअंदाज और खारिज कर दिया जाना चाहिए।

घ. बाजार की मांग के विश्लेषण से साफ पता चलता है कि आयात ने "अन्य उत्पादकों " के बाजार शेयर हासिल लिए हैं, न कि घरेलू उद्योग या समर्थकों के ।

ङ. भारतीय उद्योग ने निवेश और पूंजी व्यय के संबंध में गंभीर निर्णायक त्रुटि बना रखी है जो कि समर्थकों के लिए सत्य नहीं है, जैसा कि संदेह से परे सिद्ध होता है कि भारतीय उद्योग द्वारा अपने आत्म प्रवृत्त नुकसान और क्षति की पूर्ति के लिए शिकायत दर्ज की गई है।

च. घरेलू उद्योग द्वारा दर्शाये गए अप्रत्याशित विकास का सम्बंध अन्य देशों में बनाए गए उत्पादन क्षमता से संबंधित है ।

छ. घरेलू उद्योग एंटी डंपिंग और रक्षोपाय के मामले / विभिन्न देशों में शुल्क जो कि उनके अनुचित व्यापार व्यवहार के कारण लगें हैं जिसे भारतीय उद्योग द्वारा आयात में क्षतिपूर्ति को रक्षोपाय शुल्क द्वारा प्राप्त करने के लिए आवेदित किया गया हे। जिसे कि झूठे तर्क द्वारा यह सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि आयात से भारतीय उद्योग को नुकसान हो रहा है।

ज. संघ ने रक्षोपाय महानिदेशालय से अनुरोध किया है कि समर्थकों को घरेलू उद्योग के एक हिस्से की तरह मानें

IV. **<u>वाणिज्य मंत्रालय द्वारा न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की शुरूआत के बाद घरेलू उद्योग से आई अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ</u>**

वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं 38/2015-2020 दिनांक 5,फरवरी 2016 द्वारा स्टील उत्पादों पर एमआईपी की शुरूआत के बाद, घरेलू उद्योग ने इस संदर्भ में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ दी हैं : -

क. घरेलू उद्योग ने अपने पत्र दिनांक 17/02/2016 के माध्यम से कहा है जो कि निम्नवत् है : -

" हाल ही में, डीजीएफटी ने न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) जो कि वस्तुओं पर अध्याय 72 के आईटीसी (एचएस) , 2012 की अधिसूचना सं 38 / 2015-2020 के दिनांक 5 फरवरी, 2016 द्वारा जारी किया गया है। यह प्रासंगिक है कि एमआईपी छह महीने की अवधि के लिए या डीजीएफटी द्वारा अगले आदेश तक की अवधि के लिए , जो भी पहले हो के लिए, लागू है। इसका अर्थ यह है कि एमआईपी छह महीने की अवधि से पहले किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि घरेलू उद्योग ने 3 साल की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए अनुरोध किया है। यद्यपि एमआईपी घरेलू उद्योग की सभी चिंताओं को संबोधित करता है, लेकिन यह केवल छह महीने के लिए या कम अवधि के लिए है । एक बार जब एमआईपी समाप्त हो जाता है, घरेलू उद्योग बढ़ती कीमतों पर बढ़ते आयात के किसी भी संरक्षण के बिना छोड़ दिया जाएगा। यह प्रस्तुत किया है कि केवल रक्षोपाय शुल्क घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए अधिक प्रभावी और दीर्घकालिक उपाय है। इसके संदर्भ में, यह सम्मानपूर्वक अनुरोध किया जाता है कि रक्षोपाय महानिदेशालय उक्त जांच को बंद करके उन वस्तुओं पर निश्चित रक्षोपाय शुल्क लगाने की सिफारिश करे।

किसी भी भ्रम की स्थिति से बचने के लिए रक्षोपाय शुल्क उसी समय लगाया जाना चाहिए जब एमआईपी की तारीख समाप्त हो रही हो"।

ख. घरेलू उद्योग ने अपने दूसरे पत्र दिनांक 17/02/2016 द्वारा आगे जो कहा है वह निम्नवत् है : -

"यह सविनय प्रस्तुत है कि निश्चित रक्षोपाय शुल्क की मूल्यानुसार अनुशंसा घरेलू उद्योग को बचाने में हितकारी नहीं होगी जैसा कि निर्यातकों द्वारा अपनी कीमत में यथामूल्य दर्शाया गया है। इसके अलावा, भारत में कई उपयोगकर्ताओं ने चिंता की है कि भले ही वे उचित मूल्य से अधिक पर विषय माल आयात करें, वे यथामूल्य रक्षोपाय शुल्क देने के लिए बाध्यकारी होंगे, जब वह शुल्क लागू किया जाएगा । भारत में दोनों घरेलू उद्योग की चिंताओं और उपयोगकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, यह अनुरोध किया जाता है कि रक्षोपाय महानिदेशालय संदर्भ मूल्य के आधार रक्षोपाय शुल्क लगाए।

V. महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा जांच एवं जांच-परिणाम

1. मैंने इस मामले के रिकार्ड, घरेलू उत्पादकों, प्रयोक्ताओं/आयातकों, निर्यातकों और निर्यातक राष्ट्रों द्वारा दायर उत्तरों की सावधानीपूर्वक जांच की है। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित प्रस्तुतिकरणों और प्रत्युक्ति प्रस्तुतिकरणों पर भी समुचित ढंग से विचार किया है। विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों और उनसे उत्पन्न मुद्दों का अधोलिखित जांच-परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर निराकरण कर दिया गया है।

2. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8(ख) में आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण करने का उल्लेख है। इसकी उपधारा (1) में केंद्रीय सरकार द्वारा किसी ऐसी वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण करने का प्रावधान है, जिसका भारत में इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत आयात किया जाता है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो अथवा क्षति होने की चुनौती उत्पन्न हो गई हो।

3. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियम, 1997 में जांच को शासित करने वाले, तरीके एवं सिद्धांतों का प्रावधान है।

4. यह जांच उपर्युक्त नियमों के अनुसार की गई है और अंतिम जांच-परिणाम इस अधिसूचना के जरिए रिकार्ड किया जा रहा है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

5. कई हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के मुद्दे को उठाया है। इन सभी मुद्दों का निम्नवत निराकरण कर दिया गया है।

(i) आईएस : 2002 और आईएस : 2041 अथवा इसके समरूप विनिर्देशनों एसए 515, एसए 516, एसए 537, एसए 285, एसए 299 की संपुष्टि करने वाली प्रेसर वैसेल्स और बायलरों के लिए हॉट रोल्ड प्लेट्स : कुछ हितबद्ध पक्षकारों का विचार है कि इन ग्रेडों का उत्पाद के दायरे से अपवर्जन कर देना चाहिए। घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुत किया है कि इन ग्रेडों का उत्पाद के दायरे से अपवर्जन पहले ही कर दिया गया है। इस संबंध में हितबद्ध पक्षकार दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 के जांच शुरूआत नोटिस का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं जहां इन ग्रेडों का अपवर्जन करने को साफ-साफ परिभाषित किया गया है। मैं यह पाता हूं कि समरूप विनिर्देशनों एसए 515, एएस 516, एएस 537, एसए 285, एसए 299 को उस जांच में अपवर्जन उत्पादों में नहीं दर्शाया गया है। उन्हें भी उत्पाद अपवर्जन खंड में भी जोड़ा जाएगा।

(ii) एमआईएस स्टैंडर्ड आईएस 2062 : 2011 ई 250ए, ई 250सी, ई350ए, ई 350सी, ई 450 बीआर; और जेआईएस स्टैंडर्ड जी 3106 : 2008, एसएम 400 सी, एसएम 490 सी, एसएम 570, जेआईएस जी 3101 : 2015, एसस 400, एसएस 490 की संपुष्टि करने वाली मदें : कोबेल्को क्रेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("कोबेल्को") का विचार है कि घरेलू उद्योग इन ग्रेडों तथा कोबेल्को तथा विशेष विनिर्देशनों युक्त कतिपय स्टील मिलों के बीच सहमत 40 किग्रा अथवा उससे अधिक के उच्चतर टेन्साइल प्लेट उत्पाद के विशिष्ट उत्पादों की आपूर्ति नहीं कर सकता है। कोबेल्को ने यह तर्क भी दिया है कि उसने जनवरी, 2014 में जब एस्सर स्टील इंडिया लिमिटेड ("एस्सर") से उपर्युक्त ग्रेडों के नमूने प्राप्त किए तो वे नमूने परीक्षण में असफल हो गए। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि यदि कोबेल्को एस्सर के उत्पादों की गुणवत्ता में कमी से वास्तव में चिंतित था तो फिर उसे उस कंपनी से समझौता ज्ञापन नहीं करना चाहिए था। इन दोनों कंपनियों ने इस समझौता ज्ञापन पर जुलाई, 2014 में हस्ताक्षर किए थे। इस एमओयू पर हस्ताक्षर करते वक्त, कोबेल्को ने एस्सर के प्रबंध वर्ग से कभी यह उल्लेख नहीं किया कि उसके सैम्पल परीक्षण में खरे नहीं उतरे थे। घरेलू उद्योग इन ग्रेडों का विनिर्माण कर सकता है और भारत में उसने इसकी आपूर्ति भी की है। मैंने यह पाया कि भारतीय इस्पात उद्योग आवश्यक ग्रेड की इस्पात प्रदान कराने में पर्याप्तत: उन्नत स्तर पर है और इसलिए मैसर्स कोबेल्को क्रेन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तर्क को स्वीकार नहीं किया जाता है। घरेलू उद्योग ने ग्रेड जेआईएस स्टैंडर्ड जी 3106 : 2008, एसएम 400 सी, एसएम 490 सी, एसएम 570, जेआईएस जी 3101 : 2015, एसस 400, एसएस 490 से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है इसलिए इन्हें अपवर्जित रखा जाय।

(iii) फेरम एक्सट्रीम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ("फेरम") द्वारा जेएफई जापान और एसएसएबी स्वीडन से प्रापण किए गए ग्रेड : फेरम द्वारा वह तर्क दिया गया कि यह जेएफई जापान और एसएसबी स्वीडन से जिन ग्रेडों का प्रापण करता है एस्सर द्वारा उनकी आपूर्ति उपयुक्त गुणवत्ता की नहीं की जाती है। उसने यह तर्क दिया है कि एस्सर के ग्रेड उन चार्पी इम्पैक्ट ग्रेडों को पूरा नहीं करते हैं जिनकी फेरम को जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क भी दिया गया कि एस्सर फेरम पर भारी मात्रा में प्रापण करने का दबाव डालता है जबकि जेएफई और एसएसएबी फेरम को छोटी-छोटी मात्रा में भी आपूर्ति करने के इच्छुक रहते हैं। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि उन्होंने फेरम की जरूरत के मुताबिक आपूर्ति की है और वे भारत में इस संबद्ध वस्तु की नियमित आपूर्ति करते हैं। घरेलू उद्योग ने पुन: यह तर्क दिया कि फेरम द्वारा दावाकृत वास्तविक समतलता का मुद्दा केवल दो प्लेटों के लिए उठा है जिसका एस्सर ने त्वरित समाधान कर लिया। इसके पश्चात फेरम ने एस्सर को बार-बार ऑर्डर दिए और तत्पश्चात फेरम को इस संबद्ध वस्तु की आपूर्ति कम होने का मुद्दा ही नहीं है। हितबद्ध पक्षकार के प्रस्तुतिकरण से यह नोट किया जाता है कि वे इन स्पेशियलिटी इस्पातों का आयात $850/MT पर कर रहे हैं जो उत्तरवर्ती पैराग्राफों में सिफारिश की गई यथानिर्धारित संदर्भ कीमत से अधिक है।

(iv) प्रेसर वेसेल्स, हीट एक्सचेंजर्स, रिएक्टर्स, बॉयलर्स आदि का विनिर्माण करने के लिए अपेक्षित गैर-अलाय एवं अलाय स्टील की प्लेटें : लार्सेन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने उसे इन ग्रेडों की आपूर्ति नहीं की है। बड़ी विनम्रतापूर्वक यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने वास्तव में लार्सेन एंड टुब्रो को इन ग्रेडों की आपूर्ति की है। घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि एस्सर द्वारा आपूरित सामग्री का लार्सेन एंड टुब्रो ने अपने घरेलू एवं निर्यात आदेशों दोनों में सफलतापूर्वक प्रयोग किया है और एस्सर को इन ग्रेडों के लिए एलएंडटी से बार-बार ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में मैं यह पाता हूं कि लार्सेन एंड टुब्रो लिमिटेड ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिससे यह सुझाव मिलता हो कि उसकी आपूर्ति भारतीय उद्योग द्वारा नहीं की जा सकती है। इसलिए उनके द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया जाता है। घरेलू उद्योग ने ग्रेड एसए 204, एसए 387 तथा 16 एम् ओ3 जिनका उल्लेख एलएंडटी के द्वारा किया गया है के साक्ष्य प्रस्तुत किये है, परन्तु ग्रेड एसए 203,

एसए 302, एसए 533, एसए , एसए 537, एसए 542, 15 एम् ओ3, 20एम्एन एम् ओ एन आई 55, 9सी आर 1एम् ओ से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है इसलिए इन्हें अपवर्जित रखा जाय।

(v) <u>उर्वरक, परिष्करणशाला, रसायन, फार्मास्युटिकल्स जैसे परिष्करण उद्योगों एवं नाभिकीय सेक्टर में अपेक्षित प्लेटें</u> : कुछ हितबद्ध पक्षकारों का यह विचार है कि घरेलू उद्योग इन ग्रेडों की आपूर्ति नहीं कर सकता है। यह तर्क दिया गया कि इन सेक्टरों में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण होस्टाइल आपरेटिंग कंडीशन्स के अध्यधीन होते हैं और इन प्लेटों को मैकेनिकल, कैमिकल और ताप उपचार अभिलक्षणों के लिए सख्त अपेक्षाओं को पूरा करना होता है। यह तर्क दिया गया कि इस तरह की प्लेटों का विनिर्माण भारत में नहीं किया जाता है। घरेलू उद्योग ने उपर्युक्त सभी अनुप्रयोगों के लिए प्लेटों का विनिर्माण करने की अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित कर रखी हैं। उत्पाद दायरे से इनका अपवर्जन करने के लिए अपने दावे के समर्थन में कोई यथार्थ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा सटीक ग्रेड अथवा विनिर्देश उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। विगत में की गई चर्चा के अनुसार भारतीय उद्योग इस सामग्री की आपूर्ति करने के लिए उन्नत अवस्था में है। किसी भी विशिष्ट ग्रेड की सूचना के अभाव में हितबद्ध पक्षकारों के सुझावों को मानना संभव नहीं है।

(vi) कुछ हितबद्ध पक्षकारों का यह विचार है कि घरेलू उद्योग अधिकतम 85एमएम की सामान्य मोटाई की सामान्यीकृत प्लेटों की आपूर्ति ही कर सकता है और यह 3:1 के घटते अनुपात में जरूरतों को पूरा कर सकता है। घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि वे संरचनात्मक अनुप्रयोगों के लिए 150 एमएम तक की ताप उपचारित प्लेटों का विनिर्माण करने में सक्षम है और उन्होंने इसकी सप्लाई एचसीसी एवं एलएंडटी जैसी ख्यातिप्राप्त कंपनियों के लिए की है। वास्तव में, बॉयलर और प्रेसर क्वालिटी रेंज में एस्सर ने 1:3 के घटते अनुपात में 87 एमएम तक की मोटाई की प्लेटों का विनिर्माण किया है। इसके अतिरिक्त, एस्सर को केंद्रीय बॉयलर बोर्ड द्वारा स्लैब थिकनेस के रूप में अनुमोदन प्राप्त है क्योंकि यह 260 एमएम मोटाई (3:1 के अनुपात) का विनिर्माण कर सकता है। एस्सर 1:2 के घटते अनुपात में 120 एमएम की मोटाई तक का विनिर्माण भी कर सकता है जिसकी एएसटीएम ए20 विनिर्देशनों के अनुरूप अनुमति है। इसके अतिरिक्त, जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड ("जेएसपीएल") 1:3 के घटते अनुपात में 100 एमएम तक की मोटाई की प्लेटों का और बॉयलर क्वालिटी में 1:2 के घटते अनुपात में 150 एमएम तक की मोटाई की प्लेटों का विनिर्माण कर सकती है। मैं एल एंड टी तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क से सहमत होने में प्रवण हूं। एस्सर ने यह पुष्टि की है कि वे 1:3 के घटते अनुपात में उच्चतर मोटाई की प्लेटों का विनिर्माण करने में सक्षम नहीं हैं। इसी तरह, जहां तक जेएसपीएल का संबंध है, यह उल्लेख किया गया कि जेएसपीएल इसका विनिर्माण कर सकता है। तथापि, उन्होंने विगत में घरेलू क्रेताओं को स्टील मैटीरियल की आपूर्ति करने से संबंधित कोई अभिकथन नहीं किया है।

(vii) <u>अलाय स्टील प्लेट्स</u> : हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया कि घरेलू उद्योग अलाय स्टील की प्लेटों का विनिर्माण नहीं कर सकती है। यह तर्क दिया गया कि कुछ ऐसे बड़े तकनीकी विनिर्देशन हैं जिनका घरेलू उद्योग पालन नहीं कर सकता, वह हैं सख्त रासायनिक संघटन, अधिकत सख्तता सीमा, सवंर्धित अवधि का सिमुलेटेड ताप उपचार और उन्हें एएसएमई, एएसटीएम, ईएन, जेआईएस मानकों को पूरा करना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया कि घरेलू उद्योग परियोजना आधारित जरूरतों के लिए स्ट्रिंजेंट कैमिस्ट्री की अलाय स्टील प्लेटों की आपूर्ति करने के लिए प्रासेस लाइसेंसरों द्वारा अनुमोदित नहीं है। घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया कि उपर्युक्त सभी तर्क निराधार हैं और यह तर्क केवल जेनरिक अभिकथनों पर आधारित हैं। इस संबंध में मैंने यह पाया कि घरेलू उद्योग ने अलाय स्टील की ऐसी प्लेटों और शीटों को उत्पाद के दायरे से पहले ही अपवर्जित कर दिया है जिनका वह विनिर्माण नहीं करता या जिनका विनिर्माण करने की उसकी सिद्ध क्षमता नहीं है अथवा जहां उसे इन उत्पादों के आयातों से क्षति नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त मैंने यह भी पाया कि हितबद्ध पक्षकारों ने उन अलाय स्टील की शीटों और प्लेटों के संगत ग्रेड या विनिर्देशन का उल्लेख नहीं किया है जिनका घरेलू उद्योग विनिर्माण नहीं करता है या जिनका विनिर्माण करने की घरेलू उद्योग के पास सिद्ध क्षमता नहीं है अथवा जहां इन अलाय स्टील की शीटों और प्लेटों के आयात से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होती है। केवल इस जेनरिक अभिकथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि घरेलू उद्योग अलाय स्टील की प्लेटों का विनिर्माण नहीं कर सकता है। तथापि घरेलू उद्योग ने इस सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं कि वे परियोजना आधारित जरूरतों के लिए स्टील प्लेटों की आपूर्ति करने के लिए प्रासेस लाइसेंसरों द्वारा अनुमोदित है।

(viii) <u>जेआईएस जी 312522, कार्टेन 23, एएसटीएम ए 24224, एएसटीएम ए 58825 और एएसटीएम ए 60626 तथा चाइना स्टील कारपोरेशन, ताइवान के उत्पाद कोडों जैसे सीएससी – एसपीएएच के साथ एन्कोडेड अन्य उत्पादों को शामिल करते हुए, परंतु इन तक की सीमित नहीं, वातावरणीय क्षरणरोधी स्टील</u> : कुछ हितबद्ध पक्षकारों का विचार है कि घरेलू उद्योग ऊपर उल्लिखित ग्रेडों

का उत्पादन नहीं कर सकता है। घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि वे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानकों की संपुष्टि करते हुए संबद्ध वस्तु का विनिर्माण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, चाइन स्टील कारपोरेशन ("सीएससी") का यह दावा कि अपने आंतरिक उत्पाद कोडों की सम्पुष्टि करते हुए कतिपय ग्रेडों का अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए, पूर्णतया गलत है। सीएससी ने उत्पाद कोड का सटीक ग्रेड अथवा विनिर्देश का उल्लेख अपवर्जन के लिए नहीं किया हैं। इस सम्बन्ध में घरेलू उद्योग साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया कि वह ग्रेड जेआईएस जी 312522, कार्टेन 23, एएसटीएम ए 24224, एएसटीएम ए 58825 और एएसटीएम ए 60626 की आपूर्ति कर सकता है।

(ix) <u>ओएनजीसी, एलएंडटी आदि जैसे उद्योगों द्वारा अपतटीय परियोजनाओं में प्रयोग करने के काम आने वाले ग्रेड</u> : हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ऊपर उल्लिखित ग्रेडों का विनिर्माण नहीं कर सकता है। घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि वे ऐसे विभिन्न ग्रेडों की प्लेटों का विनिर्माण कर सकते हैं, जिनमें ओएनजीसी तथा एलएंडटी द्वारा चलाई जा रही अपतटीय परियोजनाएं भी शामिल हैं। घरेलू उद्योग द्वारा आपूरित किए गए उत्पादों का नियमित उपयोग अति संवेदनशील अपतटीय अनुप्रयोगों जैसे स्ट्रक्चर्स एंड टैंकेजेज के लिए किया जाता है। घरेलू उद्योग को अपतटीय अनुप्रयोगों के लिए आशयित ग्रेडों हेतु अपने ग्राहकों से पुनरावर्तक बिजनेस प्राप्त हुई है। मैं यह पाता हूं कि हितबद्ध पक्षकार इस संबंध में सटीक ग्रेड का उल्लेख नहीं कर पाए तथा कोई ठोस साक्ष्य नहीं दे सके।

(x) <u>कंस्ट्रक्शन मशीनरी, अर्थमूविंग और खनन उपकरण, जल विद्युत उत्पादन (पेनस्टॉक में प्रयुक्त), थर्मल विद्युत उत्पादन में प्रयोग के लिए आशयित ग्रेड :</u> हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ऊपर उल्लिखित ग्रेडों का उत्पादन नहीं कर सकता है। हितबद्ध पक्षकारों ने विशेष रूप से यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग निम्नलिखित ग्रेडों का विनिर्माण नहीं कर सकता है :

क) "एब्रेक्स", "एवरहार्ड" (भवन निर्माण उद्योग में प्रयुक्त),

ख) "वेल-टेन", "के-टेन" (भवन निर्माण मशीनरी और जल विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त)

ग) "एस-टेन" (थर्मल विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त)।

घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि उपर्युक्त तर्कों में कोई दम नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों ने उनके उत्पादों के केवल ब्रैंड नामों का उल्लेख किया है, परंतु उन्होंने उन यथार्थ ग्रेडों या ग्रेड विनिर्देशनों का उल्लेख नहीं किया जिनके लिए उन्हें अपवर्जन चाहिए। घरेलू उद्योग यथार्थ ग्रेड या विनिर्देशन से संबंधित संपूर्ण सूचना के बिना इन निराधार तर्कों का प्रभावकारी ढंग से खंडन करने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विश्वस्तरीय प्लेट मिलें हैं। घरेलू उद्योग उन सभी प्लेटों का विनिर्माण कर सकता है जिनका प्रयोग भवन-निर्माण मशीनरी, अर्थमूविंग एवं खदान उपकरण, जल विद्युत उत्पादन (पेनस्टॉक द्वारा प्रयुक्त) और थर्मल विद्युत उत्पादन में किया जाता है। मैं घरेलू उद्योग के इस तर्क से सहमत हूं।

(xi) <u>बोरोन स्टील</u> : कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क देने के लिए कि घरेलू उद्योग माइन्युट बोरोन अंतर्वस्तु युक्त गैर-अलाय इस्पात के आयातों से क्षुब्ध है, घरेलू उद्योग द्वारा दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 के एक पत्र का उल्लेख किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि बोरोन की छोटी-छोटी मात्रा को इन वस्तुओं के प्रयोक्ताओं के विशेषाधिकार के अनुरूप गैर-अलाय स्टील में जोड़ा जाता है। यह तर्क दिया गया है कि इस स्टील का भारत में आयात किया जाता है क्योंकि घरेलू उद्योग इसका विनिर्माण नहीं करता है। घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पाद के दायरे में बोरोन स्टील को शामिल किए जाने से संबंधित तर्क का पूर्णतया गलत अर्थ लगाया है। घरेलू उद्योग ने अपने दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 के पत्र में यह स्पष्ट कर दिया है कि कतिपय गैर-अलाय स्टील उत्पादों को चीन जन.गण. में निर्यातकों द्वारा अलाय स्टील के छद्म नाम से बताया जाता है क्योंकि चीन जन.गण. में अलाय स्टील वैट वापसी के लिए पात्र है। इस कारण से चीन जन.गण. के निर्यातक अपनी गैर-अलाय स्टील में बोरोन की थोड़ी सी मात्रा जोड़ देते हैं और वैट प्रतिदाय का दावा करने के लिए अपने उत्पादों को अलाय स्टील के रूप में घोषित कर देते हैं। इन उत्पादों के आयात घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित गैर-अलाय स्टील को सीधे तौर पर स्थानापन्न कर रहे हैं। इसलिए इस उत्पाद के दायरे से बोरोन स्टील का अपवर्जन नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने 72254013, 72254019, 72254020, 72254030 और 72259900 प्रशुल्क मदों के अंतर्गत आने वाली शीटों और प्लेटों के आयातों को शामिल किया है क्योंकि इन प्रशुल्क मदों के अंतर्गत होने वाले आयात घरेलू उद्योग द्वारा प्रशुल्क शीर्षक संख्या 7208 के अंतर्गत

आने वाले विनिर्मित उत्पादों के स्थानापन्न हैं। उपर्युक्त के आलोक में, हितबद्ध पक्षकारों के तर्क निराधार हैं। मैं इस मुद्दे पर घरेलू उद्योग के तर्क से सहमत हूं।

(xii) विंड टर्बाइन अनुप्रयोगों के लिए प्लेटें : इंडियन विंड टर्बाइन मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ("आईडब्ल्यूटीएमए") का विचार है कि घरेलू उद्योग विंड टर्बाइन के टॉवर के लिए अपेक्षित प्लेटों को प्रदान करने में सक्षम नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि घरेलू उद्योग अपेक्षित टॉलरेंस और चौड़ाई की प्लेटों की आपूर्ति नहीं कर सकता है और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई प्लेटों में भारी कमियां हैं। इन कमियों में प्लेट पिटिंग, डोर पिटिंग, प्लेट्स फाउंड विद ऑयल, सैंड ब्लास्टिंग के पश्चात प्लेट की सतह में त्रुटियां होती हैं, प्लेटें टूटी एवं मुड़ी होती हैं, और उनका क्षरण होने का संदेह रहता है। यह तर्क भी दिया गया कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से विंड टर्बाइन की कीमत बढ़ जाएगी। घरेलू उद्योग उपर्युक्त तर्कों का कड़ाई से विरोध करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि विंड टर्बाइन के टॉवरों के लिए अपेक्षित प्लेटें ढांचागत ग्रेड की प्लेटें होती हैं जिनकी घरेलू उद्योग द्वारा सामान्यत: आपूर्ति की जाती है। घरेलू उद्योग ने इन प्लेटों की आपूर्ति अंतरराष्ट्रीय मानदंडों की तुलना में बेहतर आयामी सहिष्णुता के साथ की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऊपर गुणवत्ता संबंधी जो शिकायत की गई है वह जेनरिक प्रकृति की है। घरेलू उद्योग इन प्लेटों की नियमित आपूर्ति कर रहा है। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय शुल्क से विंड टर्बाइन की कीमतों में वृद्धि नहीं होगी बल्कि इससे भारत में भारी मात्रा में आने वाले कम कीमत के आयातों का प्रतिरोध किया जा सकता है। मैं घरेलू उद्योग के इस तर्क से सहमत हूं।

(xiii) विचाराधीन उत्पाद की ग्राही खपत : बीआईएमए ने यह तर्क दिया कि पोस्को, महाराष्ट्र द्वारा किए गए ग्राही आयातों को कुल आयातों से अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए। यहां कार्य प्रणाली यह है कि एक विदेशी स्टील उत्पादक इस संबद्ध वस्तु का आयात अपनी भारतीय सहबद्ध कंपनी/कंपनियों के लिए कर रहा है। मैं यह पाता हूं कि विधि के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ग्राही खपत के लिए आयातित वस्तुओं को रक्षोपाय शुल्क के दायरे से छूट प्रदान करता हो। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों के उपर्युक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(xiv) अग्रिम प्राधिकृतीकरण के अंतर्गत आयात : बीआईएमए ने यह तर्क दिया है कि इस विचाराधीन उत्पाद के अग्रिम प्राधिकृतीकरण के अंतर्गत किए गए आयात से क्षति कारित नहीं होती है और उसका कुल आयातों से अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में मैं यह प्रेक्षण करता हूं कि अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए आयातों को अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि लेन-देनवार उपलब्ध आंकड़ों में ऐसा कोई संदर्भ नहीं है कि यह आयात विशेष रूप से अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए आयात भी लागू शुल्कों का भुगतान करने पर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में क्लीयर कराए जा सकते हैं। तदनुसार, इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ कुल आयातों पर विचार किया गया है।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विचाराधीन उत्पाद, जो कि अन्वेषण के लिए लिया गया है को निम्नलिखित संशोधित रूप में पढ़ा जाय:-

"150 एमएम के बराबर अथवा उससे कम की सामान्य मोटाई और 600 एमएम के बराबर अथवा उससे अधिक की नामिनल चौड़ाई के अलाय अथवा गैर-अलाय की हाट रोल्ड फ्लैट शीट्स और प्लेट्स (क्वायल फार्म में हाट रोल्ड फ्लैट उत्पादों को छोड़कर) हैं, जिन्हें रिवर्सिविल प्लेट मिल या हाट स्ट्रिप मिल या टेंडेम मिल या स्टेकेल मिल या 2-हाई, 3-हाई, 4-हाई सहित विभिन्न प्रकार के रोलिंग कन्फिगरेशन युक्त किसी अन्य समान प्रक्रिया की मिल या क्लस्टर मिल को शामिल करते हुए किसी यूनिवर्सल प्लेट मिल या किसी अन्य समान हाट रोलिंग प्रक्रिया से रोल किया गया हो।" इन्हें एतद्वारा "पीयूसी" (विचाराधीन उत्पाद) कहा गया है और जो सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के अंतर्गत प्रशुल्क शीर्षक संख्या 7208 और 7225 (72254013, 72254019, 72254020, 72254030 और 72259900) के अंतर्गत वर्गीकरण करने योग्य हैं। इन उत्पादों में वे शीट्स और प्लेट्स भी शामिल हैं जिन्हें या तो सीधे हाट रोलिंग प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया गया हो या जिन्हें हाट रोल्ड क्वाइल से काटा गया हो/ कतरा गया हो। यह उत्पाद "रोल्ड" एज या "ट्रिम्ड" एज या "मिल्ड" एज या "शीयर्ड" एज या "लेजर कट" एज या "गैस कट" एज के रूप में प्राइम अथवा गैर-प्राइम कंडीशन में लोहा, अलाय या नॉन-अलाय स्टील के फ्लैट उत्पाद हैं। यह उत्पाद पिकिल्ड अथवा नान-पिकिल्ड (स्केन पास अथवा टेम्परिंग युक्त या उसके बिना) अथवा असामान्यीकृत अल्ट्रा-सोनिकली जांचे परखे अथवा गैर-जांचे परखे या आयल्ड या नान-आयल्ड आदि हो सकते हैं। यह उत्पाद "रोल्ड के रूप में" अथवा "थर्मो मैकेनिकली रोल्ड" अथवा "थर्मो मैकेनिकली कंट्रोल्ड रोल्ड" अथवा "कंट्रोल्ड रोल्ड" अथवा "नार्मलाइज्ड रोल्ड" अथवा "नार्मलाइज्ड" अथवा

किसी अन्य समान प्रक्रिया के रूप में हो सकते हैं। इन उत्पादों की पैटर्न रिलीफ में/ हाट रोलिंग के दौरान प्रत्यक्षत: प्राप्त विभिन्न प्रकार की चेकर्ड पैटर्न हो सकती है। यह उत्पाद सैंड ब्लास्टेड या शाट ब्लास्टेड या किसी अन्य समान प्रक्रिया के अध्यधीन हो सकते हैं। इन उत्पादों का अनुप्रयोग विभिन्न अंतिम प्रयोगों में किया जा सकता है जिनमें ढांचागत अनुप्रयोग, जनरल इंजीनियरिंग एवं फेब्रिकेशन, आटोमोटिव, अर्थमूविंग एवं माइनिंग इक्विपमेंट, भंडारण टैंक्स, न्यून प्रेसर के हीटर्स, ट्रीटर्स, टैंक तथा अन्य न्यून प्रेसर के वैसेल्स, अवसंरचना एवं विनिर्माण सेक्टर जैसे पत्तन, रेलवे, एयरपोर्ट, पुल, फ्लाईओवर्स, विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण सेक्टर, विंड मिल, शिप निर्माण और नावें, ट्यूब एवं अर्धठोस, द्रव एवं गैस का परिवहन करने के लिए पाइप विनिर्माण शामिल है परंतु इनका अनुप्रयोग इन्हीं तक सीमित नहीं है। निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया जाता है :

क) स्टेनलेस स्टील के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद;

ख) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस उद्योगों में पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन प्रणाली में प्रयुक्त पाइप विनिर्माण करने के लिए एक्स-52 और अन्य उच्चतर ग्रेडों की सम्पुष्टि करने वाली एपीआई ग्रेड की स्टील;

ग) आईएस 2002 और आईएस 2041 अथवा इसके समकक्ष विनिर्देशनों एसए 515, एसए 516, एसए 537, एसए 285, एसए 299 की सम्पुष्टि करने वाले बायलर्स और प्रेसर वैसेल्स का विनिर्माण करने के लिए हॉट रोल्ड प्लेटें;

घ) जेआईएस स्टैंडर्ड जी 3106 : 2008, एसएम 400 सी, एसएम 490 सी, एसएम 570, जेआईएस जी 3101 : 2015, एसस 400, एसएस 490, विशिष्ट अलाय स्टील ग्रेड एसए 203, एसए 302, एसए 533, एसए , एसए 537, एसए 542, 15 एम् ओ3, 20एम्एन एम् ओ एन आई 55, 9सी आर 1एम् ओ, वातावरणीय क्षरणरोधी स्टील ग्रेड जेआईएस जी 312522, कार्टेन 23, एएसटीएम ए 24224, एएसटीएम ए 58825 और एएसटीएम ए 60626

ङ) स्टील की प्लेटें जो 1:3 के घटते अनुपात (रिडक्शन रेशियो) को पूरा करती हों और जिनकी मोटाई 85 एमएम से अधिक हो;

च) सी 45, पी 20, 4140 ग्रेड की स्टील की विशेष ग्रेड की सामग्री;

छ) सिलिकान इलेक्ट्रिकल स्टील;

ज) क्लैडेड स्टील

झ) क्वेन्च्ड एवं टेम्पर्ड स्टील;

7. तदनुसार, यह भी धारित किया जाता है कि घरेलू रूप से उत्पादित विचाराधीन उत्पाद जांचाधीन उत्पाद से सभी रूपों में समान या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी वस्तु के दायरे के अंतर्गत आता है और घरेलू रूप से उत्पादित विचाराधीन उत्पाद 150 एमएम के बराबर अथवा उससे कम की सामान्य मोटाई और 600 एमएम के बराबर अथवा उससे अधिक की सामान्य (नामिनल) चौड़ाई युक्त (क्वाइल फार्म में हाट "रोल्ड फ्लैट उत्पादों को छोड़कर") अलाय अथवा गैर-अलाय स्टील की हाट रोल्ड फ्लैट शीट्स और प्लेट्स (पीयूसी के रूप में पूर्णतया परिभाषित) उत्पाद सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियम, 1997 के नियम 2(ड.) के अंतर्गत आयातित के समान उत्पाद हैं।

ख. घरेलू उद्योग (डीआई)

8. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के खंड (6)(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नवत परिभाषित किया गया है:

"(ख) "घरेलू उद्योग" का आशय उन उत्पादकों से होता है :

(i) जो भारत में समग्र रूप से समान वस्तु या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी वस्तु के समग्र रूप से उत्पादकों, या

(ii) जिनका भारत में समान उत्पाद या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी उत्पाद का सामूहिक रूप से उत्पादन भारत में उस घरेलू उत्पाद के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता हो।

9. यह आवेदन मैसर्स स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड; मैसर्स एस्सर स्टील इंडिया लिमिटेड, मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है और उनका उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन होता है और इसलिए वे प्रमुख उत्पादक हैं। यह तथ्य अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है।

तालिका-1

वर्ष	घरेलू उद्योग का उत्पादन (एमटी)	अखिल भारतीय उत्पादन (एमटी)	घरेलू उद्योग का हिस्सा (%)
2012-13	46,17,239	52,31,948	88
2013-14	41,03,109	52,86,002	78
2014-15	42,21,200	49,18,561	86
2015-16 (सितम्बर 2015 तक)	21,22,308	24,93,601	85
2015-16(वार्षिकीकृत)	42,44,616	49,87,202	85

10. तदनुसार, यह धारित किया जाता है कि आवेदक घरेलू उत्पादक सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनिमय, 1975 की धारा 8ख(6)(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा के अर्थात घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ग. सूचना का स्रोत :

11. इस जांचाधीन उत्पाद का भारत में आयात सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 72 के सीमाशुल्क प्रशुल्क शीर्षक 7208 और 7225 (72254013, 72254019, 72254020, 72254030 और 72259900) के अंतर्गत किया जाता है। यह रक्षोपाय जांच वर्ष 2012-13 से 2015-16 (अप्रैल से अगस्त, 2015 तक) तक के लिए डीजीसीआईएंडएस (वाणिज्य मंत्रालय) के आयात आंकड़ों के आधार पर शुरू की गई है। वर्ष 2012-13 से 2015-16 (सितम्बर 2015 तक) के घरेलू आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और वर्ष 2012-13 से 2015-16 (दिसम्बर 2015 तक) के घरेलू आंकड़ों का सत्यापन विभागीय अधिकारियों द्वारा स्थल दौरा करके आवश्यक समझी गई सीमा तक उत्पाद-शुल्क रिकार्डों के आधार पर किया गया है। विभिन्न पैरामीटरों के संबंध में अक्तूबर, 2015 से दिसम्बर, 2015 तक के आयात आंकड़े तथा घरेलू आंकड़े आवेदक द्वारा अपने लिखित प्रस्तुतिकरणों/प्रत्युक्तियों में प्रस्तुत किए गए हैं। कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि आईबीआईएस जैसी गैर-सरकारी एजेंसी से प्राप्त किए गए आयात आंकड़े प्रामाणिक एवं विश्वसनीय नहीं हैं और प्राधिकारी को केवल जेपीसी आंकड़ों पर ही विचार करना चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क भी दिया है कि आईबीआईएस आंकड़ों में आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया है जो घरेलू उद्योग के पक्ष में हैं।

12. यह उल्लेख किया जा सकता है कि महानिदेशक (रक्षोपाय) ने पिछली कई जांचों में पहले भी आईबीआईएस आंकड़ों का प्रयोग किया है। आईबीआईएस व्यापार में सूचना का भरोसेमंद स्रोत है और केवल यह आरोप लगा देना युक्तियुक्त नहीं है कि आंकड़े प्रामाणिक नहीं हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी स्रोत से प्राप्त आंकड़ों में एक निश्चित समय-सीमा होती है और यह अद्यतन अवधि के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए समय-समय पर यह जरूरी हो जाता है कि किसी भरोसेमंद गैर-सरकारी स्रोत से भी आंकड़े एकत्र किए जाएं। तथापि, जांच शुरूआत नोटिस के लिए किए गए विश्लेषण में डीजीसीआईएंडएस (वाणिज्य मंत्रालय) से प्राप्त आयात आंकड़ों का प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त, इस अंतिम जांच-परिणाम में भी विश्लेषण के लिए वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 (अप्रैल से सितम्बर, 2015 तक) के लिए डीजीसीआईएंडएस (वाणिज्य मंत्रालय) से प्राप्त आयात आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। जांच की अवधि के पश्चात के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए वर्ष 2015-16 (अक्तूबर 2015 से दिसम्बर, 2015 तक) की अवधि के लिए डीजीसीआईएंडएस (वाणिज्य मंत्रालय) से प्राप्त आयात आंकड़ों का ही प्रयोग किया जा रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराए गए लागत आंकड़े सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित हैं और उनका महानिदेशक (रक्षोपाय) के परामर्शदाता (लागत) द्वारा सत्यापन कर दिया गया है।

घ. जांच की अवधि (पीओआई) :

13. कुछ हितबद्ध पक्षकारों का विचार है कि जांच की अवधि का निर्धारण जांच शुरूआत नोटिस में तय किया गया था और महानिदेशक (रक्षोपाय) को अक्तूबर-दिसम्बर, 2015 तक की अवधि के लिए आयात आंकड़ों पर विचार नहीं करना चाहिए। कुछ हितबद्ध पक्षकारों का यह विचार भी है कि वित्त वर्ष 2015-16 के लिए छह माह के आंकड़े वर्ष की शेष अवधि के लिए घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन को दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है। घरेलू उद्योग ने उपर्युक्त तर्कों का सख्त विरोध किया है। इस संबंध में मैं यह पाता हूं कि रक्षोपाय जांच में जांच की किसी निश्चित अवधि की कोई संकल्पना नहीं है। तत्कालीन महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा दिनांक 6 सितम्बर, 1997 को जारी व्यापार नोटिस सं. एसजी/टीएन/1/97 के पैरा 5(i) में यह प्रावधान है कि सूचना तीन वर्षों की (अथवा उससे अधिक) अत्यधिक अभिनव अवधि के लिए प्रदान कराई जानी चाहिए जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हों। अत:, घरेलू उद्योग ने सितम्बर, 2015 तक के लिए उपलब्ध आयात आंकड़ों के आधार

पर यह याचिका दायर की थी। जांच की कार्रवाई के दौरान, घरेलू उद्योग ने दिसम्बर, 2015 तक अर्थात अत्यधिक अभिनव अवधि तक के आयात आंकड़े प्रदान कराए। इनको सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध कराया गया था। अत्यधिक अभिनव अवधि के आंकड़ों का प्रयोग करने की यह जरूरत डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय की अर्जेन्टीना-फुटवीयर रूलिंग से उत्पन्न हुई जहां यह धारित किया गया कि किसी प्राधिकारी को रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए आयातों का स्तर अचानक, तीव्र, अत्यधिक एवं अभिनव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह मानना ठीक नहीं है कि वर्ष 2015-16 के छह माह के आंकड़े वर्ष की शेष अवधि के लिए घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन को प्रदर्शित नहीं करते है। छह माह के आंकड़ों के आधार पर घरेलू उद्योग के निष्पादन के संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि यह अवधि पर्याप्त लंबी होती है।

14. इसके अतिरिक्त, यह भी प्रेक्षण किया गया है कि न तो सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और न ही सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 में विशेष रूप से "जांच की अवधि" को अथवा रक्षोपाय जांच के लिए अपेक्षित न्यूनतम अवधि को परिभाषित किया गया है। रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार में भी जांच की अवधि का चयन करने के लिए कोई सामान्य या विशिष्ट प्रावधान या दिशानिर्देश नहीं दिया गया है। तथापि, जांच की अवधि के मुद्दे को कोरिया के विरूद्ध यूएस लाइन पाइप मामले में (पैरा 7.196, 7.199 और 7.201) पैनल ने अपने निष्कर्ष में विस्तार से निपटारा किया है। इस मामले में पैनल ने यह निर्णय दिया कि यह आयातकर्ता देश के जांच अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि वह यह निश्चय करे कि "जांच की अवधि की दीर्घता" तथा उसके "विभज्जन" की अवधि क्या होगी :

> *"हम नोट करते हैं कि इस करार में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि रक्षोपाय जांच में जांच की अवधि कितनी लंबी होनी चाहिए, और न ही यह उल्लेख है कि विश्लेषण के प्रयोजनार्थ विभज्जन की अवधि क्या होनी चाहिए। इस प्रकार जांच की अवधि और इसके विभज्जन होने की अवधि जांचकर्ता प्राधिकारियों के विवेक पर छोड़ दी गई है। हमारे समक्ष उपस्थित मामले में आईटीसी द्वारा चीन की गई अवधि पांच वर्ष और छह माह थी, यह अवधि अर्जेन्टीना फुटवीयर रक्षोपाय में अर्जेन्टीना की जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की गई जांच की अवधि के समकक्ष है। तथापि, हम नोट करते हैं कि अपीलीय निकाय ने अपने जांच परिणाम में जांच की अवधि की लंबाई के संबंध में तर्क देने के लिए कोरिया पर भरोसा किया है, उसमें न केवल अवधि की लंबाई पर बल दिया गया है परंतु अभिनव आयातों पर फोकस होना चाहिए और न कि जांच की गई अवधि पर। लाइन पाइप जांच में आईटीसी ने न केवल अंतिम बिन्दु की तुलना में या जांच की अवधि की समग्र प्रवृत्ति की जांच की (जैसा कि अर्जेन्टीना ने अर्जेन्टीना फुटवीयर रक्षोपाय में जांच के लिए किया था)। इसने पूरे 5 वर्षों के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आयातों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया और यह भी विचार किया कि क्या अंतरिम 1998 की तुलना में अंतरिम 1999 में वृद्धि हुई थी। हमारा विचार है कि एक ऐसी अवधि का चयन करके जो 5 वर्ष छह माह की थी आईटीसी ने अनुच्छेद XIX और अनुच्छेद 2.1 से असंगत कार्य नहीं किया। यह निष्कर्ष निम्नलिखित विचारों पर आधारित है : प्रथम करार में ऐसा कोई विशिष्ट नियम नहीं है जिसमें जांच की अवधि की लंबाई बताई गई हों; द्वितीय, आईटीसी द्वारा चयनित अवधि अभिनव आयातों पर प्रकाश डालती है; और तृतीय, आईटीसी द्वारा चयनित अवधि, संवर्धित आयातों की मौजूदगी के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त दीर्घ है।" (पैरा 7.196, 7.199 और 7.201)।*

15. उपर्युक्त के मद्देनजर, इन तथ्यों और ऊपर उल्लिखित सूचना के स्रोत पर विचार करते हुए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ वर्ष 2012-13 से 2015-16 (सितम्बर 2015 तक की अवधि के आंकड़ों के आधार पर वार्षिकीकृत) तक की अवधि के लिए आंकड़ों को अपनाना उचित प्रतीत होता है।

ड. प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता

16. रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.2 तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली,1997 के नियम 7 में कतिपय सूचना को गोपनीय मानने का प्रावधान है। नियम में प्रावधान है कि किसी हितबद्ध पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन वास्तविक आधार पर करना अपेक्षित नहीं है जो कंपनी की गोपनीय सूचना हो और जिसका प्रकटन करने उक्त पक्षकार के व्यापारिक हितों को गंभीर क्षति पहुंचने की पूर्वावधारणा हो, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न हो और जिसका याचिकाकर्ता ने विगत में कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रकटन न किया हो।

17. मैं यह पाता हूं कि घरेलू उद्योग ने कुछ सूचना गोपनीय आधार पर प्रदान कराई है और प्रस्तुत की गई सूचना/आंकड़ों की गोपनीयता की मांग की है। घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय नियमावली, 1997 तथा दिनांक 06.09.1997 के व्यापार नोटिस संख्या एसजी/टीएन/1/97 के प्रावधानों के अनुसार रक्षोपाय साधन का अनुप्रयोग करने के लिए आवेदनपत्र के गोपनीय और अगोपनीय उपलब्ध कराए हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने आवेदन दायर करते समय गोपनीयता का दावा किया है, यथा दावाकृत स्वीकार कर लिया गया।

च. संवर्धित आयात :

18. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के केंद्रीय सरकार के अधिकारों का उल्लेख करती है और इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करती है :

"(1) यदि केंद्रीय सरकार, ऐसी जांच जिसे वह उचित समझे करने के पश्चात इस तथ्य से संतुष्ट है कि किसी वस्तु का भारत में इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में आयात किया जा रहा है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो तो यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर सकती है।"

19. नियमों में यह अधिदेशित किया गया है कि रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग करने के आयातों में वृद्धि होना एक आधारभूत पूर्वापेक्षा है। अत:, यह निर्धारित करना कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि "इतनी अधिक मात्रा" में वृद्धि हुई है कि उस पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना जरूरी हो, तो नियमों में यह विश्लेषण करने की अपेक्षा की गई है कि आयातों में यह वृद्धि संपूर्ण रूप में अथवा घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में हुई है।

20. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 2 में "संवर्धित मात्रा" की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है :

"(ग) संवर्धित मात्रा में आयातों में वृद्धि संपूर्ण रूप में या घरेलू उद्योग के संगत रूप में हुई वृद्धि होती है।"

21. आयातों में वृद्धि की प्रकृति के संबंध में पैनल के विपरीत अर्जेन्टीना फुटवीय (ईसी) में अपीलीय निकाय ने अधिवचन किया है कि आयातों में यह वृद्धि अभिनव, अचानक, तीव्र एवं इतनी अधिक मात्रा में हो कि उससे क्षति कारित हो सके या क्षति की चुनौती उत्पन्न हो सके। वहां से लिया गया संगत उद्धरण निम्नलिखित है :

"131. यह निर्धारण कि क्या आयातों में 'इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि की जरूरत पूरी होती है या नहीं केवल गणितीय या तकनीकी निर्धारण नहीं होता है। दूसरे शब्दों में किसी जांच के लिए साधारण रूप से यह प्रदर्शित करना ही पर्याप्त नहीं होगा कि इस उत्पाद के आयात इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अथवा पांच वर्ष पहले हुए की तुलना में में अधिक हुए हैं। पुन: और यह दोहराया गया प्रतीत होता है कि केवल आयातों की कोई संवर्धित मात्रा ही पर्याप्त नहीं होगी। आयातों में वृद्धि इतनी अधिक मात्रा में हुए हो कि उससे रक्षोपाय साधन का अनुप्रयोग करने के लिए अपेक्षित घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न करने की जरूरत पूरी होती हो और रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 तथा गाट 1994 के अनुच्छेद XIX:1 (क) दोनों की भाषा यह अपेक्षा करती है कि आयातों में यह वृद्धि पर्याप्त अभिनव, पर्याप्त अचानक, पर्याप्त तीव्र और बहुत अधिक मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूपों में हुई हो जिससे कि गंभीर क्षतिकारित की गई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो।"

22. यूएस-व्हीट ग्लुटेन में पैनल ने पदबंध" इतनी संवर्धित मात्रा में" का निर्वचन निम्नवत किया है।

"8.31 गाट 1994 का अनुच्छेद XIX:1(क) तथा रक्षोपाय संबंधी करार ("एसए") के अनुच्छेद 2.1 में आयातों में केवल "वृद्धि" का ही उल्लेख नहीं है। परंतु उनमें विचाराधीन उत्पाद के आयातों में "वृद्धि" की गुणात्मक एवं परिमाणात्मक प्रकृति के बारे में विशिष्ट अपेक्षाओं का उल्लेख है। गाट 1994 का अनुच्छेद XIX:1(क) तथा एसए के अनुच्छेद 2.1 यह अपेक्षा करते हैं कि संवर्धित सदस्य के भू-भाग में इस उत्पाद का आयात इतनी अधिक संवर्धित मात्रा (घरेलू उत्पादन के संगत अथवा समग्र रूप में) में किया गया हो कि उनसे गंभीर क्षति कारित हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो। इस प्रकार, आयातों में कोई भी वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी। बल्कि, हम अर्जेन्टीना फुटवीयर रक्षोपाय में अपीलीय निकाय के इस जांच परिणाम से सहमत हैं कि यह वृद्धि गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों रूपों में पर्याप्तत: अभिनव, अचानक, तीव्र एवं इतनी अधिक होनी चाहिए कि उससे गंभीर क्षति हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो।"

23. विचाराधीन उत्पाद के संवर्धित आयातों का विश्लेषण उपर्युक्त विधि और डब्ल्यूटीओ न्याय प्रणाली को ध्यान में रखकर किया गया है।

समग्र रूप से संवर्धित आयात :

24. इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों की प्रवृत्ति का विश्लेषण ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में किया गया है। इस विचाराधीन उत्पाद का भारत में आयात चीन जन.गण., इंडोनेशिया, रूस, उक्रैन, जापान और कोरिया सहित कई देशों से किया गया। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि इन आयातों में वास्तवि में अचानक एवं तीव्र वृद्धि नहीं हुई है जैसी डब्ल्यूटीओ करार में अपेक्षा की गई है।

25. इस संबंध में, मैं यह पाता हूं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई इस आपत्ति में कोई दम नहीं है क्योंकि वर्ष 2012-13 से 2015-16 (सितम्बर 2015 तक के) तक की अवधि के जांच की अवधि के लिए डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात आंकड़ों का विश्लेषण करने से निम्नवत स्पष्ट होता है :

तालिका-2

वित्तीय वर्ष	कुल आयात (एमटी)	प्रवृत्ति
2012-13	6,01,667	100
2013-14	3,23,723	54
2014-15	599891	100
2015-16 (सितम्बर, 2015 तक)	384993	
2015-16 (वार्षिकीकृत)	769986	128

26. उपर्युक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि आयातों में समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई क्योंकि यह आयात वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान 601669 एमटी से बढ़कर वर्ष 2015-16 (वार्षिकीकृत) के दौरान 769986 एमटी हो गए।

उत्पादन के संबंध में आयात

27. जांच की अवधि के दौरान इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में अखिल भारतीय उत्पादन की तुलना में भी भारी वृद्धि हुई। कुल उत्पादन की तुलना में यह आयात वर्ष 2012-13 के दौरान 6 प्रतिशत थे जो बढ़कर वर्ष 2015-16 (वार्षिकीकृत) में 15 प्रतिशत हो गए।

तालिका-3

वित्तीय वर्ष	कुल आयात (एमटी)	अखिल भारतीय उत्पादन (एमटी)	कुल उत्पादन के संबंध में आयात (%)
2012-13	6,01,667	52,31,948	11
2013-14	3,23,723	52,86,002	6
2014-15	5,99,891	49,18,561	12
2015-16 (सितम्बर, 2015 तक)	3,84,993	24,93,601	15
2015-16 (वार्षिकीकृत)	7,69,986	49,87,202	15

28. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि जांच की अत्यधिक अभिनव अवधि के दौरान समग्र रूप से और घरेलू उत्पादन के संबंध में, दोनों रूपों से, अचानक तीव्र एवं अत्यधिक वृद्धि हुई है।

छ. गंभीर क्षति एवं गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण

29. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख की उपधारा 6(ग) में गंभीर क्षति को निम्नवत परिभाषित किया गया है।

"गंभीर क्षति" से आशय उस क्षति से है जिससे घरेलू उद्योग की स्थिति में समग्र ह्रास होता हो।"

30. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख की उपधारा 6(घ) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :

"गंभीर क्षति की चुनौती" से आशय गंभीर क्षति का स्पष्ट एवं आसन्न खतरे से है।"

31. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 8 के अनुबंध के पैराग्राफ 1 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :

"जांच में यह निर्धारण करने के लिए कि क्या निरूपित उद्योग को गंभीर क्षति संवर्धित आयातों से हुई अथवा संवर्धित आयात गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं, महानिदेशक उन सभी संगत कारकों का उद्देश्यपरक एवं परिमाणनीय प्रकृति का मूल्यांकन करेंगे जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, और इनमें खासकर संबंधित वस्तु के आयातों में संपूर्ण एवं संगत के रूप में दर

एवं राशि में वृद्धि, बढ़े हुए आयातों द्वारा घरेलू उद्योग में हासिल किया गया हिस्सा, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ एवं हानि तथा रोजगार के स्तर में परिवर्तन के संबंध में जांच शामिल होगी।"

32. घरेलू उद्योग के समग्र परिक्षयण के संबंध में इस पैनल के विपरीत अर्जेन्टीना फुटवीयर (ईसी) में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि प्रत्येक सूचीबद्ध फैक्टर का विश्लेषण अनिवार्यत: यह नहीं दर्शाएगा कि ऐसे प्रत्येक कारक में "गिरावट" आ रही है जिससे कि गंभीर क्षति का निर्धारण किया जा सके। संगत उद्धरण निम्नलिखित हैं :

"139 हमारे विचार से, यदि घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन, उन संगत कारकों के आधार पर किया जाता है जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, तभी यह निर्धारित किया जा सकता है कि क्या घरेलू उद्योग की स्थिति में "भारी समग्र अवक्षयण" हुआ है। यद्यपि, अनुच्छेद 4.2(क) में तकनीकी रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करने के लिए कतिपय सूचीबद्ध कारकों तथा अन्य संगत कारकों की जांच की जानी चाहिए। तथापि, इन प्रावधानों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस मूल्यांकन से क्या प्रदर्शित होना चाहिए। स्पष्टत: इस तरह का कोई भी मूल्यांकन विभिन्न उद्योगों के लिए किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों के तथा संबंधित उद्योग की परिस्थिति के आधार पर भिन्न-भिन्न मामलों में भिन्न-भिन्न होगा। प्रत्येक सूचीबद्ध कारक का मूल्यांकन अनिवार्यत: यह प्रदर्शित नहीं करेगा कि ऐसे प्रत्येक कारक में "गिरावट" आ रही है। उदाहरण के लिए एक मामले में बिक्री, रोजगार और उत्पादकता में भारी गिरावट हो सकती है जिससे घरेलू उद्योग को समग्र "भारी समग्र अवक्षयण" प्रदर्शित होती हो और इसलिए गंभीर क्षति के संबंध में निष्कर्ष निकालना, न्यायोचित होगा। इसी तरह, दूसरे मामले में हो सकता है कि कतिपय कारकों में गिरावट न आ रही हो परंतु ऐसे होते हुए भी समग्र परिदृश्य घरेलू उद्योग को "भारी समग्र अवक्षयण" प्रदर्शित कर रहा हो। अत: इस तथ्य की तकनीकी जांच के अतिरिक्त कि क्या सक्षम प्राधिकारी ने किसी विशिष्ट मामले में उन सभी सूचीबद्ध कारकों और कुछ अन्य संगत कारकों का मूल्यांकन किया है, हमारा विश्वास है कि "गंभीर क्षति" के किसी भी निर्धारण की अपनी समीक्षा में रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.1(क) में "गंभीर क्षति" की परिभाषा को ध्यान में रखना अनिवार्य है।

33. तदुनसार, गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती का विश्लेषण करने में, नियमों में उल्लिखित सभी कारकों तथा गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करने के लिए संगत सभी कारकों पर विचार किया गया। गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत कारकों के आलोक में किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया गया है, जो निम्नलिखित है :

क. **उत्पादन :** अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग का उत्पादन जो वर्ष 2012-13 में 4617239 एमटी था, घटकर वर्ष 2015-16 (वार्षिकीकृत) में 4244616 एमटी रह गया।

तालिका-4

वर्ष	घरेलू उद्योग का उत्पादन (एमटी)	प्रवृत्ति
2012-13	46,17,239	100
2013-14	41,03,109	89
2014-15	42,21,200	91
2015-16 (सितम्बर, 2015 तक)	21,22,308	
2015-16 (वार्षिकीकृत)	42,44,616	92

ख. **बिक्री के स्तर में परिवर्तन :** अधोलिखित तालिका से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री वर्ष 2012-13 में 3655162 एमटी थी, जो घटकर वर्ष 2013-14 में 3468496 एमटी रह गई। इसके अतिरिक्त, आवेदक की बिक्री वर्ष 2015-16 (वार्षिकीकृत) के दौरान बढ़कर 3710488 एमटी हो गई जैसा अधोलिखित तालिका में दिया गया है :

तालिका-5

वित्तीय वर्ष	कुल आयात (एमटी)	घरेलू उद्योग की बिक्री (एमटी)	घरेलू उद्योग की ग्राही खपत (एमटी)	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री (एमटी)	कुल मांग (एमटी)		बाजार हिस्सा (%)	
						प्रवृत्ति	घरेलू उद्योग	आयात
2012-13	6,01,667	36,55,162	3,83,956	5,36,201	51,76,986	100	71	12
2013-14	3,23,723	34,68,496	1,46,323	9,94,887	49,33,429	95	70	7
2014-15	5,99,891	37,05,573	1,31,978	6,39,349	50,76,791	98	73	12
2015-16 (वार्षिकीकृत)	7,69,986	37,10,488	2,18,784	6,94,669	53,93,927	104	69	14

ग. **बाजार हिस्सा** : उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 में आयातों का बाजार हिस्सा 12 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2015-16 (वार्षिकीकृत) के दौरान 14 प्रतिशत हो गया जबकि उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 71 प्रतिशत से घटकर 69 प्रतिशत रह गया।

घ. **क्षमता उपयोग :** घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जांच की अवधि के दौरान 60 प्रतिशत से घटकर 49 प्रतिशत रह गया जैसाकि अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है :

तालिका-6

वित्तीय वर्ष	संस्थापित क्षमता (एमटी)	क्षमता उपयोग (%)
2012-13	77,38,198	60
2013-14	81,67,598	50
2014-15	83,14,265	51
2015-16 (सितम्बर, 2015 तक)	43,03,796	
2015-16 (वार्षिकीकृत)	86,07,592	49

ड. **रोजगार तथा उत्पादकता :** क्षति अवधि के दौरान रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है जबकि प्रति कर्मचारी उत्पादकता की प्रवृत्ति घट रही है, जैसाकि अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है :

तालिका-7

वित्तीय वर्ष	घरेलू उद्योग का उत्पादन (एमटी)	कर्मचारियों की संख्या (अनुक्रमित)	प्रति कर्मचारी उत्पादकता (एमटी) (अनुक्रमित)
2012-13	46,17,239	100	100
2013-14	41,03,109	110	80
2014-15	42,21,200	117	78
2015-16 (वार्षिकीकृत)	42,44,616	125	73

च. **लाभ एवं हानि (अनुक्रमित) :** घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 2015-16 (सितम्बर, 2015 तक) के दौरान गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को घाटा हुआ है। यह अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है :

तालिका-8

वित्तीय वर्ष	लाभप्रदता (रुपए/एमटी) (अनुक्रमित)
2012-13	100
2013-14	70
2014-15	52
2015-16 (सितम्बर, 2015 तक)	(150)

छ. **अन्य महत्वपूर्ण घटक :**

(i) **मालसूची :** मालसूची जो वर्ष 2012-13 में 100 बिंदु थी बढ़कर वर्ष 2015-16 (सितम्बर, 2015 तक) में 109 बिंदु हो गई, जैसा अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है :

तालिका-9

वित्तीय वर्ष/तिमाही	मालसूची (एमटी)	मालसूची (एमटी) (अनुक्रमित)
2012-13	2,56,812	100
2013-14	3,13,029	122
2014-15	2,88,941	113
2015-16 (सितम्बर, 2015 तक)	2,80,751	109

(ii) **कीमत अधोरदन, निग्रहण/अवमंदन**

क. घरेलू उद्योग हमेशा इस दबाव के अंतर्गत रहा कि वह अपनी कीमत को आयात कीमत के बराबर करने के लिए घटा दे या अपनी कीमत को होल्ड कर दे। संवर्धित आयातों का अभूतपूर्व अधिक मात्रा में आगमन इतना था कि कीमत को घटाने के बाद भी घरेलू उद्योग अपने बाजार हिस्से को बनाए रखने में सक्षम नहीं रहा। इसके कारण घरेलू उद्योग को वर्ष 2015-16 (सितम्बर, 2015 तक) भारी घाटा हुआ। आयातों की उतराई कीमत, बिक्री लागत और बिक्री प्रापण में अंतर निम्नवत है :

तालिका-10

वित्तीय वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आयातों की उतराई कीमत (रुपए/एमटी) (अनुक्रमित)	100	97	98	81
बिक्री लागत (रुपए/एमटी) अनुक्रमित	100	99	103	101
बिक्री प्रापण (रुपए/मात्रा) (अनुक्रमित)	100	98	101	88
कीमत अधोरदन (रुपए/एमटी) अनुक्रमित	(100)	(85)	(76)	(16)
लाभ/हानि (रुपए/एमटी) अनुक्रमित	100	70	52	(150)

ख. उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को आयातों की उतराई कीमत से समानता बनाने के लिए मजबूर किया गया और तदनुसार बिक्री प्रापण ने भी उतराई कीमत के समान प्रवृत्ति का अनुपालन किया। उपर्युक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि बिक्री लागत में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 (सितम्बर, 2015 तक) तक 1 अनुक्रमित बिंदु की बढ़ोतरी हो गई जबकि घरेलू उद्योग का बिक्री प्रापण उसी अवधि के दौरान 12 अनुक्रमित बिंदु घट गया। यह कीमत निग्रहण का एक गंभीर उदाहरण दर्शाता है। लाभप्रदता इंडेक्स भी जो वर्ष 2012-13 में 100 बिंदु था वर्ष 2015-16 (सितम्बर, 2015 तक) में (150) हो गया।

34. उपर्युक्त सभी कारकों की जांच यह दर्शाती है कि लाभप्रदता में भारी गिरावट आई है जिससे घाटा हुआ और संवर्धित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई और आयात कीमतों में गिरावट के कारण भारी वित्तीय घाटे के रूप में गंभीर क्षति हुई।

35. हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुत किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति उनके अपने निजी आंतरिक कारणों से हुई है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- भारी ऋणों के कारण उच्च ब्याज लागत
- उच्च श्रमिक एवं विद्युत लागत
- पुरानी प्रविधि का प्रयोग

36. घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि इस्पात उद्योग जैसे पूंजी गहन उद्योग में निधियां उधार लेना एक सामान्य परम्परा है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रचलित दरों पर ब्याज का भुगतान करता है और बाजार कीमतों के अनुरूप विद्युत लागत देता है। इसके अतिरिक्त, भारत में शेष विश्व की तुलना में सस्ती दरों पर श्रमिक उपलब्ध हैं। यह प्रस्तुतिकरण भी किया जाता है कि घरेलू उद्योग भी उसी प्रविधि का प्रयोग कर रहा है जिसका प्रयोग अन्य देशों के उद्योग कर रहे हैं। इस संबंध में मैं यह प्रेक्षण करता हूं कि यह सब दावे सामान्य प्रवृत्ति के हैं और इनके समर्थन में कोई तथ्य एवं आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। यह तथ्य पहले से सिद्ध कर दिया गया है कि भारत में इस विचाराधीन उत्पाद का संवर्धित मात्रा में आयातों के कारण क्षति कारित हुई है। मैं यह पाता हूं कि घरेलू उद्योग अनेक वर्षों से मौजूदगी में है और विगत वर्षों में इसने अच्छा काम किया है। इस विचाराधीन उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त अवसंरचना एवं सुविधाएं हैं। कतिपय क्षेत्रों में अकुशलता की मौजूदगी मात्र से ही घरेलू उद्योग को रक्षोपाय शुल्क का संरक्षण प्रदान करने से मना नहीं किया जा सकता है। रक्षोपाय संरक्षण की मांग किए जाने और दिए जाने का एकमात्र कारण रक्षोपाय विधि में दिया गया है और वह है कि घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम है तथा आने वाले समय में उसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की बराबरी करने में कुछ समय लगेगा। मुख्य निर्धारक तत्व यह है कि गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न होनी चाहिए और इसका संवर्धित आयातों के साथ कारणात्मक संबंध हो। मैं यह प्रेक्षा करता हूं कि संबद्ध वस्तु के आयातों में भारी वृद्धि हुई है जिसके कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई और इस क्षति का साक्ष्य पिछले पैराग्राफों में विधिवत रूप से उपलब्ध करा दिया गया है।

37. **मुक्त व्यापार करार :** हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि चूंकि भारत ने जापान, इंडोनेशिया और कोरिया आरपी के साथ मुक्त व्यापार करारों ("एफटीए") पर हस्ताक्षर किए है, इसलिए इन एफटीए के अंतर्गत शुल्क की रियायती दरों के कारण संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि हुई है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों का विचार है कि भारत के एफटीए भागीदार देशों जैसे जापान इंडोनेशिया और कोरिया आरपी के साथ हुए आयात की मात्रा को विश्लेषण करने के लिए कुल आयातों से अपवर्जित दिया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि इन देशों अत्यधिक अभिनव अवधि में भारी मात्रा में आयात हुए हैं और यह आयात अनुचित रूप से अत्यधिक कम कीमत पर किए गए हैं जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हुई है। मैंने यह पाया है कि जापान, इंडोनेशिया और कोरिया आरपी से आयातों में वृद्धि अपने-अपने एफटीए के अंतर्गत न्यून सीमाशुल्क के कारण हुई है। इन देशों से अत्यधिक अभिनव अवधि में भारी मात्रा में आयात किए गए और यह आयात अत्यधिक कम कीमत पर किए गए हैं जिसके कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। तथापि, इन मुक्त व्यापार करारों में विशिष्ट प्रावधान हैं जो भारत को रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की अनुमति देते हैं। अत:, जांच के दौरान इन देशों से आयातों को विश्लेषण के लिए अपवर्जित नहीं किया जा सकता है।

38. **सूचना की यथार्थता एवं यथेष्टता :** कुछ हितबद्ध पक्षकारों का विचार है कि महानिदेशक (रक्षोपाय) ने सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 ("नियम") के नियम 5(3) का अनुपालन नहीं किया। इन हितबद्ध पक्षकारों का तर्क है कि याचिका में उन आयात आंकड़ों को साफ-साफ नहीं दर्शाया गया है जिनके कारण जांच शुरूआत करना अधियाचित हुआ। यह तर्क दिया गया कि अभिनव अवधि के छह माह के आंकड़े पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं और महानिदेशक, रक्षोपाय इस याचिका में साक्ष्यों की यथार्थता एवं यथेष्टता की जांच करने में असफल रहे हैं। यह तर्क दिया गया कि रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 और अनुच्छेद 4.2(क) की शर्तों के अनुसार आयातों में वृद्धि का कोई साक्ष्य नहीं है और इसी तरह अनुच्छेद 4.1(क) की शर्तों के अनुरूप गंभीर क्षति का भी कोई साक्ष्य नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि घरेलू उद्योग की प्रगति में गिरावट के कुछ संकेतक रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.2(ख) के आशय के अंतर्गत अन्य कारक है। मैं यह प्रेक्षा करता हूं कि उपर्युक्त तर्क पूर्णतया निराधार हैं क्योंकि याचिका में इस आशय के प्रथमदृटया साक्ष्य प्रदान करा दिए गए जो यह अभिव्यक्त करते हैं कि इस संबद्ध वस्तु के आयातों में अत्यधिक अभिनव अवधि में अचानक, तीव्र और भारी वृद्धि हुई है जिसके कारण इस संबत्र जांच की तत्काल शुरूआत करना अधिपत्रित हो गया। यह याचिका रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1, 4.1(क) और 4.2(ख) के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सुझाव मिलता हो कि घरेलू उद्योग को क्षति रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.2(ख) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अन्य कारकों के कारण हुई है।

39. **कच्चे माल की कीमतों में गिरावट इस्पात की कीमतों में गिरावट को न्यायोचित ठहराती है :** हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि कच्चे माल की कीमत में 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक की गिरावट आई है और इसके परिणामस्वरूप ही संबद्ध वस्तु की कीमत में भी गिरावट हुई है। इसलिए, आयात कीमत को कम नहीं माना जा सकता है और घरेलू उद्योग को चाहिए कि वह कच्चे माल की कीमत में इस

गिरावट को अपने हाट-रोल्ड उत्पादों में भुना लेता। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क भी दिया है कि याचिकाकर्ताओं की घरेलू कीमतें निर्यात कीमतों की तुलना में बहुत अधिक हैं। घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि उनहोंने कच्चे माल की कीमतों में कमी आने के अनुरूप ही अपने माल की कीमत में पहले ही कमी कर दी है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों को इस तर्क में कि कच्चे माल की कीमतों में प्रपाती गिरावट आई है, इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि फैक्टरी तक कच्चे माल की परिवहन लागत क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान बहुत बढ़ गई है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क सही नहीं है। कच्चे माल की कीमत में समग्र गिरावट हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावाकृत गिरावट की तुलना में बहुत कम है। इसके अतिरिक्त, परिष्कृत उत्पाद की कीमत में उसी अनुपात में कमी नहीं की जा सकती है जिस अनुपात में कच्चे माल की कीमत में कमी आई है क्योंकि कच्चे माल की कीमत कुल उत्पादन लागत का एक भाग होती है। इस संबंध में मैं यह पाता हूं कि अभिनव में आयात सकलत: अत्यधिक कम कीमत पर किए गए और घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें इन कीमतों के बराबर करने के लिए इस हद तक मजबूर किया गया कि उनकी कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी कम हो गईं। मैंने सत्यापित घरेलू आंकड़ों की जांच भी की है और यह पाया है कि घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत भी वर्ष 2014-15 और 2015-16 (सितम्बर, 2015 तक) तक की अत्यधिक अभिनव अवधि के दौरान घरेलू कीमतों से न्यूनतर नहीं थीं। इसके अतिरिक्त, मैं घरेलू उद्योग के इस अभिकथन से भी सहमत हूं कि इस्पात उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय कीमतें चीन जन.गण., रूस और उक्रैन जैसे देशों द्वारा भारी पाटन किए जाने के कारण पहले से ही निग्रहित है और तदनुसार ही घरेलू उद्योग की निर्यात कीमतें भी निग्रहित हो गईं। इसका आशय यह नहीं है कि घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में भी अपने उत्पाद की बिक्री निग्रहित कीमतों पर ही करे।

40. **तथ्यों का मिथ्या निरूपण** : हितबद्ध पक्षकारों ने, घरेलू उद्योग के संघटकों की वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए आंकड़ों पर विश्वास करते हुए, यह आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग ने आवदेन में तथ्यों का मिथ्या निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह प्रस्तुतिकरण भी किया कि कंपनियों के वार्षिक प्रतिवेदन लाभप्रदता और बिक्री के संबंध में रक्षोपाय आवेदन में दिए गए आंकड़ों की तुलना में बेहतर तस्वीर प्रदर्शित करते हैं। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि हितबद्ध पक्षकार इस तथ्य का विश्लेषण करने में असफल रहे कि वार्षिक रिपोर्टें उद्योग की समग्र रूप से व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। घरेलू उद्योग की संघटक कंपनियां बहु उत्पाद कंपनियां हैं और वार्षिक रिपोर्टों में प्रस्तुत किए गए आंकड़े उन समस्त प्रचालनों से संबंधित है। वर्तमान रक्षोपाय जांच के प्रयोजनार्थ केवल इस विचाराधीन उत्पाद के आलोक में ही ब्रिकी लाभप्रदता तथा अन्य मात्रा एवं कीमत पैरामीटरों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। मैं घरेलू उद्योग के इस अभिकथन से सहमत हूं क्योंकि इस विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सभी आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा पहले ही प्रदान कराए जा चुके हैं जिनका सत्यापन प्रक्रिया के दौरान विधिवत सत्यापन किया गया। इसलिए मैं संतुष्ट हूं कि तथ्यों का कोई मिथ्या निरूपण नहीं किया गया है जैसा हितबद्ध पक्षकारों ने उल्लेख किया है।

41. **समर्थनकर्ताओं का बेहतर निष्पादन** : हितबद्ध पक्षकारों ने यह उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग के समर्थनकर्ताओं ने बेहतर निष्पादन किया है। समर्थनकर्ताओं के उत्पादन, लाभप्रदता एवं बिक्री की सकारात्मक एवं संवर्धित प्रवृत्ति है। इसलिए घटते उत्पादन, लाभप्रदता और घटती बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे मिथ्या है और उनमें कोई दकम नहीं है। इस संबंध में मैं यह पाता हूं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है जैसाकि याचिका में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है। मैं यह भी पाता हूं कि इस विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में समर्थनकर्ताओं का हिस्सा बहुत कम है क्योंकि इस विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन में घरेलू उद्योग के उत्पादन का हिस्सा 85 प्रतिशत है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों के दावे उचित नहीं है।

42. **भारतीय रुपए का अवमूल्यन** : हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि जांच की अवधि के दौरान भारतीय रुपए का भारी अवमूल्यन हुआ जिससे भारत को आयात करना अधिक खर्चीला और घरेलू रूप से अधिप्राप्त वस्तुओं की तुलना में कम अधिमान्य हो गया। वर्ष 2012 से 2016 के बीच भारतीय रुपए का 25 प्रतिशत से अधिक अवमूल्यन हुआ। घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि भारतीय रुपए में अवमूल्यन के बावजूद जांच की अवधि के दौरान आयात मात्रा में भारी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग यह प्रस्तुतिकरण करता है कि रूस, उक्रैन और इंडोनेशिया सहित निर्यातक राष्ट्रों की मुद्रा का अवमूल्यन भारतीय रुपए के अवमूल्यन की तुलना में अधिक हुआ। निर्यातक राष्ट्रों के मुद्रा मूल्य में तीव्र गिरावट ने भारत में संबद्ध वस्तु के संवर्धित आयातों को अनुकूल बनाया। इस संबंध में मैं घरेलू उद्योग से असहमत होने का कोई कारण नहीं देखता हूं।

43. **आयातों की कीमत** : जापान के कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुत किया कि याचिका में यथा दावाकृत जापान से आयातित वस्तु का उतराई मूल्य गलत है और उसका कोई साक्ष्य नहीं है। इस संबंध में मैं यह पाता हूं कि याचिका में दी गई आयात कीमत उस आयात सांख्यिकी पर आधारित है जिसे डीजी रक्षोपाय को पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था और यह कीमत सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, अंतिम विश्लेषण डीजीसीआईएंडएस (वाणिज्य मंत्रालय) द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात आंकड़ों पर आधारित है, जिनकी सांख्यिकी सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध है। मैंने यह प्रेक्षण भी किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई आयात सांख्यिकी और डीजीसीआईएंडएस (वाणिज्य मंत्रालय) द्वारा प्रदान कराई गई आयात सांख्यिकी, इन दोनों को ही दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 के जांच शुरूआत नोटिस के साथ सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया दावा निराधार है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

44. उपर्युक्त विश्लेषण से यह देखा जा सकता है कि इस विचाराधीन उत्पाद की भारत में मांग क्षति अवधि के दौरान बढ़ गई थी। मांग में इस वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग के उतपादन में कमी आई जबकि आधार वर्ष की तुलना में मालसूची में कुछ वृद्धि हुई। इस संबद्ध वस्तु की

मांग में हुई वृद्धि के संपूर्ण हिस्से पर आयातों ने कब्जा कर लिया। घरेलू उद्योग ने भारत में इस बढ़ती मांग की पूर्व-कल्पना करते हुए अपनी क्षमताओं में वृद्धि की थी। तथापि, घरेलू उद्योग अपने क्षमता उपयोग एवं उत्पादन में वृद्धि करने में अक्षम है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भारी कमी आई और वर्ष 2015-16 (सितम्बर, 2015 तक) में तो यह कमी घाटे में परिवर्तित हो गई। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट का एक बहुत बड़ा कारण कम कीमत पर आयातों में वृद्धि होना है। यदि यही प्रवृत्ति जारी रहती है तो घरेलू उद्योग को भय है कि उसे अपने प्रचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

45. इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में भारी वृद्धि हुई है। आयातों में इस भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति सहन करनी पड़ी है। घरेलू उद्योग ने आयातों के विपरीत कार्य किया और इसके वित्त में गिरावट आने के साथ-साथ इसका लाभ घाटे में परिवर्तित हो गया।

46. इस प्रकार, उन सभी संगत कारकों के आलोक में जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट होता है कि इसकी स्थिति में "भारी समग्र परिक्षयण" हुआ। अत: यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है।

47. आयातों में इस अचानक वृद्धि के कारण और भारत में प्रवेश होने वाले आयातों की मात्रा की अत्यधिक अभिनव प्रवृत्ति दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई है। आयातों की इस मात्रा में, पहले से ही अत्यधिक उच्च स्तर पर होने के बावजूद भारी वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान आयातों के बाजार हिस्से में भी वृद्धि हुई। विदेशी उत्पादकों के पास उपलब्ध उत्पादन की बेशी क्षमताओं पर विचार करते हुए ऐसी आशा है कि इन आयातों में लगातार वृद्धि होती रहेगी जैसाकि अधोलिखित रूप में जाचं किए जा रहे जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के विश्लेषण से स्पष्ट हैं। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को और भी अधिक क्षति होगी। आयातों में और अधिक वृद्धि होने की संभावना से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू बाजार में और अधिक गंभीर क्षति होने की चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। इस तथ्य के मद्देनजर कि घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में लाभदायक बिक्रियां करने में सक्षम नहीं है, मेरा यह विचार है कि रक्षोपाय शुल्क के उद्ग्रहण के अभाव में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का सामना करना पड़ेगा और उसको अधिक गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो जाएगी।

ज. न्यूनतम आयात कीमत से संबंधित मुद्दे :

48. कई हितबद्ध पक्षकारों का यह विचार है कि चूंकि न्यूनतम आयात कीमत ("एमआईपी") प्रभावी हो गई है, इसलिए मौजूदा जांच व्यर्थ है। हितबद्ध पक्षकारों का यह विचार है कि एमआईपी घरेलू उद्योग की क्षति का प्रभावकारी ढंग से निराकरण करती है और घरेलू उद्योग को एमआईपी तथा रक्षोपाय शुल्क के रूप में दोहरा संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क है कि 5 फरवरी, 2016 की एमआईपी अधिसूचना से यह स्पष्ट नहीं होता है कि एमआईपी का अधिरोपण करते समय किन तथ्यों पर विचार किया गया था। कुछ हितबद्ध पक्षकारों का यह विचार है कि एमआईपी ने आयात कीमत में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है और चूंकि इस संबद्ध वस्तु पर 12.5 प्रतिशत का आधारभूत सीमाशुल्क भी लगा हुआ है, इसलिए घरेलू उद्योग को 62.5 प्रतिशत का संरक्षण प्राप्त है। हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क है कि एमआईपी और रक्षोपाय शुल्क दोनों का अधिरोपण करने से यह दोहरा जोखिम हो जाएगा और इसका परिणाम यह होगा कि भारत से आयात पूर्णतया समाप्त हो जाएंगे। इसका भारत में उपयोक्ता उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि सार्वजनिक सुनवाई के दौरान स्वयं घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया कि उसे दोहरे संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में मैं पाता जूं कि :

(i) वर्तमान जांच की विधित पवित्रता पर केवल इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि एमआईपी प्रभावी हो गई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान और अपने लिखित प्रस्तुतिकरण में तथा दिनांक 17 फरवरी, 2016 के पत्र में यह स्पष्ट कर दिया है कि महानिदेशक रक्षोपाय एमआईपी समाप्त होने की तारीख से रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश कर सकते हैं। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के स्पष्टीकरण का नासमझी से यह आशय निकाल लिया कि घरेलू उद्योग को रक्षोपाय शुल्क के रूप में किसी संरक्षण की जरूरत नहीं है।

(ii) एमआईपी अल्प अवधि के लिए लगाया गया एक उपाय है जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है। एमआईपी दिनांक 05 फरवरी, 2016 से छह माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक के लिए इनमें से जो भी पहले हो, वैध है। दूसरी ओर घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय शुल्क के रूप में चार वर्षों के लिए संरक्षण की मांग की है।

(iii) एमआईपी का अधिरोपण करते समय केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए गए तथ्यों के संबंध में हितबद्ध पक्षकार केंद्रीय सरकार से स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं।

(iv) हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि एमआईपी आयात कीमत में 50 प्रतिशत की वृद्धि की है तथा घरेलू उद्योग 62.5 प्रतिशत की सीमा तक संरक्षित है, घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि यह पूर्णतया साक्ष्यहीन है और तर्क के रूप में यदि इसे मान भी लिया जाता है कि एमआईपी का अधिरोपण होने के पश्चात आयात कीमत में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, इसका आशय केवल यह है कि उचित कीमत के आयातों तथा अनुचित रूप से अल्प कीमत के आयातों के बीच का अंतर कम हो गया है। इसका आशय यह है कि हितबद्ध पक्षकार यह स्वीकार करते हैं कि एमआईपी से पहले आयात कीमत भारत में घरेलू विनिर्माताओं

द्वारा प्रत्याशित उचित कीमत से 50 प्रतिशत कम है। इस संबंध में मैं हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता हूं कि कोई साक्ष्य/परिकलन प्रदान नहीं कराया गया है।

(v) इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि उन्होंने कभी इस तथ्य का पृष्ठांकन नहीं किया है कि एमआईपी और रक्षोपाय शुल्क दोनों एक साथ लागू किए जाएं। इस संबंध में मैं यह पाता हूं कि घरेलू उद्योग ने अपने दिनांक 17 फरवरी, 2016 के एक पत्र के तहत यह स्पष्ट कर दिया कि वे दोहरा संरक्षण नहीं चाहते हैं और महानिदेशक रक्षोपाय एमआईपी समाप्त होने की तारीखे से रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण कर सकते हैं।

झ. संवर्धित आयातों और गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध

49. सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 8 के अनुसार महानिदेशक (रक्षोपाय) का यह दायित्व है कि वह "इन नियमों के अनुबंध में निर्धारित सिद्धांतों को, अन्य बातों के साथ-साथ, ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति या गंभीर क्षति को चुनौती का निर्धारण करें।" इसके अतिरिक्त, अनुबंध के पैरा 2 में यह अपेक्षा की जाती है कि कथित संवर्धित आयातों तथा गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित किया जाए। नियम 8 के अनुबंध के पैरा 2 में निम्नलिखित प्रावधान है :

"पैराग्राफ (1) में उल्लिखित निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि जांच में उद्देश्यपरक साक्ष्य के आधार पर यह प्रदर्शित न हो जाए कि संबंधित वस्तु के संवर्धित आयातों तथा गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध है। परंतु साथ की जब संवर्धित आयातों के अलावा अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहे हों तो उस क्षति के लिए संवर्धित आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।"

50. कोरिया डेयरी पैनल ने "कारणात्मकता" का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित आधारभूत अधिगम निर्धारित किया है :

"अपना कारणात्मक संबंध आकलन करने में हमारा विचार है कि राष्ट्रीय प्राधिकारी को यह विश्लेषण करना और यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि क्या उद्योग में हुआ विकास, जिसे राष्ट्रीय प्राधिकारी ने गंभीर क्षति का प्रदर्शन करने के लिए विचारा है, संवर्धित आयातों के कारण कारित किया गया है। अपने कारणात्मक आकलन में राष्ट्रीय प्राधिकारी को उन सभी संगत कारकों का उद्देश्यपरक एवं परिमाणात्मक प्रकृति का मूल्यांकन करना होता है जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, यदि राष्ट्रीय प्राधिकारी ने संवर्धित आयातों के अलावा कुछ अन्य ऐसे कारक अभिज्ञात कर लिए हों जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इन कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए यह नहीं माना जाएगा कि वह क्षति संवर्धित आयातों द्वारा कारित की गई है। एक कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए कोरिया को यह प्रदर्शित करना कि इसकी घरेलू उद्योग को क्षति संवर्धित आयातों के कारण हुई है। दूसरे शब्दों में, कोरिया को यह प्रदर्शित करना पड़ा कि एसएमपीपी के आयातों द्वारा दुग्ध पावडर और अपरिष्कृत दुग्ध का उत्पादन करने वाली घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करने के उपरांत कोरियाई प्राधिकारियों की यह प्रतिबद्धता थी कि वह अन्य कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए संवर्धित आयातों को उत्तरदायी न ठहराएं।"

51. **क्षति पैरामीटरों और कारणात्मक संबंधों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क :** हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि घरेलू उद्योग गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति होने की चुनौती का सामना नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि आयातों में वृद्धि होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। उपर्युक्त के लिए हितबद्ध पक्षकारों ने जो कारण दिए हैं वह संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

क. <u>आयातों का बाजार हिस्सा क्षति कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है</u> : मैं यह पाता हूं कि आयातों में अचानक वृद्धि होना ही घरेलू उद्योग की क्षति होने का प्रमुख कारण है। इस विचाराधीन उत्पाद की कुल मांग (ग्राही मांग सहित) में आयातों का बाजार हिस्सा वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2015-16 में बढ़कर दो-गुना हो गया।

ख. <u>बाजार हिस्सा, बिक्री, उत्पादन, क्षमता, निवेश स्तर और मालसूची सहित सभी क्षति संकेतक स्थिर बने रहे और कुछ संकेतकों ने तो सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित की</u> :

- <u>क्षमता उत्पादन और क्षमता उपयोग</u> : इस संबंध में मैं यह पाता हूं कि घरेलू उद्योग ने भारत में इस संबद्ध वस्तु की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2013-14 तथा उत्तरवर्ती वर्षों के दौरान भारी निवेश किया था। तथापि, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जो वर्ष 2012-13 के दौरान 60 प्रतिशत था, घटकर वर्ष 2015-16 के दौरान 49 प्रतिशत ही रह गया। घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता थी। तथापि, घरेलू उद्योग भारत में इस विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि होने के बावजूद अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं रहा। घरेलू उद्योग की उपयोग न हुई इस क्षमता के पीछे का मुख्य कारण इस विचाराधीन उत्पाद के आयात हैं जिन्होंने भारत में बढ़ती मांग पर अपना कब्जा कर लिया।

- मालसूची स्तर : मैं यह देखता हूं कि बढ़ते आयात के लगातार दबाव के कारण घरेलू उद्योग की मालसूची का स्तर वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2015-16 (सितम्बर, 2015 तक) बहुत अधिक बढ़ गया। घरेलू उद्योग ने भारत में इस विचाराधीन उत्पाद की बढ़ती मांग की पूर्व कल्पना करते हुए अपनी क्षमताओं में वृद्धि की थी। तथापि, घरेलू उद्योग इस बढ़ती हुई मांग के अनुरूप अपने उत्पादन और अपनी बिक्री में वृद्धि करने में अक्षम रहा जिसके कारण क्षति अवधि के दौरान मालसूची का भारी संग्रहण हुआ।

- बिक्रियां : मैं यह पाता हूं कि घरेलू उद्योग की उच्चतर क्षमता तथा इस संबद्ध वस्तु की भारी मांग के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्रियां लगभग स्थिर ही बनी रहीं। वर्ष 2015-16 के दौरान, वर्ष 2014-15 की तुलना में मांग में 317136 एमटी की वृद्धि हो गई जबकि उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में केवल 4915 एमटी की ही वृद्धि हुई।

ग. डब्ल्यूटीओ करार द्वारा यथापेक्षित आयातों में वास्तविक अचानक और तीव्र वृद्धि नहीं हुई है : इस संबंध में मैंने यह देखा है कि रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़े स्पष्टत: यह प्रदर्शित करते हैं कि क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान इस संबद्ध वस्तु के आयातों में तेजी से वृद्धि हुई है। इन आयतों में अभिनव अवधि के दौरान मात्रा के रूप में तीव्र वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग आपातकालीन स्थिति का सामना कर रहा है और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह उम्मीद की जाती है कि वर्ष 2015-16 के दौरान आयात वर्ष 2014-15 के स्तर की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। वर्ष 2015-16 (सितम्बर, 2015 तक) के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह उम्मीद की जाती है कि इस संबद्ध वस्तु के वार्षिकीकृत आधार पर आयात बढ़कर 769986 एमटी हो जाएंगे जो वर्ष 2014-15 के स्तर में 28 प्रतिशत वृद्धि है। वर्ष 2014-15 में 599891 एमटी आयात हुए थे जो आयातों के अत्यधिक अचानक तीव्र, भारी एवं अभिनव वृद्धि है।

घ. वर्ष 2015 की तृतीय तिमाही के आंकड़े शामिल करना : हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि वर्ष 2015 की तीसरी तिमाही के आंकड़ों पर विचार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि वर्ष 2015-16 की तीसरी तिमाही के आंकड़ों पर विचार जांच की अवधि के पश्चात की अवधि की जांच करने के प्रयोजनार्थ ही किया गया है।

ङ. अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु तक का विश्लेषण यह नहीं दर्शाता है कि आयातों में कोई सतत वृद्धि हुई है : इस संबंध में मैं यह पाता हूं कि आर्थिक पैरामीटरों का विश्लेषण करने के लिए वर्ष-दर-वर्ष व्यापक विश्लेषण अपेक्षित होता है जिसे "कतिपय पैसेन्जर कार्स पर निर्णायक रक्षोपाय साधन – उक्रैन में डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट में धारित किया गया है। भारत में इस संबद्ध वस्तु के आयातों में लगातार वृद्धि होने की प्रवृत्ति ऊपर तालिका-2 में स्पष्ट है। आयातों में वृद्धि का निर्धारण करने के लिए अत्यधिक अभिनव अवधि अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

च. कोई कारणात्मक संबंध नहीं : इस संबंध में मैं यह पाता हूं कि इस संबद्ध वस्तु के आयातों में अचानक एवं तीव्र वृद्धि तथा घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही गंभीर क्षति के बीच भारी संबंध मौजूद है। इसका विवरण निम्नलिखित है :

- आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। यह 100 बिंदु (601667 एमटी) से बढ़कर 128 बिंदु (769986 एमटी) हो गए।

- वर्ष 2015-16 के दौरान आयातों के बाजार हिस्से में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 71 प्रतिशत से घटकर 69 प्रतिशत रह गया, जबकि इस संबद्ध वस्तु की भारत में मांग निरंतर बढ़ रही है। ऐसा इस कारण से है कि आयातों ने इस मांग पर आक्रामक रूप से कब्जा कर लिया है।

- घटती आयात कीमतें घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें बनाए रखने से वंचित कर रही है।

- कम कीमत पर संवर्धित आयातों के कारण घरेलू उद्योग भारत में इस विचाराधीन उत्पाद की मांग/खपत में वृद्धि की दर की तुलना में अपने उत्पादन एवं अपनी बिक्री में वृद्धि करने में सक्षम नहीं हुआ।

- वर्ष 2015-16 (सितम्बर, 2015 तक) के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तीव्र गिरावट आई और संवर्धित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई।

- इस संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण भारी कीमत अवमंदन, निग्रहण, जिसका विस्तृत वर्णन पूर्ववर्ती पैराग्राफों में पहले ही कर दिया गया है।

- घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हो रही है क्योंकि घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुरूप अपनी बिक्री में वृद्धि करने में सक्षम नहीं हो पाया। भारत में मांग पर आयातों ने अपना कब्जा जमा लिया है।

छ. घरेलू उद्योग के उत्पादन में कमी तथा आयातों में वृद्धि के बीच कोई सह-संबंध नहीं : इस संबंध में मैंने यह पाया है कि घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने और भारत में इस वस्तु की मांग में वृद्धि होने के बावजूद अपने उत्पादन में वृद्धि नहीं कर

सका। कुल मांग जो वर्ष 2012-13 में 100 अनुक्रमित बिंदु (ऊपर तालिका 5) थी बढ़कर 2015-16 (वार्षिकीकृत) में 104 अनुक्रमित बिंदु हो गई। इसके अतिरिक्त, इस संबद्ध वस्तु के आयात जो वर्ष 2012-13 में 100 अनुक्रमित बिंदु (ऊपर तालिका 2) थे, से बढ़कर वर्ष 2015-16 (वार्षिकीकृत) में 128 अनुक्रमित बिंदु हो गए। तथापि, उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में आठ अनुक्रमित बिंदु की कमी आई (तालिका-4)। इससे यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में कमी तथा आयात मात्रा में वृद्धि होने के बीच सह-संबंध है।

52. कारणात्मक का निर्धारण करने के लिए उन सभी उद्देश्यपरक एवं परिमाणात्मक प्रकृति के संगत कारकों का मूल्यांकन किया गया जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। पूर्ववर्ती पैराग्राफों में भिनाए गए पैरामीटरों का एक व्यापक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि इस संवर्धित आयातों के कारण गंभीर क्षति कारित की गई है और गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न की जा रही है।

53. उपर्युक्त के मद्देनजर मैं यह पाता हूं कि आयातों में वृद्धि तथा घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति के बीच पर्याप्त सह-संबंध है क्योंकि आधार वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2015-16 (सितम्बर, 2015 तक के आंकड़ों के आधार पर वार्षिकीकृत) के दौरान आयातों में समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा घट रहा है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 71 प्रतिशत से घटकर 69 प्रतिशत हो गया। आयातों की प्रति टन उतराई कीमत में भारी कमी आई। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को क्षति हुई। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को क्षति संवर्धित आयातों द्वारा ही कारित की गई है।

ञ. समायोजन योजना :

54. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 5(2)(ख) में "आयात प्रतिस्पर्धा के साथ सकारात्मक समायोजन करने के लिए बनाई गई योजना या किए जा रहे प्रयासों या दोनों" के संबंध में प्रस्तुतिकरण करना अपेक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 7.1 में प्रावधान है कि कोई सदस्य रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग समायोजन को सुलभ बनाने तथा गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने के लिए आवश्यकतानुसार कर सकता है।

55. निर्णायात्मक रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को एक सीमित समयावधि प्रदान करना है जिसके अंदर वे अपना इस तरह पुनर्गठन कर सकें जिससे कि वे आयातों के साथ कारगर ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(4) तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 16(2) में ऐसे साधन का उपयोग करने का निषेध किया गया है तब ऐसे साक्ष्य हों कि घरेलू उद्योग समायोजन का प्रयास नहीं कर रहा है।

56. कुछ हितबद्ध पक्षकारों का विचार है कि घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका के साथ समायोजन योजना प्रदान नहीं कराई है। इस संबंध में यह पाता हूं कि घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका के साथ एक पृथक प्रश्नावली दायर की है जिसमें घरेलू उद्योग के प्रत्येक संघटक के लिए समायोजन योजना का उल्लेख है। घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन के साथ शामिल की गई यह प्रश्नावलियां दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 के जांच शुरूआत नोटिस के साथ सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित की गईं थीं ओर इन्हें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाइल में भी रखा गया। निर्धारित समायोजन योजना का सारांश निम्नलिखित है :

क. **भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड :**

(i) कोकिंग कोल, लौह अयस्क, फ्लक्सेस और फेरो अलाय की प्रापण लागत में बचत;

(ii) कच्चे माल के स्रोतों को संयंत्र से जोड़ना जिससे उतराई लागत को न्यूनतम किया जा सके और भंडार एवं स्पेयर्स, रिफ्रैक्टरीज, रोल्स, लुब्रीकेन्ट्स आदि जैसी विभिन्न मदों की प्रापण लागत को इष्टतम किया जा सके;

(iii) उपलब्ध आस्तियों की प्रचालन क्षमता में सुधार करना;

(iv) प्रत्येक प्लांट में आयातित हार्ड कोकिंग कोल के स्थान पर आयातित साफ्ट कोकिंग कोल का प्रयोग करना और कोल ब्लेंड लागत में कमी लाना और ग्राही वाशरीज से कोकिंग कोल का उत्पादन/प्रयोग करना;

(v) सकल मेटालिक इनपुट में कमी करना और कानकास्ट उत्पादन बढ़ाना;

(vi) ग्राही/जेवी विद्युत प्लांट में बॉयलर कोल के स्थान पर एलडी गैस का प्रयोग करके तथा सीओ गैस, बीएफ गैस जैसी गैसों की पुनर्प्राप्ति अधिकतम करके विद्युत तथा अन्य ईंधन की बचत करना;

(vii) ब्लूमिंग मिल/स्लैबिंग मिल आदि के उत्पादन में सुधार करके विभिन्न प्रसंस्करणों की कार्यकुशलता में सुधार करना;

(viii) एसएआईएल की आधुनिकीकरण योजनाओं से उत्पादन एवं उत्पादकता की मात्रा में सुधार होगा, उत्पादन, उर्जा परिरक्षण में सुधार और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होगा।

ख. **एस्सार स्टील लिमिटेड**

(i) हजीरा में बहु ईंधन विद्युत संयंत्र के शुरू होने से बेशी कोरेक्स गैस एवं कोल फिन्स का उपयोग करके लागत में कमी लाई जाएगी;

(ii) सरकार की नीलामी स्कीम के अंतर्गत खानों में अवाप्त उच्च क्वालिटी की लौह अयस्क फिन्स कच्चे माल की गुणवत्ता में सुधार करने तथा एतद्वारा उत्पादन में सुधार करने और स्टील की लागत न्यूनतर करने में सहायता मिलेगी।

(iii) एस्सर अपने सुस्थापित बेनिफिशिएशन के निकट की खदानें और ओडिशा में स्थापित पैलेट अवाप्त कर लेगा और स्लरी को इधर-उधर ले जाने के लिए पाइप लाइन का प्रयोग किया जाएगा।

(iv) पारादीप में पैकेट प्लांट 2 का शुभारंभ करने से पैलेट की कम लागत में इन-हाउस उपलब्धता में वृद्धि होगी।

(v) ग्राही कोक ओवन का शुभारंभ करने से कोक की लागत में कमी आएगी और इसकी गुणवत्ता निरंतर बनी रहेगी।

(vi) टेक्नालोजिकल यूनिटों की पुनर्विन्यस्तता करने और उससे संबंधित सुविधाओं को संस्थापित करने से प्राकृतिक गैस पर आश्रितता में कमी होगी और स्टील बनाने की क्षमता में सुधार होगा।

ग. **जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड**

(i) ईटा सीओ बढ़ाकर हाट ब्लास्ट तापमान में सुधार करके ईंधन की खपत कम करना;

(ii) निरर्थक भाड़े में गोवा से अधिक आवाजाही में कमी करके और मंगलौर पत्तन से आवागमन कम करके संभारतंत्र में कमी की जाएगी;

(iii) फ्लेयर स्टैक बर्नर्स को एसएमएस 1 पर एलपीजी से कोक ओवन गैस में परिवर्तित करके एलपीजी की खपत की बचत करना;

(iv) स्केल लॉस, साल्वेज लॉस और क्राप-इंड लॉस में कमी करके और काबल्स में कमी करके एचएसएम उत्पादन में सुधार करना;

(v) एलडी गैस की बेहतर रिकवरी के लिए स्टील मेल्ट शाप से कोरेक्स गैस होल्डर तक नई लाइन की शुरूआत करना;

(vi) माइक्रो पैलेट्स में सीडीक्यू फिन्स का प्रयोग करके सिन्टर प्लांट्स में ठोस ईंधन में कमी करना;

(vii) सिंटर में एंथ्रेसाइट की खपत में कमी लाना, एल्युमिनियम की खपत में कमी लाना;

(viii) तनाव स्थिति की मॉनिटरिंग, निवारक अनुरक्षण और भविष्य सूचक ब्रेकडाउन अनुरक्षण।

घ. **जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड**

(i) फिनिशिंग मिल स्टैंड की उच्चतर गति से बराबरी करने के लिए फिनिशिंग मिल क्षेत्र में स्टैकल कॉयलर, पिंच रोल और रोलर टेबल्स के मोटर बदलना तथा फिनिशिंग मिल में नई हाई स्पीड की मोटरें लगाई जाएंगी;

(ii) फिनिशिंग मिल स्टैंड को अतिरिक्त उपकरणों से सज्जित किया जाएगा जैस न्यू आटोमोटेड गॉज कंट्रोल सर्वो, लोक सेल्स, स्ट्रिपर्स और गाइड आदि;

(iii) उच्चतर फ्लो रेट और बेहतर तापमान नियंत्रणयुक्त नवीन लैमिनर कूलिंग प्रणाली;

(iv) वॉकिंग बीम कन्वेयर, कॉयल सैम्प्लिंग स्टेशन एवं परिधीय एवं रेडियल स्ट्रैपिंग मशीन युक्त कॉयल हैडलिंग की नई सुविधा उपलब्ध कराना;

(v) रफिंग मिल, फिनिशिंग मिल, लैमिनर एवं डाउन कॉइलर के लिए बेहतर लेवल-1 कंट्रोल (मौजूदा);

(vi) रफिंग मिल, फिनिशिंग मिल, लैमिनर एवं डाउन मॉइलर के लिए लेवल-2 ऑटोमेशन सिस्टम आधारित न्यू विंडोज;

(vii) प्लेट मिल उन्नयनीकरण परियोजना में लाभ के परिणामस्वरूप डायवर्जन में कमी जाएगी, स्पेशल ग्रेड रोलिंग होगी और अन्य ग्रेड रियलाइजेशन में वृद्धि होगी।

57. घरेलू उद्योग ने, इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेख किया कि उपर्युक्त समायोजन योजनाओं से संवर्धित आयातों से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा की नई स्थिति से समायोजन करने में उन्हें सहायता मिलेगी। मैं यह पाता हूं कि आवेदकों ने व्यवहार्य समायोजन योजनाएं प्रदान कराई हैं जिनमें

लागत में कमी करने, अधिकतम उपयोग और उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर बल दिया गया है और इससे वे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के साथ समायोजन करने में सक्षम होंगे।

ट. अनपेक्षित विकास

58. गाट के अनुच्छेद XIX के साथ पठित रक्षोपाय करार में राष्ट्रीय प्राधिकारियों को उस "अनपेक्षित विकास" की जांच करने का दायित्व सौंपा गया है जिसके कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। इसलिए उन परिस्थितियों या "अनपेक्षित विकास" की जांच करना जरूरी माना गया है जिनसे आयातों में वृद्धि हुई है।

59. अर्जेन्टीना फुटवियर (ईसी मामला) में अपीलीय निकाय ने धारित किया कि पदबंध अनपेक्षित विकास का आशय उस विकास से है जो अप्रत्याशित हो। "अनपेक्षित विकास" यह अपेक्षा करता है कि वह विकास जिसके कारण किसी उत्पाद का इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में निर्यात किया जा रहा हो कि घरेलू उत्पादकों को अप्रत्याशित गंभीर क्षति होने लगी हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो।

60. अर्जेन्टीना फुटवियर (ईसी) मामले में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि अनपेक्षित विकास की जरूरत रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए कोई पृथक "शर्त" स्थापित नहीं करता है, परंतु यह केवल "परिस्थितियों" के एक निश्चित "समूह" को वर्णित करता है।

61. पैनल ने यूएस-स्टील रक्षोपाय के संबंध में यह निष्कर्ष दिया कि कई घटनाओं का समग्र संगठित होकर अनपेक्षित विकास का आधार बन सकता है :

> *"संयुक्त राज्य यह तर्क देता है कि यूएस डालर में मजबूती होना ऐसा विकास था जिसने अन्य विकासों नामश: एशिया और पूर्ववर्ती यूएसएसआर में मुद्रा संकट और संयुक्त राज्य बाजार में स्टील की मांग में निरंतर वृद्धि जबकि अन्य बाजारों में गिरावट आई के साथ मिलकर आयातों में वृद्धि कर दी।"*

62. आवेदकों ने यह उल्लेख किया है कि कई देशों में स्टील विनिर्माताओं, जिनमें चीन जन.गण., रूस, उक्रैन, जापान और कोरिया शामिल हैं, ने विकसित देशों और शेष विश्व द्वारा स्टील की मांग को पूरा करने की भारी क्षमताओं का विकास किया है। अधिकांश विकसित देश जो स्टील के परम्परागत रूप से सबसे बड़े आयातक थे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन ने आयातित स्टील पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। इस विकास ने चीन जन.गण., उक्रैन आदि से विकसित देशों को निर्यातों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इन देशों के विनिर्माताओं को अपना उत्पादन बेचने के तरीके सोचने पड़े। एक विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत इन विनिर्माताओं को अपनी बेशी क्षमताओं को बेचने के लिए एक प्राकृतिक विकल्प लगा।

63. भारत सरकार अवसंरचना एवं विनिर्माण जैसे कई सेक्टरों में निवेश का उदारीकरण कर रही है। इसके परिणामस्वरूप, देश में इस्पात की मांग बढ़ रही है, चूंकि भारत का अपने ऐसे अवसंरचना एवं विनिर्माण सेक्टर में भारी निवेश करने का इरादा है जिसमें स्टील एक अनिवार्य इनपुट के रूप में अपेक्षित होता है। ऐसी प्रत्याशा है कि भारत में इस्पात की मांग वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 7-7.5 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। ऐसा बढ़ते निवेश एवं औद्योगिक आउटपुट के कारण हुई स्वस्थ आर्थिक वृद्धि से होगा।

64. तथापि, यह अनपेक्षित है कि भारत में स्टील की मांग में वृद्धि के साथ विकसित देशों और शेष विश्व में स्टील की मांग में कमी आ जाएगी। यह पूर्णतया अनपेक्षित था कि चीन में स्टील की खपत में एक ऋणात्मक वृद्धि होगी जिससे उसकी भारी उत्पादन क्षमताएं बेशी उत्पादन करेगी और चीन के विनिर्माताओं द्वारा शेष विश्व को बहुत कम कीमत स्टील का निर्यात करेंगे।

65. पोस्को ने भारत सहित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने निवेश को बढ़ाकर क्राकटाऊ इंडोनेशिया के साथ कोलैबोरेशन में 3 मिलियन टन की इंडोनेशियाई स्टील क्षमता का एक संयंत्र की कार्यनीतिक शुरूआत की। इसके अतिरिक्त, इंडानेशिया की मुद्रा (रूपिया) का अक्तूबर, 2014 से सितम्बर, 2015 की अवधि के दौरान यूएस डालर की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत का अवमूल्यन हुआ। इन दो कारकों के परिणामस्वरूप अत्यधिक अभिनव अवधि के दौरान भारत को इंडोनेशिया से इस विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों में भारी वृद्धि हुई है।

66. चीन जन.गण. में घरेलू मांग कम हो गई है। अवसंरचना सेक्टर, मुख्यत: भवन निर्माण, जो चीन जन.गण. में स्टील का सबसे बड़ा उपभोक्ता था, अब उसमें मंद आ गई है। चीन जन.गण. में विनिर्माता अपने उत्पादन की बिक्री अपनी घरेलू बाजार में करने में सक्षम नहीं हैं। अभी हाल की कुछ अवधि में इस स्थिति में परिवर्तन आने की संभावना नहीं है और चीन में स्टील के प्रयोग में वर्ष 2015 में -3.5 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि जारी रहेगी और वर्ष 2016 में इसमें 2 प्रतिशत की और कमी आ जाएगी। इसके परिणामस्वरूप कीमत अवमंदन हुआ और विश्व स्टील बाजार में अधिकता आई।

67. भारत में स्टील की बढ़ती खपत के मध्य चीन जन.गण. और जापान में भारी बेशी क्षमताएं हैं। अर्नेस्ट एंड यंग की अभिनव रिपोर्ट के अनुसार "वर्ष 2013 में विश्व के अधिकांश भागों में मांग में कम वृद्धि होने के बावजूद विश्व में स्टील के उत्पादन में 3.5 प्रतिशत, 1607

एमटी की वृद्धि हुई।" इसके अलावा, इस रिपोर्ट में यह उल्लेख भी किया गया कि "यह सतत अति उत्पादन जारी रहने की संभावना है जिसका वर्ष 2015 में विश्व बाजार पर प्रभाव पड़ेगा।" इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में चीन जन.गण. में 44 मिलियन टन का भारी बेशी भंडार और जापान में 40 मिलियन टन का बेशी भंडार था।

68. स्टील एसोसिएशन के अनुसार, भारत में 2015 वर्ष में स्टील की मांग में 7.3 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी और वर्ष 2016 में इस मांग में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। दूसरी ओर "विश्व के दो सबसे बड़े उपभोक्ता, चीन जन.गण. और संयुक्त राज्य में इसकी मांग में कमी होने या इतनी ही बनी रहने की भविष्यवाणी प्रख्यात न्यूज एजेंसी रियुटर्स द्वारा की गई है। इसलिए, विश्व की स्टील बाजारों में स्टील की भारी आपूर्ति बनी रहेगी और इसका कीमत अवमंदन होगा, जिसके कारण कम कीमतों पर इसका आयात किया जाएगा।

69. यूएस, तुर्की, कनाडा, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों द्वारा वर्ष 2012 से 2015 की अवधि के बीच लगाए गए व्यापार उपचारी उपायों के परिणामस्वरूप, विश्व बाजार में बेशी आपूर्ति हुई जिसके कारण भारत को स्टील के आयातों में वृद्धि हुई। इस कारक से भी भारत में आयातों में अचानक उद्रेक आया।

70. कई हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग अपनी याचिका अनपेक्षित विकास की मौजूदगी का निदर्शन करने में अक्षम रहा है। यह भी तर्क दिया गया कि जापान से यह आयात अगस्त, 2011 में प्रभावी हुए भारत-जापान सीईपीए का सामयिक परिणाम हैं। यह तर्क भी दिया गया कि इस याचिका में यह साक्ष्यांकन नहीं किया गया कि रूस और उक्रैन से आयातों का भारत को विपथन हुआ है। घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि याचिका में बड़े व्यापक रूप में यह निदर्शन किया गया है कि अनपेक्षित विकास मौजूद है। मैं इस तथ्य को निरर्थक मानता हूं कि जापान से आयात भारत-जापान एफटीए के कारण सामयिक रूप से बढ़े। यह तर्क केवल तभी संगत होता जब घरेलू उद्योग ने भारत-जापान सीईपीए के अंतर्गत द्विपक्षीय रक्षोपाय साधन की मांग की होती। तथापि, घरेलू उद्योग सभी स्रोतों से अचानक, तीव्र, अत्यधिक एवं अभिनव आयात वृद्धि से परेशान है। भारत-जापान सीईपीए के कारण वैश्विक रक्षोपाय साधना का अधिरोपण नहीं किया जा सकता।

71. इस संबंध में मैं यह पाता हूं कि इस विचाराधीन उत्पाद पर डब्ल्यूटीओ को रियायतों की अनुसूची के अनुसार भारत की बाउंड दर यथामूल्य 40 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, यह प्रेक्षण भी किया गया कि भारत कई सेक्टरों में अपनी अनुप्रयुक्त प्रशुल्क दरों में कमी कर रहा है। इस अभ्यास का एकमात्र उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना है जिससे कि भारत विश्व व्यापार में बेहतर सामंजस्य बना सके। इस विचाराधीन उत्पाद के लिए यह विशेष रूप से सच है कि इसके लिए वर्ष 2013-14 और 2014-15 में 7.5 प्रतिशत की घटी हुई अनुप्रयुक्त दर थी। यह देखा जा सकता है कि इस न्यून अनुप्रयुक्त प्रशुल्क के कारण इस विचाराधीन उत्पाद का इन परिस्थितियों एवं बाजार की स्थितियों के कारण आयात करने के पर्याप्त अवसर थे जिसकी वजह से भारत में इन आयातों में वास्तव में अचानक, तीव्र, भारी वृद्धि हुई।

72. उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि इस अनपेक्षित विकास और गाट के अंतर्गत प्रशुल्क रियायतों सहित प्रतिबद्धताओं के विकास के प्रभाव के परिणामस्वरूप भारत में अचानक, तीव्र, भारी एवं अभिनव वृद्धि हुई।

ठ. जनहित

73. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 3.1 में निम्नलिखित उल्लेख है :

> *"कोई सदस्य, उस सदस्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा गाट 1994 के अनुच्छेद-X के अनुसरण में सार्वजनिक किए गए तथा विगत में सुस्थापित प्रक्रियाओं का अनुसरण करके जांच के पश्चात, रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग कर सकता है। इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों के युक्तियुक्त सार्वजनिक नोटिस और सार्वजनिक सुनवाई या अन्य समुचित साधन शामिल होंगे जिनमें आयातक, निर्यातक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकार अपने साक्ष्य एवं विचार व्यक्त कर सकते हैं; जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, अन्य पक्षकारों के प्रस्तुतिकरणों का प्रत्युत्तर देने या अपने विचार व्यक्त करने का अवसर शामिल हो कि रक्षोपाय शुल्क का अनुपयोग करना जनहित में होगा या नहीं। सक्षम प्राधिकारी एक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे जिसमें अपने जांच परिणाम और विधि एवं तथ्यों के सभी संगत मुद्दों पर निकाले गए अपने तर्कयुक्त निष्कर्ष शामिल होंगे।*

(i) कई हितबद्ध पक्षकारों का विचार है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में नहीं होगा। यह तर्क दिया गया कि इससे उपयोक्ता उद्योग को घाटा होगा। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया कि रक्षोपाय शुल्क भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम से असंगत होगा। यह तर्क दिया गया कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से रोजगार और वेतन पर प्रभाव पड़ेगा और लघु एवं मध्यम उद्यम समाप्त हो जाएंगे। इस संबंध में मैं यह प्रेक्षण करता हूं कि रक्षोपाय शुल्क अपेक्षित है जिससे कि घरेलू उद्योग इस संबद्ध वस्तु के भारत में आयातों के बढ़ते स्तर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। रक्षोपाय शुल्क के बिना तो घरेलू उद्योग समाप्त हो जाएंगे। यह भारत के प्रयोक्ताओं के हित में है कि एक स्वस्थ एवं सम्पन्न घरेलू उद्योग मौजूद हो जिससे भारत में इसकी मांग को पूरा किया जा सके और वह भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के दावे के अनुसार उपभोक्ता प्रोफाइल और प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क का प्रत्येक उपभोक्ता उद्योग पर प्रभाव और अंतिम उत्पाद की लागत पर इसका प्रासंगिक प्रभाव बहुत अधिक होगा जैसाकि अधोलिखित तालिका से स्पष्ट है :

तालिका-11

क्र. सं.	सेक्टर	20% की दर से रक्षोपाय शुल्क का समग्र प्रभाव	15% की दर से रक्षोपाय शुल्क का समग्र प्रभाव
1	बैक-हो लोडर माइनिंग मशीन	1.75%	1.31%
2	20-एमटी एक्सकैवेटर	2.10%	1.58%
3	व्हील लोडिंग शावल	3.11%	2.33%
4	कम कीमत पर आवास	1.60%	1.20%
5	अल्मारी	2.00%	1.50%
6	रेफ्रिजरेटर	2.80%	2.10%
7	वहनीय कीमत पर पाइप और ट्यूब	0.13%	0.10%
8	थर्मल पावर प्लांट	2.40%	1.80%
9	सड़क	0.30%	0.23%
10	यात्री वाहन	1.50%	1.13%
11	दु-पहिया वाहन	0.70%	0.53%

74. इसके अतिरिक्त, मैं यह प्रेक्षा करता हूं कि इस्पात उद्योग में लाखों करोड़ रुपए का सार्वजनिक निवेश गैर-निष्पादन करने वाली आस्ति हो जाने का खतरा है। इसलिए घरेलू उद्योग को संरक्षण का उपयुक्त सहारा वांछनीय है। यदि यह संरक्षण नहीं दिया गया तो घरेलू उद्योग की कीमतें एवं बाजार हिस्सा दोनों में कमी आ जाएगी, इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को इतना अधिक वित्तीय घाटा होगा कि वह अव्यवहार्य हो जाएगी और इससे रोजगार खत्म हो जाएगा तथा देश को कार्यनीतिक एवं आर्थिक हित का नुकसान होगा।

75. इसलिए, एक उपयुक्त स्तर पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना बेहतर होगा क्योंकि यह उपभोक्ताओं के दीर्घावधिक हित में है जिससे भारतीय घरेलू उद्योग इतना अधिक सक्षम एवं प्रतिस्पर्धा हो सके कि वह इस विचाराधीन उत्पाद की उपभोक्ताओं को आपूर्ति कर सके और विदेशी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। यह तभी संभव है जब घरेलू उद्योग को संवर्धित आयातों के कारण हुई क्षति की भरपाई करने के लिए कुछ अस्थायी सहायता प्राप्त हो। सुदृढ़ एवं प्रतिस्पर्धी भारतीय उद्योग होना अंतत: जनहित में है।

ड. विकासशील राष्ट्र

76. वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 (सितम्बर, 2015 तक) तक की अवधि के लिए विकासशील राष्ट्रों से आयातों के प्रतिशत की भी जांच की गई। चीन जन.गण., उक्रैन और इंडोनेशिया जिनका भारत को कुल आयातों का क्रमश: 48 प्रतिशत, 13 प्रतिशत और 7 प्रतिशत आयात होता है, को छोड़कर अन्य विकासशील राष्ट्रों का व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक रूप से आयात भारत को कुल आयात का क्रमश: 3 प्रतिशत से और 9 प्रतिशत से कम है। इसलिए, विकासशील राष्ट्रों से उदगमित इस विचाराधीन उत्पाद के आयात, जिनकी सूची दिनांक 5 फरवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या 19/2016-सीमाशुल्क (एनटी) में दी गई है, चीन जन.गण., उक्रैन और इंडोनेशिया को छोड़कर अन्य सभी विकासशील राष्ट्रों पर सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8(ख)(1) के अनुसार रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

77. तुर्की सरकार का यह तर्क है कि उन्हें रक्षोपाय शुल्क के दायरे से अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि उनका देश विकासशील देश है। इस संबंध में मैं यह पाता हूं कि भारत ने दिनांक 5/2/2016 की अधिसूचना संख्या 19/2016-सीमाशुल्क (एनटी) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार तुर्की को विकासशील देश के रूप में माना है और वर्ष 2012-13 से 2015-16 (सितम्बर, 2015 तक) तक की अवधि के दौरान भारत को होने वाले कुल आयातों में से तुर्की के आयातों का हिस्सा 3 प्रतिशत से कम है, इसलिए इस विचाराधीन उत्पाद के तुर्की से उदभवित आयातों पर सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(1) के अंतर्गत रक्षोपाय शुल्क आकृष्ट नहीं होगा।

78. इंडोनेशिया की सरकार ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि रक्षोपाय साधन का प्रयोग केवल आपवादिक मामलों में ही किया जाना चाहिए। इस संबंध में मैं यह पाता हूं कि इस संबद्ध वस्तु के आयातों में अचानक, तीव्र, भारी एवं अभिनव वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग अत्यधिक दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। भारत के इस्पात उत्पादकों को ऊपर उल्लिखित पैराग्राफों में की गई चर्चानुसार अनपेक्षित विकास के परिणामस्वरूप इन आयातों के कारण गंभीर क्षति हो रही है।

79. ब्राजील की सरकार ने यह मुद्दा उठाया है कि प्राधिकारी ने प्रत्येक निर्यातक देश के हिस्से की सूचना नहीं दी है और विकासशील देशों की सूची भी नहीं प्रदान कराई गई है। ब्राजील का यह तर्क भी है कि प्रत्येक स्रोत से आयातों की मात्रा का परिकलन करने के लिए चयन की गई अवधि का भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस संबंध में मैं यह पाता हूं कि घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन के साथ भारत में आयातों के देश-वार संव्यवहार को प्रदान कराया गया है और उनका इस मामले में जांच शुरूआत नोटिस का परिचालन करते समय सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालन कराया गया था। वही दस्तावेज सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए रखी गई सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध कराया गया था। अत:, डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 3.1 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार इसमें कोई असंगतता नहीं बरती गई। इसके

अतिरिक्त, चूंकि वर्ष 2012-13 से 2015-16 (सितम्बर, 2015 तक) तक की अवधि के दौरान इस संबद्ध वस्तु के भारत को कुल आयातों में से ब्राजील के आयातों का हिस्सा 3 प्रतिशत से अधिक नहीं है, इसलिए ब्राजील से इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों को रक्षोपाय शुल्क के दायरे अलग रखा जाता है।

80. कुछ हितबद्ध पक्षकारों का विचार है कि भारत द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर 1998 की अधिसूचना संख्या 103/98-सीशु के तहत अधिसूचित विकासशील देशों की सूची में ताईवान का नाम नहीं है। यह तर्क दिया गया कि चूंकि उस सूची में ताईवान का नाम नहीं है, इसलिए यदि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया गया तो ताईवान से होने वाले आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाएगा चाहे अत्यधिक अभिनव अवधि के दौरान ताईवान से आयातों का प्रतिशत 3 प्रतिशत से कम ही क्यों न हो। यह तर्क दिया जाता है कि यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया और मलेशिया ने ताईवान को विकासशील राष्ट्र का दर्जा दिया है और यूनाइटेड नेशन्स कांफ्रेस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी, आईबीआरडी तथा अन्य संगठनों में ताईवान को विकासशील देश के रूप में माना है। इस संबंध में मैं यह पाता हूं कि भारत के पास दिनांक 14 दिसम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या 103/98-सीशु में उल्लिखित शर्तों के अनुसार विकासशील देशों की एक सूची है। जो देश इस सूची में नहीं है उन्हें विकसित देशों के रूप में मान्यता दी जाती है। डब्ल्यूटीओ सदस्य देश किसी देश को विकासशील देश का दर्जा केवल इस आधार पर देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं कि कुछ अन्य सदस्यों ने किसी एक सदस्य को यह दर्जा प्रदान किया है। भारत ताईवान को विकासशील देश या विकसित देश का दर्जा अपने विवेकानुसार दे सकता है। चूंकि भारतीय विधि के अनुसार, ताईवान एक विकसित देश है इसलिए यह रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9.1 के अंतर्गत लाभ का दावा नहीं कर सकता है।

ढ. जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के आंकड़ों की जांच

81. उपर्युक्त परिस्थितियों में जांच की अवधि के पश्चात की अवधि अर्थात वर्ष 2015-16 की तीसरी तिमाही में व्याप्त प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने का प्रयास घरेलू उद्योग को क्षति के प्रबलन की संभावना के बारे में उद्योग ने सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात किए गए अपने प्रस्तुतिकरण के तहत भारत में आयातित इस "विचाराधीन उत्पाद" के लिए कतिपय आर्थिक पैरामीटरों से संबंधित घरेलू आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। वर्ष 2012-13 से 2015-16 (दिसम्बर, 2015) तक के घरेलू आंकड़ों का सत्यापन इस विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल दौरा करके उत्पाद शुल्क रिकार्डों के आधार पर आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया। आंकड़ों का यह विश्लेषण निम्नलिखित है :

तालिका-12

	2012-13	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16 (सितम्बर, 2015 तक)**	**2015-16 (सितम्बर, 2015 तक के आंकड़ों के आधार पर वार्षिकीकृत)**	**2015-16 (दिसम्बर, 2015 तक)**	**2015-16 (दिसम्बर, 2015 तक के आंकड़ों के आधार पर वार्षिकीकृत)**
कुल आयात (एमटी)	601667	323723	599891	384993	769986	652925	870,567
उत्पादन (एमटी)	4617239	4103109	4221200	2122308	4244616	3216790	4289053
घरेलू बिक्रियां (एमटी)	3655162	3468496	3705573	1855244	3710488	2817255	3756340
कुल मांग (एमटी)	5176986	4933429	5076791	2696964	5393927	4143660	5524880
आयात का बाजार हिस्सा (%)	12	7	12	14	14	16	16
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा (%)	71	70	73	69	69	68	68
मालसूची (एमटी)	256812	313029	288941	280751		309079	

82. उपर्युक्त आंकड़ों की संवीक्षा करने पर यह प्रेक्षा की गई कि जांच की अवधि के पश्चात की अवधि अर्थात 2015-16 (दिसम्बर, 2015 तक) (वार्षिकीकृत) के दौरान सितम्बर, 2015 (वार्षिकीकृत) तक की अवधि और दिसम्बर, 2015 (वार्षिकीकृत) तक की अवधि के बीच आयातों में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आयातों के बाजार हिस्से में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में लगभग 1 प्रतिशत की गिरावट आई इसके अतिरिक्त, कुल मांग में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि जांच की अवधि के पश्चात की अवधि अर्थात वर्ष 2015-16 (दिसम्बर, 2015 तक) तक की अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान घरेलू उत्पादन में 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मालसूची में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि जांच की अवधि के पश्चात की अवधि में भी अधिक उद्योग को क्षति की संभावना बनी रही।

ण. क्षति मार्जिन एवं संदर्भ कीमत का परिकलन

83. **क्षति मार्जिन :** घरेलू उद्योग के लिए इस विचाराधीन उत्पाद की गैर-क्षतिकारी कीमत का परिकलन घरेलू उद्योग की कुल औसत बिक्री लागत के आधार पर किया गया। घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत की तुलना क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध आयातों के उतराई मूल्य से की गई। इस जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ आयातों का उतराई मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथा-निर्धारित कर निर्धार्य मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों के सिवाय अन्य सभी सीमाशुल्क कर शामिल होंगे। क्षति मार्जिन का निर्धारण निम्नवत किया गया है :

तालिका-13

क्र.सं.	**अभिनव अवधि (अप्रैल 2015 से सितम्बर, 2015) के लिए क्षति मार्जिन**					
1	युक्तियुक्त प्रतिलाभ	%	5%	10%	15%	20%
2	बिक्री लागत	रुपए/एमटी	*	*	*	*
3	ब्याज	रुपए/एमटी	*	*	*	*
4	ब्याज पूर्व बिक्री लागत (क्रम सं. 2 – क्रम संख्या 3)	रुपए/एमटी	*	*	*	*
5	प्रतिलाभ (क्र.सं.4 x क्र.सं.1)	रुपए/एमटी	*	*	*	*
6	गैर-क्षतिकारी कीमत (क्र.सं.2+ क्र.सं.5)	रुपए/एमटी	*	*	*	*
7	आयात का कर निर्धार्य मूल्य	रुपए/एमटी	*	*	*	*
8	आयातों का उतराई मूल्य	रुपए/एमटी	*	*	*	*
9	क्षति मार्जिन (क्र.स.6 - क्र.सं.8)	रुपए/एमटी	*	*	*	*
10	क्षति मार्जिन (रेंज) (क्र.सं 9/क्र.सं.7)X100	(%)	5-10	10-15	15-20	20-25

84. संदर्भ कीमत की गणना निम्नलिखित फार्मूला का प्रयोग करके तर्कसंगत प्रतिलाभ की अनुमति के पश्चात की गई :

गैर-क्षतिकारी कीमत = संदर्भ कीमत + संदर्भ कीमत पर उतराई प्रभार + संदर्भ कीमत पर सीमाशुल्क + सीमाशुल्क पर उपकर

इस तरह परिकलित संदर्भ कीमत 504 डालर प्रति एमटी बैठती है।

त. एमआईपी अधिसूचना की शुरूआत के पश्चात की क्षति स्थिति

85. भारत सरकार ने दिनांक 5 फरवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या 38/2015-2020 के तहत अध्याय 72 के अंतर्गत आने वाले लोहा एवं इस्पात के उत्पादों के आयातों पर न्यूनतम आयात कीमत ("एमआईपी") प्रतिबंध का अधिरोपण किया है। इस अधिसूचना में इस विचाराधीन उत्पाद को शामिल किया गया है और एमआईपी के अध्यधीन इस विचाराधीन उत्पाद के आयात प्रति एमटी सीआईएफ आधार पर 500 यूएसडी से 752 यूएसडी के बीच होंगे। मैं यह पाता हूं कि एमआईपी अधिसूचना का क्रियान्वयन होने के पश्चात फरवरी, 2016 और उसके पश्चात से आयातों का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक होगा और तदनुसार घरेलू उद्योग तथाकथित सस्ते आयातों से संरक्षित हो जाएगी। मैं यह भी प्रेक्षण करता हूं कि एमआईपी अधिसूचना केवल छह माह के लिए वैध है और यह 04 अगस्त, 2016 को समाप्त हो जाएगी और उसके पश्चात घरेलू उद्योग की स्थिति फिर पूर्ववत हो जाएगी।

थ. निष्कर्ष

86. उपर्युक्त जांच और विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि :

(i) इस विचाराधीन उत्पाद के आयतों में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान समग्र रूप से और कुल भारतीय घरेलू उत्पादन के संबंध में भारी वृद्धि हुई है।

(ii) इस जांच से यह संकेत मिला कि घरेलू उद्योग को सूचीबद्ध आर्थिक पैरामीटरों जैसे बाजार हिस्सा और लाभप्रदता, जिनमें आधार वर्ष से लेकर वर्ष 2015-16 (वार्षिकीकृत) तक भारी गिरावट आई जबकि उसी अवधि के दौरान आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई, के आधार पर समग्र निष्पादन पर विचार करते हुए गंभीर क्षति हुई है। इससे घरेलू उद्योग को भारी समग्र परिक्षयण हुआ है। इससे आयातों में वृद्धि तथा जांच की अवधि के दौरान मौजूद घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित होता है।

(iii) घरेलू उद्योग यह निदर्शन करने में सक्षम रहा कि बाजार में इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में यह वृद्धि अनपेक्षित थी।

(iv) इस विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से अनुप्रवाही उद्योग पर मिनिमल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह उनके लिए कच्चा माल है।

(v) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस मामले में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में होगा क्योंकि इससे घरेलू उद्योग को अपनी स्थिति में सुधार करने में सहायता मिलेगी और अंतिम प्रयोक्ता को घरेलू उद्योग से इस संबद्ध वस्तु की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

(vi) जांच की अवधि के पश्चात की अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण करने से यह प्रेक्षण किया गया कि घरेलू उद्योग की स्थिति में बाजार हिस्सा एवं मालसूची के कारण और भी गिरावट आई है। मैं पुन: यह प्रेक्षण करता हूं कि एमआईपी अधिसूचना की शुरूआत होने के पश्चात घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार होगा। परंतु तथ्य यह है कि यह एमआईपी अधिसूचना दिनांक 04 अगस्त, 2016 को समाप्त हो जाएगी और उसके पश्चात घरेलू उद्योग की स्थिति फिर वैसी ही हो जाएगी जैसी एमआईपी की अधिसूचना होने से पहले थी और इसलिए मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि इन परिस्थितियों में घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार करने के लिए एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना होगा। तदनुसार, ऊपर की गई चर्चा के अनुसार क्षति मार्जिन एवं संदर्भ कीमत का परिकलन किया गया। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों की जांच करने के पश्चात मैं पुन: यह निष्कर्ष निकालता हूं कि इस विचाराधीन उत्पाद का संदर्भ कीमत पर या उससे अधिक मूल्य पर किया गया आयात घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाएगा।

द. सिफारिश

क. भारत में इस "विचाराधीन उत्पाद" के संवर्धित आयातों के कारण इस "विचाराधीन उत्पाद" के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित हुई है अथवा गंभीर क्षति कारित होने की चुनौती उत्पन्न हो गई है और इस "विचाराधीन उत्पाद" के आयातों पर सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियम, 1997 के नियम 12 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार 2 वर्ष और 6 माह के लिए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में होगा। इस "विचाराधीन उत्पाद" की औसत बिक्री लागत पर घरेलू उत्पादकों को बिक्री लागत पर उचित प्रतिलाभ की अनुमति देने के पश्चात, अधोलिखित रक्षोपाय शुल्क, जिसे सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के उपशीर्षक 7208 एवं 7225 (72254013, 72254019, 72254020, 72254030 और 72259900) के अंतर्गत आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद पर घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम माना गया है, का अधिरोपण इस शर्त के अध्यधीन किए जाने की सिफारिश की जाती है कि यह शुल्क संदर्भ कीमत से कम कीमत पर आयातित "विचाराधीन उत्पाद" पर अधिरोपित किया जाएगा।

तालिका-14

वर्ष	संस्तुत रक्षोपाय शुल्क
प्रथम वर्ष	504 डालर प्रति एमटी से कम कीमत पर आयात किए गए इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर यथामूल्य 10 प्रतिशत की दर से (पाटनरोधी शुल्क, यदि है, को घटाकर) रक्षोपाय शुल्क।
द्वितीय वर्ष	504 डालर प्रति एमटी से कम कीमत पर आयात किए गए इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर यथामूल्य 8 प्रतिशत की दर से (पाटनरोधी शुल्क, यदि है, को घटाकर) रक्षोपाय शुल्क।
तृतीय वर्ष (6 माह के लिए)	504 डालर प्रति एमटी से कम कीमत पर आयात किए गए इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर यथामूल्य 6 प्रतिशत की दर से (पाटनरोधी शुल्क, यदि है, को घटाकर) रक्षोपाय शुल्क।

ख. चूंकि चीन जन.गण., इंडोनेशिया और उक्रैन को छोड़कर अन्य विकसित राष्ट्रों, जिनकी सूची दिनांक 5 फरवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या 19/2016-सीमाशुल्क (एनटी) में दी गई है, से आयात व्यक्तिगत रूप से 3 प्रतिशत से अधिक और सामूहिक रूप से 9 प्रतिशत से अधिक नहीं है, इसलिए चीन जन.गण., उक्रैन और इंडोनिशिया को छोड़कर अन्य विकासशील राष्ट्रों के मूल के इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(1) के परंतुक में उल्लिखित शर्तों के अनुसार रक्षोपाय शुल्क आकृष्ट नहीं होगा।

[फा. सं. डी-22011/47/2015/पार्ट-V]

विनय छाबड़ा, महानिदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS, CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2016

Subject: Safeguard investigation concerning imports of "Hot Rolled flat sheets and plates (excluding hot rolled flat products in coil form) of alloy or non-alloy steel" into India.-Final Findings.

G.S.R.759(E).—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 thereof.

I. PROCEDURE

1. An application was filed on 28th October, 2015 under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 [hereinafter referred to as "Safeguard Rules"] by M/S Steel Authority of India Limited, M/S Essar Steel India Limited, M/S JSW Steel Limited and M/S Jindal Steel & Power Ltd through M/S Lakshmi Kumaran & Sridharan Attorneys, New Delhi, seeking imposition of Safeguard Duty on imports of "Hot-rolled flat Sheets and plates (excluding hot rolled flat products in coil form) of alloy or non-alloy steel", as increase in imports is causing and/or threatening to cause serious injury to the domestic producers.

2. The product under consideration is **"**Hot Rolled flat sheets and plates (excluding hot rolled flat products in coil form) of alloy or non-alloy steel having nominal thickness less than or equal to 150mm and nominal width of greater than or equal to 600mm" whether or not rolled from universal plate mill including reversible plate mill or hot strip mill or tandem mill or steckel mill or any other similar process with various type of rolling configuration including 2-High, 3-High, 4-High, cluster mill or any similar hot rolling process.**"** hereinafter referred to as 'PUC' (Product under consideration) classifiable under Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975, under Tariff Heading 7208 and 7225 (72254013, 72254019, 72254020, 72254030 and 72259900). The applicant has claimed that these products include sheets and plates produced either directly from the hot rolling process or cut / sheared from hot rolled coils. These products are flat products of iron, alloy or non-alloy steel, in prime or non-prime condition having 'as-rolled' edge or 'trimmed' edge or "milled" edge or "sheared" edge or "laser-cut" edge or "gas-cut" edge. These products may be pickled or non-pickled (with or without skin-pass or tempering), normalized or un-normalized, ultra-sonically tested or untested or oiled or non-oiled etc. These products may be "as-rolled" or "thermo-mechanically rolled" or "thermo-mechanically controlled rolled" or "controlled rolled" or "normalized rolled" or "normalized" or subject to any other similar process. These products may have patterns in relief / chequered patterns of different types derived directly during hot rolling. These products may be sand blasted or shot blasted or subjected to similar processes. These products may find applications spread across various end-usages including but not limited to structural applications, general engineering & fabrication, automotive, earth-moving & mining equipment, storage tanks, low pressure heaters, treaters, tanks & other low pressure vessels, infrastructure and construction sectors such as port, railway, airport, bridges, fly-overs, power generation, transmission & distribution sector, wind-mill, ship building & boats, tube & pipe manufacturing for transporting semi-solid, liquid & gas. The following are not included in the scope of the product under consideration:

   a) Hot rolled flat products of stainless steel;

   b) API grade steel conforming to X-52 and higher API grades for manufacturing pipes used for pipeline transportation systems in the petroleum and natural gas industries;

   c) Hot rolled plates for manufacturing boilers and pressure vessels confirming to IS 2002 and IS 2041;

   d) Silicon electrical steel;

   e) Cladded steel;

   f) Quenched and tempered steel;

3. On being satisfied that the requirements of Rule 5 were fulfilled, the Notice of Initiation of Safeguard investigation concerning imports of PUC into India was issued under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 on 7th December, 2015 and was published in the Gazette of India Extraordinary on the same day.

4. A copy of the Notice of Initiation dated 7th December, 2015 along with copy of non-confidential version of the application filed by the Domestic Industry were forwarded to the Central Government, in the Ministry of Commerce, and other Ministries concerned, Governments of major exporting countries through their Embassies in India, and the Interested Parties listed below, in accordance with Rule 6(2) and 6(3) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997. Questionnaires were also sent, on the same day, to all known domestic producers, importers and exporters and they were asked to submit their response within 30 days.

4.1 Domestic Producers

a. Essar Steel India Limited,

b. Steel Authority of India Limited

c. JSW Steel Limited

d. Jindal Steel and Power Limited.

e. Tata Steel Limited

f. Uttam Value Steels Limited

g. Welspun Steel Limited

h. Bhushan Steel Limited

i. Bhushan Power & Steel Limited

4.2 Known Importers (M/s):

b. Alstom India Ltd.,Maharashtra
c. Arcelor Neel Tailored Blank Private Limited, New Delhi
d. Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi
e. Bhilai Engineering Corporation Ltd., Chattisgarh
f. C.R.I. Pumps Private Limited,Tamil Nadu
g. Caterpillar India Pvt. Ltd.,Tamil Nadu.
h. Denis Plast Limited, Gujarat
i. Desmi Equipments Pvt.Ltd., Maharashtra
j. Escorts Ltd. , Haryana
k. Exedy India Limited, Aurangabad,
l. Fine Forge Limited.,Hyderabad- Pin-502032
m. Flakt (India) Limited,Chennai
n. Gamesa Wind Turbines P.Ltd,New Delhi
o. Ganpati Enterprises, Jaipur Pin-302023
p. Hindustan Shipyard Ltd.,Visakhapatnam
q. Hindustan Construction Co. Ltd., Maharashtra
r. Idl Explosives Limited, Hyderabad.
s. Ifb Automotive Private Limited, Kolkata(W.B.)
t. Jbm Industries Ltd.,New Delhi-110019
u. Jcb India Limited , New Delhi
v. Kalinga Fixtures Ltd., Maharashtra.
w. Kalpataru Power Transmission Ltd., Gujarat- Pin-382028
x. Larsen & Toubro Limited, Maharashtra
y. Lloyds Steel Industries Ltd, Maharashtra
z. Maruti Suzuki India Limited, New Delhi
aa. Mpp Technologies Private Ltd.,Bangalore
bb. Ncl Indutries Limited, Andhra Pradesh
cc. Neel Metal Products Ltd.,New Delhi
dd. Orient Impex, Chennai
ee. Orient Weartech, Tamil Nadu
ff. P & H Joy Mining Equipment India Limited,Kolkata, W.B.
gg. Posco Electrical Steel India Pvt. Ltd.,Maharashtra
hh. Ravi Steel Co., Maharashtra- Pin-400072
ii. Sg Iron Works Private Limited, Kolkata,W.B.
jj. Shakti Pumps (India) Ltd.,Indore MP

kk. Shelf Drilling Offshore Services (India) Pvt.Ltd, Mumbai
ll. Shree Chamunda Enterprises, Navi Mumbai
mm. Superior Steel Industries, Maharashtra
nn. Tranter India Private Limited , Maharashtra
oo. Trf Limited, Jharkhand
pp. Viraj Impex Pvt.Ltd.,Maharashtra
qq. Virgo Industries, Panchkula.
rr. Welspun Corp Ltd., Gujarat
ss. Wudtools, Maharashtra
tt. Yatin Steels India Pvt. Ltd. Maharashtra.
uu. Ysi Automotive P Ltd, Chennai
vv. Zyfix Tools Private Limited-II ,Hyderabad-A.P.

4.3 Known Exporters (M/s):

a. Nippon Sumitomo, Japan.
b. Kobe, Japan
c. JFE Steel Corporation, Japan
d. POSCO, Korea
e. Hyundai Steel Co Ltd, Seoul
f. Dongkuk Steel Mill Col Ltd., Seoul
g. Ilyich Iron & Steel Works, Ukraine
h. Severstal Steel, Belarus
i. Zaprostahl, Ukraine
j. Azvostah, Ukraine
k. Alchesck, Ukraine
l. Mobarakeh Steel Company, Iran
m. Pt.KrakatauPosco Steel works, Indonesia
n. Arcelor Mittal, Luxembourg
o. Dillenger and Salzitter, Germany
p. Arcelor Mittal, Brazil
q. Rizhao, China
r. Betai Iron & steel, China
s. Baotou Iron and Steel Group, China
t. Jiangsu Shagang Group Company Limited, China.
u. Tonghua Iron Steel Group Corporation, China
v. Angang Steel Company, China
w. Nanjing Iron and Steel, Nanjing, People's Republic of China
x. Tangshang Iron & Steel, Tangshan, Hebei.
y. Wuhan Iron and Steel, China
z. Tianjin Iron & Steel Group Co Ltd, China

4.4 Government of Exporting Countries

a. Embassy of Indonesia
b. Embassy of Ukraine
c. Embassy of the Russian Federation
d. The Embassy of People's Republic of China
e. Embassy of Japan
f. Embassy of Korea

5. Request to consider as an interested parties were received from the following parties:

5.1 Foreign Nation/Delegation/Embassies

a. European Union, Delegation to India., 65,Golf Links, New Delhi-110003
b. Ministry of Economic Development of the Russian Federation, New Delhi-110 021
c. Trade Representation of the Russian Federation in India, New Delhi-110 021
d. Anti-dumping, Subsidy and Safeguard Department.,Arab Republic of Egypt
e. Govt. of Turkey, Turkish Embassy, New Delhi.

f. Govt. of Ukraine/Embassy of Ukraine,New Delhi-110 057
g. Embassy Of Japan, 50-G Shantipath, Chanakyapuri-110021
h. Taipei Economic & Culture Center in India, New Delhi 110057
i. Govt. of Brazil

5.2 Importers/Users/ Users Association

a. Bombay Iron Merchants' Association, Mumbai - 400009.
b. Federation of Industries of India (FII), Delhi-110092.
c. Sakshi Steel-N-Alloys, Bangalore-560 058
d. Mahadev Steels, Hyderabad ,Teleangana-500018,
e. M.R. Steel Corporation., Hyderabad--500072,
f. Sri Sidhi Vinayak Steels, Hyderabad.
g. POSCO - India Pune Processing Center Pvt. Ltd, Pune - 410507
h. **V**. K. Industrial Corporation Limited.Mumbai: 400009
i. Ohmi Industries Asia Private Limited,New Delhi-110019
j. Japan Chamber of Commerce and Industry in India (JCCII), Haryana, INDIA
k. Kobelco Cranes India Pvt Ltd, New Delhi 110049
l. Gargs Engineers Limited, Jharkhand-832108.
m. Kobelco Plate Processing India Pvt.Ltd., Andra Pradish 517541
n. Metal one Corporation India Pvt. Ltd, New Delhi-110001
o. Isgec Heavy Engineering Limited , Noida – 201 301 (U.P)
p. Caterpillar India Private Limited , Tamil Nadu, India. 602004
q. IHI Corporation, Mumbai – 400 076
r. Komatsu India Pvt. Ltd., Tamilnadu-631604
s. Ferrum Extrme Engineering Pvt. Ltd., Karnatka-562114
t. Katsushiro Matex India pvt. Ltd., Tamilnadu-602105
u. Mitsui & Co., India Pvt. Ltd., New Delhi – 110 017
v. Hyundai Corporation Equipment India Pvt. Ltd, Pune-410501.

5.3 Foreign Producer/Exporters

a. Burwill Resources Ltd , Hong Kong.
b. M/S POSCO, Republic of Korea.
c. Jiangyin Xing Cheng Steel Works Company Ltd., China 214400
d. China Steel Corporation, Taiwan- 80661
e. PT Krakatau Posco, Indonesia
f. The Japan Iron and Steel Federation, Japan.
g. Tata Steel Europe, London.

6. All the above requests were accepted. Some of the interested parties requested for grant of extension for filing their reply to the notice of initiation. Their requests were also accepted and they were granted extension.

7. The information presented by the applicant was verified by on-site visit to the plants of the domestic producers to the extent considered necessary. The non-confidential version of verification report was kept in the public file.

II. POST INITIATION SUBMISSIONS: The submissions received in response to the initiation notice but prior to the Public Hearing are summarized as under:

A. **<u>Trade Representation of Russia in India</u>**

a. Import from the Russian Federation shows more than eightfold decrease and in considered period accounted for less 1% of total volume of PUC import to India that by no means could exert influence on economic performance of the Indian producers.
b. The increase of import delivery of hot-rolled flat sheets and plates during the period of investigation is not sudden, sharp growth of import, but as restoration of delivery to the level of the period 2012-2013.
c. There is no unforeseen circumstances which lead to increased imports. In 2015 India increased the import duties on PUC almost in two times from 7,5% to 12,5%, that break the competitive conditions in the Indian market in favour of exporters from the countries which have Agreements of Free Trade with India. It led to the increase of delivery in 1st half of 2015-2016 financial year from the countries, which have Agreement of Free Trade with India like delivery from Korea increased from 16% to 20%, and from Indonesia — from 2% to 36%.
d. the main reason of some deterioration of the situation of Indian industry is the surplus production capacities and not the increased import.

B. **Japan Embassy**

Under the Article XIX:1(a) of the General Agreement on Tariffs and Trade, the increased imports that could be considered are limited to the portions that are imported "as a result of the effect of the obligations incurred by a contracting party under this Agreement". Therefore, the Japanese Government is of the view that Indian Government should not count the portion of imports from Japan that have increased as a result of the effect of the tariff reduction/elimination under the CEPA.

C. **Govt of Turkey**

a. Having in mind Article XIX of GATT 1994, the scope of AoS and the relevant WTO jurisprudence, the safeguard measures are emergency actions and therefore, subject to stringent requirements in very exceptional circumstances with the existence of "unforeseen developments". In this regard, three basic requirements must exist for applying safeguard measures which can be classified as "unforeseen development", "increased imports" and "serious injury".
b. According to Article XIX of GATT 1994 and the pertinent WTO jurisprudence, the competent authorities are required to demonstrate that "unforeseen developments" have resulted in increased imports which should be recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough.
c. Increase in the combined level of domestic sales of Applicants and supporters cannot form a basis for any allegations regarding injury of the domestic industry.
d. Applicant companies did not disclose any figures regarding the unemployment levels throughout the POI claiming that since the Applicant companies are producing various products, they have not experienced any layoffs. However it is impossible to think of the concept of serious injury, - which is set out as the very first condition of safeguard measures - without having a loss in employment at the same time.
e. profitability of the Applicants slumped at the period in which the imports decreased. Hence, it is clear that the movements in imports do not coincide with the alleged deterioration in the profitability of the Applicants in the corresponding period.

f. Annual Report 2014-2015 of M/S Steel Authority of India Limited, one of the applicants and a prominent steel producing company in India, states that the profit has been adversely affected mainly due to stagnant saleable steel production and lower sales volume, higher salaries and wages, higher stores and spares expenditure, higher repairs & maintenance expenditure, increase in royalty on iron ore, increase in purchased power rate, lower BF productivity, higher usage of imported coal in the blend due to lower availability of indigenous coal, higher interest charges, higher depreciation due to capitalisation of new facilities and reduction in interest earning on term deposits."

g. Furthermore, increasing sales levels of other domestic producers and boosting market demand, misperception concerning capacity utilization and finally no significant change in employment levels raises doubt on the severeness of serious injury alleged by the Applicants.
h. Turkey's individual share in India's subject merchandise imports, in terms of quantity, corresponds to levels under 3 % and collective import share of developing countries with a ratio below 3 % is far from reaching 9 % of India's total imports of the product under consideration in 2014 and the three quarters of 2015, which should be interpreted under the prevailing provisions of Article 9.1 of AoS. Hence, Turkey believes that India should exclude Turkey from the imposition of any measure.

D. **Govt. of Ukraine**

a. According to the Application's data, there was decrease in imports of the product under consideration by 46% in the period 2013-14 as compared to 2012-13. Imports decreased by 0.3% in 2014-15 as compared to 2012-13.
b. According to the Application's data approximate market share of the import in 2015 2016 will remain without changes as compared to the same period of 2012-2013
c. The Applicant's approach of showing the increase in imports grounding on annualized forecast for 2015-2016 and relevant notice of initiation of this safeguard investigation contradicts the principles and provisions of the Agreement on Safeguards.

d. According to the Application, the Indian industry indicators showed positive trends during 2011-2015 and therefore, the position of the domestic industry shall not be qualified as being caused by serious injury in the meaning of the Agreement on Safeguards:

i. total domestic sales increased by 2.3% in 2014-2015 as compared to the same period of 2012-2013 and approximately can be increased till 2.4% in 20152016;
ii. total production of domestic industry increased by 1.55% in 2014-2015 as compared to the same period of 2012-2013 and approximately it share can be stable in 2015-2016;
iii. market share of domestic industry increased by 3 percent points, i.e. from 70% to 73%, in 2014-2015 as compared to the same period of 2012-2013.

e. Considering trend of import supply, the absence of serious injury to the domestic industry and influence of factors other than increased imports on the domestic industry, it is obvious that there is no causal link between increased imports of the product concerned and serious injury within the meaning of Article 2.1 and 4.2(b) of the Agreement on Safeguards.
f. There are no critical circumstances where delay would cause damage that would be difficult to repair.

E. **European Union**

a. The imports first dropped significantly by 46% in FY 2013-14 before surging again to the FY 2012-13 levels and eventually reaching its highest level over the period analysed in FY 2015-16. In this regard, the sudden and sharp increase of imports required by the WTO Agreement on Safeguards (WTO SG) actually took place in the period FY 2013-14 — FY 2015-2016. The Commission therefore invites the investigating authority to focus its injury and, in particular its causality analysis, to this period, in order to ensure a fair and objective examination.
b. The applicants indicate that their production volume has decreased by 343.659 MT (7%) over the period FY 2012-13 -- FY 2015-16 ("period of analysis"). However it should be noted that when the surge of imports took place, i.e. in the period 2013-2014 to 20152016, the Domestic Industry's production volume actually slightly increased. In any event, during the overall period examined, the decrease in production of the Domestic Industry cannot be attributed to the increase in imports but should rather be attributed to the decrease in captive consumption for the applicants (-211.598 MT) and to the increase in sales by the other domestic producers (+158.469 MT) over the same period.
c. Concerning the domestic sales and market share of the applicants, the sales volume overall increased and the corresponding market share has remained stable throughout the period of analysis at around 70%, thus not showing any sign of injury.
d. Regarding, price depression, price suppression, price undercutting, price underselling, profitability and ROCE, the information has only been provided in indexes and weighted average of these indicators has not been disclosed.
e. The level of the import prices has however simply followed the trend of international prices that have mostly been driven down by a declining cost of the main raw materials. Interestingly, the Indian "costs to make and sell" have surprisingly not followed the same trend or decreased in the same proportions over the period of analysis. Such evolution puts into doubt the efficiency of the applicants, and confirms the fact that there are a number of other factors that seem to have had a significant impact on the situation of the complainant.

f. The steel sector is highly capital intensive and the capacity utilisation rates of the domestic industry in this case have been quite low during the overall period examined. While it is very difficult to conceive that a steel industry is sustainable with capacity utilisation rates as low as 45%, it is even more difficult to understand why this industry has decided to further increase its capacity.

g. Furthermore, the captive consumption of the applicants has decreased significantly and the sales of supporters have increased significantly. These factors and their bearing on the evolution of capacity utilisation rate, domestic sales, market share and incidentally the cost of production of the applicants should be taken into account in the analysis.

h. Regarding cost of production, the petitioners report that the "cost to make and sell" has decreased by 3% over the period of analysis. As is reported by various specialized sources. the cost of the main raw material for manufacturing the PUC, i.e. hot rolled coils, has decreased by over 20% over the period considered as a consequence of the overall decrease in the price of the raw materials used, i.e. iron ore, coking coal and scrap. It is therefore difficult to understand how the "cost to make and sell" for the petitioners has remained almost unchanged over the period of analysis — and even increased in 2013-14- in a period of general price and cost decrease. It seems rather that the injury suffered and the reported undercutting and underselling margins are due to the inefficiency of the petitioners, and their incapacity to take advantage of the overall raw material price decrease, to subsequently decrease their "cost to make and sell", and adapt to the evolving market conditions. Furthermore, no information regarding the necessary investments for the capacity building and their impact on the cost of production has been provided.

F. **Govt of Mexico**

The Mexican exports to India during the period of time from January, 2012 to September, 2015 represent less than 3%. As provided by Article 9.1 of the Agreement on Safeguards of the World Trade Organization, and due to the fact that Mexico is a developing country Member of the referred Organization, the exports of Mexican product in to India may be excluded from the any safeguard measures.

G. **Govt. of Indonesia**

a. Article 2.1 of the Agreement sets high standard requirements to prove there is evidence of increased import due to unforeseen development which caused serious injury or threat of serious injury to the domestic industry.
b. Under Safeguard Agreement Article 4.1 (a) (b), a safeguard measure may only be applied in extraordinary situation that is only for the purpose of proving remedy to the domestic industry suffering serious injury or posing a threat of serious injury.
c. The scope of PUC is too general. Although the DG has explained the PUC in the present investigation is Hot-Rolled Flat Sheets and Plates (excluding Hot Rolled Flat Products in Coils Form) of Alloy or Non-Alloy Steel, but the scope of steel products which including in this investigation process because the tariff heading 7208 includes "in coils and plate "products. This situation also given an unbiased in calculation of total imports PUC.
d. There is no sudden, recent, sharp, and significant increase in imports of PUC in the period of investigation (POI), on the other hand, share imports of PUC is relatively stable.
e. Further, based on data published on International Trade Centre (ITC), imports of POI from Indonesia are relatively low, more over for some of tariff heading, there are no export from Indonesia. On the other hand, Indian national production of the POI are relatively stable.
f. The criteria under Art. 4.1(a) of AOS cannot be met since there is no serious injury to the domestic industry caused by the increase of imports in particularly the increase of imports from Indonesia.
g. Total sales of all Indian producer was increased in 2013-2014 and relatively stable after that year.
h. There is no causality could be drawn between import surge of PUC with the condition of Indian domestic industry being injured. It could be well concluded that there is no proof of import surge from Indonesia as well as the injury of domestic industry caused by import in the non-confidential report.
i. Unforeseen development: Based on information from the exporters, the Government of India has increased import duty for flat steel product from 7.5% to10% on 17thJune 2015 and decided to increase the import duty by 2.5% or to be 12.5% in12thAugust 2015 (Notification No. 45 ' 2015-Customs). However, most steel makers in Asia enjoy duty cut due to bilateral trade (FTA).
j. Indonesia is a developing country the PUC originating from Indonesia has specific types (not in coil and/or hot rolled plate) and the share of import is less than 3%, therefore Indonesia should be excluded from the imposition of safeguard duty.

H. **Govt. Of Saudi Arabia**

According to the Export-Import Data Bank of the Department of Commerce of India. imports of the product under consideration from the Kingdom of Saudi Arabia accounted for significantly less than three percent of total imports into India during the period of investigation. The Kingdom of Saudi Arabia is a developing country WTO Member and hence its exports should be excluded from the scope of safeguard measure

I. **M/S M R Steel Corporation, Hyderabad, M/S Mahadev Steels, Hyderabad, M/S Sri Sidhi Vinayak Steels, Hyderabad, M/S Sakshi Steel-N-Alloys, Bangalore.**

a. Manufacture are unable to provided good quality material of above 63 mm Thickness like UT untested , unnormalised , straightness etc and also they are unable to provided some grade of material like C 45 plates , P 20 , 4140 grade etc .
b. Market share of the domestic producer above 63 mm thickness is very less and it is not possible to reduce the proposed thickness from 150 mm to 63 mm.
c. The safeguard duty has been imposed on the products which Indian Manufacture are not producing, then local industry will suffer & then SME Sector would not be in a position to compete in Export market.
d. The PUC above 63 mm thickness & special grade material like C 45 , P 20 , 4140 grade etc should be exempted from safeguard duty.

J. **Kobelco Cranes India Pvt Ltd., Andhra Pradesh**

a. Kobelco only use Qualified plates made by Qualified vendor.
b. Qualified vendor for plates include Japanese and Korean steel maker.

c. In India to increase the local content, Kobelco Cranes Japan selected 3 steel manufactures in India for qualification process of their plate product in 2013. Kobelco Cranes Japan cautiously check the process of each steel mills for their stable supply of the product without any defect or failure in volume production.
d. As a result of this qualification process, one Indian mill passed the qualification process. However this vendor may not have the good customer base for the plates, Kobelco using.
e. Besides concern on consistent quality of plate, Kobelco have concern on this qualified vendor as this vendor has some issue on stable supply.

K. **IDL Explosives Limited, Hyderabad.**

a. Imports by IDL Explosives Limited are very negligible andis used for own consumption for manufacturing clad plates.
b. The domestic Industry is not able to supply the required grades, sizes and quantity because of small order quantities.

L. **China Steel Corporation, Taiwan**

a. The applicant had attempted to fill the gap between its wrongly lay blame on increased imports and the unforeseen developments requisite by enlisting increase in domestic demand and exchange rate.
b. The Petition alleged as its "unforeseen developments" event that other countries disposed off their excess production into India due to the decrease in demand of the rest of the world, as a result of increase in demand in India. This assertion is not only baseless because the captive consumption in India was shrinking during the Period of Investigation (POI) and the total demand in the country grows only marginally (i.e., 5%) during the POI
c. The Petition further contended that the depreciation in foreign currency encouraged other countries to export products to India. Nevertheless, as per the historical Indian Rupee exchange rate published by Reverse Bank of India, the Rupee was actually depreciated substantially during the POI,4 making imports more expensive and, therefore, a less preferable choice for the user industries of India. The Petition fails to identify how the major export countries of PUC had benefited from the depreciation of currency and thereby increasing their exports to India.
d. The import trend over the POI shows that the imports have dropped severely in 2013-14, subsequently went back to the same level of 2012-13 during 2014-15, and then increased only in the last reference year. This movement of imports during 2012 to 2016 and trends of market demand and market shares, the increase in imports is obviously not in a "sudden, sharp, and significant" fashion or magnitude.
e. As per the data provided in the Petition, the market share of imports grows only by 3% during the POI. There is no indication whatsoever that the market share of domestic industry has been, or is being, taken away by imports to any significant extent. As a result, the domestic industry, which holds almost ninety percent (90%) of the market share, did not suffer from a modest increase in import, nor under threat of, any injury that can be viewed as "significant overall impairment".
f. After netting out the captive consumption, except a uplift in 2013-14, the domestic production remained virtually flat at the level of 4.8 million tons during the POI, which confirms that there was no injury suffered by the domestic industry.
g. Taiwan is widely regarded as a developing country by multiple WTO Members and international organizations. As per the export statistics of Taiwan, PUCs from Taiwan to India is well below the negligible threshold, 3%,and hence the export from Taiwan should be exempted from any safeguard measure under Article 9.1 of the Agreement.
h. CSC sincerely requests DG Safeguard to exclude from the safeguard measure the atmospheric corrosion resisting steels, including, but not limited to JIS G312522, COR-TEN23 , ASTM A 24224, ASTM A 58825, and ASTM A 60626 grades , as well as other products encoded with CSC's own product codes, such as CSC-SPAH, compatible with the foregoing international standards.
i. DG Safeguard should hold consultation with the relevant Members, including Taiwan, in due course to collectively work out a mutually beneficial, fair and just solution, in accordance with Article 5.2 of the Agreement.

M. **M/s. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, M/s. JFE Steel Corporation, M/s. Kobe Steel, Ltd. and M/s. Nisshin Steel Co.Ltd. Japan,**

a. The volume of imports as provided by the Petitioners in the application remains inconsistent with the figures of imports volumes reported in the Initiation notification.

b. The volumes reported in the Petition and in the Initiation Notification specifically with regard to the other Indian producers remain the same. First, the Hon'ble Director General should have called for independent data with

regard to the volume data of the Petitioners as well as other domestic producers and accordingly updated the analysis as reported in the Initiation Notification.

c. The Petitioners at page 3 have clearly stated that they have merely relied upon anextract of volumes for hot rolled plates and sheets segment as a whole and not forthe product under consideration as regards the category of "other Indian domestic producers" are concerned. The accuracy and adequacy of the data placed on record remains in doubt and therefore as long as these defects remain, the proceedings stand vitiated. Therefore, it is humbly requested that the Hon'ble Director General (Safeguards) should collect the actual sales and production data from other producers. Until such data are collected and verified, the standing of the domestic industry remains inconclusive.

d. The Exporters submit that there are certain grades of the product under consideration which are not produced by the domestic industry, and are not substitutable by the grades produced by the domestic industry. These grades pertain to two main usages:
   i. Construction Machinery, and Earthmoving & Mining Equipment Uses
   ii. Energy Use for Water Power Generation and Thermal Power Generation

e. Complete details of the various product exclusions and specific grades thereof are being included (with corroborative evidence) as part of the Exporters Questionnaires being filed by the respective cooperating Exporters from Japan. The Hon'ble Director General (Safeguards) is requested to kindly take the same on record and accord the exclusions demonstrated.

f. The levy of safeguard duties requested by the Petitioners will gravely affect public interest as there are several products and grades under the present product scope definition that are either not produced by the domestic industry or not supplied in sufficient quantity and quality.

N. **POSCO, Korea**

a. The Product under Consideration covers a broad scope of products. Grades which are not produced by the Domestic Industry are also included in the product scope.

b. The data provided by the Domestic Industry is misleading as it does not mention the exact category, grades and type of product in respect of which the data has been provided.

c. The DI is misusing the trade barriers to eliminate fair competition. Imposing safeguard duties will have an adverse cascading effect on the down stream industries and end users.

d. The steel companies have accumulated huge debt over past 5 years because of capacity expansion, acquisitions and rupee depreciation.

e. There is no increase in imports, let alone surge in imports. Imports have declined from 462,309 MT in 2012-13 to 323,924 MT in 2013-14. Imports have increased nominally from 577,294 MT in 2014-15 to 688,537 MT in 2015-16 (A).

f. There is a difference in capacity reported in Annual Reports of the Applicants and the Petition. Moreover, applicants have hidden the fact of large capacity additions in 2014. Applicants have increased the capacity to such an extent that it has exceeded the entire domestic demand. New capacity additions are leading to higher start up costs and low utilization.

g. The DI has not been able to increase its production commensurate to increase in demand for PUC. During 2015, the production of DI increased by 0.06% whereas the demand increased by 3.41%.

h. The sales to production ratio of the Applicants are increasing during the POI.

i. The market share allegedly lost by the Applicants has been taken by the supporters. Market share of supporters increased from 6% in 2012 to 10% in 2015.

j. Price of PUC varies from specification to thickness and no explanation has been provided w.r.t methodology for calculating the landed value of PUC. In addition, price undercutting and underselling analysis provided is not in respect of post POI period. Unless information w.r.t post POI is examined, it cannot be said that there is a likelihood of injury.

k. There does not seem to be any casual link between the imports and performance of the DI. The volume of imports from Korea is negligible of total demand. The average imports from Korea as a percentage of domestic production was 1.3% in POI.

l. The market share of POSCO in the domestic market is negligible and hence cannot be treated to cause or threaten to cause serious injury.

m. The imports from Korea are for specific end-users such as users of off-shore energy development projects. Offshore structures must possess high fracture toughness. Many grades of PUC are not fully available in the domestic market. Therefore, such high quality of Hot Rolled plates used by the offshore projects should necessarily be excluded from the PUC when examining injurious effect of imports.

n. There is no injury on account of imports. During 2012-13 to 2013-14, there was a significant fall in domestic sales and also a fall in imports. However, sales of the other producers experienced a surge in market.

o. Safeguard measure is against the Signatory of CEPA, 2009
p. Imposition of safeguard duty would be against the public interest. Japanese and Korean corporations have contributed to the economic development of India.
q. If market share of supporters and applicants should be taken together, there would be no significant fall so as to qualify as an injury.
r. The unutilized capacity is a consequence of existing domestic demand and not the imports. Even total satisfaction of demand would not allow the Applicants to utilize their capacities.
s. There is no relation between profitability of the DI and Imports. There is no nexus between the imports and the profits made by the Domestic Industry.
t. There is no causal link between imports and serious injury to DI. The Applicants have been affected on account of factors such as increase in raw materials, volatile currency, operational issues etc.
u. The initiation notice as well as the petition filed by the Domestic Industry is completely silent with regard to the fact that there existed 'unforeseen circumstances'.
v. POSCO requests DG Safeguards to conduct separate investigation on imports from Korea.
w. Quality issues, availability of a stable, diverse source of HR Sheets and Plates is the primary reason for global sourcing for Korean corporations in India. It will be against public interest to not take into account these issues.
x. There is no employment loss.
y. POSCO humbly prays to DG Safeguards to terminate the investigation proceedings and refrain from imposition of any provisional safeguard duty.

III. PUBLIC HEARING

1. A public hearing was held on 10th Febuary, 2016. The interested parties, along with the Domestic Industry made oral submissions at the time of Public hearing. In terms of sub rule (6) of rule 6 of the Custom Tariff (Transitional Product Specific Safeguard Duty) Rules, 1997, all the interested parties who participated in the public hearing were requested to file written submission of the views presented orally.

2. Copy of written submissions filed by one interested party was made available to all the other interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties.

3. All the views expressed by the interested parties in their written submissions in pursuant to the public hearing held on 10th Febuary, 2016 were examined and have been taken into account in making appropriate determination. The non confidential version of the information received or acquired has been kept in the public file.

4. A brief summary of the written submissions filed by the interested parties after public hearing are as under:

A. Steel Authoirty of India Ltd., Essar Steel India Ltd., Jindal Stel & Power Ltd. And JSW Steel Ltd.(Domestic Industry):

a. MIP is introduced against 173 HS Codes under Chapter 72 of ITC (HS). The DI is not seeking a double protection by way of both MIP and safeguard duty. The DI would be left with no protection once the MIP notification expires. Therefore, they request the Authority to continue with the present safeguard investigation and the duty may come into force from the date the MIP notification expires on the subject goods.
b. Imports more than doubled in 2015-16 compared to 2013-14. Import volume was the highest in 2015-16 compared to the three preceding financial years also. The market share of imports of the PUC has almost doubled in total demand including captive in 2015-16 from the year 2013-14.
c. The DI has not been able to increase its sales commensurate with the increase in demand. During 2015-16, demand (excluding captive) increased by 316,861 MT compared to 2014-15. During the same period, sales of the applicant DI increased merely by 34,480 MT.
d. Despite increase in demand, the DI's production, capacity utilization and sales have declined, while share of imports in demand has sharply increased
e. The profits of DI reduced drastically during 2014-15 and the domestic industry started incurring losses from fourth quarter of financial year 2014-15. If appropriate remedial measures are not put in place immediately, the domestic industry runs a risk of the banks/financial institutions recalling their loans and thereby inflicting a sudden death to the DI.
f. Domestic Industry has been constantly forced to reduce its prices to match the landed value of imports. Imports have consistently been undercutting the prices of domestic industry during the POI. Moreover, there have been serious instances of price underselling, depression and suppression.
g. The injury parameters overwhelmingly indicate that the DI is suffering serious injury.

h. There exists a strong nexus between the sudden and sharp increase in imports of the subject goods. Imports of the PUC have increased relative to production and also relative to consumption in India. Imports were 8% in production of the DI in 2013-14, which doubled to 19% in the 2015-16.
i. There is constant increase in imports of PUC at reduced prices. Imports with less CIF value less than US$ 350 per MT during July 2015 were 1,457 MT. The same has increased to 71,413 MT during December 2015.
j. Recommendation of definitive safeguard duty on ad valorem basis would not be able to protect the domestic industry as exporters of the subject goods will absorb the ad valorem duty in their prices. The DG Safeguards may recommend safeguard duty on reference price basis.
k. The DG Safeguards is requested to recommend safeguard duty for 4 years confirming reference price as stated in the Minimum Import Price Notification No. 38/2015-2020 dated 5 February 2016.
l. The DG Safeguards is requested to kindly consider the most recent import prices while determining the final safeguard duty.

B. Government of Ukraine:

a. Import volumes decreased by 46% in 2013-14 and by 0.3 % in 2014-15 as compared to 2012-13.
b. Applicants have relied on annualized forecast for 2015-16 to show an increase in imports violating Article 4.1(b) of the Agreement on Safeguards.
c. There is absence of serious injury to the domestic industry. The injury indicators show positive trend during 2012-2015. Market share of all Indian producers increased from 80% to 85% in 2014-15 as compared to 2012-13. Domestic sales of the Applicants increased by 2.3% in 2014-15 as compared to 2012-13. Moreover capacity of the Applicants also increased by 9.4% in 2014-15 as compared to the same period in 2012-2013.
d. Domestic competition between the domestic producers had significant impact on the Applicants. There is no causal link between increased imports and injury to the domestic industry. There are factors other than increased imports which are causing injury to the domestic industry.
e. Government of Ukraine request the DG Safeguards to terminate the investigation without imposition of safeguard duties.

C. Govt. of Brazil

a. The POI covers length of time not yet elapsed and for which no actual data concerning the DI situation or the imports are available. The increase in imports can only be observed when 2015-16 (A) period is taken into account. If the period for which the actual data is available, there is no “surge” in imports.
b. Many indicators of the domestic industry do not lead to a conclusion that that there is an existence of serious injury or even threat of serious injury.
c. Sales of other producers have increased by 19.2% from 2012-13 to 2014-15, despite the increase in imports. Sales of other companies and captive consumption had an impact on the performance of the domestic industry.
d. Major imports are from countries with which Indian has Free Trade Agreements (FTA’s). During April-September 2015, 59% of PUC imports originated from Indonesia, Japan & Korea.
e. The share of each exporting country in the total volume of the product under investigation imported by India was not informed. Moreover, a list of countries considered to be developing was not provided by India.

D. Russian Federation:

a. Imports from Russian Federation show more than eightfold decrease and accounted for less than 1% of total volume of Imports.
b. The increase in imports is not sudden, sharp growth of imports but restoration of delivery to the level of the period 2012-13.
c. Imports increased mainly from countries with which India have Free Trade Agreements (FTA’s). In 2015, India increased the import duties two times from 7.5% to 12.5%, that break the competitive conditions in favour of exporters with which India have FTA’s.
d. The main reason of deterioration of the situation of Indian national industry is because of surplus of production capacities and not increased imports.

E. Government of Indonesia (GOI):

a. Safeguard measures apply only in extraordinary situation. Government of Indonesia does not view any such extraordinary nature of the investigation based on the facts stated.

b. Government of Indonesia assumed the scope of the PUC is too general. The tariff heading 7208 includes "in coils and plate" products. This situation also given an unbiased view in calculation of total imports PUC. The GOI

would like to request an immediate clarification about classification of the PUC, mainly steel products under tariff heading 7208 as the PUC in this safeguard investigation.

c. Based on the data published on International Trade Centre (ITC) imports during POI from Indonesia are relatively low. Moreover, there is no sudden, recent, sharp and significant increase in total imports of PUC as per the import data in Notice of Initiation.

d. There is no evidence of serious injury or threat of serious injury. In the Notice of Initiation total sales of all Indian producers increased in 2013-2014 and remained relatively stable thereafter.

e. There is no causality between import surge PUC with the condition of Indian domestic industry being injured.

f. There is absence of any unforeseen circumstances. Most steel makers in Asia enjoy duty cut due to bilateral trade agreements. In our view, the Government of India should have been able to estimate effects of the FTA.

g. Indonesia is a developing country and the PUC originating from Indonesia has specific types (not in coil and/or hot rolled plate) and the share of import is less than 3%. Therefore Indonesia must be excluded from the imposition of safeguard duty.

F. Govt. of Turkey

a. Serious injury is one of the most important requirements for imposing a safeguard measure. The competent authorities shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry within the context of Article 4.2(a) of Agreement on Safeguards ("ASG")

b. In the Complaint, the subject merchandise sales of the Applicants increased from 3.68 million MT in 2012-2013 to 3.77 million MT in 2015-16 (Annualized) indicating a 2% rise in the sales.

c. Applicant companies did not disclose any figures on unemployment levels throughout the POI. It is clear that Applicant companies have not experienced any layoffs. Therefore, Turkey has serious concerns about validity of any substantial injury allegation.

d. There must be a causal relationship between any injury and increased imports. Investigating authorities have an obligation to investigate all relevant factors to determine the causal relationship between imports and serious injury. In other words, as Article 4.2(b) of ASG reads "when factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports." Moreover, the Appellate Body in Argentina-Footwear Case : "In an analysis of causation, it is the relationship between the movements in imports (volume and market share) and the movements in injury factors that must be central to a causation analysis and determination".

e. Profitability of the Applicants declined continuously throughout the POI starting from 2012-13 whereas imports also declined in 2013-2014 compared to 2012-2013. In other words, profitability of the Applicants decreased at the period in which the imports decreased. It is clear that the movements in imports do not coincide with the alleged deterioration in the profitability of the Applicants in the corresponding period.

f. In the Annual Report 2014-2015 of M/S Steel Authority of India Limited, one of the applicants and a prominent steel producing company in India mentions about some inherent problems that prevent them from responding quickly in a competitive market. Because of those inherent problems, it seems that applicants are willing to operate in a competition-free closed market. The fact that the same applicants recently applied for initiation of a safeguard measure in similar goods support our view that they are in pursuit of a closed steel market in India.

g. All in all, Turkey is of the view that some other known factors for domestic industry are available and the alleged injury cannot be attributed to imports in order to cover the inherent problems of domestic industry within the context of Article 4.2(b) of ASG.

h. The current investigation does not meet conditions and relevant requirements to impose a safeguard measure, particularly in terms of unforeseen developments, serious injury and causality.

i. Moreover, given the fact that Turkey's share of imports of subject merchandise is below 3 %, Turkey believes that India should exclude Turkey from the imposition of any measure within the context of Article 9.1 of ASG.

j. Consequently, Turkey would like to underline the fact that pursuant to the WTO Rules, the current investigation does not meet conditions and relevant requirements to impose a safeguard measure, particularly in terms of unforeseen developments, serious injury and causality.

G. European Commission

a. As far as POI is concerned, it appears that the actual sudden and sharp increase in imports required by the WTO Agreement did not take place between 2012-13 and 2015-16 as presented in the petition but rather between 2013-14 and 2015-16. In order to ensure a fair and objective examination of the various aspects of this case, the Commission urges the investigating authority to focus its injury and, in particular its causality analysis during this period.

b. There is no causal link between the development of the import volume and the situation of the Domestic Industry. The Commission fails to see any correlation between the decrease in production volume for the applicants and the surge in imports. The domestic sales volume of the applicants has increased overall and that it remained in line with the increasing consumption.
c. Commission notes that price and profit-related indicators have only been provided in indexes although the application is filed on behalf of four companies. Confidentiality cannot be an issue with such a number of petitioners. The Commission fails to understand why a weighted average of these indicators cannot be disclosed.
d. The level of the import prices has simply followed the downward trend of international prices. The cost to make & Sell of the Applicants have not followed the same trend and confirms the fact that there are a number of other factors that seem to have had a significant impact on the situation of the complainants.
e. By increasing their capacity, and consequently spare capacity, it is likely that the petitioners have contributed themselves to the alleged injury in the form of increased costs, e.g. depreciation.
f. A number of injury indicators including production volume, domestic sales and market share developed positively or remained stable when imports increased. The domestic industry seems to experience certain difficulties (mainly in terms of profit), that are not caused by theincreased imports, but by other factors.

H. <u>Krakatau POSCO ("PTKP"), Indonesia</u>

a. The safeguard measures are against the Signatory of AIFTA, GATT 1994 and Agreement on Safeguards. There is no negative impact of the imports from PTKP to Indian market.
b. Unforeseen developments should be interpreted to mean developments occurring after the negotiation of the relevant tariff concessions. There is inexistence of unforeseen developments in the present investigation.
c. The trend of import during 2012-13 to 2015-16 shows a decline during 2012-13 to 2013-14. Moreover, import from China, Korea, Japan and Indonesia is on decline from 2014-15 to 2015-16.
d. There is no increase in imports either in absolute terms or relative terms.
e. The production of domestic industry from 2012-13 to 2015-16 (Aug) is on decline while the demand is increasing. Therefore imports are needed to cover the gap.
f. Applicants such as SAIL & JSW are expanding their operations and therefore it contradicts the claims of serious injury.
g. Financial reports during 2014-15 of three out of four Applicants have achieved growth in revenue and growth in net expense.
h. There is no causality between the imports of PUC in regard to the injury claimed by the domestic industry. Three Applicants have achieved profit during 2014 and 2015 while Jindal only recorded loss. The injury claimed by the Applicants shall not be attributed to increase of imports.
i. PTKP requests to consider imports from Indonesia with reference to Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between Republic of India and the Association of Southeast Asia Nations ("AIFTA") . PKTP request the DG Safeguards to release Republic of Indonesia from the said investigation.

I. <u>POSCO, Korea:</u>

a. The present petition filed by the Applicant should be dismissed on this ground alone, inasmuch as there is already an existing safeguard measure in place in terms of MIP notification to protect the interest of DI and the DI cannot further jeopardize the interest of the imported by seeking double protection in terms of safeguard duty.
b. POSCO and other users request before the Hon'ble Authority that certain product exclusions should be granted for the following three categories of subject goods:

    i. PUC of Abrasion Resistance Quality;
    ii. PUC above a certain thickness and width;
    iii. Certain Specification meeting the demands of offshore structural uses.

c. Applicants averred that "end to end" financial report must not be taken into consideration while emphasizing on "surge in imports" in the domestic market. In the present scenario, there is no increase in imports leave aside surge in imports amounting to cause serious injury.
d. The Applicants have misreported its capacity utilization as only 38% during the year 2013-14 however as per the publicly available information the capacity utilization accounts for more than 70%.
e. The Domestic Production and Domestic Sales ratio has considerably increased during the POI.
f. The market share of the DI has been captured by the Supporters and not imports.

g. There is no demonstration of causal link between increased imports and serious injury with respect to the profit/losses of DI and imports. The losses of the Applicants are due to their move to increase their product capacities to unprecedented levels. The Applicants had to incur heavy debts and financial burden due to such increase in capacities.

h. Applicants have laid no evidence depicting any unforeseen circumstances or increase in imports under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury thereby justifying the imposition of safeguard measure.

J. Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, JFE Steel Corporation, Kobe Steel Ltd. And Nisshin Steel Co. Ltd.

a. The instant investigation must be terminated forthwith as any injury alleged to have suffered by the Petitioners has already been addressed in the form of MIP.

b. Certain grades of the PUC are neither produced nor substitutable by the grades produced by the domestic industry and should be excluded. Some of the grades not supplied by the domestic industry are:
   i. "ABREX" "EVERHARD"
   ii. "WEL-TEN", "K-TEN"
   iii. "S-TEN"

c. The infrastructure and construction sector are highly dependent on imports of the certain grades of the PUC imported from Japan. Hence, the imposition of safeguard duty would be contrary to the larger public interest.

d. There is no causal link between the alleged increase in imports and alleged serious injury claimed to have been suffered by the Petitioners. The share of imports doubled from 6% in 2013-14 to 12% in 2014-15, the capacity utilization of the Petitioners remained at 38% and production levels increased. Moreover, post 2013-14 all other volume parameters like productivity, market share and sales of the Petitioners have increased with rise in import levels.

e. A perusal of the data submitted by the Petitioners and data cited in the Initiation Notice show contradictory information with respect import volumes.

f. The increased imports in the investigation period comprise of a prospective period on annualised basis and do not pertain to a period of recent past.

g. There have been no unforeseen circumstances that have led to an increase in imports into India.

h. All imports from Japan which have resulted from the CEPA while analysing the factor of "increase in imports" in the present investigation must be excluded.

i. There is absence of any "serious injury" to the Domestic Industry. There appears to be no decline in production figures of the Petitioners, as may be ordinarily expected in case of a serious injury. The Petitioners have seen no decline in market share when compared to the base period and only a marginal decline of 1% if compared the year 2013-14, which again is not directly related to imports.

j. There has been significant capacity addition by the Petitioners over the POI. There has been no adverse change in either productivity or inventory levels also.

k. There is no causal link between the serious injury alleged by the Petitioner and the imports of the subject goods into India.

K. China Steel Corporation (CSC), Taiwan:

a. There would be a negative price undercutting and underselling after issuance of the MIP notification. The Government of India has already given more protection than required to the Domestic Industry and there is no need for the current safeguard investigation to continue.

b. No information has been submitted by the Domestic Industry regarding Adjustment Plans.

c. There is no adverse effect on the performance of all the supporting producers. In case these producers are not adversely impacted, how the Applicant companies can claim that they are adversely affected.

d. Unforeseen Developments alleged in the Petition are not specific, baseless and speculative. There exist no unforeseen circumstances.

e. The rupee has depreciated substantially during the POI, making imports more expensive and less preferable for user industry in India.

f. The absolute increase over the entire four reference years isabout100, 000 tons, and results in a relative increase of 3% market share for Imports. In view of the movement of imports during 2012 to 2016 and trends of market demand and market shares, the increase in imports is obviously not "sudden, sharp and significant" increase.

g. The domestic industry, which holds almost 90% of the market share, did not suffer from a modest increase in import, nor under threat of, any injury that can be viewed as "significant overall impairment".

h. Even if Domestic Industry is allowed to meet all demand in India, it will still not be able to operate at 50% of its capacity. Excess capacity built up is the main cause of injury to the Domestic Industry and not so called surge in imports.
i. Main reason for alleged serious injury to the Domestic Industry is imports at concessional rates of duties from Japan, Indonesia and Korea RP and not from Taiwan.
j. Taiwan is widely regarded as a developing country by multiple WTO members and imports of PUCs from Taiwan have been consistently under the 3% threshold in 2012-13 to2015-16.
k. CSC requests DG Safeguard to exclude from the safeguard measure the atmospheric corrosion resisting steels, including, but not limited to JIS G312522,CORTEN23 , ASTM A 24224, ASTM A 58825, and ASTM A 60626 grades , as well as other products encoded with CSC's own product codes, such as CSC-SPAH, compatible with the foregoing international standards.
l. In regard to the proper form of safeguard measure, CSC submits that Tariff quota may be the optimal choice for the DG Safeguard to adopt in order to achieve fair and reasonable distribution of future import sources.

L. <u>Ferrum Extreme Enginnering Pvt. Ltd.</u>

a. Safeguard duty, will adversely affect the survival of engineering industry.
b. Imports have to be made because many of the grades and thickness are not available with Essar Steel. There are other issues such as Minimum Order Quantity, Quality in procurement of our inputs from Essar Steel.
c. Essar Steel is also not capable to deliver our goods in time.

M. <u>Kobelco Cranes India Pvt. Ltd.</u>

a. For vital parts such as base and body of our cranes, only qualified plates from qualified vendor are used. The sample provided by Indian mills did not pass our sample tests.
b. The steel makers in India cannot provide stable and consistent product in quality. Kobelco uses plates only from qualified vendors in Japan & Korea.

c. Steel makers in India require very high Minimum Order Quantity (200-300 tons for volume production by each steel type) .Qualified vendors in Japan & Korea do not ask for such huge volumes as Minimum Order Quantity.
d. Safeguard might not be helpful to Indian steel industry to be competitive in the world market for long term.
e. Kobelco request for exclusion of certain grades of steel used in construction equipment such as-

(i) IS Standard IS 2062: 2011- E250A, E250C, E350A, E350C, E450BR,
(ii) JIS Standard G3106: 2008: SM400C, SM490C, SM570
(iii) JIS Standard G3101:2015- SS400, SS 490
(iv) Specific product of 40 kgs. or higher tensile plate product agreed between Kobelco and the certain steel mills with special specification.

N. <u>ISGEC Heavy Engineering Limited:</u>

a. IGSEC requests DG Safeguards to stipulate reference price form of safeguard duty. ISGEC imports steel which is very costly. In absence of reference price, imports by ISGEC would also attract safeguard duty.

b. Initiation notification covers steel plates upto 150 mm thick but most of the domestic manufacturers produce steel plates of much lower thickness. Therefore, investigation should be restricted only to thicknesses actually produced.
c. We request that reference to equivalent foreign specifications of Boilers and Pressure Vessels conforming to IS:2002 and IS:2041 (SA 515, SA 516, SA 537, SA 285, SA 299) should also be given along with Indian Specification in the Exclusion List so as to facilitate exemption from safeguard duty as is intended by the Initiation Notification.
d. Minimum import price having already been imposed on import of steel plates, the safeguard duty petition becomes redundant and should be terminated.

O. <u>Bombay Iron Merchants'Association (BIMA):</u>

a. Losses due to excessive loans of the steel companies cannot be attributed to import prices of steel into India.
b. PUC imported under Advance Authorizations cannot result in injury and it constitutes a major part of imports in the present case. Such imports must be excluded.
c. Data relied upon by Applicants from a private agency, IBIS reflects inflated figures favouring Applicants.
d. Situations in Thailand and Malaysia cannot be compared in any manner. Moreover, Malaysia had terminated the safeguard investigation w.e.f 8th January, 2016 on HR Coils.
e. There is misrepresentation by the Applicants to the extent that they have clubbed two separate HS Classifications under single Petition. Applicants have clubbed high performing domestic producers with marginal performers. Some of the Applicants are facing serious problems of financial indiscipline. BIMA request Authority to order for the CAG Audit to check the fairness of the affairs of these companies.

f. The main reason for decaling profitability is the high finance costs. Moreover, Applicants have made incremental investment of 41% from 2011-12 to 2014-15. However, the capacity installation of the Applicants has increased merely by 11%.
g. The fall in raw material prices have not been passé on to the domestic consumers thereby creating inflationary pressure on the economy. The domestic prices are very well above the international prices for the same subject goods.
h. Applicants have been exporting the PUC at internationally competitive prices but the same goods are being sold at higher prices in the domestic market.
i. Safeguard measure is an emergency measure and should be strictly used under the existence of emergency circumstances. Applicants only wish to make more profits by seeking imposition of safeguard duties.
j. Applicants are resorting to cheaper imports in spite of availability of raw materials in the domestic market. This shows the intent of the Applicants who want a liberal regime as regards to imports of raw materials but seek imposition of safeguard duty on import of finished goods.
k. Applicants do not constitute the Domestic Industry as claimed by the Applicants. Applicants have considered two products together for their own convenience.
l. Imports in 2013-14 cannot be construed as a benchmark. Even though there was an increase in imports in the year 2011-12 as compared to 2013-14, there has been no claim by the Applicants of any serious threat to the Domestic Industry. Moreover, in the year 2014-15, there was an import by POSCO, Maharashtra for captive consumption which has to be excluded from total imports.
m. Even when the prices of raw material decreased by 75%, prices of finished goods were maintained steady by the Applicants, thereby making windfall profits.
n. As per the annual reports of the Applicants, there is no decrease in profitability.
o. The nature and quantum of safeguard duty sought to be imposed is arbitrary and without any basis.

P. Process Plant & Machinery Association of India:

a. The structure of import duty on plates is inverted with respect to the import of finished equipment as import duty on Plates is 12.5% and import duty on finished equipment is 7.5%.
b. Plates of required specifications are not manufactured by Domestic Industry. The equipment used in process plant industries like Fertilisers, Refinery, Chemical, Pharmaceuticals, and Nuclear operate in very hostile conditions. The plates have to comply with special stringent property requirement for mechanical, chemical and heat treatment properties. These types of plates are not manufactured in India.
c. The Domestic Industry is not approved by the process licensers to supply Alloy Steel Plates and non-alloy steel plates of stringent chemistry in manufacture of the equipment.
d. The hot rolled plates for manufacturing boilers and pressure vessels confirming to IS2002 and IS2041 are not included in the scope of the product under consideration for imposing safeguard duty. This needs to be clarified to also include equivalent ASTM standard like SA516.

Q. Larsen & Toubro (L&T):

a. The maximum thickness of plates that can be supplied by Indian Industry is 85mm with respect to normalizing and also to satisfy reduction ratio of 1:3.
b. The manufacture of Alloy steel plates is not established in India. The Domestic Industry presently have not proved the capability to manufacture the alloy steel plates.
c. The equipment for the process Industry are manufactured to the specifications of Process licensers like KBR USA, Exxon Mobil USA, Casale Japan, Sapiam, Italy, Bechtel USA, Foster etc. The Domestic steel mills are not approved by the process licensers, for supply of raw material (Alloy and Non-Alloy Steel Plates) even for equipment which are to be supplied to the domestic tariff area.
d. The Safeguard duty should not be imposed. The duty on plates has already been increased last year.
e. The hot rolled plates for manufacturing boilers and pressure vessels confirming to IS2002 and IS2041 are not included in the scope of the product under consideration for imposing safeguard duty. This needs to be also made applicable to ASME, ASTM standard SA 515 and SA516 which is equivalent to these IS Standards.
f. The important specific alloy steel grades are SA203, SA204, SA302, SA387, SA533, SA537, SA542, 15Mo3, 16Mo3, 20MnMoni55, 9Cr1Mo etc. should be excluded as they cannot be supplied by the Domestic Industry.

R. Indian Wind Turbine Maufacturers Association, New Delhi

a. The imports reduced in the year 2013-14 as compared to the year2012-13 and the imports in 2014-15 were lesser as compared to 2012-13. The import quantities as above supplied for the period 2015-16 annualized and the same cannot be assumed to be correct in lieu of the MIP that has been notified by the GOI in February, 2016. The imports have not increased, rather they have decreased.

b. The supporters are having a positive and increased production, profit and sales. It is pertinent to bring to notice that the intention of the DI for excluding the supporters from becoming part of DI has to looked into.
c. Some of relevant factors such as production, sales, market share, inventory levels, and employment levels have remained stable during investigation period.
d. The capacity utilization in the last 3 years have remained constant even though the capacity has been increasing which in turn proves that the production level of the applicants has increased.

e. The export prices of the DI are lower than their domestic prices. The losses, if any suffered by the DI are due to their lower export prices and hence self inflicted.
f. The profitability of DI has decreased along with decrease in imports. This shows that there are other non-attributable factors that are causing injury to the DI. The other non-attributable factors causing injury to the DI are obsolete technology, high power & labour costs, high debts, improper due diligence of capital budgeting decisions etc.
g. The decline in profitability of the DI as a multi product company can not be attributable to the PUC.
h. The DI is incapable to supply the plates as per the desired specifications. Moreover there are supply chain constrains and serious quality issues with the plates manufactured by the DI. The Association requests the Authority to exclude "Specific Cut Sized Steel Plates" used for the purpose of manufacturing of towers for wind turbines and manufacturing of wind turbines from the purview of the safeguard measures.
i. There is no causal link being the injury being suffered by the DI and the alleged increased imports. The recent imports have decreased and still the DI has suffered losses.
j. The argument to consider time lag by the DI should be rejected forthwith. The average time lag is more than 2 months in case of EU and less than 2 months in case of Indonesia, Korea and Japan. Time lag in actual shipment is a normal business phenomenon.
k. The DI is already being protected by way of a tariff and a non-tariff barrier to an extent of 62.5%. In the event of restriction of imports below MIP, any imposition on account of safeguard duty over and above the Basic Customs Duty and the Minimum Import Price will only jeopardize the operations of the User industry and the Importers alike.

5. The brief summary of the rejoinder filed by the interested parties to the written submissions of other interested parties are as under:

A. <u>Brief of rejoinder filed by M/S Steel Authoirty of India Ltd., M/S Essar Steel India Ltd., M/S Jindal Stel & Power Ltd. and M/S JSW Steel Ltd.(Domestic Industry):</u>

a. <u>MIP Issue:</u>
   i. MIP does not affect the legal sanctity of the present investigation. The domestic industry has clarified that the DG Safeguards may recommend imposition of safeguard duty from the date when MIP expires.
   ii. It is not understood on what basis interested parties argue that MIP has increased the import price by 50% and the domestic industry is protected to the extent of 62.5%. Even if it is assumed that after imposition of MIP, import prices increased by 50%, it only means that the gap between unfairly low import prices and fair prices has reduced. This means that interested parties concede that before MIP, import prices were 50% lesser than fair prices expected by the domestic manufacturers in India.
b. <u>PUC related issue:</u>
   i. Some interested parties are of the view that hot-rolled plates for boilers and pressure vessels confirming to IS: 2002 and IS: 2041 or its equivalent specifications SA 515, SA 516, SA 537, SA 285, SA 299 should be excluded from the product scope. It is submitted that these grades have already been excluded from the product scope as per the Initiation Notice.

   ii. Kobelco Cranes India Pvt. Ltd. is of the view that the domestic industry cannot supply grades confirming to MIS Standard IS 2062:2011 E250A, E 250 C, E350 A, E350 C, E450 BR; and JIS Standard G3106:2008, SM 400C, SM 490C, SM 570, JIS G3101: 2015, SS400, SS 490. The domestic industry can manufacture these grades and have supplied the same in India. Therefore, these grades cannot be excluded from the product scope.
   iii. It is contended by Ferrum Extreme Engineering Pvt. Ltd that the grades it procures from JFE, Japan and SSAB, Sweden are not supplied by Essar Steel in appropriate quality. Essar strongly objects to the above contentions. Essar has supplied as per requirements of Ferrum and is a regular supplier of subject goods in India.
   iv. The domestic industry has supplied grades of plates of non-alloy and alloy steel required for manufacturing pressure vessels, heat exchangers, reactors, boilers, etc to L&T which has been successfully used by L&T in both domestic as well as export orders.

v. The domestic industry has facilities to manufacture plates required in process industries like fertilisers, refinery, chemicals, pharmaceuticals and nuclear sector. The domestic industry can manufacture these grades and have supplied the same in India.

vi. Plates with nominal thickness above 85 mm cannot be excluded from the product scope. The domestic industry is capable of manufacturing heat treated plates up to 150 mm for structural applications and have supplied the same to reputed companies like HCC and L&T

vii. Interested parties have failed to point out the specific grades or specifications of alloy steel sheets and plates that the domestic industry cannot manufacture. Further, the domestic industry is approved by process licensors to supply alloy steel plates of stringent chemistry for project based requirements.

viii. Some interested parties are of the view that the domestic industry cannot manufacture atmospheric corrosion resisting steels, including, but not limited to JIS G312522, CORTEN 23, ASTM A 24224, ASTM A 58825 and ASTM A 60626 and other products encoded with China Steel Corporation, Taiwan's product codes, such as CSC-SPAH. Atmospheric corrosion resisting steels cannot be excluded from the product scope, as the domestic industry is manufacturing the same.

ix. The domestic industry is fully competent to manufacture various grades including for offshore projects run by ONGC and L&T. The domestic industry gets repeat business from its customers for grades meant for offshore applications.

x. The domestic industry can manufacture plates that can be used in construction machinery, earthmoving and mining equipment, water power generation (used in penstock) and thermal power generation. The contentions raised by some interested parties that domestic industry cannot manufacture these grades are without merit.

xi. With regard to the plates for wind turbine applications, the plates required for wind turbine's tower are structural grade plates that are commonly supplied by the domestic industry. The domestic industry has supplied these plates with much better dimensional tolerances as compared to international standards.

xii. Certain non-alloy steel is disguised as alloy steel by exporters in China PR as alloy steel was eligible for VAT refund in China PR. Due to this reason, exporters in China PR would add a small quantity of boron to non-alloy steel and declare their products as alloy steel to claim the VAT refund. Imports of these products are directly substituting the non-alloy steel manufactured by the domestic industry. Therefore, boron steel cannot be excluded from the product scope

c. Public Interest: Without safeguard duty, the domestic industry would be wiped out. If the domestic industry is wiped out, users in India would be left with no option but to pay any arbitrary prices that exporters would quote. It is in the interest of users in India that a robust and thriving domestic industry exists to cater to Indian demand and contribute to the Indian economy.

d. It is immaterial that imports from Japan, Indonesia and Korea RP increased due to the respective FTA's. Imports from these countries have occurred in huge quantities in the most recent period and these imports are at unfairly low prices causing serious injury to the domestic industry. Further, these FTAs have specific provisions that allow India to impose general safeguard duty.

e. India maintains a list of developing countries in terms of Notification No. 103/98-Cus dated 14 December 1998. Countries that are not on this list are recognised as developed countries. WTO members are not obligated to grant developing country status to a member country just because some other members have granted such status to one member. As per Indian law, Taiwan is a developed country.

f. Governments of Indonesia and Turkey argue that they should be excluded from levy of safeguard duty as imports from these countries were less than 3%. This contention is without any merit as imports from Indonesia and Turkey are above the three 3% threshold, respectively.

g. The Government of Brazil is of the view that India is under an obligation to provide a list of developing countries so that Brazil could exercise its right under Article 3.1 of Agreement on Safeguards. Article 3.1 nor any other provision of the Agreement on Safeguards obligates India to provide a list of developing countries. Further, it is pertinent to note that the list of developing countries maintained by India is freely available on the Internet

h. Period of Investigation: Some interested parties are of the view that period of investigation is fixed in the initiation notice and the DG Safeguards should not consider import data for the period of October-December 2015. The Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated 6 September 1997 issued by the DG Safeguards provides in paragraph 5(i)

that information should be provided for the most recent period of three years (or longer) for which data is available. Thus, the domestic industry had filed the petition with import data available up to October 2015. During the course of the investigation, the domestic industry provided import data up to December 2015.

i. Unforeseen Developments: Many interested parties have contended that the domestic industry has not been able to demonstrate existence of unforeseen developments in the petition. It is also argued that imports from Japan were occasioned due to India-Japan CEPA which has been effective from August 2011. It is also argued that the petition does not substantiate that imports from Russia and Ukraine were diverted to India. It is respectfully submitted that the petition very comprehensively demonstrates the existence of unforeseen developments. It is immaterial whether imports from Japan were occasioned due to India-Japan FTA. This contention would have been relevant only if the domestic industry had pursued a bilateral safeguard remedy under India-Japan CEPA. However, the domestic industry is aggrieved by sudden, sharp, significant and recent imports from all sources. Further, the domestic industry has already established earlier that there is no correlation between imports from Japan and entry into force of India-Japan CEPA.

j. Adjustment Plans: All the constituents of the domestic industry have filed separate questionnaires along with the petition that contained adjustment plans for each constituent of the domestic industry. The contention of some interested parties that Adjustment Plan has not been provided is without merit.

k. Source and Accuracy of Import Data: Interested parties have argued that IBIS data shows inflated figures favoring the domestic industry. The data is not authentic and is unreliable. The domestic industry submits that IBIS is a renowned agency and its data is regularly used in many trade remedy investigations, be it safeguards or anti-dumping investigations. JPC data cannot be used in this investigation because this data is only available at a broader level for the steel sector and not at PUC level. DG Safeguards can procure the DGCI&S data and compare it with IBIS data to verify the information.

l. Drop in Raw Material Prices: Interested parties argue that prices of raw materials have declined by 40% to 60% and consequently there is a fall in price of the subject goods. The Overall decline in raw material prices is much lower than what is claimed by the interested parties. The prices of end product cannot be reduced by the same percentage as that of reduction in raw material prices since the raw material cost forms only a part in, the total cost of production.

m. Self-inflicted injury: Interested parties have submitted that injury being suffered by the domestic industry is due to factors such a s high debt, high labour and power costs, use of obsolete technology. The domestic industry submits that in a capital intensive industry, like steel industry, having borrowed funds is a normal practice. Also, the domestic industry pays interest at the rates prevalent in the Indian economy and incurs power cost as per the market prices. Further, India is having an advantage of cheaper labour as compared to rest of the world. Therefore, the domestic industry fails to understand that how can labour cost be the reason for injury suffered by domestic industry.

n. Misrepresentation of Facts: The interested parties have relied on the figures reported in the Annual Reports and alleged that the DI has misrepresented the facts. They submitted that the Annual Reports present a better picture with respect to profitability and sales than submitted in the safeguard petition. The domestic industry submits that interested parties have failed to analyse the fact that the constituents of the domestic industry are multi-product companies and the figures reported in the annual reports are for all the operations. All the figures related to the PUC have already been provided by the DI to the DG Safeguards and has been duly verified during the verification process. Therefore, there is no misrepresentation of facts.

o. Better performance of supporters: Interested parties have stated that the performance of the supporters has been far better that the domestic industry. Share of supporters in the production of product under consideration is insignificant as compared to 86% share of the domestic industry in the total production. Moreover, the domestic industry rejects the claims made by the interested parties that there is no decreasing trend of profitability.

p. Depreciation of Indian Rupee: Interested parties have submitted that Indian Rupee has substantially depreciated during the POI, making the imports into India more expensive and less preferable as compared to the domestically procured goods. The domestic industry submits that despite of the depreciation in Indian currency, the import volume has surged during the POI. Moreover, currencies of exporting countries including Russia, Ukraine and Indonesia have depreciated at much higher rate than the Indian Rupee.

q. Injury Parameters: Interested parties have submitted that the DI is not facing any serious injury or threat of serious injury. Further, interested parties have submitted that there is no causal link between increase in imports and the injury suffered by the DI. The DI submit that market share of imports have almost doubled in 2015-16. Market share of imports in demand including captive sharply increased from 7% in 2013-14 to 15% in 2015-16, capacity utilization of the domestic industry has come down from 60% during 2012-13 to 50% in 2015-16, inventory levels have risen significantly and sales of the domestic industry is almost stagnant.

r. Inclusion of figures of Q3 of 2015: The domestic industry rejects the claims of the interested parties that third quarter figures of 2015 cannot be taken into consideration. The domestic industry submits that in the initiation notice itself, the POI has been selected as 2012-13 to 2015-16 (A). Further, as per the WTO Appellate Body Report in Argentina - Footwear, an investigating authority is required to examine the most recent data for determining sudden and sharp increase in import of subject goods. Therefore, the analysis of import volume holds good in law.

s. Causal Link: The domestic industry strongly rejects the claim of the interested parties that there is no causal link between increased imports and serious injury suffered. The strong nexus between sudden surge in import and serious injury faced by domestic industry is summarized below:

i. Imports were 8% of production of the domestic industry in 2013-14, which doubled to 19% of the 2015-16.
ii. The share of imports in total demand has increased substantially during 2015-16 Market share of the domestic industry has decreased even though demand for the subject goods has been rising in India.
iii. The domestic industry has not been able to increase its production and sales commensurate with the increase in demand.
iv. Profitability and return on capital employed have been drastically affected and the domestic industry went into losses during Q4 2014-15. The losses have severely increased during QI & Q2 of 2015-16.
v. Significant price depression, suppression, undercutting and underselling due to imports of the subject goods have already been explained in detail in the written submission post public hearing.
vi. Capacity utilisation, production and sales of the domestic industry has suffered adversely. Inventory levels of the domestic industry have also been on a rise.

t. Price of Imports: A few interested parties from Japan have submitted that the landed value of the imported goods from Japan as claimed in the petition is false and without any evidence. The domestic industry submits that the landed value reported in the petition is based on import statistics already submitted to the DG Safeguards and is also available in public file.

B. Brief of rejoinder filed by M/S Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, JFE Steel Corporation, Kobe Steel Ltd. And Nisshin Steel Co. Ltd.

a. The Petitioners have submitted IBIS import data for November and December 2015 with the written submission. We strongly oppose consideration of any post-POI data.
b. Assuming the MIP Notification is in force for 6 months or beyond, and thereafter if there are sufficient facts warranting for a safeguard measure, the Hon'ble Authority will be required to assess those facts as it would exist at such future date. The Authority cannot recommend imposition of safeguard measure for a future date based on a data for the current POI.
c. Products exported by the Japanese exporters differ significantly from that produced by domestic industry in terms of physical properties and usage. Certain grades of the PUC are neither produced nor substitutable by the grades produced by the domestic industry.
d. Due to annualisation of the most recent period i.e. (April – September) 2015-16 in the Petition, the increased imports in the investigation period comprise of a prospective period and do not pertain to a period of recent past. The examination of imports for merely six or nine months, albeit on an annualized basis, is not "sufficient evidence".
e. The data submitted by the Petitioners is contradictory to what was submitted in the Petition.
f. The injury claimed by the Petitioners does not meet the higher threshold of "serious injury" under the relevant laws.
g. The Authority should deny the request regarding to freight cost and time lag adjustments made by the Petitioners as factoring into freight cost and time lag would not be fair a comparison between the prices.
h. Petitioners are conspicuously silent on how the figures of non-injurious price have been arrived at. The Authority should evaluate the methodology used for arriving at the non-injurious price for not only the product under

consideration but also for the other products so that the Authority would reach arrive at "actual" non-injurious price.

i. There is no correlation between alleged increase in imports of PUC and the production and capacity utilization levels of the Petitioners.
j. There have been no unforeseen circumstances that have led to an increase in imports into India.
k. The present investigation has become in fructuous since the Government of India has imposed minimum import price restriction pursuant to the MIP Notification and thereby the investigation must be terminated.
l. The DG Safeguards should forthwith terminate this investigation on the basis that the information forming the basis for the initiation was not accurate or adequate and the initiation is bad in law.

C. <u>Brief of rejoinder filed by Indian Wind Turbine Maufacturers Association, New Delhi:</u>

a. Any action under a safeguard measure is permissible only in case of an emergency. An emergency action has already been taken in terms of imposition of MIP. DI is already having an umbrella of protection and no further protection under the safeguard duty action is required to be granted to the DI.
b. The Association challenges the Standing of the Applicants to constitute Domestic Industry as they have deliberately concealed each Applicant's share and have also excluded the Supporter Industry to become part of the Domestic Industry.
c. Applicants have submitted certain data till December 2015, but the same are not part of the period of investigation as per the notice of initiation, hence the same has to be ignored and rejected.
d. The analysis of market demand clearly shows that the imports have acquired market share from the "other producers" and not the DI or the supporters.
e. The DI has made serious judgment errors regarding investments and capital expenditures as the same is not true for the supporters, which in turn proves beyond doubt that this complaint has been filed by the DI as a means to recover its self-inflicted losses and injury.
f. The unforeseen developments pointed out by the domestic industry are related to production capacities being built in other countries.
g. DI has been facing anti-dumping and safeguards cases/duties in various countries due to their unfair trade practices and to compensate for the same the DI has filed for levy of safeguard duties on imports by falsely fabricating the entire scenario of the industry where by the imports are harming the DI.
h. The Association requests the DG Safeguards to consider the supporters as a part of the Domestic Industry.

IV. Additional submissions by the Domestic Industry after Introduction of Minimum Import Price (MIP) by Ministry of Commerce:

After the introduction of MIP on Steel products by the Ministry of Commerce vide Notification No. 38/2015-2020 dated 5th February, 2016, Domestic Industry, in response, have made the following additional submissions: -

a. The domestic industry vide their letter dated 17/02/2016 stated as follows: -

"*Recently, DGFT has issued Minimum Import Prices (MIP) on items being imported under Chapter 72 of ITC (HS), 2012 vide Notification No. 38/2015-2020 dated 5 February, 2016. It is pertinent to note that MIP is in force for a period of six months or until further orders by DGFT, whichever is earlier. This means that MIP could be revoked at any time before the six months period.*

It is worthy to note that the domestic industry has requested for imposition of safeguard duty for a period of 3 years. Though MIP addresses most of the concerns of the domestic industry, but it is in place only for six months or a lesser period. Once MIP expires, the domestic industry would be left without any protection from the surging imports at predatory prices. It is submitted that only safeguard duty is a more efficacious and long term remedy for protection of the domestic industry. In light of this, it is most respectfully requested that the DG Safeguards may be pleased to conclude the captioned investigation and recommend definitive safeguard duty on the subject goods.

To avoid any confusion of the applicable levy, safeguard duty may be levied from the date when MIP expires"

b. The domestic industry vide their another letter 17/02/2016 further stated as follows:-

"*It is respectfully submitted that recommendation of definitive safeguard duty on ad volorem basis would not be able to protect the domestic industry as exporters of the subject goodswill absorb the ad valorem duty in their prices. Further, many users in India have also raised concerns that even if they import the subject goods at more than the fair prices, they will still subject to ad valorem safeguard duty as and when the duty comes in to force. To address the concerns of both the domestic industry and users in India, it is requested that the DG Safeguards may be pleased to levy safeguard duty on reference price basis."*

V. EXAMINATION & FINDINGS OF DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS)

1. I have carefully gone through the case records, the replies filed by the domestic producers, users/importers, exporters and exporting nations. The written submissions and the rejoinder submissions made by them have also been considered appropriately. The submissions made by various parties and the issues arising there from are dealt with at appropriate places in the findings below:

2. Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of Safeguard Duty on imports. Its sub-section (1) provides for imposition of Safeguard duty by the Central Government on an article if the article is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry.

3. The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provides the manner and principles governing investigation.

4. The investigation has been conducted in accordance with the said rules and the Final Findings are recorded through this notification.

A. **The Product Under Consideration (PUC)**:

5. Several interested parties have raised issues on the product under consideration. All such issues are addressed below :-

i. Hot-rolled plates for boilers and pressure vessels confirming to IS: 2002 and IS: 2041 or its equivalent specifications SA 515, SA 516, SA 537, SA 285, SA 299: Some interested parties are of the view that these grades should be excluded from the product scope. Domestic industry submitted that these grades have already been excluded from the product scope. In this regard, the interested parties can refer to the initiation notice dated 7 December 2015, where exclusion of these grades is clearly specified. I find that the equivalent specifications SA 515, SA 516, SA 537, SA 285, SA 299 are not indicated to the product exclusion of the investigation. The same will also be added in the product exclusion clause.

ii. Items confirming to MIS Standard IS 2062:2011 E250A, E 250 C, E350 A, E350 C, E450 BR; and JIS Standard G3106:2008, SM 400C, SM 490C, SM 570, JIS G3101: 2015, SS400, SS 490: Kobelco Cranes India Pvt. Ltd. ("Kobelco") is of the view that the domestic industry cannot supply these grades and specifically products of 40 Kg or higher tensile plate product agreed between Kobelco and Certain Steel Mills with special specification. Kobelco also contends that when it procured sample of above grades from Essar Steel India Limited ("Essar") in January 2014, the sample failed in testing. In this regard domestic industry submitted that if Kobelco was indeed aggrieved by the lack of quality of Essar's products, it would not have entered into an MoU with the company. This MoU was signed by both the companies in July 2014. At the time of signing the MoU, Kobelco never mentioned to Essar's management that Essar's sample failed in testing. The domestic industry can manufacture these grades and have supplied the same in India. I observe that Indian steel industry is sufficiently advanced to provide the necessary grades of steel and hence the contention of M/s Kobelco Cranes India Pvt. Ltd is not accepted. **The specific evidences for the grades JIS Standard G3106:2008, SM 400C, SM 490C, SM 570, JIS G3101: 2015, SS400, SS 490** have not been provided by DI and hence are excluded.

iii. Grades procured by Ferrum Extreme Engineering Pvt. Ltd. ("Ferrum") from JFE, Japan and SSAB, Sweden: It is contended by Ferrum that the grades it procures from JFE, Japan and SSAB, Sweden are not supplied by Essar in appropriate quality. It is contended that Essar's grades do not meet charpy impact properties that Ferrum requires. It is further contended that Essar puts pressure on Ferrum to procure in bulk quantities while JFE and SSAB are willing to supply small quantities to Ferrum. The domestic industry submitted that they have supplied as per requirements of Ferrum and they are regular supplier of subject goods in India. The domestic industry further stated that the issue of material flatness claimed by Ferrum arose only in two plates which was promptly resolved by Essar. Thereafter, Ferrum has placed repeat orders with Essar and after that; there is no issue in supply of the subject goods to Ferrum. It is noted from the submission of the interested party that they are importing these speciality steels at a price above $ 850/MT, which is above the reference price as determined in subsequent paras of the recommendation.

iv. Plates of non-alloy and alloy steel required for manufacturing pressure vessels, heat exchangers, reactors, boilers, etc.: Larsen & Toubro Limited ("L&T") claims that the domestic industry has not supplied these grades to them. Domestic industry stated that they have indeed supplied these grades to L&T. The domestic industry further submitted that the material supplied by Essar has been successfully used by L&T in both domestic as well as export orders and Essar has received repeat orders from L&T for such grades. In this regard I find that , Larsen & Toubro Limited have not come out with any evidence to suggest that the same cannot be supplied by the Indian

industry. Hence the argument advanced by them is not accepted. **The evidences for grade SA204, SA 387 and 16Mo$_3$ mentioned by M/S L&T have been provided by DI and the evidences for the Specific alloy steel grades SA203, SA302, SA533, SA537, SA542,15Mo$_3$, 20MnMoni55, 9Cr1Mo have not been provided and hence are added in the exclusion clause.**

v. Plates required in process industries like fertilisers, refinery, chemicals, pharmaceuticals and nuclear sector: Some interested parties are of the view that the domestic industry cannot supply these grades. It is contended that equipment used in these sectors is subject to hostile operating conditions and such plates have to comply with stringent requirements for mechanical, chemical and heat treatment properties. It is argued that these types of plates are not manufactured in India. The domestic industry submitted that they can manufacture these grades and have supplied the same in India. The domestic industry has developed state of the art facilities to manufacture plates for all above applications. No material evidence to substantiate their claim for exclusion from the product scope has been produced **and even exact grades or specifications have not been provided**. As discussed previously, the Indian industry is sufficiently advanced to supply such materials. In the absence of any specific grades being pointed out, it is not possible to accept the request of the interested parties.

vi. Some of the interested parties are of the view that the Domestic industry can supply maximum 85 mm nominal thickness of normalised plates and satisfy requirements of reduction ratio of 3:1 only. The domestic industry submitted that they are capable of manufacturing heat treated plates up to 150 mm for structural applications and have supplied the same to reputed companies like HCC and L&T. In fact, in boiler and pressure quality range, Essar has manufactured up to 87 mm thickness with 1:3 reduction ratio. Further, Essar is approved by the Central Boiler Board as the slab thickness it can manufacture is 260 mm thick (3:1 ratio). Essar can also manufacture up to 130 mm thickness with 1:2 reduction ratio which is permitted as per ASTM A20 specification. Further, Jindal Steel & Power Limited ("JSPL") can manufacture plates up to 100 mm thickness with 1:3 reduction ratio and up to 150 mm thickness with 1:2 reduction ratio in boiler quality. I inclined to agree with the contention of the L&T and other interested parties. Essar has confirmed that they have not been able to manufacture plate of higher thickness with reduction ratio of 1:3. Simillarly, as regards JSPL, a statement has been made that JSPL can manufacture the same. They have, however not made any statement having supplied steel material to the domestic buyers in the past.

vii. Alloy Steel Plates: It is contended by interested parties that the domestic industry cannot manufacture alloy steel plates. It is argued that these plates are subject to stringent chemical compositions, maximum hardness limits, extended duration simulated heat treatments and should confirm to ASME, ASTM, EN, JIS standards, etc. It is contended that, the domestic industry is not approved by process licensors to supply alloy steel plates of stringent chemistry for project based requirements. The domestic industry submitted that the above claims by interested parties are without any merit and the contentions are mere generic statements. In this regard I observed that the domestic industry has already excluded from the product scope such alloy steel sheets and plates that it does not manufacture or does not have proven capabilities to manufacture or where it does not suffer injury from imports of such products. I further find that the interested parties have not specifically pointed out the relevant grade or specification of alloy steel sheets and plates that the domestic industry does not manufacture or does not have proven capabilities for or where it does not suffer injury from imports of certain alloy steel sheets and plates. Mere generic statements that the domestic industry cannot manufacture alloy steel plates cannot be accepted. **However, evidences have been provided by DI that they are approved by number of process licensors to supply steel plates for project based requirements.**

viii. Atmospheric corrosion resisting steels, including, but not limited to JIS G3125$_{22}$, CORTEN $_{23}$, ASTM A 242$_{24}$, ASTM A 588$_{25}$ and ASTM A 606$_{26}$ and other products encoded with China Steel Corporation, Taiwan's product codes, such as CSC-SPAH: Some interested parties are of the view that the domestic industry cannot manufacture the above-referred grades. The domestic industry submitted that they can manufacture the subject goods confirming to various international standards. Further, China Steel Corporation's ("CSC") claim that certain grades confirming to its internal product codes should be excluded is legally incorrect. CSC has not mentioned the exact grades or specification for product code CSC-SPAH for exclusion. **In this regard DI has not been able to produce evidences to suggest that the grades JIS G3125$_{22}$, CORTEN $_{23}$, ASTM A 242$_{24}$, ASTM A 588$_{25}$ and ASTM A 606$_{26}$ are supplied by them and hence are added in the exclusion clause.**

ix. Grades meant for use in offshore projects by, for example, ONGC, L&T, etc.: It is contended by interested parties that the domestic industry cannot manufacture the above-referred grades. The domestic industry submitted that they can manufacture plates in various grades including for offshore projects run by ONGC and L&T. The products supplied by the domestic industry have been regularly used for very critical offshore applications such as in structures and tankages. The domestic industry gets repeat business from its customers for grades meant for

offshore applications. **I find that the interested parties have not mentioned the specific grades and also fails to produce concrete evidences in this regard.**

x. Grades meant for use in construction machinery, earthmoving and mining equipment, water power generation (used in penstock), thermal power generation: It is contended by interested parties that the domestic industry cannot manufacture the above-referred grades. Specifically, interested parties argue that the domestic industry cannot manufacture the following grades:

a) "ABREX", "EVERHARD" (used in construction machinery),
b) "WEL-TEN", "K-TEN" (used in construction machinery and water power generation), and
c) "S-TEN" (used in thermal power generation).

The domestic industry submitted that the above contentions are without any merit. Interested parties have merely provided brand names of their products but have not provided the exact grade or specification the grade for which they require exclusion. The domestic industry is unable to effectively rebut such vague contentions without any complete information on the exact grade or specification. Further, it is to be noted that the domestic industry has world class plate mills with state of the art facilities. The domestic industry can manufacture plates that can be used in construction machinery, earthmoving and mining equipment, water power generation (used in penstock) and thermal power generation. I agree with the contention of domestic industry.

xi. Boron steel: Some interested parties have referred to a letter filed by the domestic industry dated 2nd December 2015 to argue that the domestic industry is aggrieved by imports of non-alloy steel that has minute boron content. Interested parties argue that minute quantities of boron are added to non-alloy steel as per the prerogative of a user of such goods. It is argued that such steel is being imported into India because the domestic industry is not manufacturing it. Domestic industry submitted that interested parties have misunderstood the domestic industry's contention regarding inclusion of boron steel in the product scope. The domestic industry had clarified in its letter dated 2 December 2015 that certain non-alloy steel products are disguised as alloy steel by exporters in China PR as alloy steel was eligible for VAT refund in China PR. Due to this reason, exporters in China PR would add a small quantity of boron to non-alloy steel and declare their products as alloy steel to claim the VAT refund. Imports of these products are directly substituting the non-alloy steel manufactured by the domestic industry. Therefore, boron steel cannot be excluded from the product scope. Further, the domestic industry has included imports of sheets and plates falling under tariff items 72254013, 72254019, 72254020, 72254030 and 72259900 as imports under these tariff items are directly substituting the products manufactured by the domestic industry that fall under the tariff heading 7208. In light of the above, the contentions of interested parties are without any merit. I accept the contention of the DI on this point.

xii. Plates for Wind Turbine applications: Indian Wind Turbine Manufacturers Association ("IWTMA") is of the view that the domestic industry is not capable of providing plates required for towers of wind turbine. It is argued that the domestic industry cannot supply plates up to required tolerances and width, and there are serious defects in the plates supplied by the domestic industry. These defects are plate pitting, door pitting, plates found with oil, plate surface found with defects after sand blasting, plates with cracks and bends, susceptibility to corrosion. It is also argued that imposition of safeguard duty would increase the cost of wind turbines. The domestic industry strongly objects to the above contentions. They submitted that plates required for a wind turbines tower are structural grade plates that are commonly supplied by the domestic industry. The domestic industry has supplied these plates with much better dimensional tolerances as compared to international standards. Domestic industry submitted that the quality complaints mentioned above are of generic nature. The domestic industry is regularly supplying these plates. Further, safeguard duty would not increase the prices of wind turbines but only take care of unfairly low priced imports that are coming in huge volumes. I accept the contention of the domestic industry.

xiii. Captive consumption of product under consideration: BIMA argued that captive imports by POSCO, Maharashtra should be excluded from total Imports. Here the modus operandi is that the foreign steel producer is supplying the subject goods to its Indian affiliate/affiliates. I find that there is no provision under law that exempts goods imported for captive consumption from the purview of safeguard duty. Therefore, the above contentions by interested party cannot be entertained.

xiv. Imports under Advance Authorizations**:-** BIMA argued that PUC imported under Advance Authorizations cannot result in injury and must be excluded from total imports. In this regard I observe that the imports under advance license cannot be segregated as the transaction wise date available does not contain any reference to imports specifically under advance license. Further, the imports under advance license can also be cleared into domestic tariff area on payment of applicable duties. Accordingly, total imports have been considered for the purpose of analysis.

6. In view of above, the product under consideration (PUC) taken up for investigation is now modified to read as under:-

"Hot Rolled flat sheets and plates (excluding hot rolled flat products in coil form) of alloy or non-alloy steel having nominal thickness less than or equal to 150mm and nominal width of greater than or equal to 600mm" whether or not rolled from universal plate mill including reversible plate mill or hot strip mill or tandem mill or steckel mill or any other similar process with various type of rolling configuration including 2-High, 3-High, 4-High, cluster mill or any similar hot rolling process.**"** hereinafter referred to as 'PUC' (Product under consideration) classifiable under Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975, under Tariff Heading 7208 and 7225 (72254013, 72254019, 72254020, 72254030 and72259900). These products include sheets and plates produced either directly from the hot rolling process or cut / sheared from hot rolled coils. These products are flat products of iron, alloy or non-alloy steel, in prime or non-prime condition having 'as-rolled' edge or 'trimmed' edge or "milled" edge or "sheared" edge or "laser-cut" edge or "gas-cut" edge. These products may be pickled or non-pickled (with or without skin-pass or tempering), normalized or un-normalized, ultra-sonically tested or untested or oiled or non-oiled etc. These products may be "as-rolled" or "thermo-mechanically rolled" or "thermo-mechanically controlled rolled" or "controlled rolled" or "normalized rolled" or "normalized" or subject to any other similar process. These products may have patterns in relief / chequered patterns of different types derived directly during hot rolling. These products may be sand blasted or shot blasted or subjected to similar processes. These products may find applications spread across various end-usages including but not limited to structural applications, general engineering & fabrication, automotive, earth-moving & mining equipment, storage tanks, low pressure heaters, treaters, tanks & other low pressure vessels, infrastructure and construction sectors such as port, railway, airport, bridges, fly-overs, power generation, transmission & distribution sector, wind-mill, ship building & boats, tube & pipe manufacturing for transporting semi-solid, liquid & gas. The following are not included in the scope of the product under consideration:

a) Hot rolled flat products of stainless steel;

b) API grade steel conforming to X-52 and higher API grades for manufacturing pipes used for pipeline transportation systems in the petroleum and natural gas industries;

c) Hot rolled plates for manufacturing boilers and pressure vessels confirming to IS 2002 and IS 2041or its equivalent specifications SA515,SA516, SA537, SA285, SA299 ;

d) The grades JIS Standard G3106:2008, SM 400C, SM 490C, SM 570, JIS G3101: 2015, SS400, SS 490, the Specific alloy steel grades SA203, SA302, SA533, SA537, SA542,$15Mo_3$, 20MnMoni55, 9Cr1Mo and atmospheric corrosion resisting steels grades JIS $G3125_{22}$, CORTEN $_{23}$, ASTM A 242_{24}, ASTM A 588_{25} and ASTM A 606_{26};

e) Steel plates that satisfy reduction ratio of 1:3 and are above 85mm in thickness.

f) Special grade material of steel C 45 , P 20 , 4140 grade.

g) Silicon electrical steel;

h) Cladded steel;

i) Quenched and tempered steel;

7. Accordingly, it is also held that domestically produced "PUC" falls under the ambit of like or directly competitive article in all respects to the imported product under investigation and that the domestically produced "PUC" is a like article to the imported "Hot Rolled flat sheets and plates (excluding hot rolled flat products in coil form) of alloy or non-alloy steel having nominal thickness less than or equal to 150mm and nominal width of greater than or equal to 600mm" (fully defined as PUC), within the meaning of Rule 2(e) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997.

B. **Domestic Industry (DI)**:

8.Section 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act 1975 defines Domestic Industry as follows:

"(b) "Domestic Industry" means the producers -

(i) as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or

(ii) whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India;"

9. The application is filed by M/S Steel Authority of India Limited; M/S Essar Steel India Limited, M/S Jindal Steel & Power Ltd and M/S JSW Steel Limited and together they account for more than 50% of the Indian production and hence are major producers. It is evident from the table given below:

Table-1

YEAR	Production of DI (MT)	All India Production(MT)	Share of DI(%)
2012-13	46,17,239	52,31,948	88
2013-14	41,03,109	52,86,002	78
2014-15	42,21,200	49,18,561	86
2015-16 (Up to Sept.,15)	21,22,308	24,93,601	85
2015-16(A)	42,44,616	49,87,202	85

10.Accordingly, it is held that the applicant domestic producer constitutes and represents the Domestic Industry (DI) within the definition of DI under Sec 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act,1975.

C. **Source of information**:

11. The product under investigation is imported into India under Custom Tariff Heading 7208 and 7225 (72254013, 72254019, 72254020, 72254030 and72259900) of Chapter 72 of First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The Safeguard investigation was initiated on the basis of import data of DGCI&S (Ministry of Commerce) from 2012-13 to 2015-16 (April to Aug, 2015). The domestic data from 2012-13 to 2015-16 (Till Sept., 2015) has been submitted by the domestic industry and the domestic data from 2012-13 to 2015-16 (Till Dec., 2015) has been verified by on-site visit by the departmental officers on the basis of excise records to the extent considered necessary. The import data as well as the domestic data from Oct, 2015 to Dec., 2015 in respect of various economic parameters has been furnished by the applicant, in their written submissions/rejoinder. Many interested parties have argued that import data from a private agency like IBIS is not authentic and tenable and the Authority should consider only JPC data. Interested parties have also argued that IBIS data shows inflated figures favouring the domestic industry.

12. It may be pointed out that IBIS data has earlier also been used in a number of investigations done by DG (Safeguard). IBIS is a known source of information in the trade and mere allegation of data not being authentic is not tenable. Also, the data from Govt. sources has a time lag and it is not available for the latest period. Therefore, at times, it becomes necessary to source data from reliable private sources as well. However, in the analysis done for the initiation notice, the import data from DGCI&S (Ministry of Commerce) has been taken. Further the import data of DGCI&S (Ministry of Commerce) from 2012-13 to 2015-16 (April to Sept, 2015) are being used for the analysis for final findings. The import data of DGCI&S (Ministry of Commerce) for the period 2015-16 (Oct.,15 to Dec, 2015) are being used for the post POI analysis. The cost data have been provided by the domestic industry duly certified by Cost Accountant and same has been verified by the Advisor (Cost) to DG (Safeguard).

D. **Period of Investigation (POI):**

13. Some interested parties are of the view that period of investigation is fixed in the initiation notice and the DG Safeguards should not consider import data for the period of October – December 2015. Some interested parties are also of the view that six months data for the financial year 2015-16 is not sufficient enough to reflect the performance of the domestic industry for the rest of the year. The domestic industry strongly objects to the above contentions. In this regard I find that there is no concept of a fixed period of investigation in a safeguard investigation. The Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated 6 September 1997 issued by the then DG Safeguards provides in paragraph 5(i) that information should be provided for the most recent period of three years (or longer) for which data is available. Thus, the domestic industry had filed the petition with import data available up to September 2015. During the course of the investigation, the domestic industry provided import data up to December 2015 i.e. the most recent period, which was also made available in the public file. The requirement of considering the most recent data arises from WTO Appellate Body's ruling in Argentina – Footwear where it is held that the level of imports should be sudden, sharp, significant and recent for an authority to levy safeguard duty. Further, it is incorrect to assume that six months data for 2015-16 does not reflect the performance of the domestic industry for the rest of the year. Projections can be easily made regarding performance of the domestic industry based on six months' data as this period is long enough.

14. Further It has been observed that neither the Customs Tariff Act, 1975, nor the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, specifically define 'period of investigation' or the minimum period to be considered for a Safeguard investigation. The WTO Agreement on Safeguards does not contain any general or specific provision or guidelines for choosing the investigation period. However the issue of period of investigation has been dealt in detail in Panel findings in US-Line Pipe Case against Korea (Para 7.196,7.199 and 7.201). The Panel in this case ruled that it is up to the discretion of the investigating authority of the importing Country to decide the "length of the period of investigation" and its "breakdown".

"We note that the Agreement contains no requirements as to how long the period of investigation in a safeguards investigation should be, nor how the period should be broken down for purposes of analysis. Thus, the period of investigation and its breakdown is left to the discretion of the investigating authorities. In the case before us the period selected by the ITC was five years and six months, which is a period similar in length to the one used by the Argentine investigating authority in Argentina — Footwear Safeguard. However, we note that the Appellate Body, in the findings relied upon by Korea to argue the question of the length of the period of investigation, emphasized not the length of the period per se, but that there should be a focus on recent imports and not simply trends over the period examined. In the case of the line pipe investigation the ITC did not merely compare end points, or look at the overall trend over the period of investigation (as Argentina had done in the investigation at issue in Argentina — Footwear Safeguard). It analyzed the data regarding imports on a year-to-year basis for the 5 complete years, and also considered whether there was an increase in interim 1999 as compared with interim 1998. We are of the view that by choosing a period of investigation that extends over 5 years and six months, the ITC did not act inconsistently with Article 2.1 and Article XIX. This conclusion is based on the following considerations: first, the Agreement contains no specific rules as to the length of the period of investigation; second, the period selected by the ITC allows it to focus on the recent imports; and third, the period selected by the ITC is sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding the existence of increased imports."(paras. 7.196, 7.199 and 7.201)

15. In view of above, considering these facts, and source of information stated above, it is considered appropriate to adopt data for the period 2012-13 to 2015-16(annualized on the basis of data up to Sept.,2015) for the purpose of the present investigations.

E. **Confidentiality of information submitted:**

16. Rule 7 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 and Article. 3.2 of WTO Agreement on Safeguards provides for confidentiality treatment to certain information. The rules provide that an Interested Party is not required to disclose such information on actual basis which is confidential information of the company and disclosure of which can cause serious prejudice to the business interests of such party, which is not in public domain and which the petitioner has not disclosed before public at large in the past.

17. I find that the Domestic Industry has provided some information on confidential basis and sought confidentiality on the information /data submitted. The Domestic Industry provided non- confidential version of the application for safeguard measure as per the provisions of Safeguard Rules 1997 and Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated 06.09.1997. Further, the Domestic Industry has submitted reasons for seeking confidentiality at the time of filing the application which appears to be reasonable and, therefore, has been accepted, whenever claimed.

F. **Increased Imports**:

18. Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 deals with the power of the Central Government to impose safeguard duty and provides as follows:

"(1) If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to Domestic Industry, then, it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article :"

19. The Rules mandate increase in imports as a basic prerequisite for the application of a safeguard measure. Thus, to determine whether imports of the product under consideration have "increased in such quantities" for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the increase in imports, in absolute terms or in relation to domestic production.

20. Rule 2 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 defines 'increased quantity' as follows:

"(c) "increased quantity" includes increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production."

21. With regard to the nature of the increase in imports, the Appellate Body in *Argentina—Footwear (EC)*, in contrast to the Panel, held that the increase in imports must have been recent, sudden, sharp and significant enough to cause or threaten to cause serious injury. Relevant extract is as follows:

"131. [T]he determination of whether the requirement of imports 'in such increased quantities' is met is not a merely mathematical or technical determination. In other words, it is not enough for an investigation to show simply that imports of the product this year were more than last year — or five years ago. Again, and it bears repeating, not just any increased quantities of imports will suffice. There must be 'such increased quantities' as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry in order to fulfill this requirement for applying a Safeguard measure. And this language in both Article 2.1 of the Agreement on Safeguards and Article XIX:1(a) of the GATT 1994, we believe, requires that the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause 'serious injury'."

22. The *Panel on US — Wheat Gluten*, interpreted the phrase "in such increased quantities" as follows:

"8.31 [Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1[of the Agreement on Safeguards ("SA")] do not speak only of an 'increase' in imports. Rather, they contain specific requirements with respect to the quantitative and qualitative nature of the 'increase' in imports of the product concerned. Both Article XIX:1(a) of the GATT 1994 and Article 2.1 SA require that a product is being imported into the territory of the Member concerned in such increased quantities (absolute or relative to domestic production) as to cause or threaten serious injury. Thus, not just any increase in imports will suffice. Rather, we agree with the Appellate Body's finding in Argentina — Footwear Safeguard that the increase must be sufficiently recent, sudden, sharp and significant, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause serious injury."

23. The analysis of the increased imports of the product under consideration has been conducted in the light of the above mentioned law and WTO jurisprudence.

Increased Import in absolute terms:

24. The analysis of the trend in imports of PUC in the light of the above mentioned provisions has been done. PUC is imported into India from a number of countries including China PR, Indonesia, Russia, Ukraine, Japan and Korea. Some of the interested parties contented that there is no actual sudden and sharp increase in imports required by the WTO Agreement.

25. In this regard, I find no merit in the objection from the interested parties as the analysis by taking into account DGCI&S import data for the Period of Investigation from 2012-13 to 2015-16(Up to Sept.,15) reveals as under:

Table-2

Financial Year	Total Imports (MT)	Trend
2012-13	6,01,667	100
2013-14	3,23,723	54
2014-15	599891	100
2015-16 (Up to Sept.,15)	384993	
2015-16(A)	769986	128

26. It is apparent from the data in the table above that there is a surge in import in absolute terms i.e Import increased from 601667 MT during the period 2012-13 to 769986 MT during 2015-16 (Annualised).

Import in relation to Production:

27. The imports of product under consideration in India during the period of investigation have increased in relation to all Indian production. The import with respect to total production increased from 6% in 2013-14 to 15% in 2015-16(A).

Table-3

Financial Year	Total Imports (MT)	All India Production (MT)	import with respect to total production(%)
2012-13	6,01,667	52,31,948	11
2013-14	3,23,723	52,86,002	6
2014-15	5,99,891	49,18,561	12
2015-16 (Up to Sept.,15)	3,84,993	24,93,601	15
2015-16(A)	7,69,986	49,87,202	15

28. It is apparent from the above that there is a sudden, sharp and significant surge in imports during the most recent Period of Investigation, both in absolute terms as well as in relation to total domestic production.

G. **Determination of Serious Injury and Threat of Serious Injury:**

29. Section 8B subsection 6(c) of Customs Tariff Act, 1975 provides as follows:

"Serious injury" means an injury causing overall impairment in the position of a Domestic Industry;

30. Section 8B sub section 6(d) of Customs Tariff Act, 1975 provides as follows:

"threat of serious injury" means a clear and imminent danger of serious injury.

31. The Paragraph 1 of Annex to Rule 8 of the Customs Tariff(Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997 provides as follows:

"In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a domestic industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment."

32. With regard to the overall impairment in the position of the industry, the Appellate Body in Argentina—Footwear (EC),in contrast to the Panel, held that an evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining" to justify a finding of serious injury. Relevant extract is as follows:

"139. In our view, it is only when the overall position of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on a situation of that industry, that it can be determined whether there is "a significant overall impairment" in the position of that industry. Although Article 4.2(a) technically requires that certain listed factors must be evaluated, and that all other relevant factors must be evaluated, that provision does not specify what such an evaluation must demonstrate. Obviously, any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining". In one case, for example, there may be significant declines in sales, employment and productivity that will show "significant overall impairment" in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate "significant overall impairment" of the industry. Thus, in addition to a technical examination of whether the competent authorities in a particular case have evaluated all the listed factors and any other relevant factors, we believe that it is essential for a panel to take the definition of "serious injury" in Article 4.1(a) of the Agreement on Safeguards into account in its review of any determination of *"serious injury".*

33. Accordingly, in analysing serious injury or threat of serious injury all factors, which are mentioned in the Rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury or threat of serious injury, have been considered. The determination of serious injury or threat of serious injury is based on evaluation of the overall position of the Domestic Industry, in the light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry which are as under:

a. **Production**: As seen from the table below, the production of the Domestic Industry decreased from 4617239 MT in 2012-13 to 4244616 MT in 2015-16(A).

Table-4

YEAR	Production of DI (MT)	Trend
2012-13	46,17,239	100
2013-14	41,03,109	89
2014-15	42,21,200	91
2015-16 (Up to Sept.,15)	21,22,308	
2015-16(A)	42,44,616	92

b. **Changes in the level of Sales**: It is seen from the table below that the sales of the Domestic Industry decreased from 36,55,162MT in 2012-13 to 34,68,496MT in 2013-14. Further the Sales of the applicant during 2015-16 (A) increased to 37,10,488MT as seen from the table below.

Table-5

Financial Year	Total Import (MT)	Sales of DI (MT)	Captive consumption of DI (MT)	Sales of other Indian Producers (MT)	Total Demand (MT)		Market Share (%)	
						Trend	DI	Import
2012-13	6,01,667	36,55,162	3,83,956	5,36,201	51,76,986	100	71	12
2013-14	3,23,723	34,68,496	1,46,323	9,94,887	49,33,429	95	70	7
2014-15	5,99,891	37,05,573	1,31,978	6,39,349	50,76,791	98	73	12
2015-16(A)	7,69,986	37,10,488	2,18,784	6,94,669	53,93,927	104	69	14

c. **Market Share:** It is seen from the table above that the Imports had a market share of 12% in 2012-13 which increased to 14% during 2015-16(A) whereas the market share of Domestic industry decreased from 71% to 69% during the same period.

d. **Capacity Utilisation**: Capacity utilization of the Domestic Industry decreased from 60% to 49% during the period of investigation, as seen from the table below:

Table-6

Financial Year	Installed Capacity (MT)	Capacity Utilisation (%)
2012-13	77,38,198	60
2013-14	81,67,598	50
2014-15	83,14,265	51
2015-16 (Up to Sept.,15)	43,03,796	
2015-16(A)	86,07,592	49

e. **Employment & Productivity:** The trend of employment is increasing whereas the trend of productivity per employee is decreasing over the injury period, as seen from the table below:

Table-7

Financial Year	Production of DI (MT)	No. of Employees (Indexed)	Productivity per Employee(MT) (Indexed)
2012-13	46,17,239	100	100
2013-14	41,03,109	110	80
2014-15	42,21,200	117	78
2015-16(A)	42,44,616	125	73

f. **Profit & Loss (Indexed):** The profitability of the Domestic Industry has declined sharply during 2015-16 (Up to Sept.,15) and domestic industry recorded losses. This is evident from the table below:-

Table-8

Financial Year	Profitability (Rs. /MT) (Indexed)
2012-13	100
2013-14	70
2014-15	52
2015-16(Up to Sept.,15)	(150)

g. <u>Other Important Factors</u>:-

(i) Inventories: Inventories have increased from 100 Points in 2012-13 to 109 Points in 2015-16 (up to Sept.,15)), as seen from the table below:

Table-9

Financial Year/Quarter	Inventory (MT)	Inventory (MT) (Indexed)
2012-13	2,56,812	100
2013-14	3,13,029	122
2014-15	2,88,941	113
2015-16 (Up to Sept.15)	2,80,751	109

(ii) Price undercutting, suppression/depression:

a. The domestic Industry was always under consistent pressure to either reduce their prices to match the import prices or to hold on to their prices. The penetration of increased imports at an unprecedented high level was such that even after reducing the prices, the domestic industry was not able to keep on to its market share. This has resulted into losses during 2015-16(up to Sept.,15) for the domestic industry. The variation of landed prices of imports, cost of Sales and sales realisation are as under:-

Table-10

Financial Year	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	2015-16
Landed price of import (Rs./MT) (Indexed)	100	97	98	81
Cost of Sales (Rs./MT) (Indexed)	100	99	103	101
Sales realisation(Rs./MT) (Indexed)	100	98	101	88
Price Undercutting(Rs./MT)(Indexed)	(100)	(85)	(76)	(16)
Profit/Loss(Rs./MT) (Indexed)	100	70	52	(150)

b. It is evident from the above table that the domestic industry was forced to match the landed price of imports and accordingly, the trend of sales realisation follow the same trend as of landed price. This shows a serious instance of price depression. It is also evident from the above table that the cost of sales increased by 1 indexed points from 2012-13 to 2015-16 (Up to Sept.,15) whereas the sales realisation of domestic industry decreased by 12 indexed points during the same period. This shows a serious instance of price suppression. There was a substantial decline in profitability index from 100 in 2012-13 to (150) in 2015-16 (up to Sept.,15).

34. Examination of all of the above factors shows that, there was a sharp decline in profitability leading to losses and there was a decline in the market share of DI due to increased imports and decline in imports prices leading to serious injury by way of financial losses.

35. Interested parties have submitted that injury being suffered by the domestic industry is due to their own internal factors including the following:

- High interest cost due to huge debt.
- High labour and power cost
- Use of obsolete technology

36. The domestic industry submits that in a capital intensive industry, like steel industry, having borrowed funds is a normal practice. Also, the domestic industry pays interest at the rates prevalent in the Indian economy and incurs power cost as per the market prices. Further, India is having an advantage of cheaper labour as compared to rest of the world. It is also submitted that the domestic industry is using the same technology as being used in other countries. In this regard I observe that these claims are very general and without any facts and figures to support. The fact that injury has been caused due to increased quantities of imports of the PUC in India has already been established above. I find that the domestic industry has been in existence since many years and has been doing well in the past. Infrastructure and capacities are in place with the domestic industry to meet the demand of the PUC. Mere existence of inefficiencies in certain areas cannot be a reason to deny safeguard protection to the Domestic Industry. The very reason why safeguard protection is sought and given and is provided for under Safeguard law is that the DI is unable to handle competition and can get some time to adjust to the International competition over a period of time. The main determining factor is that there should be a serious injury or threat of serious injury and there is a causal link with the increased imports. I observe that there is a significant increase in imports of the subject goods which have caused serious injury to the domestic industry which has been duly substantiated in the foregoing paras.

37. **Free trade agreements**: Interested parties argued that since India has signed free trade agreements ("FTA") with Japan, Indonesia and Korea RP, imports of the subject goods increased due to concessional rate of duties under these FTAs. Some interested parties are of the view that import volumes from India's FTA partner countries like Japan, Indonesia and Korea RP should be excluded from total imports for analysis. Domestic industry submitted that imports from these countries have occurred in huge quantities in the most recent period and these imports are at unfairly low prices causing serious injury to the domestic industry. I observe that the imports from Japan,Korea RP and Indonesia increased due to low customs duty under the respective FTAs. Imports from these countries have occurred in huge quantities in the most recent period and these imports are at very low prices causing serious injury to the domestic industry. However, these FTAs have specific provisions that allow India to impose general safeguard duty. Thus, during examination, imports from these countries cannot be excluded for analysis.

38. Adequacy and accuracy of information: Some interested parties are of the view that the DG Safeguards did not comply with Rule 5(3) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 ("Rules"). These interested parties contend that there was no clear import data in the petition that warranted initiation of this investigation. It is contended that six months data of the recent period was not sufficient evidence and the DG Safeguards failed to examine the adequacy and accuracy of the evidence in the petition. It is argued that there is no evidence of increased imports in terms of Article 2.1 and Article 4.2(a) and no evidence of serious injury in terms of Article 4.1(a)of the Agreement on Safeguards. It is also argued that decline in some indicators of the domestic industry is due to other factors within the meaning of Article 4.2(b) of the Agreement on Safeguards. I observe that the above contentions are without any merit as there was prima facie evidence in the petition that demonstrated that imports of the subject goods had increased in a sudden, sharp and significant manner in a recent period that warranted immediate initiation of the subject investigation. The petition satisfied the requirements under Articles 2.1, 4.1(a) and 4.2(a) of the Agreement on Safeguards. Further, there is no evidence that suggests that injury to the domestic industry was due to other factors in terms of Article 4.2(b) of the Agreement on Safeguards.

39. Fall in raw material prices justifies fall in steel prices: Interested parties argued that prices of raw materials have declined by 40% to 60% and consequently there is a fall in price of the subject goods. Therefore, import prices cannot be

considered as low and domestic industry should also translate the decrease in price of raw materials to their hot-rolled products. Interested parties further argued that the domestic prices of Petitioners are much higher than their export prices. The domestic industry submitted that they have already decreased their prices in line with decrease in raw material prices. Also, the contention of interested parties that there is a steep decline in raw material prices without taking into account the cost of transporting the raw material to factory which has increased consistently during the injury analysis period is not correct. Overall decline in raw material prices is much lower than what is claimed by the interested parties. Also, the prices of end product cannot be reduced by the same percentage as that of reduction in raw material prices since the raw material cost forms only a part in the total cost of production. In this regard I find that during recent period, imports is happening at grossly low prices and the domestic industry has been forced to match such low prices, to the extent that their prices have gone below the cost of sale of the domestic industry. I further examined the verified domestic data and find that the domestic industry's export prices are not lower than the domestic prices during the most recent period 2014-15 & 2015-16(up to Sept.,15). I further agree with the statement of domestic industry that international prices of steel products are already suppressed due to rampant dumping by countries like China PR, Russia and Ukraine and accordingly domestic industry's export prices are also suppressed. That does not mean that the domestic industry should also sell their products at suppressed prices in their domestic market as well.

40. **Misrepresentation of Facts**: The interested parties, relying on the figures reported in the Annual Reports of the constituents of the domestic industry, have alleged that the domestic industry has misrepresented facts in the safeguard application. Further, they submitted that the Annual Reports of the companies present a better picture with respect to profitability and sales than the figures provided in the safeguard application, In this regard, the domestic industry submits that the interested parties have failed to analyse the fact that the annual reports provide a broader picture of the entity as a whole. The constituents of the domestic industry are multi-product companies and the figures reported in the annual reports are for all the operations. The sales, profitability and other volume and price parameters are to be analysed in the light of PUC only for the purpose of the present safeguard investigation. I agree with the statement of the domestic industry as all the figures related to the PUC have already been provided by the domestic industry which has been duly verified during the verification process. Therefore, I am satisfied that there is no misrepresentation of facts as alleged by the interested parties.

41. **Better performance of supporters:** Interested parties have stated that the performance of the supporters has been far better that the domestic industry. The supporters are having a positive and increased trend of production, profitability and sales. Therefore, the claims made by the domestic industry regarding decreasing trend of production, profitability and sales are false and devoid of any merit. In this regard, I find that the domestic industry has suffered material injury as evident from the figures given in the petition. I also find that share of supporters in the production of product under consideration is insignificant as compared to 85% share of the domestic industry in the total production. Therefore, the claims of the interested parties are not correct.

42. **Depreciation of Indian Rupee**: Interested parties have submitted that Indian Rupee has substantially depreciated during the POI, making the imports into India more expensive and less preferable as compared to the domestically procured goods. Indian Rupee has depreciated by more than 25% from 2012 to 2016. The domestic industry submits that despite of the depreciation in Indian currency, the import volume has surged during the POI. Moreover, the domestic industry submits that currencies of exporting countries including Russia, Ukraine and Indonesia have depreciated at much higher rate than the Indian Rupee. The sharp fall in currency value of the exporting nations have favored the increasing imports of subject goods into India. In this regard I have no reason to disagree with the domestic industry.

43. **Price of Imports**:A few interested parties from Japan have submitted that the landed value of the imported goods from Japan as claimed in the petition is false and without any evidence. In this regard I find that the import price given in the petition is based on the import statistics which has already been submitted to the DG Safeguards and same is also available in public file. Moreover, the final analysis is based on the DGCI&S (Ministry of Commerce) data, statistics for which is also available in public file. I alo observed that the import statistics provided by the domestic industry and the import statistics of DGCI&S (Ministry of Commerce) both has been circulated to all known interested parties along with the Notice of Initiation issued on 7th December,2015. Therefore the claims by the interested parties are baseless and cannot be accepted.

44. From the above analysis it is seen that the demand for the PUC in India has increased in the injury period. Despite increase in demand, the production of domestic industry have decreased, while inventories have somewhat increased as compared to base year. Imports have taken away most of share of the increase in demand of the subject goods. The domestic industry had raised its capacities foreseeing the increasing demand in India. However, the domestic industry is unable to increase its capacity utilization and production.. The profitability has gone down drastically and even turned to losses during 2015-16(up to sept.,15). The major reason for decline in profitability of domestic industry is the increased

imports at reduced prices. If the same trend continues, the domestic industry fears that they would be forced to shut down their operations.

45. The imports of the PUC have increased significantly in absolute terms and in relation to production and consumption in India. As a result of the significant surge in imports, the Domestic Industry has suffered serious injury. Domestic Industry has performed inversely to the imports, with deterioration in finances from profits to losses.

46. Thus, an evaluation of the overall position of the DI, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of the DI, shows a 'significant overall impairment'. It is thus concluded that Domestic Industry has suffered serious injury as a result of increased imports of the PUC.

47. There is a serious injury to the domestic industry due to the surge of imports and the most recent trend of import volumes entering India. The volume of imports continues to increase, despite already being at high levels. The market share of imports has also increased over the period. Considering the surplus production capacities available with the foreign producers, the imports will continue to increase, as is evident from the post POI analysis being examined below, resulting in further injury to the domestic industry. The likelihood of further increased import leads to a conclusion that there is a threat of further serious injury to the domestic market. In view of the fact, that the domestic industry is unable to make profitable sales in the Indian market, I am of the view that in absence of levy of safeguard duty, the Domestic Industry faces serious injury and a further threat of greater serious injury.

H. **Iissues related to Minimum Import price:**

48. Many interested parties are of the view that since Minimum Import Price ("MIP") has come into force, the present investigation is infructuous. Interested parties are of the view that MIP effectively addresses injury to the domestic industry and double protection should not be given to the domestic industry in the form of MIP as well as safeguard duty. Some interested parties contend that the MIP notification dated 5th February 2016 does not clarify what factors were considered while imposing MIP. Some interested parties are of the view that MIP has increased the import price by 50% and since 12.5% basic customs duty is also applicable on the subject goods, the domestic industry is protected to the extent of 62.5%. Interested parties argue that imposition of both MIP and safeguard duty would result in double jeopardy and will result in complete wipe out of imports into India. This will severely affect the user industry in India. Many interested parties argue that during the public hearing, the domestic industry itself mentioned that it does not want double protection. In this regard I find that:

i. Merely because MIP has come into force, it does not affect the legal sanctity of the present investigation. Further, the domestic industry has clarified during the public hearing and vide its written submissions and letter dated 17 February 2016, that the DG Safeguards may recommend imposition of safeguard duty from the date when MIP expires. The interested parties, however, have misunderstood the domestic industry's clarification to mean that the domestic industry does not need any protection in the form of safeguard duty.

ii. MIP is merely a short term measure that could be withdrawn by the Central Government at any time. At present, MIP is in force from 5th February 2016 for a period of six months or until further orders, whichever is earlier. On the other hand, the domestic industry has sought for protection in the form of safeguard duty for a period of 4 years.

iii. With regard to factors considered by the Central Government while imposing MIP, interested party may seek clarification from the Central Government in this regard.

iv. With regard to the interested parties arguement that MIP has increased the import price by 50% and the domestic industry is protected to the extent of 62.5%, the domestic industry submitted that this fact is totally unsubstantiated and for the sake of argument, even if it is assumed that after imposition of MIP, import prices increased by 50%, it only means that the gap between unfairly low import prices and fair prices has reduced. This means that interested parties concede that before MIP, import prices were 50% lesser than fair prices expected by the domestic manufacturers in India. In this regard I cannot accept the contention of interested parties as no evidences/calculations has been provided.

v. Further, the domestic industry submitted that the they never endorsed the view that MIP and safeguard duty should be applied at the same time. In this regard I find that the domestic industry vide its letter dated 17 February 2016, clarified that they does not want double protection and the DG Safeguards may recommend imposition of safeguard duty from the day when MIP expires.

I. **Causal Link between Increased Import and Serious Injury or Threat of Serious Injury:**

49. As per Rule 8 of the Customs Tariff(Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997, The Director General(Safeguards) is obligated to "*determine serious injury or threat of serious injury to the domestic industry taking into account, inter alia, the principles laid down in Annex to the these rules*". Further, paragraph 2 of the Annex requires

the establishment of causal link between alleged increased imports and serious injury or threat thereof. The Paragraph 2 of Annex to Rule 8 provides as follows:

The determination referred to in paragraph (1) shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the article concerned and serious injury or threat thereof. When factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports.

50. The Panel on Korea — Dairy set forth the basic approach for determining "causation":

"In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyse and determine whether developments in the industry, considered by the national authority to demonstrate serious injury, have been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry. In addition, if the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the domestic industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased imports.

To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the injury to its domestic industry results from increased imports. In other words, Korea has to demonstrate that the imports of SMPP cause injury to the domestic industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analyzed the situation of the domestic industry, the Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors."

51. **Contentions by interested parties on injury parameters and causal link**: Interested parties have submitted that the domestic industry is not facing any serious injury or threat of serious injury. Further, interested parties have submitted that there is no causal link between increase in imports and the injury suffered by the domestic industry. The reasons for the same as submitted by the interested parties are summarised hereunder:

a. Market share of imports is not significant to cause injury: I find that the sudden increase in imports is the only reason of serious injury to the domestic industry. The market share of imports in total demand (including captive) of the PUC has almost doubled in 2015-16 from the year 2013-14.

b. Injury indicators including market share, sales, production, capacity, investment levels and inventories have remained stable and some indicators show positive trend:

- Capacity, Production & Capacity Utilization: In this regard I find that the domestic industry has made significant investments during 2013-14 and in subsequent years in view of increasing demand of subject goods in India. However, capacity utilization of the domestic industry has come down from 60% during 2012-13 to 49% in 2015-16. The domestic industry has capacity to meet the entire domestic demand. However, the domestic industry is not able to utilise its capacities fully despite the increasing demand of the PUC in India. The reason for the unutilised capacities with the domestic industry is that imports of the PUC are aggressively capturing the increase in demand in India.
- Inventory Levels: I observe that the inventory of domestic industry has increased significantly during 2015-16(up to Sept.,15) as compared to 2012-13 due to constant pressure of increasing imports. The domestic industry has raised its capacities foreseeing the increasing demand in India. However, the domestic industry is unable to increase its production and sales commensurate with the increase in demand which is leading to a situation of inventory accumulation over the injury period.
- Sales: I observe that the sales of the domestic industry are almost stagnant, despite higher capacity and higher demand of the subject goods. During 2015-16, demand increased by 317136 MT compared to 2014-15 whereas during the same period, sales of the domestic industry increased merely by 4915 MT.

c. There is no actual sudden and sharp increase in imports required by the WTO Agreement: In this regard I observe that the data on record clearly demonstrates that imports of the subject goods have rapidly increased during the injury analysis period. Imports have sharply increased in terms of quantity during the recent period. The domestic industry is facing an emergency situation and based on the available data, it is expected that imports during 2015-16 will far exceed 2014-15 levels. Based on the data available for first two quarters of 2015-16(Up to Sept.,15), imports of the subject goods are expected to be 769986MT on annualized basis, which exhibits a 28% increase from 2014-15 levels when imports were 599891 MT which is a sudden, sharp, significant and recent increase in imports.

d. Inclusion of figures of third quarter of 2015: The interested parties contended that the third quarter figures of 2015 cannot be taken into consideration. In this regard the third quarter figures of 2015-16 has been considered for the purpose of post POI examination only.

e. An endpoint to endpoint analysis does not show any constant increase in imports: In this regard I find that a comprehensive year on year analysis is required for analysing economic parameters, which has been held in the WTO Panel Report in *Ukraine- Definitive Safeguard Measures on Certain Passenger Cars*. The increasing trend of imports of subject goods into India is evident from the tables-2 above. Most recent period is most significant while determining increase in imports.

f. No causal link: In this regard I find that there exists a strong nexus between the sudden and sharp increase in imports of the subject goods and the serious injury being faced by the domestic industry as explained herein below.:

- The volume of imports has increased significantly from 100 points (601667 MT) to 128 points (769986 MT).
- Market share of imports has increased to 14% during 2015-16. Market share of the Domestic Industry has declined from 71% to 69% eventhough demand for the subject goods has been rising in India. This is due to the reason that imports have aggressively captured the increase in demand.
- The decreasing import prices are preventing the Domestic Industry from sustaining its prices;
- Due to increased imports on low prices, the Domestic Industry is unable to increase its production and sales as compared to the rate of increase in demand/consumption of product under consideration in India;
- The profitability of the Domestic Industry has declined sharply during 2015-16 (up to Sept.,15) and domestic industry recorded losses due to increased imports.
- Significant price depression, suppression, due to imports of the subject goods have already been explained in foregoing para.
- Inventories of the domestic industry have been on the rise, as the domestic industry has not been able to increase its sales commensurate with the increase in demand. Imports have been aggressively capturing the demand in India.

g. No correlation between the decrease in the production of domestic industry and increase in import: In this regard I find that the domestic industry is not able to increase its production despite the increase in production capacity and increase in demand in India. The total demand has increased from 100 indexed points (Table-5 above) in 2012-13 to 104 indexed points in 2015-16 (A). Also, the imports of subject goods into India has increased from 100 indexed points (table-2 above) in 2012-13 to 128 indexed points in 2015-16 (A). However, production of domestic industry has declined by 8 indexed points (table-4 above) during the same period. This shows direct nexus between increasing quantity of import and decreasing production of domestic industry.

52. For the purpose of determining causation, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry have been evaluated. A comprehensive evaluation of parameters enumerated in preceding paras demonstrates that serious injury and threat of serious injury is being caused by increased imports.

53. In view of the above I find that there is a direct correlation between the increase in imports and serious injury suffered by the domestic industry as import in absolute term increased during the year 2015-16(Annualised on the basis of data up to Sept.,15) as compared to base year 2012-13 and domestic industry is losing market share which has declined from 71% to 69%. The landed price of imports per ton has declined sharply. Consequently, the domestic industry has suffered losses. It is, thus, evident that injury to the domestic industry has been caused by the increased imports.

J. **Adjustment Plan:**

54. Rule 5(2) (b) of the Safeguard Duty Rules requires the DI to submit a statement on "efforts being taken or planned to be taken or both to make positive adjustment to import competition". Further Article 7.1 of WTO Agreement on Safeguard provides that a member shall apply safeguard measure only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and facilitate adjustment.

55. The purpose of a definitive safeguard measure is to provide the domestic producers a limited period of time to restructure themselves for effectively competing with the imports. Section 8B(4) of the Customs Tariff Act, 1975 and Rule 16(2) of the Safeguard Duty Rules prohibits any possible extension of a measure if there is no evidence that the domestic producers are adjusting.

56. Some interested parties are of the view that the domestic industry has not provided adjustment plan with the petition. In this regard I find that the domestic industry has filed separate questionnaires along with the petition that contained adjustment plans for each constituent of the domestic industry. These questionnaires filed by the domestic industry along with their application have been circulated to all known interested parties along with the notice of initiation

dated 7th Dec.,2015 and same have also been placed in the public file for inspection of other interested parties. A brief of the adjustment plans laid down is as under:

a. Steel Authority of India Limited

i. Savings in procurement costs of coking coal, iron ore, fluxes and ferro alloys;
ii. Optimising the raw material linkages to the plants for minimizing the landed cost and minimizing procurement cost of various items like stores and spares, refractories, rolls, lubricants, etc.
iii. Improving the operating efficiency of available assets;
iv. Reduction in coal blend cost by increase in usage of imported soft coking coal in each plant as a replacement of imported hard coking coal and maximize production/use of coking coal from captive washeries;
v. Reduction in gross metallic input and enhancing concast production
vi. Reducing the cost of power and other fuels by maximising recovery of gases like CO gas, BF Gas and LD gas to replace boiler coal in captive/JV power plant
vii. Improvement in the efficiency of different processes by improvement in the yield of blooming mill/slabbing mill etc.
viii. Modernisation plans in SAIL will lead to increase in volume of production, productivity, improvement in yields, conservation of energy and improvement in product quality.

b. Essar Steel Limited

i. Commissioning of multi fuel power plant at Hazira will help in reduction in costs by utilisation of surplus Corex gas and coal fines;

ii. The high quality of iron ore fines from mines acquired under the government auction scheme will provide flexibility to enhance the quality of raw material and thereby improve the productivity and lower the cost;

iii. Essar plans to acquire mines nearby its established beneficiation and pellet facilities located in Odisha and utilise slurry pipeline to transport the same. Use of slurry pipeline for transport will have significant costs savings;
iv. Commissioning of pellet plant 2 in Paradeep will increase in-house availability of pellets at lower costs;
v. Commissioning of captive coke oven will result in reduction in cost of coke and consistent quality;
vi. Reconfiguring the technological units and installing related facilities to reduce dependence on natural gas and improving steelmaking capacity.

c. JSW Steel Limited

i. Reduction of fuel consumption by improving hot blast temperature, increasing Eta CO;
ii. Reduction in logistics cost by reduction in idle freight, extra movement from Goa & reduced movement from Mangalore Port, etc.;
iii. Savings in LPG consumption by changing flare stack burners at SMS 1 from LPG to coke oven gas;
iv. Improvement in HSM yield by reduction of cobbles and reduction in scale loss, salvage loss, and crop-end loss;
v. Commissioning of new line from Steel Melt shop to Corex gas holder for better LD gas recovery;
vi. Reduction in solid fuel in sinter plants by using CDQ fines in micro pellets;
vii. Reduction in anthracite consumption at sinter, reduction in aluminum consumption;
viii. Intense condition monitoring, preventive maintenance and predictive breakdown maintenance.

d. Jindal Steel and Power Limited:

i. Finishing Mill to be provided with new high speed motors and motors of Steckle coiler, pinch roll and roller tables in Finishing Mill area to be changed to match higher speed of Finishing Mill stand.
ii. Finishing Mill stand to be equipped with additional equipments such as new automated gauge control servo, load cells, strippers and guide etc.
iii. New Laminar cooling system with higher flow rate and better temperature control.
iv. New Coil handling facility consisting of walking beam conveyor, coil sampling station and circumferential & radial strapping machine.
v. Modified Level-1 controls (existing) for Roughing Mill, Finishing Mill, Laminar and down coiler.
vi. New windows based Level-2 automation system for Roughing Mill, Finishing Mill, Laminar & down coiler.
vii. The benefits in plate mill upgradation project would result in reduction in diversions, special grade rolling, and increase in other grade realization.

57. It was further stated by the domestic industry that the above adjustment plans will help them to adjust new situation of competition offered by increased imports. I find that the applicants have provided viable adjustment plans which focuses on cost reduction, optimum utilization and expansion of production capacities which will enable them to adjust to the international competition.

K. **Unforeseen developments:**

58. The Agreement on Safeguards read with Article XIX of GATT obligates the national authorities to examine the "unforeseen developments" which led to the serious injury to the Domestic Industry. It is, therefore, considered important to examine the unforeseen developments or circumstances which have led to increased imports.

59. The Appellate Body in Argentina – Footwear (EC case) held that the phrase Unforeseen Developments means the developments which were unexpected. 'Unforeseen developments' require that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been 'unexpected'.

60. The Appellate Body, in Argentina — Footwear (EC), then held that the requirement of "unforeseen developments" did not establish a separate "condition" for the imposition of safeguard measures, but described a certain set of "circumstances":

61. The panel on US- Steel Safeguards concluded that the confluence of several events can unite to form the basis of an unforeseen development:

"The United States argues that the robustness of the US dollar was a development which combined with the other developments, namely, the currency crises in Asia and the former USSR and the continued growth in steel demand in the United States' market as other markets declined, lead to increased imports."

62. The applicant has pointed out that Steel manufacturers in a number of countries including China PR, Russia, Ukraine, Japan and Korea have developed huge capacities to cater to demand of steel by developed countries and rest of the world. Most of the developed countries that were traditionally the biggest importers of steel such as United States and the European Union have reduced their dependence on imported steel. This development adversely affected exports of steel from China PR, Russia, Ukraine etc. leading to excess supplies and a glut in the world steel market.

63. The Indian government has been liberalizing investments in many sectors such as infrastructure and manufacturing. As a result, demand for steel has been increasing in the country, as India intends to heavily invest in its infrastructure and manufacturing sector that require steel as essential input. Indian steel demand is projected to grow at a healthy rate of 7-7.5% during FY 2015-2016 stimulated by a healthy economic growth due to increasing investments and industrial output.

64. However, it was unforeseen that the increase in demand for steel in India would coincide with the decrease in demand of steel in developed countries and rest of the world. It was completely unforeseeable that China would have a negative growth rate in steel in steel consumption freeing up large production capacities leading to excess capacities and an export push by Chinese manufacturers at very low prices to the rest of the world.

65. POSCO in collaboration with Krakatau Indonesia has strategically commissioned a 3-million tons Indonesian steel capacity as a forward looking investment to service the growing demand of South East Asian countries including India. In addition to this, Indonesian Currency (Rupiah) has depreciated by about 25% to the USD during the period October 2014 to September 2015. These two factors have resulted in significant increase in exports of product under consideration from Indonesia to India during the recent period

66. China PR is experiencing weak domestic demand. Infrastructure sector, mainly housing, which has been the biggest consumer of steel in China PR is going through a slowdown. Manufacturers in China PR can no longer dispose off their production in the domestic market. This situation is likely to remain unchanged in the short term and Chinese steel use will continue to record a negative growth of -3.5% in 2015 and further down by 2% in 2016. This has resulted in a price depression and a glut in the world steel market.

67. There are huge surplus capacities in China PR and Japan amidst the rising steel consumption in India. As per a recent report by Ernst & Young, "Global steel production in 2013 continued to increase by 3.5% to 1,607mt (million ton) despite weak demand growth in most parts of the world. The report further states that "sustained overproduction is likely to continue impacting the global market in 2015." As per the report, there existed huge surplus of 44 million tons in China PR and 40 million tons in Japan in 2014.

68. As per World Steel Association, demand of steel will increase by 7.3% during 2015 in India and will further grow by 7.6% in 2016. On the other hand, "Demand from China PR and the United States, the two largest consumers, is forecast to either fall or stay flat", as per reputed news agency Reuters. Therefore, the world steel market will continue to face a situation of over supply and price depression, leading to increased imports at depressed prices.

69. Trade remedy measures adopted by countries like US, Turkey, Canada,Thailand and Malaysia between period 2012 to 2015 has resulted in further over supply in the world market leadind to increase in imports to India. This factor has also resulted in sudden surge of imports into India.

70. Many interested parties have contended that the domestic industry has not been able to demonstrate existence of unforeseen developments in the petition. It is also argued that imports from Japan were occasioned due to India-Japan CEPA which has been effective from August 2011. It is also argued that the petition does not substantiate that imports from Russia and Ukraine were diverted to India. The domestic industry submitted that the petition very comprehensively demonstrates the existence of unforeseen developments. I find it is immaterial whether imports from Japan were occasioned due to India-Japan FTA. This contention would have been relevant only if the domestic industry had pursued a bilateral safeguard remedy under India-Japan CEPA. However, the domestic industry is aggrieved by sudden, sharp, significant and recent imports from all sources. The India- Japan CEPA does not preclude the imposition of global safeguard measure.

71. In this regard, I find that India's bound rates on PUC as per its Schedule of Concessions to the WTO is 40% ad valorem. It is further observed that India has been reducing its applied tariff rates on goods across many sectors. The sole purpose of this exercise is to encourage international trade so that India better assimilates into global trade. This is particularly true for the PUC for which India had a reduced applied rate of 7.5% in 2013-14 and 2014-15. It can been seen that due to the effect of such low applied tariffs, there was a chance for the imports of the PUC, under the present circumstances and market conditions to actually increased in sudden, sharp, significant manner into India.

72. It is clear from the above discussion that as a result of unforeseen developments and as an effect of obligations under GATT including tariff concessions, imports of the PUC has increased in a sudden, sharp, significant and recent manner into India.

L. **Public Interest:**

73. Article 3.1 of the Agreement on Safeguards states as follows:

"A Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all interested parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other interested parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the application of a safeguard measure would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law."

(i) Many interested parties are of the view that imposition of safeguard duty would not be in public interest. It is argued that the user industry would be left in a disadvantageous position. Further, it is argued that safeguard duty would be inconsistent to Government of India's Make in India program. It is contended that employment and wages would be affected by levy of safeguard duty, and small and medium enterprises would be wiped out. In this regard I observe that safeguard duty is required so that the domestic industry can adjust to the rising level of imports of the subject goods into India. Without safeguard duty, the domestic industry may be wiped out. It is in the interest of users in India that a healthy and flourishing domestic industry exists to cater to Indian demand and contribute to the Indian economy. Further according to the claim of the Domestic Industry, the consumer profile and the impact of the proposed safeguard duty on each of the consumer industry and eventual impact on the cost of the end products is insignificant as seen from the following Table:

Table-12

S.No.	Sector	Overall Impact of safeguard duty @20%	Overall Impact of safeguard duty @15%
1	Back-Hoe-Loader / Mining Machine	1.75%	1.31%
2	20-mt Excavator	2.10%	1.58%
3	Wheel Loading Shovels	3.11%	2.33%
4	Affordable Housing	1.60%	1.20%
5	Almirah	2.00%	1.50%

6	Refrigerator	2.80%	2.10%
7	Pipe & Tube in Affordable Housing	0.13%	0.10%
8	Thermal Power Plant	2.40%	1.80%
9	Road	0.30%	0.23%
10	Passenger vehicle	1.50%	1.13%
11	2-Wheeler	0.70%	0.53%

74. I further observe that public investments of lakhs of crores in the steel industry is at the risk of becoming Non performing Assets. Therefore, adequate cover of protection to the DI is also desirable. If unattended, both the prices and market share of domestic industry will further decline, resulting in financial losses to the domestic industry to the extent of getting the domestic industry unviable with possible loss of employment as well as loss of strategic and economic interest of the country.

75. Therefore, Imposition of safeguard duty at a reasonable level would be in order as it is in the consumers' long term interest to have a competitive and vibrant Indian domestic industry capable of supplying the product under consideration to the consumers and be able to compete with foreign producers. This is possible only when the domestic industry is able to get some temporary support for the injury suffered due to the increased imports. It is in the interest of the public at large to have a strong, competitive Indian domestic industry.

M. **Developing Nations:**

76. The percentages of imports from developing nations have also been examined for the period 2012-13, to 2015-16(up to Sept.,15). Except China PR , Ukraine and Indonesia which constitutes 48%, 13% & 7% of total imports into India respectively, other developing nations individually and collectively have less than 3% and 9% share respectively of total imports into India. Therefore, imports of the product under consideration originating from developing nations, as listed in Notification No.19/2016-custom(NT) dated 5th February,2016 except China PR , Ukraine and Indonesia will not attract Safeguard under Section 8B (1) of the Customs Tariff Act, 1975.

77. Govt. of Turkey contends that they should be excluded from the purview of safeguard duty as they are developing country. In this regard, I find that India in terms of Notification No. 19/2016-Customs(NT) dated 5/2/16 recognise Turkey as a developing country and the share of Turkey being less than 3% of total imports into India during the period 2012-13 to 2015-16(Up to Sept.,15), the imports of the product under consideration originating from Turkey will not attract Safeguard Duty under Section 8B (1) of the Customs Tariff Act, 1975.

78. The Govt. of Indonesia has submitted that safeguard instrument should be used in exceptional circumstances only. In this regard, I find, that at present, the Indian steel industry is going through a very critical phase due to sudden, sharp, significant and recent increase in imports of the subject goods. The Indian steel producers are suffering serious injury due to such imports as a result of unforeseen developments as discussed in the foregoing paras.

79. The Govt. of Brazil has raised the issue that the share of each exporting country has not been informed by the Authority and a list of developing countries has also not been provided. Brazil also argues that the period taken into account for calculation of the volumes imported from each source has not been specified. In this regard I observe that the country-wise transactions of imports into India provided by the domestic industry alongwith its application were circulated to all interested parties while circulating the Notice of initiation in the matter. The same documents have also been placed in the public file for inspection by the interested parties. There is, thus, no inconsistency in terms of Article 3.1 of the WTO Agreement on Safeguards. Further, since Brazil's share of imports has been determined to be not more than 3% in total imports during the period 2012-13 to 2015-16 (up to Sept.,15), imports of PUC from Brazil is excluded from the purview of safeguard duty.

80. Some interested parties are of the view that Taiwan's name does not feature in the list of developing countries that was notified by India vide Notification No. 103/98-Cus dated 14 December 1998. It is argued that since Taiwan is not on the list, if safeguard duty is imposed, imports from Taiwan would be subjected to safeguard duty even though imports from Taiwan were below 3% during the most recent period. It is contended that the European Union, Indonesia and Malaysia have granted Taiwan developing country status and even United Nations Conference on Trade and Development, OECD, IBRD and other such organisations recognize Taiwan as a developing country. In this regard I find that India maintains a list of developing countries in terms of Notification No. 103/98-Cus dated 14 December 1998. Countries that are not on this list are recognised as developed countries. WTO members are not obligated to grant

developing country status to a member country just because some other members have granted such status to one member. India has the discretion to grant Taiwan developing or developed country status. Since as per Indian law, Taiwan is a developed country, it cannot claim benefit under Article 9.1 of the Agreement on Safeguards.

N. **Examination of Post POI data**:

81. In the given circumstances, an attempt was made to analyse the trend in the period after the POI i.e. upto 3rd quarter of 2015-16 to draw a clear inference about the possibility of accentuation of the injury to the domestic industry. The domestic industry vide their post Public Hearing submissions submitted the domestic data pertaining to certain economic parameters for the subject "product under consideration" imported into India. The domestic data from 2012-13 to 2015-16 (Till Dec., 2015) has been verified by on-site visit by the departmental officers on the basis of excise records to the extent considered necessary.The data analysis is as under:

Table-13

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (upto Sept.,15)	2015-16 (Annualised on the basis of data upto Sept.,15)	2015-16 (upto Dec,15)	2015-16 (Annualised on the basis of data upto Dec,15)
Total Imports (MT)	601667	323723	599891	384993	769986	652925	870,567
Production (MT)	4617239	4103109	4221200	2122308	4244616	3216790	4289053
Domestic Sales(MT)	3655162	3468496	3705573	1855244	3710488	2817255	3756340
Total Demand(MT)	5176986	4933429	5076791	2696964	5393927	4143660	5524880
Market Share of Import(%)	12	7	12	14	14	16	16
Market Share of DI(%)	71	70	73	69	69	68	68
Inventory(M T)	256812	313029	288941	280751		309079	

82. On scrutiny of the above data it is observed that during the post POI i.e 2015-16(up to Dec,15)(Annualsed), there is a increase in the imports by about 13% between the period up to sept.,15 (Annualised) and period up to Dec.,15(Annualised). The market share of imports has increased by about 2% as against the corresponding decline of the market share of the domestic industry by about 1%. Further, there is a increase of about 2% in total demand whereas domestic production increased by 1% during the post POI period i.e 2015-16(up to Dec,15) (Annualsed). Inventory further increased by 10%. This shows that the injury to domestic industry accentuated during post POI period.

O. **Calculation of injury margin and reference price**

83. I**njury margin**:-The non-injurious price of PUC for the domestic industry has been calculated, taking into account average cost of sales of the domestic industry. This non-injurious price of the domestic industry has been compared with the landed value of the subject imports to determine injury margin. Landed value of imports for the purpose of this finding shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 8B, 9 and 9A of the Customs tariff Act,1975. The injury margins have been worked out as follows:

Table-14

S.No.	Injury Margin for the recent period (April,15 to Sept.,15)					
1	Resonable Return	%	5%	10%	15%	20%
2	Cost of Sale	Rs./ MT	*	*	*	*
3	Interest	Rs./ MT	*	*	*	*
4	Cost of sales before interest (S.No.2 – S.No.3)	Rs./ MT	*	*	*	*
5	Return (S.No.4 x S.No1)	Rs./ MT	*	*	*	*
6	Non Injurious Price (S.No.2+S.No.5)	Rs./ MT	*	*	*	*
7	Assessable Value of Import	Rs./MT	*	*	*	*
8	Landed value of Import	Rs./ MT	*	*	*	*
9	Injury Margin(S.No.6-S.No.8)	Rs./ MT	*	*	*	*
10	Injury Margin (Range) (S.No.9/S.No.7)X100	(%)	5-10	10-15	15-20	20-25

84. **Reference price** has been calculated after allowing reasonable return by using following formula:-

Non-injurious price = Reference price+ landing charges on reference price+custom duty

on reference price+cess on custom duty

The reference price so calculated comes to $504/MT.

P. **Injury position after introduction of MIP Notification**:-

85. The Government of India vide notification number 38/2015-2020 dated 5th February, 2016 has imposed minimum import price ("MIP"), restriction on imports of iron and steel products falling under chapter 72. The Notification covers the PUC and the imports of PUC is subject to MIP ranging from USD 500 to USD 752 on CIF basis per MT. I find that after implementation of MIP notification the landed value of import from February,16 onwards will be higher than the cost of sale of domestic industry and accordingly the domestic industry is protected from alleged cheap imports. I also observe that MIP notification is valid for six months and expiring on 4th August,2016 and after that the situation for the domestic industry will be same as before.

Q. **Conclusion:**

86. On the basis of the above examination and analysis done, it is concluded that:

i. There has been a significant increase in imports of the PUC in absolute terms as well as in relation to total Indian domestic production over the entire POI.

ii. The investigation has indicated that the domestic industry has suffered serious injury, considering overall performance, on the basis of listed economic parameters such as market share, and profitability, which have sharply declined from the base year till 2015-16(Annualised) whereas market share of imports have increased during the same period. This has caused significant overall impairment to the domestic industry. This establishes that causal link between the rise in imports and serious injury caused to the domestic industry during the POI exists.

iii. The domestic industry has been able to demonstrate that the developments in the market for surge in imports of the PUC were unforeseen.

iv. There will be a minimal impact on the downstream industry as a result of safeguard duty on the PUC which is a raw-material for them.

v. It is also established that imposition of safeguard duty in this case would be in public interest because it will aid in recovery of the domestic industry and ensure that end users get a stable supply of subject goods from the domestic industry.

vi. From the analysis of post POI data, it has been observed that the position of domestic industry further deteriorated on account of market share and inventory. I further observe that after introduction of MIP notification the position of domestic industry improved. The fact is that the MIP notification is going to be expired on 4th of August,2016 and after that the domestic industry will be at the same place as before and thus I conclude that a sensible view has to be taken to protect the domestic industry under these circumstances. Accordingly injury margin and a reference price has been calculated as discussed above . After examining the submissions of domestic industry I further conclude that the import of PUC at the value on or above the reference price does not harm domestic industry.

R. **Recommendations:**

a. The increased imports of 'PUC' into India, have caused serious injury and are threatening to cause serious injuries to the domestic producers of "PUC" and it will be in the public interest to impose safeguard duty on imports of "PUC" into India in terms of Rule 12 of the Customs Tariff (Identification And Assessment of Safeguard Duty) Rules'97, for a period of two years and Six months. Considering the average cost of sales of "PUC" by the domestic producer after allowing a reasonable return on cost of sales, safeguard duty as indicated below, which is considered to be the minimum required to protect the interest of domestic industry on PUC being imported falling under sub-heading 7208 and 7225 (72254013, 72254019, 72254020, 72254030 and72259900) of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975, is recommended to be imposed subject to condition that duty shall be imposed on the PUC imported at the prices below the reference price.

Table-14

Year	Safeguard duty recommended
First Year	Safeguard duty @10% ad valorem (minus Anti-dumping duty, if any) on the import of PUC imported at a price below $504 per MT.
Second Year	Safeguard duty @ 8% ad valorem (minus Anti-dumping duty, if any) on the import of PUC imported at a price below $504 per MT.
Third Year (For 6-months)	Safeguard duty @ 6% ad valorem (minus Anti-dumping duty, if any) on the import of PUC imported at a price below $504 per MT.

b. As the imports from developing nations, as listed in Notification No.19/2016-custom(NT) dated 5th February,2016, except China PR, Indonesia and Ukraine do not exceed 3% individually and 9% collectively, the import of product under consideration originating from developing nations except China PR , Ukraine and Indonesia will not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B (1) of the Customs Tariff Act, 1975.

[F.No. D-22011/47/2015/Pt-V]

VINAY CHHABRA, Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.